विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 13, छठा सत्र, 2010/1932 (शक)]

अंक 8, सोमवार, 22 नवम्बर, 2010/1 अग्रहायण, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 180	3–98
अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070	98–554
सभा पटल पर रखे गए पत्र	554–556
प्राक्कलन समिति	
7वें से 9वां प्रतिवेदन	557
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री मल्लिकार्जुन खरगे	557–558
सभा का कार्य	558–559
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) हरियाणा में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	559
(दो) रामगंजमंडी और भोपाल के बीच रेल लाइन के निर्माण के लिए पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री नारायण सिंह अमलाबे	560
(तीन) तमिलनाडु में तूतीकोरिन विमानपत्तन के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.एस. रामासुब्बू	560–561
(चार) असम में चन्द्रानाथपुर वाया लंका और जगी रोड से गुवाहाटी तक एक वैकल्पिक बड़ी रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	561

*सभा में निरंतर व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। इसलिए इन तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न माना गया।

विषय		कॉलम
(पांच)	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आंग्ल-भारतीय समुदाय के विद्यार्थियों को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री चार्ल्स डिएस	561–562
(छह)	राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति देने के लिए मानदंड के रूप में तालुका के स्थान पर गांव को लिए जाने की आवश्यकता	
	श्री इज्यराज सिंह	562–563
(सात)	उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत सादुलपुर और रतनगढ़ रेलवे स्टेशनों के नजदीक चौकीदार युक्त रेलवे क्रॉसिंगों पर रेल ऊपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम सिंह कस्वां	563
(आठ)	गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पलेज रेलवे स्टेशन पर गुजरात एक्सप्रेस और जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने और स्टेशन पर रेलवे सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	563–564
(नौ)	उत्तर प्रदेश के ओरैया जिले के डिबियापुर के एनटीपीसी विद्युत संयंत्र के आस-पास के गांवों में बिजली उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रेमदास	564
(दस)	उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खुर्जा जंक्शन पर सभी चार टिकट काउण्टरों को चालू किए जाने तथा उक्त स्टेशन पर रेलवे सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	564–565
(ग्यारह)	बिहार में हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन पर न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (रेलगाड़ी सं. 2523/2524) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री दिनेश चन्द्र यादव	565
(बारह)	केरल कलामंडलम जो केरल में कला और संस्कृति का केंद्र है, के लिए वित्तीय सहायता की राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी.के. बिजू	565–566
(तेरह)	तमिलनाडु के धर्मापुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शिवानल्ली में लेवल क्रॉसिंग के निर्माण के अलावा अध्यामन कोट्टई, चिन्थालपडी और बुदीरेदीपट्टी के निकट लेवल क्रॉसिंग पर रेलवे ऊपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री आर. थामराईसेलवन	566–567
(चौदह)	यमुना नदी के साफ किए जाने के लिए बनाई गई योजनाओं की निगरानी के लिए यमुना रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जयंत चौधरी	567

विषय	कॉलम
(पन्द्रह) भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. तरूण मंडल	568
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	569
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	570–578
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	579–580
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	579–580

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

सोमवार, 22 नवम्बर, 2010/1 अग्रहायण, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने दो पूर्ववर्ती सहयोगियों डॉ. वसंत पवार और श्री अमर पाल सिंह के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

डॉ. वसंत पवार वर्ष 1991 से 1996 तक दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने महाराष्ट्र के नासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

डॉ. पवार दसवीं लोक सभा के दौरान मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के सदस्य थे।

एक शल्य-चिकित्सक एवं एक शिक्षाविद् के रूप में डॉ. पवार अनेक शैक्षिक एवं जन-स्वास्थ्य संगठनों से जुड़े हुए थे। उन्होंने इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के नासिक केन्द्र के समन्वयक एवं पूना विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

प्रतिष्ठित लेखक, डॉ. पवार ने विभिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे।

डॉ. वसंत पवार का निधन 62 वर्ष की आयु में 7 अक्तूबर, 2010 को मुम्बई, महाराष्ट्र में हुआ।

श्री अमर पाल सिंह वर्ष 1994 से 1999 तक दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री सिंह वर्ष 1989 से 1991 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे।

श्री सिंह 11वीं लोक सभा के दौरान वाणिज्य संबंधी समिति के सदस्य थे। वे 12वीं लोक सभा के दौरान वाणिज्य संबंधी समिति तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री सिंह अनेक शैक्षिक संस्थाओं से सक्रिय रूप से सम्बद्ध थे और उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में गन्ना उत्पादकों के कल्याण के लिए कार्य किया।

श्री अमर पाल सिंह का निधन 64 वर्ष की आयु में 15 नवम्बर, 2010 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी और इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूं।

माननीय सदस्यो, 15 नवम्बर, 2010 को पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर क्षेत्र के ललिता पार्क में एक बहुमंजिला आवासीय भवन के ढह जाने के कारण लगभग 70 लोगों के मारे जाने और अन्य 82 लोगों के घायल होने की खबर है।

सभा इस त्रासदी, जिसके कारण मारे गए तथा घायल लोगों के परिवारों को असीम पीड़ा एवं दु:ख पहुंचा है, पर अपना गहरा शोक व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब प्रश्न काल शुरू होगा।

प्रश्न सं. 161-श्री रायापति सांबासिवा राव।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

इस समय श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

***161. श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री रघुवीर सिंह मीणा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत जारी, उपलब्ध और उपयोग की गई केन्द्रीय धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अब तक सृजित परिसंपत्तियों और जुटाए गए रोजगार के अवसरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग न कर पाने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस योजना के आशयित उद्देश्यों की प्राप्ति से संतुष्ट है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) वर्ष 2007-08 से 2010-11 (सितम्बर, 2010 तक) के दौरान रिलीज की गई, कुल उपलब्ध तथा उपयोग की गई केन्द्रीय निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा-1 में निर्धारित किए अनुसार, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत स्वीकार्य कार्यकलापों में प्राकृतिक संसाधनों के पुन: सृजन पर बल दिया गया है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर बल देते हुए शुरू किए गए कुल कार्यों का राज्य तथा श्रेणी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इन वर्षों के दौरान सृजित रोजगार का राज्य-वार विवरण-III में दिया गया है।

(ग) कुल उपलब्ध निधियों की तुलना में निधियों के उपयोग का ब्यौरा विवरण-I के कॉलम-4 में दिया गया है।

(घ) और (ङ) महात्मा गांधी नरेगा के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है जिसमें उस प्रत्येक परिवार को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं। इस अधिनियम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अवसरों को बढ़ाने में सहायता मिली है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक अधिनियम के अंतर्गत सृजित रोजगार के श्रम दिवसों तथा रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या विवरण-III में दी गई है।

महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) सार्वजनिक जांच करने, जॉब कार्ड को शामिल करने, मांगे गए तथा आबंटित किए रोजगार, कार्यदिवसों की संख्या, मस्टर रोल, कार्यों की सूची, उपलब्ध/खर्च की गई निधियां, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को दी गई निधियां, सामाजिक लेखा-परीक्षा के निष्कर्ष, शिकायत दर्ज करना तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जागरूकता पैदा करने से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए आईसीटी पर आधारित एमआईएस शुरू की गई है।

(ii) मजदूरी संवितरण में पारदर्शिता लाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कामगारों को उनके बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किए जाने को अनिवार्य बना दिया गया है।

(iii) बायोमीट्रिक आधारित आईसीटी समर्थित प्रणाली शुरू करना जिससे फर्जी उपस्थिति तथा झूठे भुगतान को रोकने के लिए मनरेगा कामगारों की उपस्थिति तथा भुगतान के सही समय का पता चलेगा।

(iv) राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं तथा प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा स्वतंत्र निगरानी तथा जांच।

(v) केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्यों द्वारा दौरा।

(vi) राज्य तथा जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां बनाई गई हैं।

(vii) शिकायतों का समय पर निपटान करने के लिए सभी राज्यों को जिला स्तर पर ओम्बड्समैन नियुक्त करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

विवरण I

वित्तीय वर्ष 2007-08 के संबंध में कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय रिलीज	उपलब्ध कुल निधियां	उपयोग की गई कुल निधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1371.05	2293.21	2083.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.65	15.32	3.04
3.	असम	521.75	806.10	549.15
4.	बिहार	467.08	1523.89	1052.23
5.	छत्तीसगढ़	1144.16	1517.56	1401.83
6.	गुजरात	59.16	126.80	81.84
7.	हरियाणा	48.41	58.02	52.35
8.	हिमाचल प्रदेश	127.54	161.50	125.65
9.	जम्मू और कश्मीर	70.71	89.95	42.00
10.	झारखंड	650.69	1254.68	1062.54
11.	कर्नाटक	258.70	436.72	236.51
12.	केरल	69.01	99.74	83.37
13.	मध्य प्रदेश	2602.80	3238.48	2891.73
14.	महाराष्ट्र	29.24	497.83	189.07
15.	मणिपुर	61.84	64.15	62.76
16.	मेघालय	59.19	63.90	50.91
17.	मिजोरम	33.43	45.95	42.01
18.	नागालैंड	44.00	48.05	23.98
19.	उड़ीसा	536.96	810.99	579.57
20.	पंजाब	29.72	50.27	30.04
21.	राजस्थान	1056.00	1440.70	1477.34
22.	सिक्किम	6.30	14.32	11.86
23.	तमिलनाडु	516.09	701.14	516.42
24.	त्रिपुरा	170.16	218.50	208.60
25.	उत्तर प्रदेश	1665.90	2227.26	1898.25
26.	उत्तरांचल	110.04	153.20	95.75
27.	पश्चिम बंगाल	882.63	1331.49	1004.35
	कुल	12605.20	19339.74	15856.89

*प्रारंभिक व्यवसायों के लिए गोवा तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 5.19 करोड़ रु. रिलीज किए गए।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के संबंध में कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय रिलीज	उपलब्ध कुल निधियां	उपयोग की गई कुल निधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3219.10	3706.70	2963.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.49	43.38	32.90
3.	असम	958.72	1365.58	953.81
4.	बिहार	1388.19	2187.86	1316.48
5.	छत्तीसगढ़	1664.49	2005.91	1434.48
6.	गुजरात	164.19	281.27	196.01
7.	हरियाणा	136.57	164.16	109.88
8.	हिमाचल प्रदेश	409.75	501.25	332.28
9.	जम्मू और कश्मीर	104.73	152.79	87.72
10.	झारखंड	1805.80	2363.37	1341.72
11.	कर्नाटक	398.51	661.57	357.87
12.	केरल	198.87	297.72	224.54

1	2	3	4	5
13.	मध्य प्रदेश	4061.12	5075.17	3554.96
14.	महाराष्ट्र	187.56	618.29	361.54
15.	मणिपुर	365.41	385.96	349.66
16.	मेघालय	78.03	109.76	89.45
17.	मिजोरम	151.94	174.26	164.56
18.	नागालैंड	268.06	289.21	272.31
19.	उड़ीसा	878.44	1051.29	678.29
20.	पंजाब	67.75	114.93	71.77
21.	राजस्थान	6521.57	7245.34	6164.40
22.	सिक्किम	40.97	48.11	42.76
23.	तमिलनाडु	1401.27	1794.59	1004.06
24.	त्रिपुरा	460.37	519.43	490.77
25.	उत्तर प्रदेश	3933.90	4706.93	3568.88
26.	उत्तरांचल	101.16	155.66	135.79
27.	पश्चिम बंगाल	922.75	1336.55	940.38
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.03	15.58	3.28
29.	दादरा और नगर हवेली	0.45	0.46	0.01
30.	दमन और दीव	0.22	0.22	0.00
31.	गोवा	6.18	9.51	2.50
32.	लक्षद्वीप	2.62	4.35	1.79
33.	पुडुचेरी	4.19	9.69	1.36
34.	चंडीगढ़	0.20	0.20	0.00
	कुल	29939.60	37397.06	27250.10

*वित्त वर्ष 2008-09 में लघु शीर्षों के अंतर्गत 60.59 करोड़ रु. खर्च किए गए।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के संबंध में कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय रिलीज	उपलब्ध कुल निधियां	उपयोग की गई कुल निधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3781.60	5383.55	4509.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.86	42.90	17.26
3.	असम	778.89	1424.73	1033.90
4.	बिहार	1032.78	2358.20	1816.88
5.	छत्तीसगढ़	827.10	1629.33	1322.67
6.	गुजरात	777.30	981.42	739.38
7.	हरियाणा	124.00	194.55	143.55
8.	हिमाचल प्रदेश	395.43	623.09	556.56
9.	जम्मू और कश्मीर	175.69	254.61	185.31
10.	झारखंड	812.16	1924.51	1379.70
11.	कर्नाटक	2769.98	3352.05	2739.19
12.	केरल	467.71	591.19	471.51
13.	मध्य प्रदेश	3519.24	5678.23	3722.28
14.	महाराष्ट्र	249.65	638.75	321.09
15.	मणिपुर	436.81	511.20	393.17
16.	मेघालय	211.37	252.29	183.53
17.	मिजोरम	276.97	297.05	238.24
18.	नागालैंड	562.92	628.65	499.46
19.	उड़ीसा	445.81	976.73	938.98
20.	पंजाब	143.18	211.28	149.92
21.	राजस्थान	5942.64	8202.73	5669.03
22.	सिक्किम	88.57	102.56	64.09
23.	तमिलनाडु	1371.19	2411.32	1761.23

1	2	3	4	5
24.	त्रिपुरा	886.36	962.08	729.41
25.	उत्तर प्रदेश	5318.87	7132.68	5900.04
26.	उत्तरांचल	279.60	359.11	283.09
27.	पश्चिम बंगाल	1787.29	2408.54	2108.98
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.41	16.04	12.26
29.	दादरा और नगर हवेली	0.39	1.97	1.34
30.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
31.	गोवा	0.21	12.22	4.70
32.	लक्षद्वीप	2.00	4.62	2.01
33.	पुडुचेरी	4.60	11.00	7.27
34.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
	कुल	33506.61	49579.19	37905.23

वित्तीय वर्ष 2010-11 (सितंबर, 2010 तक) के संबंध में कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय रिलीज	उपलब्ध कुल निधियां	उपयोग की गई कुल निधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3861.34	4748.30	3560.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.18	31.25	0.00
3.	असम	330.53	903.14	205.31
4.	बिहार	1465.05	2007.24	303.97
5.	छत्तीसगढ़	1188.52	1585.01	837.50
6.	गुजरात	367.59	670.44	311.37
7.	हरियाणा	27.66	90.66	38.77
8.	हिमाचल प्रदेश	420.28	541.69	241.29
9.	जम्मू और कश्मीर	101.79	200.79	7.30
10.	झारखंड	644.07	1229.97	558.48
11.	कर्नाटक	773.05	1458.45	305.10
12.	केरल	252.42	439.38	246.56
13.	मध्य प्रदेश	2132.01	4210.52	1281.54
14.	महाराष्ट्र	119.46	525.88	184.17
15.	मणिपुर	84.06	230.36	1.97
16.	मेघालय	115.94	190.39	40.65
17.	मिजोरम	102.71	180.17	23.40
18.	नागालैंड	354.77	509.27	152.70
19.	उड़ीसा	1102.70	1231.53	613.69
20.	पंजाब	34.28	104.90	69.76
21.	राजस्थान	2788.82	5497.88	1548.50
22.	सिक्किम	22.25	61.03	15.89
23.	तमिलनाडु	1166.57	1901.04	1424.42
24.	त्रिपुरा	209.17	657.55	274.18
25.	उत्तर प्रदेश	3594.13	5047.07	1769.78
26.	उत्तरांचल	147.98	249.48	85.69
27.	पश्चिम बंगाल	1928.62	2535.15	1023.86
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.96	8.70	1.32
29.	दादरा और नगर हवेली	0.48	1.11	0.00
30.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
31.	गोवा	0.93	8.70	4.48
32.	लक्षद्वीप	0.34	2.94	0.17
33.	पुडुचेरी	9.10	12.83	1.53
34.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
	कुल	23352.77	37072.81	15133.48

विवरण II

महात्मा गांधी नरेगा कार्य विवरण

वित्त वर्ष 2007-08

राज्य	ग्रामीण संपर्कता	बाढ़ नियंत्रण तथा सुरक्षा	जल संरक्षण तथा जल एकत्रण	सूखा रोधन	लघु सिंचाई कार्य	निम्न के स्वामित्व वाली भूमि में सिंचाई सुविधा का प्रावधान	पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण	भूमि विकास	ग्रा.वि. मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अन्य कार्यकलाप	कुल कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	5914	6482	167672	44816	39783	37806	35966	137209	0	475648
अरुणाचल प्रदेश	269	74	41	34	123	3	0	3	2	549
असम	5060	2527	1108	594	741	234	523	981	87	11855
बिहार	33661	6036	17732	2603	7002	1147	9575	3407	5577	86740
छत्तीसगढ़	188415	501	8924	6311	2831	11755	9287	43901	0	102355
गुजरात	2639	1028	9583	4105	4	3060	617	160	408	21604
हरियाणा	904	93	663	158	212	10	373	418	0	2831
हिमाचल प्रदेश	10663	1850	1953	379	1856	362	691	525	983	19262
जम्मू और कश्मीर	1879	2190	655	107	540	276	198	943	18	6806
झारखंड	31912	788	59335	3764	2047	38100	6823	9708	6580	159057
कर्नाटक	4502	1515	7244	4389	754	2261	2087	3428	0	26180
केरल	885	3790	3181	329	2329	148	2469	2138	9	15278
मध्य प्रदेश	48768	930	65884	24908	8322	127240	8965	56512	0	341529
महाराष्ट्र	1847	73	7008	2325	20	120	827	721	340	13281
मणिपुर	1373	155	420	291	171	0	16	467	0	2893
मेघालय	1847	112	868	897	256	14	706	290	0	4990
मिजोरम	537	26	0	6	0	0	0	132	710	1411
नागालैंड	433	22	144	41	49	0	55	45	1	790
उड़ीसा	23754	706	34626	1145	268	408	2195	171	1031	64304
पंजाब	775	74	33	257	0	0	946	201	0	2286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजस्थान	8847	745	17701	1377	1075	26475	4810	2208	0	63238
सिक्किम	266	127	4	14	50	2	18	16	17	514
तमिलनाडु	3229	91	3191	0	3813	0	8185	0	0	18509
त्रिपुरा	7401	974	1601	1386	2595	855	4187	5392	35854	60245
उत्तर प्रदेश	56849	7522	20967	11814	3926	9719	21800	10813	4457	147867
उत्तरांचल	495	2711	3747	1365	1471	243	598	268	73	10971
पश्चिम बंगाल	34537	9983	39195	11814	10246	2471	11410	7674	0	127330
कुल	308091	51125	473480	125229	90484	262709	133327	287731	56147	1788323

महात्मा गांधी नरेगा कार्य विवरण

वित्त वर्ष 2008-09

राज्य	ग्रामीण संपर्कता	बाढ़ नियंत्रण तथा सुरक्षा	जल संरक्षण तथा जल एकत्रण	सूखा रोधन	लघु सिंचाई कार्य	निम्न के स्वामित्व वाली भूमि में सिंचाई सुविधा का प्रावधान	पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण	भूमि विकास	ग्रा.वि. मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अन्य कार्यकलाप	कुल कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	19923	4769	234035	41756	64461	91220	49915	164614	0	670693
अरुणाचल प्रदेश	518	177	145	242	256	0	39	124	165	1666
असम	8521	2288	1433	1100	823	335	790	1801	7	17098
बिहार	46229	9134	16349	5505	10799	2063	11661	3705	158	105603
छत्तीसगढ़	25788	662	7623	5518	3586	20786	11098	25390	0	100451
गुजरात	5153	3006	19084	7718	183	8116	2276	329	792	46657
हरियाणा	2029	261	1584	604	482	20	710	613	11	6314
हिमाचल प्रदेश	22440	5149	6268	977	4331	704	2650	2123	914	45556
जम्मू और कश्मीर	5121	3229	1163	170	1484	265	462	1157	9	13060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
झारखंड	38937	761	46970	5496	3312	42274	6600	15448	504	160302
कर्नाटक	4146	3142	11101	7338	2809	9412	5392	13006	192	56538
केरल	1620	23027	5337	1222	7451	589	9530	5729	0	54505
मध्य प्रदेश	54960	3042	79517	59493	6398	220295	10198	91985	0	525888
महाराष्ट्र	2704	353	13247	4226	17	939	1416	2162	12	25076
मणिपुर	3581	3948	1092	1144	796	11	477	1011	153	12213
मेघालय	3320	290	1483	699	346	73	398	459	13	7081
मिजोरम	2033	126	98	8	3	3	25	600	0	2896
नागालैंड	1497	292	1633	641	649	67	188	1053	9	6029
उड़ीसा	51675	630	23606	6506	1312	16452	41547	375	5908	148011
पंजाब	925	170	315	367	43	0	2852	558	20	5250
राजस्थान	50688	1895	33243	5163	6734	105255	24995	8213	6	236192
सिक्किम	605	182	74	32	118	8	39	138	0	1196
तमिलनाडु	8060	167	4627	0	6923	0	19069	16	0	38862
त्रिपुरा	9730	2278	6110	2730	5867	4167	6087	11619	10670	59258
उत्तर प्रदेश	96745	14183	46402	22574	7811	40833	32058	38598	7976	307180
उत्तरांचल	719	3892	9143	2387	2395	403	676	460	104	20179
पश्चिम बंगाल	35577	8226	15896	13242	5888	2313	12457	6464	0	100063
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	29	60	0	24	0	1	20	3	140
दादरा और नगर हवेली	17	0	1	0	0	0	0	0	0	18
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	13	0	331	20	0	0	0	7	0	371
पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	314	0	0	314
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	503277	95308	587970	196878	145301	566603	253920	397777	27626	2774660

महात्मा गांधी नरेगा कार्य विवरण

वित्त वर्ष 2009-10

राज्य	ग्रामीण संपर्कता	बाढ़ नियंत्रण तथा सुरक्षा	जल संरक्षण तथा जल एकत्रण	सूखा रोधन	लघु सिंचाई कार्य	निम्न के स्वामित्व वाली भूमि में सिंचाई सुविधा का प्रावधान	पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण	भूमि विकास	ग्रा.वि. मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अन्य कार्यकलाप	कुल कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	43436	6442	344116	37229	130237	151461	88078	224081	0	1025080
अरुणाचल प्रदेश	585	221	117	101	232	44	31	121	53	1505
असम	12757	2803	1415	1332	917	201	727	2235	5	22392
बिहार	52888	8400	15188	50471	10912	2912	12819	4886	429	158905
छत्तीसगढ़	25939	648	8652	5150	3308	16755	12513	20319	0	93284
गुजरात	11515	5336	227248	9673	858	15148	6295	2773	17871	296717
हरियाणा	2601	298	2123	228	543	13	825	823	251	7705
हिमाचल प्रदेश	25911	7662	8737	1291	6131	2716	4450	4800	775	62473
जम्मू और कश्मीर	10321	6752	2767	318	3972	534	1645	3082	35	29426
झारखंड	33139	646	50686	2642	2226	40838	9442	21003	191	160813
कर्नाटक	56122	35961	94371	79623	42704	89673	35012	105184	28405	567055
केरल	6387	50487	14767	5571	17993	4286	24977	23455	1185	149108
मध्य प्रदेश	61129	4000	54308	87982	8368	230355	11011	98157	0	555310
महाराष्ट्र	2545	801	14314	2807	279	1611	1351	1191	27	24926
मणिपुर	3602	3813	1495	2218	869	126	365	1135	518	14141
मेघालय	4584	362	1985	1108	361	12	569	464	670	10115
मिजोरम	2539	3	128	257	10	1	5	351	36	3330
नागालैंड	2204	613	3247	773	745	82	295	844	20	8823
उड़ीसा	67436	1023	40858	7794	1835	25113	46093	2273	7197	199622
पंजाब	3614	421	332	1427	625	1	3765	1210	441	11836
राजस्थान	53008	2969	29116	8830	6872	73740	22580	6077	55	203247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सिक्किम	356	215	258	880	141	0	29	258	0	2137
तमिलनाडु	12179	273	6626	0	8957	0	25929	42	2	54008
त्रिपुरा	39041	2524	40611	11791	14582	1387	16416	38802	16846	182000
उत्तर प्रदेश	166490	22377	85327	23932	19042	106722	45241	54936	23295	547362
उत्तरांचल	1803	7828	15043	4232	4040	818	1646	1515	48	36973
पश्चिम बंगाल	62057	12558	33340	15042	12491	8309	23201	16478	24	183500
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	95	129	167	2	40	0	2	68	8	511
दादरा और नगर हवेली	36	9	1	0	0	0	0	0	0	46
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	147	136	14	0	7	4	43	115	4	470
लक्षद्वीप	0	1	633	1511	0	0	100	1050	0	3295
पुडुचेरी	0	0	0	14	0	0	903	0	0	917
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	764466	185711	1097990	364229	299297	772862	396358	637728	98391	4617032

महात्मा गांधी नरेगा कार्य विवरण

वित्त वर्ष 2009-10 (सितम्बर, 2010 तक)

राज्य	ग्रामीण संपर्कता	बाढ़ नियंत्रण तथा सुरक्षा	जल संरक्षण तथा जल एकत्रण	सूखा रोधन	लघु सिंचाई कार्य	निम्न के स्वामित्व वाली भूमि में सिंचाई सुविधा का प्रावधान	पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण	भूमि विकास	ग्रा.वि. मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अन्य कार्यकलाप	राजीव गांधी सेवा केन्द्र	कुल कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश	94635	78574	408794	95333	216500	202999	97142	279320	14885	0	1488182
अरुणाचल प्रदेश	245	72	26	6	104	2	4	95	26	0	580
असम	18764	2185	2374	3174	1352	321	701	3856	2418	20	35165
बिहार	78971	7742	12293	42820	17308	616	9945	8598	3549	0	181842
छत्तीसगढ़	53149	2681	31573	11051	5612	55143	20547	27559	2654	0	209969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
गुजरात	20242	11242	71826	13765	1990	27200	8823	4293	5244	44	164669
हरियाणा	2900	416	2034	1266	858	18	804	957	251	207	9711
हिमाचल प्रदेश	34103	11520	15671	958	7484	1606	4808	8641	2559	164	87514
जम्मू और कश्मीर	5879	3388	1514	70	1571	40	610	1753	181	0	15006
झारखंड	53731	541	116006	5724	1340	9335	13695	16998	10532	634	228536
कर्नाटक	49041	30247	78416	78502	33628	63736	29494	82928	22564	446	469002
केरल	5167	35900	13005	4152	11429	3462	18790	26434	853	0	119192
मध्य प्रदेश	108901	3444	271738	80506	1535	127937	27892	84480	18999	0	725432
महाराष्ट्र	11245	394	52774	19664	821	2378	26790	6011	3544	1	123622
मणिपुर	829	309	341	351	491	0	169	297	5	0	2792
मेघालय	6599	345	2420	1210	356	14	335	560	105	2	11946
मिजोरम	3790	335	88	498	5	6	5	667	16	0	5410
नागालैंड	6976	340	580	443	923	12	52	590	550	0	10466
उड़ीसा	69330	1090	67706	16554	2642	57714	53681	5607	11733	5916	291973
पंजाब	3629	473	406	1804	1236	7	4514	1397	618	45	14129
राजस्थान	121835	4374	82838	25107	17367	73834	49524	83505	21739	9361	489484
सिक्किम	637	271	47	1156	230	2	28	481	30	1	2883
तमिलनाडु	27571	617	20168	54	14446	122	44831	134	1	0	107944
त्रिपुरा	40384	2806	40336	16657	15410	773	17108	40681	19524	56	193735
उत्तर प्रदेश	447252	53170	160796	49879	39338	80209	42016	85192	96461	1	1054314
उत्तरांचल	1397	7076	13512	4359	2807	447	2826	1676	489	0	34589
पश्चिम बंगाल	82809	12559	61540	33644	11475	9239	28130	20362	4077	36	263871
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	72	41	62	12	30	44	14	38	69	1	383
दादरा और नगर हवेली	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	447	580	65	0	58	7	204	460	4	0	1825
लक्षद्वीप	0	0	33	14	0	0	7	10	0	0	64
पुडुचेरी	0	0	1	10	10	0	547	0	0	0	568
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	1350531	272732	1528983	508743	408356	717223	504036	793580	243680	16935	6344799

*0 का अर्थ है संबंधित राज्यों द्वारा सूचना न दिया जाना।

विवरण III

वर्ष 2007-08 के संबंध में कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या	श्रम दिवस लाख में				
			कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	महिलाएं	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4803892	2010.28	557.16	257.18	1160.86	1195.94
2.	अरुणाचल प्रदेश	4490	2.79	0.00	1.85	0.83	0.94
3.	असम	1402888	487.61	37.06	190.76	150.43	259.79
4.	बिहार	3859630	843.03	385.30	21.02	233.30	436.71
5.	छत्तीसगढ़	2284963	1316.11	196.29	544.77	553.42	575.05
6.	गुजरात	290691	90.06	5.33	59.37	41.92	25.36
7.	हरियाणा	70869	35.76	19.24	0.00	12.31	16.52
8.	हिमाचल प्रदेश	271099	97.53	31.51	10.76	29.36	55.26
9.	जम्मू और कश्मीर	116800	36.80	2.07	9.62	0.30	25.12
10.	झारखंड	1679868	747.54	155.03	311.36	203.12	281.15
11.	कर्नाटक	549994	197.78	59.79	37.94	99.42	100.05
12.	केरल	185392	60.75	10.25	10.26	43.37	40.23
13.	मध्य प्रदेश	4346916	2753.01	491.96	1342.46	1147.24	918.59
14.	महाराष्ट्र	474695	184.86	34.09	71.16	73.93	79.61
15.	मणिपुर	112549	48.32	0.13	48.04	15.85	0.14
16.	मेघालय	106042	41.33	0.19	36.40	12.76	4.74
17.	मिजोरम	88940	31.53	0.00	31.53	10.60	0.00
18.	नागालैंड	115331	24.31	0.00	24.31	7.08	0.00
19.	उड़ीसा	1096711	405.23	98.58	160.66	147.48	145.98
20.	पंजाब	49690	19.15	14.61	0.00	3.12	4.54
21.	राजस्थान	2170460	1678.38	322.91	778.60	1158.01	576.87
22.	सिक्किम	19664	8.60	0.61	3.66	3.16	4.33
23.	तमिलनाडु	1234818	645.25	370.10	16.99	529.14	258.16

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	त्रिपुरा	423724	181.05	37.72	75.95	80.59	67.38
25.	उत्तर प्रदेश	4096408	1363.05	732.69	25.21	198.03	605.15
26.	उत्तरांचल	189263	80.34	21.93	3.49	34.36	54.92
27.	पश्चिम बंगाल	3843335	968.77	351.43	133.70	164.63	483.64
	कुल	33889122	14359.22	3935.98	4207.05	6114.62	6216.17

*प्रारंभिक दस्तावेजों के लिए गोवा तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 5.19 करोड़ रु. रिलीज किए गए।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के संबंध में कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या	श्रम दिवस लाख में				
			कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	महिलाएं	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5699557	2735.45	715.02	354.36	1590.78	1666.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	80714	34.98	0.59	28.35	9.14	6.04
3.	असम	1877393	751.07	78.18	258.78	204.02	414.12
4.	बिहार	3822484	991.75	496.55	26.33	297.75	468.88
5.	छत्तीसगढ़	2270415	1243.18	203.97	513.65	589.69	525.57
6.	गुजरात	850691	213.07	26.99	107.73	91.24	78.34
7.	हरियाणा	162932	69.11	36.65	0.00	21.18	32.46
8.	हिमाचल प्रदेश	445713	205.28	68.80	15.99	80.09	120.49
9.	जम्मू और कश्मीर	199166	78.80	6.67	21.61	4.54	50.52
10.	झारखंड	1576348	749.97	135.78	299.74	213.81	314.46
11.	कर्नाटक	896212	287.64	79.89	39.91	145.03	167.85
12.	केरल	692015	153.75	29.94	14.23	130.70	109.58
13.	मध्य प्रदेश	5207665	2946.97	525.07	1379.55	1275.39	1042.35
14.	महाराष्ट्र	906297	419.85	69.31	185.44	194.06	165.11
15.	मणिपुर	381109	285.62	4.71	208.25	131.16	72.66
16.	मेघालय	224263	86.31	0.39	81.75	35.69	4.17

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मिजोरम	172775	125.82	0.00	125.76	46.03	0.06
18.	नागालैंड	296689	202.70	0.00	202.70	74.40	0.00
19.	उड़ीसा	1199006	432.58	87.55	154.90	162.58	190.13
20.	पंजाब	147336	39.89	29.63	0.00	9.82	10.26
21.	राजस्थान	6373093	4829.55	1390.40	1122.52	3241.04	2316.62
22.	सिक्किम	52006	26.34	1.50	11.63	9.92	13.21
23.	तमिलनाडु	3345648	1203.59	725.39	20.93	958.87	457.27
24.	त्रिपुरा	549022	351.12	82.35	158.68	179.11	110.09
25.	उत्तर प्रदेश	4336466	2272.21	1216.90	44.57	411.46	1010.74
26.	उत्तरांचल	298741	104.33	28.33	5.37	38.46	70.63
27.	पश्चिम बंगाल	3025854	786.61	294.55	116.53	208.66	975.52
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5975	1.00	0.00	0.10	0.39	0.90
29.	दादरा और नगर हवेली	1919	0.48	0.00	0.48	0.38	0.00
30.	दमन और दीव	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	गोवा	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	3024	1.82	0.00	1.81	0.74	0.01
33.	पुडुचेरी	12264	1.64	0.81	0.00	1.10	0.83
34.	चंडीगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	45112792	21632.48	6335.90	5501.64	10357.27	9794.94

*वित्त वर्ष 2008-09 में लघु शीर्षों के अंतर्गत 60.59 करोड़ रु. खर्च किए गए।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के संबंध में कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या	श्रम दिवस लाख में				
			कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	महिलाएं	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6158493	4044.30	998.00	594.80	2349.60	2451.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	68157	16.98	0.00	16.60	2.92	0.38

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	2137270	732.95	89.03	227.36	203.03	416.56
4.	बिहार	4127330	1136.88	515.05	24.57	341.48	597.26
5.	छत्तीसगढ़	2025845	1041.57	159.59	397.85	512.52	484.13
6.	गुजरात	1596402	585.09	87.00	230.87	278.19	267.22
7.	हरियाणा	156406	59.04	31.65	0.00	20.55	27.39
8.	हिमाचल प्रदेश	497336	284.94	95.04	24.80	131.32	165.10
9.	जम्मू और कश्मीर	336036	128.71	10.79	33.64	8.58	84.28
10.	झारखंड	1702599	842.47	135.15	362.12	288.53	345.20
11.	कर्नाटक	3535281	2003.43	334.64	171.77	737.07	1497.02
12.	केरल	955976	339.71	56.97	18.11	299.61	264.63
13.	मध्य प्रदेश	4714591	2624.00	485.03	1189.82	1160.54	949.15
14.	महाराष्ट्र	591547	274.35	70.27	90.98	108.80	113.10
15.	मणिपुर	418564	306.18	84.29	131.19	146.89	90.70
16.	मेघालय	300482	148.48	0.77	139.70	70.08	8.01
17.	मिजोरम	180140	170.33	0.01	170.10	59.60	0.22
18.	नागालैंड	325242	284.27	0.00	284.27	123.74	0.00
19.	उड़ीसा	1398300	554.09	106.18	200.91	200.84	247.00
20.	पंजाब	271934	77.17	60.90	0.00	20.26	16.27
21.	राजस्थान	6522264	4498.10	1193.52	1011.87	3008.86	2292.71
22.	सिक्किम	54156	43.27	4.18	18.41	22.17	20.68
23.	तमिलनाडु	4373257	2390.75	1412.23	59.67	1982.09	918.85
24.	त्रिपुरा	576487	460.22	82.97	188.59	189.12	188.66
25.	उत्तर प्रदेश	5483434	3559.23	2007.84	52.75	771.34	1498.64
26.	उत्तरांचल	522304	182.41	47.49	7.37	73.46	127.55
27.	पश्चिम बंगाल	3479915	1551.68	571.93	223.18	518.62	756.57
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20337	5.83	0.00	0.40	2.62	5.43
29.	दादरा और नगर हवेली	3741	0.70	0.00	0.70	0.61	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दमन और दीव	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	गोवा	6604	1.85	0.10	0.50	1.16	1.25
32.	लक्षद्वीप	5192	1.41	0.00	1.41	0.53	0.00
33.	पुडुचेरी	40377	9.07	4.19	0.00	5.76	4.88
34.	चंडीगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	52585999	28359.46	8644.81	5874.31	13640.49	13840.34

वर्ष 2010-11, सितम्बर, 2010 तक के संबंध में कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या	श्रम दिवस लाख में				
			कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	महिलाएं	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5814228	2649.61	642.75	405.26	1512.01	1601.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	598974	97.46	5.33	17.10	21.93	75.02
4.	बिहार	721719	200.72	55.17	3.57	61.05	141.97
5.	छत्तीसगढ़	1975974	643.35	69.02	197.46	302.77	376.87
6.	गुजरात	676867	241.92	23.58	70.75	115.96	147.60
7.	हरियाणा	74296	16.67	8.55	0.01	5.87	8.12
8.	हिमाचल प्रदेश	260853	77.29	23.11	5.97	42.11	48.20
9.	जम्मू और कश्मीर	17912	3.17	0.35	0.45	0.19	2.37
10.	झारखंड	1213544	387.68	49.26	167.55	126.84	170.87
11.	कर्नाटक	332185	98.32	17.07	11.10	44.81	70.14
12.	केरल	733749	153.20	26.57	4.94	139.01	121.69
13.	मध्य प्रदेश	2413634	727.47	157.12	213.95	307.54	356.40
14.	महाराष्ट्र	285092	103.86	6.53	12.25	53.60	85.09
15.	मणिपुर	19571	2.05	0.11	0.08	0.89	1.86
16.	मेघालय	120282	26.40	0.19	25.37	11.52	0.84

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मिजोरम	59448	12.51	0.00	12.47	1.90	0.04
18.	नागालैंड	261558	92.32	0.27	82.67	31.13	9.39
19.	उड़ीसा	1296183	493.57	93.87	157.04	189.25	242.66
20.	पंजाब	154361	30.39	23.66	0.01	12.14	6.71
21.	राजस्थान	4502558	1700.27	303.81	370.77	1175.78	1025.69
22.	सिक्किम	27241	9.47	0.44	3.20	4.61	5.83
23.	तमिलनाडु	5190742	1731.30	525.14	20.47	1326.81	1185.69
24.	त्रिपुरा	511741	178.39	31.69	78.91	67.13	67.80
25.	उत्तर प्रदेश	3999683	1107.02	295.26	15.15	172.27	796.62
26.	उत्तरांचल	205403	46.98	9.25	1.62	20.08	36.11
27.	पश्चिम बंगाल	3686811	667.75	245.50	72.03	210.91	350.21
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2063	0.29	0.00	0.00	0.17	0.29
29.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दमन और दीव	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	गोवा	5198	1.26	0.07	0.34	0.83	0.85
32.	लक्षद्वीप	422	0.05	0.00	0.04	0.02	0.00
33.	पुडुचेरी	8900	1.87	0.90	0.00	1.42	0.98
34.	चंडीगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	35171192	11502.62	2614.58	1950.54	5960.54	6937.51

तटीय नौवहन नीति

*162. **श्रीमती सुप्रिया सुले:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड मर्चेन्ट नेवी अधिकारियों और इंजीनियरों की ऑन-लाइन परीक्षा प्रणाली के उन्नयन सहित विभिन्न पत्तनों तथा शिपयार्डों की सर्वेक्षण प्रक्रिया आदि जैसे मुद्दों पर विचार करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभी राज्य सामुद्रिक बोर्डों को एक केन्द्रीय नियंत्रण में लाने संबंधी सुझाव प्राप्त हुए हैं ताकि सुरक्षा, संरक्षा और नौपरिवहन की आवश्यकता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कोई तटीय नौवहन नीति तैयार की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड, सरकार को सलाह देता है:

(i) विकास सहित भारतीय नौवहन से जुड़े मुद्दों के बारे में; और

(ii) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम में से उठने वाले कुछ अन्य मुद्दों के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार सलाह के लिए उन्हें भेज सकती है।

इस बोर्ड ने विभिन्न पत्तनों और शिपयार्डों की सर्वेक्षण क्रियाविधि के मुद्दों अथवा वाणिज्यिक व्यापारिक बेड़े के अधिकारियों और इंजीनियरों के लिए ऑन लाइन परीक्षा प्रणाली के उन्नयन पर विचार नहीं किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) विवरण को अंतिम रूप नहीं दिया है।

पोत यातायात निगरानी प्रणालियां

***163. श्रीमती दर्शना जरदोश:**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात स्थित कच्छ की खाड़ी सहित देश में विभिन्न पत्तनों पर पोत यातायात निगरानी प्रणालियों की स्थापना करने संबंधी परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है तथा इन प्रणालियों ने काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं की लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने की प्रस्तावित तारीख क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (घ) कच्छ की खाड़ी सहित देश के महापत्तनों में जलयान यातायात मानीटरिंग प्रणाली (वीटीएमएस) स्थापित करने के संबंध में स्थिति के साथ-साथ अभी तक हुआ व्यय निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पत्तन का नाम	मौजूदा स्थिति	हुआ व्यय
1	2	3	4
1.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास और मुंबई पत्तन न्यास	सामान्य वीटीएमएस स्थापित।	इसे 24 करोड़ रुपए की लागत पर 1997 में स्थापित किया गया था। (इसे 2011 में 15.89 करोड़ रुपए की लागत पर प्रतिस्थापित किया गया था।)
2.	कोलकाता पत्तन न्यास (सागर द्वीप)	स्थापित।	6.2 करोड़ रुपए की लागत पर 2005 में स्थापित।
3.	कोचीन पत्तन न्यास	स्थापित।	8.2 करोड़ रुपए की लागत पर 2008 में स्थापित।
4.	नव मंगलूर पत्तन न्यास	स्थापित।	6.88 करोड़ रुपए की लागत पर 2002 में स्थापित।
5.	मुरगांव पत्तन न्यास	स्थापित।	4.6 करोड़ रुपए की लागत पर 2001 में स्थापित।
6.	कांडला पत्तन न्यास	कच्छ क्षेत्र के लिए वीटीएमएस स्थापित है।	यह 165 करोड़ रुपए की संस्वीकृत लागत पर कच्छ की खाड़ी में कार्यान्वित की जा रही वीटीएमएस परियोजना का हिस्सा है।
7.	चेन्नई पत्तन न्यास	वीटीएमएस की स्थापना का सिविल कार्य चल रहा है।	इस परियोजना की अनुमानित लागत 9.8 करोड़ रुपए है।

1	2	3	4
8.	विशाखापट्टनम पत्तन न्यास	वैश्विक अवस्थिति प्रणाली राडार और स्वचालित पहचान प्रणाली द्वारा यातायात प्रबंधित है।	विशाखापट्टनम में जलमार्ग की लंबाई बहुत कम है और वीटीएमएस पर विचार आवश्यक नहीं है।
9.	तूतीकोरिन पत्तन न्यास	इस समय वैश्विक अवस्थिति प्रणाली राडार और स्वचालित पहचान प्रणाली द्वारा यातायात प्रबंधित नहीं है।	लागू नहीं।
10.	पारादीप पत्तन न्यास	इस समय वैश्विक अवस्थिति प्रणाली राडार और स्वचालित पहचान प्रणाली द्वारा यातायात प्रबंधित नहीं है।	व्यय अभी किया जाना है।
11.	इन्नौर पत्तन न्यास	इस समय वैश्विक अवस्थिति प्रणाली राडार और स्वचालित पहचान प्रणाली द्वारा यातायात प्रबंधित नहीं है।	व्यय अभी किया जाना है।
12.	पोर्ट ब्लेयर पत्तन न्यास	स्वचालित पहचान प्रणाली प्रयोग में है। यातायात कम होने के कारण वीटीएमएस संस्तुत नहीं है।	लागू नहीं।
13.	कच्छ की खाड़ी	कार्य के 31.1.2011 तक पूरा होने की आशा है। चूंकि कुछ क्षेत्र दूर-दराज/छितरे हुए क्षेत्र में अवस्थित हैं इसलिए सिविल इंजीनियरिंग कार्य की प्रगति धीमी है। फिर भी, इस समय लागत में कोई कमी नहीं होगी।	अभी तक 107.38 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

जहां तक गैर महापत्तनों का संबंध है, वे संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों का निर्यात

***164. श्री श्रीपाद येसो नाईक:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समुद्री तथा वायु मार्ग से निर्यात किये गये शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बड़े पत्तनों और अन्तर्राष्ट्रीय कार्गो विमानपत्तनों दोनों पर निर्यात के लिए आशयित इस प्रकार के कार्गो की संभलाई के लिए मौजूदा अवसंरचना पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ अवसंरचना उपलब्ध कराने/विद्यमान अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनंद शर्मा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

मात्रा: मी. टन, मूल्य: करोड़ रु.

वस्तु	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11*
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मूल्य
पुष्पोत्पाद	36241	340	30798	369	26815	295	99
ताजे फल	365732	912	470796	1151	475363	1467	757
ताजी सब्जियां	1358842	1525	2175472	2508	2084164	3051	856
मांस एवं मांस उत्पाद	494717	3728	504039	5361	563722	7191	1811
कुक्कुट उत्पाद	1355246	441	1057016	422	1016783	372	108
दुग्ध उत्पाद	69415	867	70147	981	34380	403	266
प्राकृतिक शहद	12231	93	15588	149	13311	147	–
समुद्री उत्पाद	541701	7621	602835	8608	678436	10048	5066
कुल	4234125	15527	4926691	19549	4892974	22974	8963

स्रोत: (एपीडा), (एम्पीडा)

*चालू वित्तीय वर्ष के दौरान डीजीसीआईएस से केवल अप्रैल-जुलाई, 2010 की अवधि के लिए ही अनंतिम निर्यात सूचना उपलब्ध हुई है।

(ख) से (घ) शीघ्र खराब होने वाले निर्यात कार्गो के प्रहस्तन हेतु पर्याप्त अवसंरचना के सृजन के लिए सरकार विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गो पेरिशेबल सेन्टर (सीपीसी) की स्थापना के लिए अपनी अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत एपीडा के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऐसे सीपीसी की स्थापना मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, बागडोगरा, अमृतसर, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम, कोचीन, गोवा और नासिक में की गई है। कार्गो पेरिशेबल सेन्टर (सीपीसी) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

क्र.सं.	सीपीसी का नाम	लाभानुभोगी का नाम	परियोजना लागत	एपीडा द्वारा सहायता
1	2	3	4	5
1.	चेन्नई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्र	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई)	173.00	173.00
2.	हैदराबाद हवाई अड्डे पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्र	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई), आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम (एपीएसटीसी)	165.00	165.00
3.	बंगलौर हवाई अड्डे पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्र	मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लि. (एमएसआईएल)	180.00	180.00

1	2	3	4	5
4.	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्र	केरल स्टेट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लि. (केएसआईई)	212.00	212.00
5.	आईजीआई, दिल्ली हवाई अड्डे पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्र	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई)/कार्गो सेवा केन्द्र (सीएससी)	564.82	564.82
6.	छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुम्बई पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्र	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई)/एयर इंडिया (एआई)	1491.55	1491.55
7.	सीपीसी, अमृतसर में अंतरिम सुविधा	पंजाब कृषि निर्यात निगम (पीएजीआरईएक्ससीओ)	214.263	71.421
8.	कोलकाता में शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्र	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई)	675.00	675.00
9.	कोचीन में शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्र	कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन लि. (सीआईएएल)	2395.00	1320.00
10.	बागडोगरा में शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्र	सिलिगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण (एसजेडीए)	299.00	299.00
11.	गोवा में शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्र	भारतीय कन्टेनर कॉर्पोरेशन लि. (कॉनकॉर)	236.88	236.88
12.	नासिक में शीघ्र खराब होने वाले कार्गो हेतु केन्द्र	भारतीय कन्टेनर कॉर्पोरेशन लि. (कॉनकॉर)	848.93	212.50

इसके अतिरिक्त, जयपुर, भुवनेश्वर, लखनऊ, गुवाहाटी, कोयम्बटूर, अहमदाबाद आदि जैसे विभिन्न हवाई अड्डों पर वॉक-इन प्रकार के प्रशीतन कक्ष स्थापित किए गए हैं। सरकार ने वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना विकास स्कीम हेतु क्रमशः 50.00 करोड़ रु. और 60.00 करोड़ रु. आवंटित किए हैं।

सशस्त्र सेनाओं में महिलाएं

***165. श्री रामकिशुनः**
श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले कुछ समय से सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में महिला कर्मियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष का तत्संबंधी सेना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) चिकित्सा तथा नर्सिंग शाखाओं सहित विभिन्न शाखाओं में कमीशन प्राप्त और गैर-कमीशन प्राप्त महिला अधिकारियों की सेना-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार को महिला अधिकारियों से उन्हें परेशान किए जाने तथा उनसे भेदभाव करने की शिकायतें मिली हैं और कई चयनित उम्मीदवारों द्वारा नौकरी की पेशकश ठुकराये जाने की बात प्रकाश में आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा महिलाओं को सेवा में आने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं तथा इस संबंध में किस प्रकार की भर्ती योजना पर विचार किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) सशस्त्र बलों में महिलाओं को अधिकारियों के रूप में शामिल किया जाता है। विगत वर्षों में सेना, नौसेना और वायु सेना में महिला अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में शामिल की गई महिला अधिकारियों का ब्यौरा तथा महिला अधिकारियों की कुल संख्या इस प्रकार है:-

सेना	विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में शामिल की गई महिला अधिकारियों की संख्या	महिला अधिकारियों की कुल संख्या
सेना	614	1065
नौसेना	96	222
वायु सेना	381	845
सेना चिकित्सा कोर	264	874
सेना दंत चिकित्सा कोर	26	91
सेना परिचर्या सेवा	1210	3652
कुल योग	2591	6749

यद्यपि यौन उत्पीड़न के कुछ मामलों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तथापि ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है जहां उत्पीड़न/भेदभाव के कारण किसी महिला ने नौकरी के प्रस्ताव को ठुकराया हो। सशस्त्र बलों में महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में एक ''शून्य सहनशीलता'' की नीति का अनुसरण किया जाता है और दोषी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित दण्ड दिया जाता है।

सशस्त्र बलों में महिलाओं सहित अधिकारियों की भर्ती में वृद्धि करने संबंधी उपाय करना एक सतत् प्रक्रिया है। इन उपायों में समयबद्ध पदोन्नति, अल्प सेवा कमीशन वाले अधिकारियों के कार्यकाल में वृद्धि, परिवार आवास की अधिक उपलब्धता, गहन प्रचार आदि शामिल हैं। महिला अधिकारियों के लिए विशिष्ट उपायों में उन्हें भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन एवं परिलब्धियों, छुट्टी, कल्याणकारी उपाय आदि के संबंध में उनके समकक्ष पद के पुरुष अधिकारियों के बराबर मानना; सेना के महान्यायवादी (जेएजी) और सेना शिक्षा कोर और नौसेना तथा वायु सेना में उनके समकक्ष शाखा/कैडर, वायु सेना की लेखा शाखा और नौसेना का नेवल कन्सट्रक्टर में स्थायी कमीशन देने पर विचार करना; पति-पत्नी को यथा संभव एक स्थान पर तैनाती देना; महिला अधिकारियों के लिए सुव्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र बनाना आदि भी शामिल हैं।

मोबाइल फोनों के उपयोग से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव

***166. श्री मनीष तिवारी:**
श्री विश्वमोहन कुमार:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेलफोनों और कोर्डलैस फोनों के उपयोग से बच्चों सहित नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर हानिकारक प्रभावों को दर्शाने वाले वैज्ञानिक प्रमाण के मद्देनजर सरकार सेलफोनों तथा कोर्डलैस फोनों के उपयोग से जनसाधारण तथा बच्चों को सम्भावित कैंसर एवं अन्य बीमारियों के गंभीर जोखिम पर निगरानी रख रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सेलफोनों और कोर्डलैस फोनों के उपयोग की सीमा तथा इनके द्वारा उत्सर्जित अनुमत्य विकिरण के स्तर के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सेलफोनों के विकिरण उत्सर्जन मानदंडों को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, दूरसंचार विभाग ने बेस स्टेशनों और मोबाइल फोनों से उत्सर्जित ईएमएफ (वैद्युत, चुंबकीय और विद्युत-चुंबकीय क्षेत्र) विकिरण से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के लिए एक अन्तर्मंत्रालयीय समिति का गठन किया है जिसमें दूरसंचार विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), जैव-प्रौद्योगिकी विभाग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सदस्य शामिल हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) (i) दूरसंचार आयोग ने मोबाइल फोनों के संबंध में इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन-आयनाइजेशन रेडिएशन प्रोटेक्शन (आईसीएनआईआरपी) के दिशानिर्देश अपनाएं हैं जिनके अनुसार, 10 मेगाहर्ट्ज से 10 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में हैड

एंड ट्रंक के लिए स्थानीकृत 2 डब्ल्यू/कि.ग्रा. (औसतन 10 ग्रा. से ऊपर के टिश्यू) तक सीमित एसएआर वैल्यू (विनिर्दिष्ट अवशोषण दर) के अनुसार आधारभूत प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(ii) मोबाइल हैंडसेटों के देशी विनिर्माताओं द्वारा आईसीएनआईआरपी के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना तथा स्व-प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना।

(iii) मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं द्वारा स्वयं ही उत्पाद पर विकिरण का स्तर निर्दिष्ट किया जाना तथा मोबाइल फोन विकिरण और उत्सर्जन के संभावित खतरे के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना।

(iv) भारत में विनिर्मित/आयातित किए जा रहे मोबाइल हैंडसेटों के एसएआर वैल्यू की जांच के लिए दूरसंचार विभाग के अधीन दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) में एक प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।

श्रम विवाद

*167. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में श्रम विवाद बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान श्रम न्यायालयों/अधिकरणों तथा राष्ट्रीय अधिकरण में न्यायालय-वार कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) न्यायालय के मामलों के शीघ्र निपटान तथा साथ ही श्रम विवादों में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में उठे औद्योगिक विवादों में महत्वपूर्ण अंतर नहीं देखा गया है। पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में उठे औद्योगिक विवादों का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राज्य क्षेत्र में उठे औद्योगिक विवादों के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

(ग) पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में पड़ने वाले और केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में लंबित मामलों की वर्षवार संख्या विवरण-II(क) से II(घ) में दी गई है। राज्य क्षेत्र में आने वाले विवादों संबंधी श्रम न्यायालयों के पास न्यायनिर्णयन हेतु लंबित मामलों के आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

(घ) केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में ''वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र'' के रूप में लोक अदालतें आयोजित करने की एक योजना शुरू की गई थी। ग्यारहवीं योजना में इस योजना को न्यायनिर्णयन प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है। केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे की निरंतरता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत 2009-10 से पीठासीन अधिकारियों में सम्पर्क अधिकारियों की प्रणाली शुरू की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशासनिक आकस्मिकताओं के कारण नियमित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने पर इन न्यायालयों में न्यायिक कार्य बाधित न हो। सरकार केन्द्र सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में मामलों की लंबिता कम करने की आवश्यकता पर बल देने के लिए समय-समय पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन भी बुलाती है।

औद्योगिक विवाद कम करने के दृष्टिगत औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत अधिसूचित सुलह अधिकारी कामगार संघ और प्रबंधन के साथ समझौता कार्यवाहियां आयोजित करके विवाद सुलझाने का प्रयास करते हैं। पृथक-पृथक शिकायतों से उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटान के लिए 20 अथवा कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में हाल ही में संशोधन किया गया है।

विवरण I

पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में सुलह अधिकारी के समक्ष उठाए गए औद्योगिक विवाद

वर्ष	औद्योगिक विवाद*
2007-2008	8649
2008-2009	8586
2009-2010	8620
2010-2011	4106**

*पिछले वर्ष से अग्रेनीत सहित

**पहली तिमाही तक को कवर करने वाले अनंतिम आंकड़े

विवरण II(क)

वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान न्यायालय-वार श्रम न्यायालयों/अधिकरण तथा राष्ट्रीय अधिकरण में लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.	के.स.औ.अ.	मामले				आवेदन-पत्र			
		पिछले वर्ष से अग्रेनीत	प्राप्त हुए	निपटाए गए	लंबित	पिछले वर्ष से अग्रेनीत	प्राप्त हुए	निपटाए गए	लंबित
1.	मुम्बई I	193	58	14	237	35	17	14	38
2.	मुम्बई II	410	86	69	427	506	126	102	530
3.	धनबाद I	1,821	67	11	1,877	351	6	1	356
4.	धनबाद II	949	87	60	976	36	1	2	35
5.	आसनसोल	601	104	44	661	62	12	6	68
6.	कोलकाता	286	44	27	303	98	7	2	103
7.	चंडीगढ़ I	846	72	77	841	98	28	23	103
8.	नई दिल्ली I	540	34	354	220	369	9	36	342
9.	कानपुर	560	74	108	526	154	23	27	150
10.	जबलपुर	1,438	145	111	1,472	489	3	106	386
11.	चेन्नई	293	101	89	305	30	15	3	42
12.	बंगलौर	288	185	105	368	86	9	15	80
13.	हैदराबाद	856	176	39	993	199	13	5	207
14.	नागपुर	836	97	35	898	18	7	0	25
15.	भुवनेश्वर	412	60	67	405	136	28	37	127
16.	लखनऊ	379	85	70	394	38	3	12	29
17.	जयपुर	205	73	11	267	33	4	0	37
18.	नई दिल्ली II	333	424	189	568	82	15	54	43
19.	गुवाहाटी	37	10	20	27	7	0	1	6
20.	एर्नाकुलम	247	45	117	175	29	44	48	25
21.	अहमदाबाद	1,947	23	1,665	305	1,473	165	11	1,627
22.	चंडीगढ़ II	946	68	147	867	112	38	10	140
	कुल	14,423	2,118	3,429	13,112	4,441	573	515	4,499
	मुम्बई राष्ट्रीय	5	0	1	5	103	7	18	92
	कोलकाता राष्ट्रीय	10	0	0	10	0	0	0	0
	कुल+राष्ट्रीय	14,438	2,118	3,430	13,127	4,544	580	533	4,591

विवरण II(ख)

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान न्यायालय-वार श्रम न्यायालयों/अधिकरण तथा राष्ट्रीय अधिकरण में लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.	के.स.औ.अ.	मामले				आवेदन-पत्र			
		पिछले वर्ष से अग्रेनीत	प्राप्त हुए	निपटाए गए	लंबित	पिछले वर्ष से अग्रेनीत	प्राप्त हुए	निपटाए गए	लंबित
1.	मुम्बई I	237	10	5	242	38	23	3	58
2.	मुम्बई II	427	87	81	433	530	49	43	536
3.	धनबाद I	1,877	62	139	1800	356	8	15	349
4.	धनबाद II	976	17	40	953	35	0	0	35
5.	आसनसोल	661	55	9	707	68	4	0	72
6.	कोलकाता	303	23	32	294	103	5	2	106
7.	चंडीगढ़ I	841	28	467	402	103	111	143	71
8.	नई दिल्ली I	220	0	0	220	342	0	0	342
9.	कानपुर	526	65	48	543	150	256	79	327
10.	जबलपुर	2,146	65	46	2,165	167	3	5	165
11.	चेन्नई	305	53	50	308	42	8	26	24
12.	बंगलौर	368	94	13	449	80	10	1	89
13.	हैदराबाद	993	87	265	815	207	534	134	607
14.	नागपुर	898	40	44	894	25	5	1	29
15.	भुवनेश्वर	405	100	74	431	127	263	12	378
16.	लखनऊ	394	41	47	388	29	2	0	31
17.	जयपुर	267	67	0	334	37	7	0	44
18.	नई दिल्ली II	568	84	236	416	43	16	1	58
19.	गुवाहाटी	27	12	9	30	6	0	0	6
20.	एर्नाकुलम	175	51	116	110	25	21	15	31
21.	अहमदाबाद	305	12	310	7	1,627	32	88	1,571
22.	चंडीगढ़ II	867	207	88	986	140	38	2	176
	कुल	13,786	1,260	2,119	12,927	4,280	1,395	570	5,105
	मुम्बई राष्ट्रीय	5	1	0	6	92	23	0	115
	कोलकाता राष्ट्रीय	10	0	1	9	0	0	0	0
	कुल+राष्ट्रीय	13,801	1,261	2,120	12,942	4,372	1,418	570	5,220

विवरण II(ग)

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान न्यायालय-वार श्रम न्यायालयों/अधिकरण तथा राष्ट्रीय अधिकरण में लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.	के.स.औ.अ.	मामले				आवेदन-पत्र			
		पिछले वर्ष से अग्रेनीत	प्राप्त हुए	निपटाए गए	लंबित	पिछले वर्ष से अग्रेनीत	प्राप्त हुए	निपटाए गए	लंबित
1.	मुम्बई I	242	0	4	238	58	1	0	59
2.	मुम्बई II	433	83	83	433	536	23	51	508
3.	धनबाद I	1,819	89	209	1,699	349	4	25	328
4.	धनबाद II	953	1	3	951	35	0	0	35
5.	आसनसोल	707	27	107	627	72	6	24	54
6.	कोलकाता	294	0	0	294	27	0	0	27
7.	चंडीगढ़ I	402	1,213	1,051	564	71	125	128	68
8.	नई दिल्ली I	220	73	168	125	342	39	347	34
9.	कानपुर	543	52	51	544	327	34	4	357
10.	जबलपुर	2,165	94	124	2,135	165	2	6	161
11.	चेन्नई	308	74	98	284	24	5	14	15
12.	बंगलौर	449	56	1	504	89	4	0	93
13.	हैदराबाद	815	201	70	946	607	13	21	599
14.	नागपुर	894	40	66	868	29	0	0	29
15.	भुवनेश्वर	431	27	29	429	378	3	5	376
16.	लखनऊ	388	52	78	362	31	22	11	42
17.	जयपुर	334	28	2	360	44	6	1	49
18.	नई दिल्ली II	416	60	15	461	58	2	6	54
19.	गुवाहाटी	30	3	6	27	6	3	1	8
20.	एर्नाकुलम	110	54	68	96	31	27	34	24
21.	अहमदाबाद	7	16	0	23	1,571	6	0	1,577
22.	चंडीगढ़ II	986	506	986	506	176	28	177	27
	कुल	12,946	2,749	3,219	12,476	5,026	353	855	4,524
	मुम्बई राष्ट्रीय	6	0	0	6	115	0	0	115
	कोलकाता राष्ट्रीय	9	0	0	9	79	0	0	79
	कुल+राष्ट्रीय	12,961	2,749	3,219	12,491	5,220	353	855	4,718

विवरण II(घ)

वित्तीय वर्ष 2010-11 (अगस्त, 2010 तक) के दौरान न्यायालय-वार श्रम न्यायालयों/अधिकरण तथा राष्ट्रीय अधिकरण में लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.	के.स.औ.अ.	मामले				आवेदन-पत्र			
		पिछले वर्ष से अग्रेनीत	प्राप्त हुए	निपटाए गए	लंबित	पिछले वर्ष से अग्रेनीत	प्राप्त हुए	निपटाए गए	लंबित
1.	मुम्बई I	238	5	4	239	59	27	1	85
2.	मुम्बई II	433	33	27	439	508	48	15	541
3.	धनबाद I	1,699	11	61	1,649	328	2	2	328
4.	धनबाद II	951	2	1	952	35	0	0	35
5.	आसनसोल	627	6	20	613	54	4	8	50
6.	कोलकाता	294	28	9	313	27	2	0	29
7.	चंडीगढ़ I	564	17	251	330	68	16	31	53
8.	नई दिल्ली I	125	17	68	74	34	3	7	30
9.	कानपुर	544	46	39	551	357	10	3	364
10.	जबलपुर	2,116	1	24	2,093	391	1	56	336
11.	चेन्नई	284	28	38	274	15	3	2	16
12.	बंगलौर	504	23	14	513	93	4	1	96
13.	हैदराबाद	946	33	47	932	599	0	15	584
14.	नागपुर	868	5	14	859	29	0	0	29
15.	भुवनेश्वर	429	11	36	404	376	3	5	374
16.	लखनऊ	354	5	0	359	44	0	0	44
17.	जयपुर	360	4	29	335	49	1	0	50
18.	नई दिल्ली II	461	15	16	460	54	3	1	56
19.	गुवाहाटी	27	8	4	31	8	1	2	7
20.	एर्नाकुलम	96	15	26	85	24	9	19	14
21.	अहमदाबाद	23	10	2	31	1,577	1	2	1,576
22.	चंडीगढ़ II	506	69	28	547	27	1	0	28
	कुल	12,449	392	758	12,083	4,756	139	170	4,725
	मुम्बई राष्ट्रीय	6	0	0	6	115	39	0	154
	कोलकाता राष्ट्रीय	9	0	0	9	79	0	0	79
	कुल+राष्ट्रीय	12,464	392	758	12,098	4,950	178	170	4,958

व्यापार घाटा

*168. **श्री शत्रुघ्न सिन्हा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत, अमरीका, ब्रिटेन और अन्य विकसित/विकासशील देशों के मर्चेन्डाइज व्यापार घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पेट्रोलियम और गैस का अधिक आयात बढ़ते हुए व्यापार घाटे के कुछ प्रमुख कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनंद शर्मा): (क) वर्ष 2009 के लिए डब्ल्यूटीओ व्यापार के आंकड़ों के अनुसार अमरीका, यूके, भारत और कुछ अन्य विकसित/विकासशील देशों हेतु पण्य वस्तु व्यापार घाटे के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां। व्यापार घाटे में पेट्रोलियम अपरिष्कृत एवं पेट्रोलियम उत्पादों के आयात मूल्य में वृद्धि होने के कारण बढ़ोतरी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है। जिन अन्य उत्पादों के आयात से उच्च व्यापार घाटा हो रहा है, वे हैं- वनस्पति तेल; उर्वरक; कोयला एवं कोक; और घरेलू उद्योग के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री तथा उपकरण/मशीनें; सोना/चांदी, बेशकीमती एवं कीमती नगीने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं एवं परिवहन उपकरण।

(ग) 1 अप्रैल, 2010 से 30 सितम्बर, 2010 की अवधि के लिए पेट्रोलियम अपरिष्कृत एवं पेट्रोलियम उत्पादों के भारत में आयात का मूल्य वर्ष 2009 (पूर्ववर्ती वर्ष) की इसी अवधि के लिए 37.48 बिलियन अम.डॉ. की तुलना में 48.72 बिलियन अम.डॉ. रहा है।

(घ) सरकार और आरबीआई द्वारा देश में और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक घटनाक्रमों पर नियमित आधार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। निर्यात क्षेत्रों के क्षेत्र-वार निष्पादन की समीक्षाएं नियमित अंतराल पर की जा रही हैं और वित्तीय सीमाओं के भीतर समय-समय पर आवश्यकता आधारित उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

कुछेक देशों के लिए पण्य व्यापार घाटे के आंकड़े

(मूल्य: बिलियन अम. डॉलर)

क्र.सं.	देश	आयात मूल्य	निर्यात मूल्य	व्यापार घाटा
1	2	3	4	5
1.	अमरीका	1605	1056	549
2.	यूनाइटेड किंगडम	482	352	129
3.	भारत	250	163	87
4.	फ्रांस	560	485	75
5.	स्पेन	288	219	69
6.	तुर्की	141	102	39
7.	पुर्तगाल	70	43	26
8.	हांगकांग	352	329	23
9.	रोमानिया	54	41	14
10.	कनाडा	330	317	13
11.	वियतनाम	70	57	13
12.	पॉलैण्ड	147	134	12
13.	मैक्सिको	242	230	12
14.	आस्ट्रेलिया	165	154	11
15.	दक्षिण अफ्रीका	73	63	11
16.	इटली	413	406	7
17.	आस्ट्रिया	143	138	6
18.	इजराइल	49	48	1
19.	स्लोवाक गण.	55	56	-1
20.	फिनलैंड	61	63	-2
21.	हंगरी	78	84	-6
22.	अलजीरिया	39	45	-6
23.	चैक गण.	105	113	-8
24.	डेनमार्क	83	93	-10
25.	चिली	42	54	-11
26.	स्वीडन	120	131	-11
27.	वेनेजुएला बोलीवियन गण.	41	58	-17
28.	स्वीट्जरलैंड	156	173	-17
29.	बेल्जियम	352	370	-18
30.	थाइलैंड	134	152	-19

1	2	3	4	5
31.	ब्राजील	134	153	-19
32.	सिंगापुर	246	270	-24
33.	इंडोनेशिया	92	119	-28
34.	ईरान इस्लामिक गण.	50	78	-28
35.	जापान	552	581	-29
36.	चीनी ताइपेई	174	204	-29
37.	मलेशिया	124	157	-34
38.	संयुक्त अरब अमीरात	140	175	-35
39.	कोरिया गण.	323	364	-40
40.	नार्वे	69	121	-52
41.	आयरलैंड	63	115	-52
42.	नीदरलैंड	445	498	-53
43.	सऊदी अरब	96	192	-97
44.	रूसी परिसंघ	192	303	-112
45.	जर्मनी	938	1126	-188
46.	चीन	1006	1202	-196

स्रोत: व्यापार घाटे के आंकड़ों की गणना यूआरएल http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010_e/section1_e/i08.xis वाली डब्ल्यूडीओ वेबसाइट से लिए गए आयात और निर्यात के आंकड़ों से की गई है।

[हिन्दी]

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***169. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:**
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चर्चा दस्तावेज के आलोक में मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में किए जाने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि करने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर विभिन्न हितधारकों/संबंधित मंत्रालय ने क्या राय व्यक्त की है;

(घ) इसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) इस समय थोक/कैश एंड कैरी व्यापार के क्षेत्रों में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ''मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश'' विषय पर चर्चा पत्र के प्रत्युत्तर में हितपक्षों से प्राप्त विचार जनता के लिए उपलब्ध हैं और उन्हें औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की वेबसाइट (http://dipp.nic.in) पर देखा जा सकता है। वर्तमान में, उपभोक्ता कार्य विभाग में अंतर-मंत्रालयीय समिति द्वारा इन विचारों की जांच की जा रही है।

(घ) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार थोक/कैश एंड कैरी व्यापार में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

[अनुवाद]

दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे

***170. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:**
कुमारी मीनाक्षी नटराजन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा जैसे औद्योगिक गलियारों के स्थलों तथा मार्गों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को पंजाब राज्य सरकार से दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे का अमृतसर तक तथा सोन नगर (पश्चिम बंगाल) और लुधियाना के बीच पूर्वी मार्ग मालभाड़ा गलियारे का विस्तार पश्चिमी मालभाड़ा गलियारे से लिंक के रूप में अमृतसर तक करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) मध्य प्रदेश सहित चिन्हित स्थानों में औद्योगिक गलियारे के विकास के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एकमात्र औद्योगिक गलियारा दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) परियोजना है। डीएमआईसी परियोजना में यह अवधारणा है कि पश्चिमी समर्पित रेलभाड़ा गलियारा (डीएफसी) और राष्ट्रीय राजमार्गों से प्राप्त होने वाले उच्च गुणवत्ता के रेल और सड़क तंत्र का लाभ उठाया जाएगा। यह औद्योगिक गलियारा पश्चिमी डीएफसी के दोनों ओर एक पट्टी में विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के हिस्से शामिल होंगे। डीएमआईसी परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लि. (डीएमआईसीडीसी) द्वारा नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं द्वारा उपलब्ध संसाधनों, बाजार संभाव्यता पर विस्तृत अध्ययन एवं मांग निर्धारण अध्ययन आदि के पश्चात् डीएमआईसी परियोजना के स्थान/नोड चिन्हित कर लिए गए हैं।

(ख) जी, हां। पंजाब सरकार से निम्नलिखित अनुरोध प्राप्त हुए हैं:

(i) डीएमआईसी परियोजना को अमृतसर तक बढ़ाया जाए; और

(ii) पंजाब को पूर्वी डीएफसी के बजाए पश्चिमी डीएफसी से जोड़ा जाए और पश्चिमी डीएफसी को बढ़ाकर अमृतसर, पंजाब तक कर दिया जाए।

(ग) पंजाब सरकार को निम्न प्रकार से सूचित कर दिया गया है:

(i) डीएमआईसी परियोजना में रेल मंत्रालय के पश्चिमी डीएफसी की निकटता में अन्य सामाजिक और शहरी आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ विश्वस्तरीय विनिर्माण एवं निवेश जोन स्थापित करना शामिल है। यदि पंजाब सरकार एक नोड हेतु अपेक्षित भूमि अधिगृहीत करने, ऐसे नोड/विनिर्माण जोन हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने तथा समर्पित विश्वसनीय और अबाधित विद्युत आपूर्ति प्रदान करने की स्थिति में हो, तो डीएमआईडीसी ऐसा नोड विकसित करने में तकनीकी रूप से उसकी सहायता कर सकता है।

(ii) पश्चिमी डीएफसी को तुगलकाबाद/दादरी में समाप्त करने की योजना है अत: उसे सीधे पंजाब से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन इसे भारतीय रेल के फीडर मार्गों के जरिये पंजाब से जोड़ा जाएगा। पूर्वी डीएफसी की योजना लुधियाना तक है और उसकी सेवाएं पंजाब को सीधी मिलेंगी।

(घ) डीएमआईसी का विकास दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण के दौरान विकास हेतु हाथ में लिए जाने के लिए छह निवेश क्षेत्रों और छह औद्योगिक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है (संलग्न विवरण-I में दिए अनुसार)। इनमें से, आरंभ में विकास हेतु 7 नोड हाथ में लिए गए हैं। प्रथम 7 नोड में डीएमआईसी के विकास में की गई प्रगति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

राज्य का नाम	दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) परियोजना चरण-I में विकास हेतु चिन्हित किए गए नोड
उत्तर प्रदेश	दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र; मेरठ-मुजफ्फरनगर औद्योगिकी क्षेत्र
हरियाणा	मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र; फरीदाबाद-पलवल औद्योगिक क्षेत्र
मध्य प्रदेश	पीतमपुरा-धार-मऊ निवेश क्षेत्र; नीमच-नयागांव औद्योगिकी क्षेत्र
राजस्थान	खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र; जयपुर-दौसा औद्योगिक क्षेत्र
गुजरात	अहमदाबाद-धौलेरा निवेश क्षेत्र वड़ोदरा-अंकलेश्वर औद्योगिक क्षेत्र
महाराष्ट्र	इगतपुरी-नासिक-सिनार निवेश क्षेत्र दिघी में ग्रीनफील्ड पत्तन सहित औद्योगिक क्षेत्र

विवरण II

I. विकास हेतु प्रारंभ में हाथ में लिए गए नोड

1. पीमतपुरा-धार मऊ निवेश क्षेत्र, मध्य प्रदेश
2. अहमदाबाद-धौलेरा निवेश क्षेत्र, गुजरात
3. दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश
4. मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र, हरियाणा
5. खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र, राजस्थान
6. इगतपुरी-नासिक-सिनार निवेश क्षेत्र, महाराष्ट्र
7. दिघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र

II. प्रगति और वर्तमान स्थिति

नोड/नए शहरों के लिए मास्टर प्लानिंग: डीएमआईसीडीसी ने डीएमआईसी के नोड/नए शहरों के लिए मास्टर प्लान और आधारभूत सुविधा योजना हेतु नीचे दिए गए अनुसार कुछ सर्वाधिक विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की सेवाएं ली हैं:

नोड	परामर्शदाता
इगतपुरी-नासिक-सिनार निवेश क्षेत्र, महाराष्ट्र	मै. एईसीओएम, हांगकांग
अहमदाबाद-धौलेरा निवेश क्षेत्र, गुजरात	मै. हेलक्रो, यूके के नेतृत्व वाला सहायता संघ
मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र, हरियाणा	मै. जुरांग, सिंगापुर के नेतृत्व वाला सहायता संघ
खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र, राजस्थान	मै. क्विपर कॉम्पेग्नन्स, हॉलैंड के नेतृत्व वाला सहायता संघ
पीमतपुरा-धार मऊ निवेश क्षेत्र, मध्य प्रदेश	मै. ली एसोसिएट्स साउथ एशिया के नेतृत्व वाला सहायता संघ
दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश	मै. हेलक्रो, यूके के नेतृत्व वाला सहायता संघ
दिघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र, महाराष्ट्र	मै. एईसीओएम, हांगकांग

क. डीएमआईसी क्षेत्र गुजरात:

धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) की विकास योजना तैयार कर ली गई है।

अहमदाबाद-धोलेरा नोड के योजना कार्यकलापों के भाग के तौर पर, नवीकरण योग्य ऊर्जा, औद्योगिक कामगारों के लिए एकीकृत आवास खाद्य प्रबंधन, रेल संबंधी बुनियादी सुविधाएं और जल प्रबंधन प्रणाली हेतु सभी पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पूरे किए जा चुके हैं।

धोलेरा के निकट ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास हेतु स्थल स्वीकृति प्राप्त कर ली गई और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

गुजरात सरकार ने एक विशेष कानून पारित किया है जिसका नाम गुजरात विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम (एसआईआर अधिनियम) है और उसके तहत एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण गठित किया गया है। पूल प्रणाली के जरिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राज्य द्वारा अहमदाबाद से धोलेरा के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का कार्य भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इन नोड के लिए गुजरात औद्योगिक विकास बोर्ड द्वारा भी पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है।

ख. डीएमआईसी क्षेत्र महाराष्ट्र:

महाराष्ट्र में दो नोड हाथ में लिए गए हैं: नासिक-सिनार निवेश क्षेत्र और दिघी पत्तन औद्योगिक क्षेत्र। प्रारंभिक रिपोर्ट (इन्सेप्शन रिपोर्ट) के पश्चात्, दोनों नोड के लिए क्षेत्र निर्धारण, बाजार विश्लेषण और आधारभूत सुविधा अंतराल निर्धारण राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

डीएमआईसीडीसी के आदेश पर, महाराष्ट्र में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र (ईसीसी) के अंतिम व्यवहार्यता अध्ययनों की मसौदा रिपोर्ट और मल्टी मॉडल लाजिस्टिक्स पार्क, परिवहन और दूरसंचार संबंधी आधारभूत सुविधाओं के व्यवहार्यता अध्ययनों की मसौदा रिपोर्टें राज्य नोडल एजेंसी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को समीक्षा हेतु प्रस्तुत कर दी गई हैं।

औरंगाबाद में ईसीसी की परियोजना संरचना को अंतिम रूप दे दिया गया है। पीपीपी आधार पर एक डेवलपर का चयन करने हेतु मसौदा निविदा अनुरोध (आरएफक्यू) महाराष्ट्र सरकार के साथ साझा किया गया है। परामर्शदाता ने इस उद्देश्य हेतु प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) और मसौदा रियायत समझौता तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है।

डीएमआईसीडीसी ने महाराष्ट्र में 2 स्थानों पर औद्योगिक उपयोग के लिए बेकार पानी के पुन: शोधन की प्रायोगिक परियोजनाएं भी हाथ में ली हैं। नगरपालिका के गंदे जल का पुन: शोधन कर औद्योगिक जल की आपूर्ति हेतु (नासिक और औरंगाबाद में 2 प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए) परामर्शदाता चुनने के लिए प्रस्ताव एमआईडीसी के साथ साझा किया गया है और चर्चा शुरू कर दी गई है। नगरपालिका के गंदे जल का पुन: शोधन करने तथा औद्योगिक उपयोग हेतु उसकी आपूर्ति करने के लिए नगरपालिका प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

ग. डीएमआईसी क्षेत्र-मध्य प्रदेश: अवधारणा मास्टर प्लान के उपरांत पीथमपुर-धार-मऊ निवेश क्षेत्र संबंधी मसौदा विकास योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है।

प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में अधिकार संपन्न समिति की बैठक 22 जुलाई, 2010 को संपन्न हुई। समिति ने पीथमपुर-धार-मऊ निवेश क्षेत्र मसौदा विकास योजना, चिन्हित परियोजनाओं के

पूर्व-संभाव्यता अध्ययनों तथा भूमि-अधिग्रहण, निधि आवश्यकताओं आदि से जुड़े अन्य विषयों पर विचार-विमर्श किया तथा पूर्व संभाव्यता रिपोर्टों को अनुमोदित किया।

डीएमआईसीडीसी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अर्ली बर्ड परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं विकास योजना से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 31 अगस्त, 2010 को मध्य प्रदेश स्थित पीथमपुर-धार-मऊ निवेश क्षेत्र का दौरा किया। इन परियोजनाओं की वास्तविक संभाव्यता का पता लगाने के लिए उन्होंने आर्थिक गलियारे, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक हब, जल आपूर्ति परियोजना, व्यवसायिक पार्क परियोजना स्थल तथा प्रस्तावित ग्रीन फील्ड टाउनशिप स्थल का भी दौरा किया तथा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं विकास तथा विकास योजना के प्रथम चरण के लिए आवश्यक भूमि-अधिग्रहण, कनेक्टिविटी एवं सहायक ढांचे के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया।

राज्य ने अर्ली बर्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दो एजेंसियों को नामित किया है:

(1) एकेवीएन (औद्योगिक केन्द्र विकास निगम), उज्जैन-नॉलेज सिटी, उज्जैन में अर्ली बर्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए।

(2) एकेवीएन, इंदौर-मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, आर्थिक गलियारे पर अर्ली बर्ड परियोजना तथा जल-आपूर्ति एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए।

सरकार ने विभिन्न विभागों को परियोजना के कार्यान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी देने हेतु निर्देश दिया है। जल आपूर्ति परियोजना संबंधी आरएफक्यू, आरएफपी एवं मसौदा रियायत समझौते को राज्य सरकार को भेज दिया गया है एवं इन पर उनके साथ चर्चा की गई है।

घ. डीएमआईसी क्षेत्र-हरियाणा: वित्त-आयुक्त एवं प्रधान-सचिव, उद्योग विभाग, हरियाणा सरकार, राज्य नोडल एजेंसी-हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) तथा डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के साथ दिनांक 12 अगस्त, 2010 को संपन्न बैठक में इंटिग्रेटेड मल्टीमॉडल लॉजीस्टिक हब परियोजना (आईएमएलएच), रेवाड़ी के लिए 900 एकड़ जमीन चिन्हित करने का निर्णय लिया गया तथा इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक स्पेशल परपज़ कंपनी (एसपीसी) बनाने का भी निर्णय लिया गया। एचएसआईआईडीसी ने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा परियोजना स्थल के लिए भूमि-अधिग्रहण प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है।

रिपोर्टें अर्थात् (1) अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट आईएमएलएच के लिए ड्राफ्ट टेक्नो इकोनोमिक फीजेबिलिटी स्टडीज (टीईएफएस); (2) अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट के लिए ड्राफ्ट टीईएफएस रिपोर्ट, एग्जीबिशन एंड कंवेंशन सेंटर; (3) मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र (एमबीआईआर) से ताजा पानी लाने के लिए प्री-फीजेबिलिटी स्टडी रिपोर्ट (टेक्नीकल); और (4) एचएसआईआईडीसी को रिपोर्ट ऑन रीजनल प्रोफाइल एण्ड इन्डस्ट्री मार्केट एस्सेमेंट नामक रिपोर्ट दिनांक 17 अगस्त, 2010 को समीक्षा और टिप्पणियों हेतु सौंपी गई। एचएसआईआईडीसी ने आईएमएलएच को सिद्धान्ततः अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ङ) डीएमआईसी क्षेत्र-राजस्थान: आरम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात्, परामर्शदात्री ने गहन विश्लेषण किया और निम्नलिखित के संबंध में विभिन्न विकल्प सुझाए:

- प्रस्तावित निवेश क्षेत्र का रेखांकन,
- राजस्थान में एयरोट्रोपोलिस का स्थान निर्धारण, और
- भिवाड़ी से नीमराना के बीच सम्पर्क के लिए सड़क सुयोजन।

प्रस्तावित विकल्पों पर परामर्शदाताओं ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ 11 अगस्त, 2010 को आयोजित हुई कार्यशाला में विचार-विमर्श किया और उसका मूल्यांकन किया। दिनांक 21 अगस्त, 2010 को आयोजित हुई बैठक में इन विकल्पों को राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया।

राज्य सरकार द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर, परामर्शदाताओं ने प्रस्तावित अर्ली बर्ड परियोजनाओं के लिए स्थल मूल्यांकन रिपोर्टों के साथ-साथ निवेश क्षेत्र के लिए स्थल रेखांकित रिपोर्ट प्रस्तुत की। राजस्थान में प्रस्तावित एयरो-ट्रोपोलिस परियोजना के संबंध में दिनांक 7 अक्तूबर, 2010 को सचिव, नागर विमानन और अध्यक्ष, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया गया है।

(च) डीएमआईसी क्षेत्र–उत्तर प्रदेश: आरम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात, दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र के लिए चयनित परामर्शदाताओं ने दादरी-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर) के लिए स्थल-चयन/क्षेत्र रेखांकन और अवसंरचना मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया। रिपोर्ट को नोडल एजेंसी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) को समीक्षा और टिप्पणियों हेतु प्रस्तुत किया गया। परामर्शदाताओं ने स्थल का अंतिम रूप से चयन करने के लिए मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और ग्रेटर नोएडा रेलवे स्टेशन (ट्रांजिट ओरिएन्टिड हब) की स्थल मूल्यांकन संबंधी कार्य संचालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

निवेश क्षेत्र को अंतिम रूप देने के लिए और राज्य में कई उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डीएमआईसीडीसी ने अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

दोहा दौर की वार्ता

***171. श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दोहा दौर की वार्ता में विवादास्पद मुद्दों तथा हाल ही में उक्त मुद्दों का समाधान करने हेतु हुई बैठकों/सम्मेलनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ देश अपने पूर्व निर्णयों पर पुनर्विचार करने के इच्छुक हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अमरीका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के माध्यम से विकासशील देशों द्वारा अपने बाजारों का उदारीकरण किये जाने के लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोहा वार्ता के अवरोधों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की व्यापार वार्ताओं के दोहा दौर में कृषि, गैर-कृषि बाजार पहुंच (एनएएमए), सेवाएं, नियम आदि सहित अनेक विषय शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्र में कपास सब्सिडियों सहित घरेलू सब्सिडियों में प्रस्तावित कटौती; संवेदनशील उत्पादों से संबंधित प्रस्ताव, टैरिफ की उच्चतम सीमा तथा कृषि में विशेष रक्षोपाय तंत्र, गैर कृषि बाजार पहुंच में विशिष्ट औद्योगिक वस्तु क्षेत्रों (वस्तु क्षेत्रवार पहलें) में टैरिफ में अतिरिक्त कमी; सेवा व्यापार का उदारीकरण, घरेलू नियमावली से संबंधित नियमावलियों का विकास जैसे अहर्ताएं तथा लाइसेंसिंग अपेक्षाएं एवं प्रक्रियाएं; मात्स्यिकी सब्सिडियों से संबंधित नियमावलियां (विकासशील देशों के लिए विशेष तथा अलग प्रकार के व्यवहार तथा सम्बद्ध तौर-तरीकों की सीमा तथा दायरे सहित) एवं डब्ल्यूटीओ नियमावली के क्षेत्र में अन्य अनेक मुद्दों सहित अनेक विवादास्पद एवं अनसुलझे मुद्दे शामिल हैं।

डब्ल्यूटीओ में संबंधित वार्ताकारी समूहों में वार्ताओं के प्रत्येक क्षेत्र पर विचार-विमर्श किया जा रहा है जिनके साथ विशिष्ट मुद्दों पर समान हित वाले देशों के गठबंधन समूहों के बीच द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठकें एवं विचार-विमर्श भी किया जा रहा है।

(ख) और (ग) बैठकें यद्यपि नियमित आधार पर आयोजित की जा रही हैं, तथापि विभिन्न विवादास्पद मुद्दों पर सदस्य देशों की वैचारिक स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं देखा गया है।

(घ) और (ङ) अमेरिका की वैचारिक स्थिति यह है कि विशेष रूप से उभरते प्रमुख बाजारों यथा भारत चीन और ब्राजील में नए व्यापार प्रवाह का सृजन और सार्थक तरीके से बाजार का खुलना ही दोहा दौर की सफलता का मूलमंत्र है। भारत और अन्य अनेक देशों ने इस बात पर निरंतर बल दिया है कि इन वार्ताओं का उद्देश्य अतिरिक्त बाजार पहुंच हेतु एक अथवा अधिक सदस्य देशों की अवास्तविक मांगों की पूर्ति करना नहीं हो सकता, बल्कि इसका उद्देश्य इस दौर के विकासपरक अधिदेश के अनुरूप एक संतुलित परिणाम हासिल करना है।

जुलाई 2008 में डब्ल्यूटीओ में लघु मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद वार्ताओं में गतिरोध आने पर भारत ने इस दौर की वार्ताओं को बहाल करने के उद्देश्य से सितम्बर 2009 में नई दिल्ली में अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करके सहयोग का एक सशक्त संकेत दिया था। इसके तुरंत बाद डब्ल्यूटीओ में वार्ताएं बहाल हो गई थीं। भारत ने सदैव एक सुदृढ़ नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली हेतु अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है और वह दोहा दौर के संतुलित एवं विकासोन्मुख समापन की दिशा में अमेरिका सहित प्रमुख विकसित देशों और अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर कार्य करता रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

***172. श्री नामा नागेश्वर राव:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) सभी परिवारों को नकद रहित स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) से (ग) परिवार फ्लोटर आधार पर असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (पांच की इकाई) को प्रति वर्ष 30,000/- रुपये का स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेस बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए 1.10.2007 से 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' शुरू की गयी थी। यह योजना 1.4.2008 से प्रचालन में आयी। यह योजना 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामत: असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ प्रशासन में कार्यान्वित की जा रही है। 31.10.2010 की स्थिति के अनुसार 1.96 करोड़ से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी भी किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश जो कि अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना नामत: राजीव गांधी आरोग्यश्री सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा योजना क्रियान्वित कर रहा है और राजस्थान की भी अपनी स्वयं की योजना है, के अलावा अन्य राज्य इस योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। 31.10.2010 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए स्मार्ट कार्डों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत भवन और अन्य निर्माण कामगारों तथा फेरी वालों तक विस्तार किया गया है।

वर्ष 2010-11 के बजट में सरकार ने उन मनरेगा लाभार्थियों जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 15 दिन से अधिक कार्य किया है और सभी रेलवे के लाइसेंस प्राप्त कुलियों, सामान बेचने वालों और खोमचे वालों जो असंगठित क्षेत्र से हैं और सामाजिक रूप से कमजोर हैं, को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ विस्तारित किए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जारी किए गए स्मार्ट कार्डों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2010-11 (31.10.2010 तक)
1	2	3
1.	असम	148346
2.	बिहार	3969312
3.	चंडीगढ़	4913
4.	छत्तीसगढ़	824710
5.	दिल्ली	218055
6.	गोवा	3505
7.	गुजरात	1174007
8.	हरियाणा	653354
9.	हिमाचल प्रदेश	238821
10.	झारखंड	819830
11.	कर्नाटक	149953
12.	केरल	1508427
13.	महाराष्ट्र	1545093
14.	मणिपुर	6910
15.	मेघालय	41135
16.	मिजोरम	7790
17.	नागालैंड	33739
18.	उड़ीसा	433079
19.	पंजाब	156395
20.	तमिलनाडु	149520
21.	त्रिपुरा	258402
22.	उत्तर प्रदेश	4992271
23.	उत्तराखंड	147694
24.	पश्चिम बंगाल	2203843
	कुल	19689104

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

***173. श्री अर्जुन चरण सेठी:**
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अधीन मैदानी क्षेत्रों में 500 और उससे

अधिक व्यक्तियों की आबादी वाली ग्रामीण बस्तियों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 250 और उससे अधिक व्यक्तियों की आबादी वाली बस्तियों को, जो सड़क से जुड़ी नहीं हैं, सड़क मार्ग से जोड़ने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के दिशानिर्देशों में किये गये परिवर्तन के अनुसार गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों की सामग्री की बढ़ी हुई लागत तथा भुगतान हेतु निविदा प्रीमियम के लिए व्यय की गई अतिरिक्त धनराशि को सम्मिलित करने की मांग पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) जी, हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्ति तथा उससे अधिक की आबादी वाली और पर्वतीय राज्यों, जनजातीय (अनुसूची-5) क्षेत्रों तथा मरूस्थली क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में किए गए निर्धारण के अनुसार) में 250 व्यक्ति तथा उससे अधिक की आबादी वाली सड़क से न जुड़ी हुई पात्र ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए दिसम्बर, 2000 में शुरू किया गया था। हाल ही में दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है ताकि गृह मंत्रालय द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 250 तथा उससे अधिक आबादी वाली बसावटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कवर किया जा सके।

(ख) इस योजना के प्राथमिक उद्देश्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तथापि, कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में संशोधन केन्द्र सरकार की समकालिक नीतियों तथा राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अलग-अलग राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्यों द्वारा लागत में वृद्धि के संबंध में उठाए गए मुद्दे की जांच की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सामान्य तौर पर कार्यों को 12 महीने में पूरा करना होता है, इसलिए कार्यक्रम के तहत ठेके निर्धारित मूल्य के ठेके होते हैं। राज्यों को किसी चरण/बैच के लिए संपूर्ण राज्य के लिए निविदा प्रीमियम के मूल्य की गणना करने की अनुमति दी गई है तथा यदि फिर भी यह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक हो जाता है, तो बढ़ी हुई राशि (निविदा प्रीमियम) को राज्य द्वारा वहन किया जाना होता है।

विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	पीएमजीएसवाई के तहत रिलीज की गई निधियां			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अक्तूबर, 10 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	316.57	470.60	877.46	517.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	102.03	107.98	282.52	249.37
3.	असम	555.00	982.12	1179.00	1170.00
4.	बिहार	733.06	1065.20	1750.73	1360.74
5.	छत्तीसगढ़	1050.89	976.12	540.03	453.52
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	144.56	229.67	193.80	121.29

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	216.21	272.02	255.49	92.75
9.	हिमाचल प्रदेश	320.58	268.90	124.95	199.30
10.	जम्मू और कश्मीर	72.74	191.74	372.60	92.09
11.	झारखंड	0.00	210.67	417.74	501.11
12.	कर्नाटक	271.49	640.46	764.87	428.11
13.	केरल	24.68	84.02	100.11	144.27
14.	मध्य प्रदेश	1615.66	1895.10	2135.65	855.45
15.	महाराष्ट्र	563.96	1030.00	949.18	687.54
16.	मणिपुर	78.99	20.00	149.16	62.00
17.	मेघालय	0.00	35.95	0.00	64.55
18.	मिजोरम	21.96	65.00	44.58	25.00
19.	नागालैंड	12.51	85.71	65.02	25.13
20.	उड़ीसा	546.83	1251.38	1594.35	564.60
21.	पंजाब	360.21	243.42	348.42	99.10
22.	राजस्थान	1646.64	1771.32	603.41	599.00
23.	सिक्किम	174.51	55.00	71.80	27.27
24.	तमिलनाडु	71.03	88.68	525.00	182.13
25.	त्रिपुरा	143.00	379.99	168.49	137.85
26.	उत्तर प्रदेश	1228.40	1675.78	2844.51	1216.83
27.	उत्तराखंड	78.74	116.66	165.95	135.44
28.	पश्चिम बंगाल	549.69	635.48	375.00	170.13
29.	दादरा और नगर हवेली	3.89	4.95	0.00	0.00
	कुल योग	10903.83	14853.92	16899.82	10182.02

रिलीज में योजनागत सहायता, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिया गया ऋण शामिल है।

[हिन्दी]

कृषि कामगारों का कल्याण

174.* **श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में भूमिहीन कृषि श्रमिकों/कामगारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन श्रमिकों/कामगारों के कल्याण, उत्थान एवं सहायता हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार और योजना-वार आवंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इससे राज्य-वार, वर्ष-वार और योजना-वार कितने श्रमिक/कामगार लाभान्वित हुए;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन श्रमिकों/कामगारों की राज्य-वार एवं वर्ष-वार प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय कितनी रही; और

(च) इन श्रमिकों/कामगारों की दशा एवं आजीविका में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा संगत श्रम कानूनों में सुधार करने सहित अन्य क्या प्रयास किये गये/योजनाएं बनाई गईं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) भूमिहीन कृषि कामगारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) से (घ) सरकार, कृषि कामगारों सहित ग्रामीण गरीबों के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं/रोजगार सृजन कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 शामिल है। इसे प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की जीवनयापन सुरक्षा में वृद्धि का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। कृषि श्रमिकों/कामगारों सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है।

18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बीच के ग्रामीण भूमिहीन परिवार को मृत्यु और अपंगता कवर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ''आम आदमी बीमा योजना'' प्रारम्भ की थी। कृषि कामगारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 30,000 रुपये तक के स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलैस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करते हुए 1 अप्रैल, 2008 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की गयी है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के अन्य असंगठित कामगारों के अलावा, यह योजना ऐसे कृषि कामगारों, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, पर भी लागू की जाती है। 65 वर्ष से अधिक आयु के और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी नागरिकों को कवर करने हेतु दिनांक 19.11.2007 से कवर करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के रूप में पुनर्नामित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनएसओएपी) पुन: तैयार की गयी है। इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटन तथा व्यय दर्शाने वाला विवरण-II(क) से (ग) संलग्न है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण रिपोर्ट: कृषक परिवार की आय, व्यय और उत्पादक परिसम्पत्तियां, 2003 के अनुसार एक कृषक परिवार की औसत मासिक आय 2115 रुपये है। श्रम संबंधी कानूनों/योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक हो तब लक्षित समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधन किए जाते हैं।

विवरण I

देश में भूमिहीन कृषि कामगारों की संख्या

(स्रोत जनगणना 2001)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	कामगारों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13832152
2.	अरुणाचल प्रदेश	18840
3.	असम	1263532
4.	बिहार	13417744
5.	छत्तीसगढ़	3091358
6.	गोवा	35806
7.	गुजरात	5161658
8.	हरियाणा	1278821
9.	हिमाचल प्रदेश	94171
10.	जम्मू और कश्मीर	246421
11.	झारखंड	2851297
12.	कर्नाटक	6226942
13.	केरल	1620851
14.	मध्य प्रदेश	7400670

1	2	3
15.	महाराष्ट्र	10815262
16.	मणिपुर	113630
17.	मेघालय	171694
18.	मिजोरम	26783
19.	नागालैण्ड	30907
20.	उड़ीसा	4999104
21.	पंजाब	1489861
22.	राजस्थान	2523719
23.	सिक्किम	17000
24.	तमिलनाडु	8637630
25.	त्रिपुरा	276132
26.	उत्तर प्रदेश	13400911
27.	उत्तराखण्ड	259683
28.	पश्चिम बंगाल	7362957
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5169
30.	चंडीगढ़	563
31.	दादरा और नगर हवेली	14715
32.	दमन और दीव	1323
33.	दिल्ली	15773
34.	लक्षद्वीप	00
35.	पुडुचेरी	72251
	कुल	106775330

***टिप्पणी:** भारत और मणिपुर के आंकड़ों में मणिपुर राज्य में सेनापति जिले के माओ मराम, पावो माटा और पुरुल उप-प्रभागों के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि प्रशासनिक और तकनीकी कारणों की वजह से जनगणना के परिणाम निरस्त कर दिए गए थे।

विवरण II(क)

आम आदमी बीमा योजना

राज्य	31.7.2010 की स्थिति के अनुसार कवर किए गए कुल व्यक्ति
हिमाचल प्रदेश	5,000
आंध्र प्रदेश	61,68,797
महाराष्ट्र	9,85,927
गुजरात	3,86,429
चंडीगढ़	1,297
जम्मू और कश्मीर	86,097
मध्य प्रदेश	13,64,232
बिहार	18,02,559
झारखंड	37,546
कर्नाटक	6,04,687
केरल	3,93,160
उत्तर प्रदेश	18,69,176
छत्तीसगढ़	3,33,870
पश्चिम बंगाल	3,97,409
पुडुचेरी	1,48,452
कुल	1,45,84,638

1000 करोड़ रुपये की एक कायिक निधि है।

	संख्या	धनराशि (रुपये)
31.03.2009 तक निपटाए गए मामले	20680	64,79,65,000
01.04.2009 से 31.03.2010 तक निपटाए गए मामले	38493	1,25,52,82,500

विवरण II(ख)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

जारी किए गए स्मार्ट कार्डों की संख्या तथा जारी की गयी निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	(नामांकन) 2008-2009	जारी की गयी निधियां (2008-2009) (रुपये)	(नामांकन) 2009-2010	जारी की गयी निधियां (2009-2010) (रुपये)
1	2	3	4	5	6
1.	असम	–	–	81,565	7670286
2.	बिहार	5,57,002	47514027	20,38,909	319840734
3.	चंडीगढ़	3,627	–	5,407	2044616
4.	छत्तीसगढ़	–	–	9,27,672	160628600
5.	दिल्ली	41,990	21506857	2,18,055	14662950
6.	गोवा	1,679	–	3,505	–
7.	गुजरात	6,70,517	225643646	6,82,354	87713545
8.	हरियाणा	4,01,587	134264136	6,82,354	270959665
9.	हिमाचल प्रदेश	78,370	17531335	115828	16424305
10.	झारखंड	1,01,219	52392456	4,34762	89129799
11.	कर्नाटक	–	–	36,971	–
12.	केरल	7,03,570	137109248	11,73,388	183391322
13.	महाराष्ट्र	1,35,804	8944299	14,40,407	371772336
14.	मणिपुर	–	–	–	–
15.	मेघालय	–	–	22,579	7713085
16.	मिजोरम	–	–	–	–
17.	नागालैण्ड	7,645	–	39,301	23982349
18.	उड़ीसा	–	–	3,41,653	–
19.	पंजाब	76,528	16045480	1,69,306	59448426
20.	तमिलनाडु	57,925	16108518	1,49,520	26874987
21.	त्रिपुरा	–	–	1,45,780	66789826

1	2	3	4	5	6
22.	उत्तर प्रदेश	8,34,871	297289638	42,96,865	690965169
23.	उत्तराखण्ड	50,071	–	53,940	24325476
24.	पश्चिम बंगाल	1,19,327	25150320	8,02,974	200796334
	कुल	39,61,855	999499960	1,38,65,338	2625133810

विवरण II(ग)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और अन्नपूर्णा

वर्ष 2007-08 (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तीन योजनाओं के लिए 2007-08 का आवंटन	कुल निर्गत राशि	राज्य द्वारा सूचित कुल व्यय				सूचित लाभार्थियों की संख्या		
				एनओएपीएल	एनएफवीएस	अन्नपूर्णा	कुल	एनओएपीएल	एनएफवीएस	अन्नपूर्णा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	20232.26	20232.26	17281.93	1623.45	707.95	19613.33	919230	17261	93200
2.	बिहार	25909.42	25909.42		34875.91		34875.91	1415179	27476	166600
3.	छत्तीसगढ़	11090.26	11090.26	9317.08	978.20	129.45	10424.73	437218	9782	6592
4.	गोवा	136.36	136.36	54.50	25.10		79.60	2687	257	
5.	गुजरात	2468.01	2468.01	1790.88	712.75		2503.63	62691	7128	
6.	हरियाणा	2982.65	2982.65	3559.00			3559.00	130306	2250	
7.	हिमाचल प्रदेश	2290.41	2290.41		1514.93		1514.93	53749	2000	3869
8.	जम्मू और कश्मीर	1863.99	1863.99		899.20		899.20	77649	6123	
9.	झारखण्ड	14180.12	14180.12	10027.75	832.84	1428.00	12288.59	366236	4378	200000
10.	कर्नाटक	21176.47	21176.47		17550.56	187.66	17738.22	686666	21246	24218
11.	केरल	7497.36	7497.36		7084.47		7084.47	141956	27611	38587
12.	मध्य प्रदेश	24397.63	24397.63		24397.63		24397.63	532000	40000	
13.	महाराष्ट्र	20199.06	20199.06		18629.44		18629.44	828193	19488	120000
14.	उड़ीसा	18479.38	18479.38	17370.80	3045.37	492.37	20908.54	643400	30453	64800
15.	पंजाब	1229.47	1229.47		1229.47		1229.47	61371	1290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	राजस्थान	15959.34	15959.34		12001.69		12001.69	445449	703	105293
17.	तमिलनाडु	18479.19	18479.19		18479.19		18479.19	580328	6877	71974
18.	उत्तर प्रदेश	33106.56	33106.56	54276.00	3900.00		58176.00	2558065	41705	
19.	उत्तराखण्ड	1841.90	1841.90		1670.88		1670.88	76385		8382
20.	पश्चिम बंगाल	17012.92	17012.92	13881.20	4813.66	594.42	19289.28	451846	48132	78182
	उप कुल	260532.76	260532.76	265892.51	15931.37	3539.85	285363.73	10470603	314160	981697
पूर्वोत्तर राज्य										
21.	अरुणाचल प्रदेश	390.85	390.85		358.27	37.23	395.50	12963	347	4761.00
22.	असम	16872.45	16872.45	14516.00	751.40	196.60	15464.00	628949	7514	26640
23.	मणिपुर	2082.48	2082.48	1427.03	570.16	85.29	2082.48	72514	5419	8590
24.	मेघालय	950.23	950.23		1264.62		1264.62	32883	1144	9263.00
25.	मिजोरम	429.71	429.71		429.71		429.71	10525		2583
26.	नागालैंड	789.22	789.22	504.95	21.00		525.95	28053	210	
27.	सिक्किम	441.39	441.39	359.86	40.10	22.00	421.96	15169	401	2500
28.	त्रिपुरा	2648.32	2648.32	2167.00	249.82	114.23	2531.05	136592	4164	14851
	उप कुल	24606.66	24604.65	21027.44	1632.48	455.35	23115.27	937648	19199	69188
संघ राज्य क्षेत्र										
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.85	12.63		16.49		16.49	493		
30.	चंडीगढ़	186.54	30.91	20.00			20.00	5619	300	
31.	दादरा और नगर हवेली	41.67	30.00	15.09	8.15		30.00	1006	82	
32.	दमन और दीव	9.93	6.69		6.69		6.69			
33.	रा.रा.क्षे. दिल्ली	3640.00	3640.00	2367.00	40.00	0.00	3640.00	98615	400	128
34.	लक्षद्वीप	0.77	0.57		0.57		0.57	42	12	
35.	पुडुचेरी	115.00	115.00		115.00		115.00			
	उप कुल	4010.76	3835.80	2540.84	48.15	0.00	3828.75	105775	794	
	महायोग	289148.20	288973.21	289460.79	17612.00	3995.20	312307.75	11514026	334153	1050885

*अप्रैल 7 में मार्च, 2008 तक निर्गत।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और अन्नपूर्णा

वर्ष 2008-09 (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तीन योजनाओं के लिए 2007-08 का आवंटन	कुल निर्गत राशि	राज्य द्वारा सूचित कुल व्यय				सूचित लाभार्थियों की संख्या		
				एनओएपीएल	एनएफवीएस	अन्नपूर्णा	कुल	एनओएपीएल	एनएफवीएस	अन्नपूर्णा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	28989.21	28989.21		30014.13		30014.13	919230	15067	93200
2.	बिहार	49996.41	49996.41	37594.00	2242.05	1132.84	40968.89	2133678	22421	166600
3.	छत्तीसगढ़	13408.63	13408.63	11832.72	1034.30		12867.02	490120	10343	
4.	गोवा	156.75	156.75		65.23		65.23	2687	282	554
5.	गुजरात	2568.67	2568.67	1891.70	760.34		2652.04	79661	7554	
6.	हरियाणा	4127.50	4127.50	3127.34	448.11		3575.45	130306	4481	
7.	हिमाचल प्रदेश	1989.31	1989.31	2037.42	200.00	22.10	2259.52	85637	2000	2787
8.	जम्मू और कश्मीर	2042.75	2042.75	1220.23	268.90		1489.13	123557	2689	
9.	झारखण्ड	20983.60	20983.60	15911.24	1581.32	1388.21	18880.77	643003	19810	200000
10.	कर्नाटक	22850.20	22850.20	19523.89	1905.37		21429.26	821969	19054	
11.	केरल	5779.21	5779.21	1135.64	2636.00	231.00	4002.64	141956	26360	44980
12.	मध्य प्रदेश	43592.42	43592.42	20811.51	4492.39		25303.90	931434	44924	
13.	महाराष्ट्र	31332.25	31332.25		29844.00		29844.00	1001636	47484	120145
14.	उड़ीसा	20802.81	20802.81	15441.60	3338.40	497.35	19277.35	643400	33384	64800
15.	पंजाब	4792.37	4792.37	2497.44	246.10		2743.54	166689	2461	
16.	राजस्थान	14316.14	14316.14	10954.90	1693.12	549.13	13197.15	494179		105293
17.	तमिलनाडु	32070.19	32070.19	17721.81	1791.30	366.59	19879.70	988761	17913	71974
18.	उत्तर प्रदेश	84300.35	84300.35	79568.03	8661.48		88229.51	2941120	87118	
19.	उत्तराखण्ड	4720.53	4720.53	2773.98	512.40		3286.38	148687	5124	
20.	पश्चिम बंगाल	27842.45	27842.45		22819.08		22819.08	1039041	35261	71647
	उप कुल	416661.75	416661.75	326785.89	31811.58	4187.22	362784.69	13926751	403730	941980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पूर्वोत्तर राज्य										
21.	अरुणाचल प्रदेश	488.02	488.02		10.00	31.14	41.14	14500	100	4761.00
22.	असम	17941.11	17941.11	16532.51	589.40	196.60	17318.51	628949	5894	26640
23.	मणिपुर	2051.86	2051.86	1740.34	189.00	92.00	2021.34	72514	1670	8590
24.	मेघालय	1866.47	1866.47	927.82	98.28	69.00	1095.10	32952	981	9263
25.	मिजोरम	602.20	602.20		602.20		602.20	23747	614	2583
26.	नागालैंड	835.15	835.15		655.31		655.31	28053	533	
27.	सिक्किम	437.90	437.90		473.10		473.10	18879	200	2500
28.	त्रिपुरा	3339.35	3339.35	3750.25	84.38	108.98	3943.61	136592	8438	14851
	उप कुल	27562.06	27562.06	24681.53	971.06	497.72	26150.31	956186	18430	69188
संघ राज्य क्षेत्र										
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00	25.00	16.49	0.40		16.89	702	4	
30.	चंडीगढ़	181.00	181.00	110.19	70.81		181.00	4049	708	
31.	दादरा और नगर हवेली	61.00	61.00				0.00	6956		
32.	दमन और दीव	13.00	13.00				0.00	630		
33.	रा.रा.क्षे. दिल्ली	5327.00	5327.00	2927.00	40.00		2967.00	121974	400	72
34.	लक्षद्वीप	1.00	1.00	1.65	2.00		3.65	36	20	
35.	पुडुचेरी	168.00	168.00		168.00		168.00	3356		
	उप कुल	5776.00	5776.00	3223.33	113.21	0.00	3336.54	137703	1132	72
	महायोग	450000.00	450000.00	354690.75	32895.85	4684.94	392271.54	15020640	423292	1011240

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और अन्नपूर्णा

वर्ष 2009-10 (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तीन योजनाओं के लिए 2007-08 का आवंटन	कुल निर्गत राशि	राज्य द्वारा सूचित कुल व्यय						सूचित लाभार्थियों की संख्या						
				आईजीएन ओएपीएस	एमएफ वीएस	अन्नपूर्णा	आईजीएन डब्ल्यूपीएस	आईजीएम डीपीएस	कुल	आईजीएन ओएपीएस	एमएफ वीएस	अन्नपूर्णा	विधवा (आईजीएम डब्लयूपीएल)	अशक्त (आईजीएन डीपीएस)	प्रतिवेदन का माह	यूसी 2008-09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	29356.22	24480.00	12869.22	457.58	417.97	3868.40	822.12	18435.29	919230	4576	93200	276314	58723	अक्तूबर, 2009	रिपोर्टेड

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	बिहार	63361.49	52836.00	24000.00	1247.40		240.00	12.00	25499.40	2133678	12474	166600	43382	2435	सितम्बर, 2009	रिपोर्टेड
3.	छत्तीसगढ़	16792.38	14003.00	5538.48	348.20				5886.68	497127	3482				अगस्त, 2009	रिपोर्टेड
4.	गोवा	228.66	196.00	32.24	12.90				45.14	2687	131				सितम्बर, 2009	
5.	गुजरात	8709.07	7262.00	1500.28	238.90				1739.18	184863	3419			404	सितम्बर, 2009	रिपोर्टेड
6.	हरियाणा	4157.20	3467.00	781.84					781.84	130306					जून, 2009	रिपोर्टेड
7.	हिमाचल प्रदेश	2254.17	1880.00	1268.75	56.40				1325.15	85637	564				सितम्बर, 2009	रिपोर्टेड
8.	जम्मू और कश्मीर	2960.71	2469.00						0.00	97372						
9.	झारखण्ड	22202.49	18514.00	7504.00	596.59				8100.59	643000	5965		120000	30000	सितम्बर, 2009	
10.	कर्नाटक	27335.25	22794.00	8268.31	278.03				8546.34	833927	2780				अगस्त, 2009	रिपोर्टेड
11.	केरल	7127.16	5943.00						0.00	141956						
12.	मध्य प्रदेश	35673.22	29747.00	7510.84	581.90				8092.74	1066051	5819		171935	107199	अगस्त, 2009	रिपोर्टेड
13.	महाराष्ट्र	39472.16	32915.00	14341.04	2800.00	438.76	2245.60	1755.04	21580.44	1024364	5000	120145	160400	125364	अक्तूबर, 2009	
14.	उड़ीसा	26434.71	22043.00	6434.00		207.25			6641.25	643400		64800	10315	5677	अगस्त, 2009	रिपोर्टेड
15.	पंजाब	4520.17	3769.00	956.70	144.60				1101.30	159292	1446				अक्तूबर, 2009	रिपोर्टेड
16.	राजस्थान	18299.16	15259.00	6147.62	1845.00	174.79			8167.41	494179		105293			सितम्बर, 2009	रिपोर्टेड
17.	तमिलनाडु	34319.35	28618.00	10458.45	392.70	6.52			10857.67	888825	3927	71974	357014	119105	सितम्बर, 2009	
18.	उत्तर प्रदेश	96999.80	80886.00	39383.72	3952.51		13458.00	675.60	57469.83	3280512	39514		1121500	56300	अगस्त, 2009	रिपोर्टेड
19.	उत्तराखण्ड	5690.28	4745.00	1842.32	25.80				1868.12	162141	555	0	7054	1840	अक्तूबर, 2009	रिपोर्टेड
20.	पश्चिम बंगाल	39722.40	33124.00	12034.76	1652.54	48.00			13735.30	1191716	16525	65068			अगस्त, 2009	रिपोर्टेड
	उप कुल	485616.05	404950.00	160872.57	14631.05	1293.29	19812.00	3264.76	199873.67	14580263	106177	687080	2277914	507047		
पूर्वोत्तर राज्य																
21.	अरुणाचल प्रदेश	437.94	365.00						0.00	14500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.	असम	17285.15	14414.00						0.00	628949	15000	26640			सितम्बर, 2009	रिपोर्टेड
23.	मणिपुर	1350.00	1126.00						0.00	72514						रिपोर्टेड
24.	मेघालय	995.69	830.00	833.39	113.30	34.20			980.89	36794	1197	9263			अक्तूबर, 2009	
25.	मिजोरम	587.96	490.00	217.22		8.76			225.98	23747	614	2583	1192	587	अक्तूबर, 2009	
26.	नागालैंड	745.84	622.00	561.06	60.00	6.00	4.80	15.14	647.00	28053	600		200	631	सितम्बर, 2009	रिपोर्टेड
27.	सिक्किम	456.42	381.00	150.23					150.23	18779					जुलाई, 2009	रिपोर्टेड
28.	त्रिपुरा	3448.95	2876.00	1955.88	102.40	57.50			2115.78	136592	1024	14851			अक्तूबर, 2009	रिपोर्टेड
	उप कुल	25307.95	21104.00	3717.78	275.70	108.46	4.80	15.14	4119.88	959928	18435	53337	1392	1218		
संघ राज्य क्षेत्र																
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	39.00	29.00	10.33					10.33	861			4568		सितम्बर, 2009	रिपोर्टेड
30.	चंडीगढ़	284.00	212.66	89.00	10.60		17.17		116.77	4464	106		2915	74	अगस्त, 2009	
31.	दादरा और नगर हवेली	96.00	72.00						0.00	6956						
32.	दमन और दीव	20.00	15.00	1.42			0.09	0.06	1.57	95			5	4	सितम्बर, 2009	
33.	रा.रा.क्षे. दिल्ली	8371.00	2996.33	322.50	4.00				326.50	121974	400			2011	मई, 2009	रिपोर्टेड
34.	लक्षद्वीप	2.00	1.66						0.00	36						रिपोर्टेड
35.	पुडुचेरी	594.00	198.00	88.00					88.00	20757			16945		सितम्बर, 2009	
	उप कुल	9406.00	3524.65	511.25	14.60	0.00	17.26	0.06	543.17	155143	506	0	24433	2089		
	महायोग	520330.00	429578.65	165101.60	14921.35	1399.75	19834.06	3279.96	204536.72	15695334	125118	740417	2303739	510354		

#दिसम्बर, 2009 तक निर्गत

[अनुवाद]

बीड़ी कामगार

***175. शेख सैदुल हक:**
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बीड़ी कामगारों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार पुरुष/महिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं कारखाने के मालिकों द्वारा इन कामगारों को पहचान पत्र जारी किए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उक्त कामगारों की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): (क) और (ख) पूर्व में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) बीड़ी कामगारों को नियोजकों, राज्य सरकारों और कल्याण आयुक्तों के कार्यालय द्वारा पहचान पत्र जारी किए जाते हैं।

(घ) देश में लगभग 55 लाख बीड़ी कामगार हैं, जिनमें से दिनांक 30.06.2010 तक 49.90 लाख बीड़ी कामगारों को पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं।

(ङ) बीड़ी कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं निम्नलिखित हैं:

(1) पूरे देश में 7 अस्पतालों और 204 औषधालयों के माध्यम से इन कामगारों हेतु बुनियादी स्वास्थ्य देख-रेख का विस्तार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, गंभीर बीमारियों के उपचार जैसे हृदय रोग-1.30 लाख रुपये तक, गुर्दा प्रत्यारोपण-2 लाख रुपये तक, कैंसर का उपचार-वास्तविक व्यय और हर्निया, प्रोस्टेट, अपेंक्डिक्टोमी जैसी मामूली शल्य क्रियाओं, स्त्री रोग संबंधी शल्य क्रिया आदि के लिए 30,000 रुपये तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। महिला कामगार दो प्रसवों के लिए 1000 रुपये तक की प्रसूति लाभ राशि के लिए पात्र हैं। विधवा/विधूर कामगारों को उनकी दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रत्येक के लिए 5000 रुपये, अंत्येष्टि संबंधी व्यय के रूप में 1500 रुपये, चश्मा खरीदने के लिए 300 रुपये तथा परिवार कल्याण ऑप्रेशन आदि हेतु 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(2) बीड़ी कामगारों को समूह बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है, जिसमें जीवन बीमा निगम द्वारा स्वाभाविक मृत्यु होने पर 10,000 रुपये तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 25,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।

(3) शिक्षा योजना के अंतर्गत, बीड़ी कामगारों के कक्षा-1 से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक पढ़ने वाले बच्चों को 250 रुपये से 8000 रुपये तक की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(4) संशोधित एकीकृत आवास योजना के अंतर्गत, अपनी स्वयं की भूमि रखने वाले कामगार को 40,000 रुपये की एकसमान आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

सेवाओं का निर्यात

***176. श्री इज्यराज सिंह:**
श्रीमती रमा देवी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किये गये विभिन्न सेवाओं के निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न देशों को किए गए सेवाओं के निर्यात की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिक जनशक्ति और विशेषज्ञता होने के बावजूद हमारा देश सेवाओं के निर्यात में अन्य देशों से पिछड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अन्य देशों को किये जाने वाले सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के सेवा निर्यातों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

(मिलियन अम. डॉ.)

क्र.सं.	मद	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	यात्रा	11349	10894	11859
2.	परिवहन	10014	11286	11147
3.	बीमा	1639	1419	1600
4.	जीएनआईई*	331	389	440

1	2	3	4	5
5.	विविध जिनमें से	67010	77691	68744
	सॉफ्टवेयर सेवा	40300	46300	49705
	कारोबार सेवाएं	16772	16445	11645
	वित्तीय सेवाएं	3217	3948	3736
	संचार सेवाएं	2408	2172	1229
	योग (1 से 5)	90343	101679	93790

*ऐसी सेवाएं जो अन्यत्र शामिल नहीं है
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

(ख) व्यापार एवं सेवा संबंधी सामान्य करार (गैट्स), 1995 के अंतर्गत सेवाओं की सीमापार आपूर्ति के वर्गीकरण के अनुसार सेवा निर्यात के देशवार ब्यौरा का संकलन भारत सरकार अथवा उसकी किसी एजेंसी द्वारा नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) सेवाओं के विश्व निर्यात में भारत के हिस्से में लगातार वृद्धि हो रही है। यह वर्ष 2003-09 के बीच दुगना हो गया है जो 2.6% के स्तर पर पहुंच गया है। डब्ल्यूटीओ द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आंकड़ों में भी प्रमुख सेवा निर्यातक देशों के बीच भारत का समग्र स्थान वर्ष 2007 में 11वें से बढ़कर वर्ष 2008 में 9 हो गया है। तथापि वर्ष 2009 के लिए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत का स्थान घटकर 12वां हो गया है।

(ङ) सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अनेक उपाए किए हैं। भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 का उद्देश्य सेवा निर्यात में वृद्धि को तेज करना है ताकि एक सशक्त और अद्भुत ''सर्व्ड फ्रॉम इंडिया'' ब्रांड का आयोजन किया जा सके। जिन सेवा प्रदाताओं की पूर्ववर्ती/चालू वित्त वर्ष में कुल विदेशी मुद्रा आय कम से कम 10 लाख भारतीय रुपए की है वे पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की 10% के समतुल्य शुल्क ऋण स्क्रिप की योग्यता के पात्र हैं। सेवा निर्यातक ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत लाभों और निर्यात एवं व्यापार घराने के दर्जे तथा एफटीपी 2009-14 के अंतर्गत प्रदत्त अन्य लाभों के भी पात्र हैं। हाल में दिए गए इन नीतिगत उपायों से भारत में सेवा क्षेत्र के निर्यातों में वृद्धि होने की संभावना है।

कॉल दरों में कमी

*177. **श्री जितेन्द्र सिंह मलिक:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सेवा प्रदाताओं द्वारा सेलफोन प्रशुल्क का निर्धारण करने के लिए विद्यमान दिशा-निर्देश/रूपरेखा क्या हैं;

(ख) क्या निजी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों द्वारा प्रदत्त दरों की तुलना में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों द्वारा वर्तमान में दी गई दरें प्रतिस्पर्धी हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का विचार निकट भविष्य में देश में मोबाइल फोन सहित कॉल दरों में कमी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) प्रशुल्क के विनियमन का अधिकार 1997 के ट्राई अधिनियम द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को दिया गया है। मौजूदा प्रचलित प्रशुल्क ढांचे के अनुसार, ट्राई ने सेल फोन शुल्क के विनियमन के कार्य से अपने को अलग रखा है, वह इस समय केवल रोमिंग को विनियमित करता है। ट्राई द्वारा निर्धारित प्रशुल्क ढांचे में आपरेटरों को बाजार की दशाओं और अन्य वाणिज्यिक बातों के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रशुल्कों की पेशकश करने की छूट दी गई है।

(ख) दूरसंचार अभिगम सेवाओं को स्थानीय, राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी), अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आरएलडी), लघु संदेश सेवा (एसएमएस), रोमिंग जैसी सेवाओं और अन्य मूल्यवर्द्धित सेवाओं के समूह के रूप में पेश किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीफोन कम्पनियों सहित सेवा प्रदाता किराया, कॉल प्रभार, नि:शुल्क कॉल, प्रोसेसिंग शुल्क/टॉक टाइम आदि के भिन्न-भिन्न मिले-जुले रूपों में प्रशुल्क योजनाओं की पेशकश करते हैं। सेवा प्रदाताओं के मध्य प्रतिस्पर्द्धा के कारण, दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्क सेवा प्रदाताओं और सेवा क्षेत्रों के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। तथापि, दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, लागतोन्मुख अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार प्रणाली शुरू होने तथा बाजार में प्रशुल्क पैकेजों की पेशकश करने के मामले में सेवा प्रदाताओं को दी गई छूट के फलस्वरूप, देश में दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्क में काफी कमी आई है।

(ग) और (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), दोनों में प्रशुल्क में संशोधन का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। नए प्रशुल्कों की पेशकश और मौजूदा प्रशुल्कों में परिवर्तन बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों द्वारा नियमित अंतरालों पर, ग्राहकों की आवश्यकताओं, विद्यमान बाजार दशाओं और ट्राई के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

[अनुवाद]

लौह अयस्क का निर्यात

***178. श्री पूर्णमासी राम:**
श्री उदयनराजे भोंसले:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लौह अयस्क निर्यात के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत द्वारा लौह अयस्क का आयात इस्पात जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद के रूप में किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार लौह अयस्क का मूल्यवर्धन करके उसे तैयार इस्पात में बदलने हेतु स्वदेशी उत्पादकों को प्रेरित करने के लिए कदम उठा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) खनिजों का कच्चे माल के रूप में निर्यात करने और उन्हीं खनिजों के तैयार उत्पाद का ऊंची दरों पर आयात करके विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) लौह अयस्क के निर्यात के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति निम्नानुसार है:-

(मिलियन टन में)

देश	2007 (जन.-दिस.)	2008 (जन.-दिस.)	2009 (जन.-दिस.)
आस्ट्रेलिया (कैलेण्डर वर्ष आधार पर)*	266.90	309.30	362.60
ब्राजील (कैलेण्डर वर्ष आधार पर)*	269.40	274.00	265.80
भारत (कैलेण्डर वर्ष आधार पर)*	93.70	106.00	115.50
भारत (वित्तीय वर्ष आधार पर)**	104.27	105.87	117.37
कुल वैश्विक निर्यात	823.90	889.40	955.4

(*कैलेन्डर वर्ष) (**वित्त वर्ष)

(ख) और (ग) यह ज्ञात करने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि क्या इस प्रकार से निर्यातित लौह अयस्क का आयात इस्पात जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद के रूप में किया गया था। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में इस्पात के आयात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मात्रा: मिलियन टन में)

2007-08	2008-09	2009-10
7.03	5.84	7.29

(घ) और (ङ) इस्पात विनिर्माण क्षमताएं स्थापित करने हेतु निवेश करने का निर्णय उत्पादकों का होता है।

(च) खनिजों के निर्यात का निर्धारण घरेलू मांग, उत्पादन, क्षमता, खनन पर निर्भर दूर-दराज के क्षेत्रों में रोजगार तथा समग्र वित्तीय दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार तैयार उत्पादों का आयात घरेलू मांग और तैयार उत्पादों के ग्रेड-वार उत्पादन की क्षमता पर निर्भर होता है। इसलिए निर्यात और आयात में विदेशी मुद्रा संतुलन के बीच तुलना करना संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

***179. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:**
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को धनराशि के आवंटन के मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विभिन्न सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए धनराशि के आवंटन में एकरूपता रखी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) से (ङ) सीआरएफ में प्राप्त हाईस्पीड डीजल पर उपकर के हिस्से को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए निर्धारित किया गया है तथा इसे वर्ष 2000-01 में निधियों

के आबंटन के लिए योजना आयोग द्वारा दिए गए सूत्र के अनुसार राज्यों को आबंटित किया जाता है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निधियां योजनागत सहायता, विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक के माध्यम से बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से लिए गए ऋण से प्राप्त की जाती हैं। कार्यक्रम के लिए प्राप्त उपकर के हिस्से से आबंटन मानदण्डात्मक स्वरूप का होता है तथा मानदण्डात्मक आबंटन के अलावा अतिरिक्त परियोजना निधियां परियोजनाएं तैयार करने, मौजूदा परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने तथा निष्पादन एजेंसियों की खपत क्षमता के आधार पर राज्यों को उपलब्ध कराई जाती हैं।

मनी आर्डर सेवा

***180. श्री संजय भोई:**
श्री भूदेव चौधरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मनी आर्डर सेवा प्रयोक्ताओं की संख्या क्या है;

(ख) क्या मनी आर्डरों की डिलीवरी न होने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में मनी आर्डर सेवा को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) बुक किए गए मनीआर्डरों से संबंधित सूचना, वित्त वर्ष की समाप्ति पर समेकित की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बुक किए गए मनीआर्डरों की संख्या निम्नानुसार है:-

वित्त वर्ष	बुक किए गए मनीआर्डरों की संख्या
2007-08	9,10,46,000
2008-09	8,66,93,000
2009-10	7,05,71,000

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मनीआर्डर की डिलीवरी न होने के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	मनीआर्डर की डिलीवरी न होने के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या
2007-08	13627
2008-09	10563
2009-10	6328
2010-11 (30.6.2010 तक)	1088

मनीआर्डर की डिलीवरी न होने से संबंधित शिकायतों की विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर जांच-पड़ताल की जाती है। शिकायत प्राप्त होने पर, जांच शुरू की जाती है और विभाग के खर्चे पर डुप्लिकेट मनीआर्डर जारी किया जाता है।

(ङ) मनीआर्डर सेवा को कारगर बनाने के लिए विभाग ने अपनी लोक शिकायत प्रणाली को मजबूत किया है। सभी प्रमुख डाकघरों में पंजीकरण की सुविधा सहित ग्राहक सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा भारतीय डाक की वेबसाइट पर शिकायत की स्थिति की ट्रैकिंग भी उपलब्ध कराई गई है। मनीआर्डरों की अदायगी के लिए 2008 से प्रौद्योगिकी आधारित धन पारेषण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में, यह सेवा 10000 से भी अधिक कंप्यूटरीकृत डाकघरों में प्रदान की जा रही है जहां, धन को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से देश भर में पारेषित किया जाता है। इन उपायों के परिणामस्वरूप शिकायतों की संख्या में कमी आने लगी है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग

1841. श्री एल. राजगोपाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के सुदृढ़ीकरण के लिए उठाए गए या उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पद कई महीनों से रिक्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्रीय धनराशियों में 16 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत उनकी जनसंख्या के अनुपात में खर्च की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत केन्द्रीय धनराशि के संदर्भ में यह कितना प्रतिशत है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) को पहले से ही संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और उनकी भूमिका और शक्तियां क्रमश: संविधान के अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338(क) में निर्दिष्ट हैं।

(ख) एनसीएससी में अध्यक्ष का पद 15.10.2010 से भर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिसम्बर, 2006 में योजना आयोग द्वारा जारी अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) (पूर्व में विशेष घटक योजना के नाम से ज्ञात) की तैयारी, कार्यान्वयन और मानीटरिंग संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा एससीएसपी के तहत कुल योजना परिव्यय से कम से कम कुल जनसंख्या के प्रति अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में निधियां उद्दिष्ट करना अपेक्षित है।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अधिकांश केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग योजना आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत निधियां उद्दिष्ट नहीं करते हैं।

मोबाइल कनेक्शन बंद करना

1842. श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री के. सुगुमार:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक सेलफोन उपभोक्ताओं का मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया गया है कि देश में सेलफोन प्रयोक्ताओं को परेशान न किया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति की नीति

1843. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने के संबंध में अभी तक कोई सेवा शर्तें/निर्देश नहीं बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/भारत संचार निगम लिमिटेड में अन्य विभागों के उच्च अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आए हुए हैं तथा विभिन्न उच्च अधिकारी या तो उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं या प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में चले गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों में निहित प्रतिनियुक्ति नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

(ग) दूरसंचार विभाग के समूह ''क'' के अधिकारी एमटीएनएल और बीएसएनएल में प्रतिनियुक्ति पर माने गए हैं क्योंकि उनकी आमेलन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इसी प्रकार एमटीएनएल और बीएसएनएल के कुछ कार्यपालक कुछ अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वायरलैस कनेक्शनों की संख्या

1844. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वायरलैस आधारित टेलीफोन कनेक्शनों के उपभोक्ताओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त टेलीफोन कनेक्शनों में गोवा राज्य का कुल कितना हिस्सा है; और

(ग) सरकार द्वारा गोवा राज्य में टेलीफोन सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) देश में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) सहित वायरलैस आधारित टेलीफोन कनेक्शनों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) दिनांक 30.9.2010 की स्थिति के अनुसार गोवा राज्य में बीएसएनएल के 1,71,372 वायरलैस कनेक्शन हैं।

(ग) बीएसएनएल द्वारा दूरसंचार अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और स्तरोन्नयन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बीएसएनएल महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल, जिसका गोवा राज्य एक हिस्सा है, सहित देश में अपनी दूरसंचार अवसंरचना का लगातार विस्तार और स्तरोन्नयन कर रहा है।

विवरण

क्र.सं.	लाइसेंस क्षेत्र सर्किल का नाम	दिनांक 30.9.2010 की स्थिति के अनुसार वायरलैस कनेक्शन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	52736516
2.	असम	10227364
3.	बिहार	44672870
4.	गुजरात	38864347
5.	हरियाणा	17155817
6.	हिमाचल प्रदेश	6106140
7.	जम्मू और कश्मीर	4736395
8.	कर्नाटक	43086825
9.	केरल	28073023
10.	मध्य प्रदेश	37306654
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	50712196
12.	पूर्वोत्तर	6188636
13.	उड़ीसा	18620936
14.	पंजाब	23960738
15.	राजस्थान	37626621
16.	तमिलनाडु (चेन्नै को छोड़कर)	50060895
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	53290520
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	37162961
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	31036287
20.	कोलकाता	19162970
21.	चेन्नै	12155576
22.	दिल्ली	33500540
23.	मुंबई	31274250
	कुल	687719077

नोट: 1. पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) लाइसेंस क्षेत्रों के आंकड़ों में क्रमश: अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल के वायरलैस कनेक्शनों के आंकड़े भी शामिल हैं क्योंकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता केवल लाइसेंस क्षेत्र-वार आंकड़े उपलब्ध कराते हैं।

2. महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल में गोवा के आंकड़े भी शामिल हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1845. श्रीमती जे. शांता: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूक्ष्म और लघु उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तथा अधिक विदेशी निवेश आकृष्ट करने के लिए सरकार ने सेक्टोरल कैप्स के साथ विदेशी धारिता की वर्तमान 24 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के स्थान पर इस क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मानदंडों को उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूक्ष्म और लघु उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी वर्तमान नीति सेक्टोरल इक्विटी कैप्स, ऐंट्री रूट्स और अन्य संगत विनियमों के अध्यधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इन आसान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी दिशा-निर्देशों से लघु उद्योग क्षेत्र को कितनी मदद मिली है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों में सेक्टोरल इक्विटी कैप्स, प्रवेश मार्ग और अन्य संगत सेक्टोरल विनियमों के अध्यधीन एफडीआई की अनुमति है।

सेक्टोरल कैप्स, प्रवेश मार्गों आदि का विवरण दिनांक 30.9.2010 को जारी समेकित एफडीआई नीति-2010 का परिपत्र-2 के अध्याय 5 में दर्शाया गया है और यह औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वेबसाइट (www.dipp.nic.in) पर उपलब्ध है।

ये दिशानिर्देश एमएसई से संबंधित एफडीआई नीति को स्पष्ट करते हैं और इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के उपबंध के अनुरूप बनाया गया है।

[हिन्दी]

दालों का आयात

1846. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनी एमएमटीसी का विचार 21 हजार टन दालों को आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन देशों से दालों का आयात करने का प्रस्ताव है तथा प्रत्येक मामले में इसकी अलग-अलग मात्रा कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2010-11 के दौरान एमएमटीसी ने 60,000 मी. टन दाल का ठेका लिया है जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

मद	मात्रा (मी. टन)	देश
हरी दाल लेयर्ड	3,000	कनाडा
मूंग पेडिसेवा	4,000	म्यांमार
उड़द एसक्यू	22,000	म्यांमार
हरी दाल रिचली	2,000	यूएसए
उड़द एफएक्यू	4,000	म्यांमार
देशी छोटी मटर	2,000	आस्ट्रेलिया
तूअर लेमन	20,000	म्यांमार
तूअर मलावी	3,000	अफ्रीका
कुल	60,000	

खाद्यान्नों का निर्यात

1847. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ख) खाद्यान्नों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार रहा है:-

(मात्रा टन में)
(मूल्य लाख रुपए में)

2007-08		2008-09		2009-10	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
96,98,484	14,75,789	64,89,060	15,08,6644	50,48,852	14,22,815

(ख) सरकार, सामान्यत: प्रत्यक्ष रूप से तथा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कृषि निर्यातों का संवर्धन करती आ रही है। निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अवसंरचना विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, बाजार विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन तथा संवर्धन, पैकेजिंग, प्रचार, सूचना के प्रसार इत्यादि के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। खाद्यान्नों का निर्यात सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु उचित कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता, उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमत उपलब्ध कराने, खाद्यान्नों की प्रचलित घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमत तथा लागू गुणवत्ता मानकों सहित अनेक प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है। गत तीन वर्षों के दौरान बासमती चावल के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

[अनुवाद]

मत्स्य उत्पादों का निर्यात

1848. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मात्स्यिकी उत्पादों का निर्यात संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र इस क्षेत्र में उत्पादन/निर्यात को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मात्स्यिकी की उत्पादों के निर्यात से संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

	2007-08	2008-09	2009-10
मात्रा मी. टन में	5,41,701	6,02,835	6,78,436
मूल्य करोड़ रुपए में	7,620.92	8,607.00	10,048.53
मूल्य मिलि. अम.डा. में	1,899.09	1,908.63	2,132.84

(ख) और (ग) जी, नहीं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र केवल कोचीन विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) में स्थित है। कोचीन एसईजेड में 4 समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं जिन्होंने वर्ष 2009-10 के दौरान 5.43 करोड़ रुपए मूल्य के 467 मी. टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया है।

भारत-पाक सीमा पर व्यापार

1849. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अटारी-वाघा सीमा पर भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रांजिट और व्यापार की पर्याप्त अवसंरचना के साथ द्वितीय द्वार का निर्माण करने और उसे शीघ्र खोलने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दोनों देश बढ़ते हुए व्यापार के लिए द्वितीय द्वार खोलने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) से (च) ट्रकों के सीमा-पार आवागमन की अनुमति देने के लिए रूप-रेखाएं तैयार करने हेतु अगस्त, 2007 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच आयोजित तकनीकी स्तर की बैठक के दौरान दोनों पक्ष अन्य के साथ-साथ इस बात पर सहमत हुए थे कि अटारी-वाघा सीमा पर मौजूदा पाकिस्तान सीमा-शुल्क गृह के दक्षिण-पूर्व में और मौजूदा भारतीय सीमा-शुल्क गृह के दक्षिण-पश्चिम में एक विशिष्ट कार्गो द्वार खोला जाएगा और इस कार्गो द्वार का निर्माण कार्य शुरू होने पर समस्त कार्गो का आवागमन इसी द्वार के जरिए होगा। गृह मंत्रालय (सीमा प्रबंधन विभाग) द्वारा अटारी में एक एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) का निर्माण किया जा रहा है। व्यक्तियों तथा वस्तुओं के निर्बाध आवागमन को सुकर बनाने के लिए सरकार ने अटारी-वाघा सीमा पर एक दूसरा द्वार खोलने का प्रस्ताव किया है। मामले से संबंधित किसी द्विपक्षीय मुद्दे के समाधान हेतु विदेश मंत्रालय (एमईए) से यह मामला पाकिस्तान के साथ उठाने का अनुरोध किया गया है। एमईए ने सूचित किया है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच होने वाली तकनीकी स्तर की अगली बैठक में दूसरे द्वार खोलने संबंधी योजना उनके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

जेनेरिक दवाइयों का निर्यात

1850. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भेषज कंपनियां किफायती दरों पर पूर्वी अफ्रीकी देशों को जेनेरिक दवाइयां (नया पेटेन्ट) का निर्यात कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कंपनियों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितना निर्यात किया गया है;

(ग) क्या भारतीय जेनेरिक दवाईयां टीआरआईपी मानकों का पूरी तरह से पालन करती हैं तथा उनका मूल्य बहुत कम होता है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय और बहुराष्ट्रीय भेषज कंपनियों के बीच मूल्य निर्धारण का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पूर्वी अफ्रीकी देशों ने पूर्व में एंटी काउंटरफीटिंग लेजिस्लेशन कानून पारित किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) कई भारतीय भेषज कम्पनियों द्वारा प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पूर्वी अफ्रीकी देशों को जेनेरिक औषधियों का निर्यात किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वी अफ्रीकी देशों को औषधियों, भेषज एवं परिष्कृत रसायनों का भारत का निर्यात निम्नानुसार है:-

2007-08	2008-09	2009-10
1,298.54 करोड़	1,981.16 करोड़	2,089.27 करोड़

(ग) और (घ) जहां तक पेटेंट संबंधी मुद्दों का प्रश्न है, भारतीय कम्पनियों को ट्रिप्स के प्रावधानों की जानकारी है और वे केवल उन्हीं जेनेरिक औषधियों का निर्यात कर रही हैं जिनसे आयातक देशों में किसी पेटेंट का उल्लंघन न होता हो। भारतीय जेनेरिक औषधियों की कीमतें अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हैं।

(ङ) और (च) पिछले वर्ष केन्या जैसे कुछ अफ्रीकी देशों ने नकल-रोधी कानून बनाए थे और युगांडा जैसे कुछ देशों ने कानून बनाने पर विचार किया था। अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान मई, 2009 में सरकार ने उन देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों से बैठक करने तथा प्रस्तावित कानूनों के निहितार्थों एवं एआरवी, मलेरियारोधी आदि जैसी आयातित औषधियों जो उन देशों के लिए अत्यावश्यक हैं, की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इथियोपिया भेजा था। यह समझा जाता है कि केन्या में प्रस्तावित नकल-रोधी कानून का स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चुनौती दी गयी थी और तत्पश्चात् स्थानीय न्यायालयों द्वारा उस पर स्थगन आदेश दिया गया था।

क्रूज पत्तन

1851. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में क्रूज पत्तन विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्रूज पत्तनों के विकास से कितने पर्यटकों को जोड़े जाने की संभावना है;

(ग) क्या क्रूज पर्यटन के प्रयोजनार्थ देश में और अधिक पत्तन विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ङ) जी, नहीं। फिर भी, मुम्बई, मुरगांव, कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई और नवमंगलूर में अवस्थित महापत्तनों को क्रूज पर्यटन के विकास के लिए आदर्श पत्तनों के रूप में चुना गया है और इन पत्तनों में क्रूज जलयानों के सुचारू रूप से संचालन संबंधी सुविधाएं विकसित की गई हैं।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं

1852. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार सहित विभिन्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में जलापूर्ति, आवास जैसी अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रमों के लिए धनराशियां आवंटित और जारी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय अनेक कार्यक्रम यथा रोजगार एवं गरीबी उपशमन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), स्वर्णजयंती ग्राम

स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), क्षेत्र विकास के लिए समेकित वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), देश के जनजातीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएसी) कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। चालू वित्त वर्ष (2010-11) के दौरान राज्य-वार केन्द्रीय आबंटन और आबंटन आधारित योजनाओं के अंतर्गत रिलीज की गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	एमजीएनआरईजीए	एसजीएसवाई		आईएवाई		पीएमजीएसवाई	
		रिलीज 2010-11 (अक्तूबर, 2010 तक)	केन्द्रीय आबंटन	रिलीज 2010-11 (29 अक्तूबर, 2010 तक)	केन्द्रीय आबंटन	रिलीज 2010-11 (29 अक्तूबर, 2010 तक)	केन्द्रीय आबंटन	रिलीज 2010-11 (29 अक्तूबर, 2010 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	386134.00	12557.00	6278.50	86772.58	43386.29	3684.00	51745.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	217.58	692.00	248.18	3372.56	1883.55	2000.00	24937.00
3.	असम	33053.17	17988.00	8994.08	74575.72	36308.13	6350.00	117000.00
4.	बिहार	146559.28	29872.00	8026.30	256130.00	116924.95	11824.00	136074.00
5.	छत्तीसगढ़	118852.40	6635.00	3317.54	13418.67	7007.17	8420.00	45352.00
6.	गोवा	93.24	200.00	70.60	534.46	267.23	70.00	0.00
7.	गुजरात	35755.66	4727.00	2363.57	42555.24	22237.10	2280.00	12129.00
8.	हरियाणा	2504.26	2781.00	1390.52	5974.79	3140.32	1053.00	9275.00
9.	हिमाचल प्रदेश	42028.00	1171.00	580.53	2107.33	1150.20	3052.00	19930.00
10.	जम्मू और कश्मीर	10178.62	1449.00	537.81	6545.51	3832.22	2280.00	9209.00
11.	झारखंड	63176.33	11264.00	5356.34	56595.67	28343.12	6140.00	50111.00
12.	कर्नाटक	77305.00	9482.00	4741.09	33431.11	16715.56	3859.00	42811.00
13.	केरल	25242.20	4255.00	2127.53	18590.80	9442.25	1053.00	14427.00
14.	मध्य प्रदेश	213201.00	14214.00	7578.11	26687.27	14112.39	15437.00	85545.00
15.	महाराष्ट्र	11946.27	18744.00	9448.67	52329.94	26164.97	5087.00	68754.00
16.	मणिपुर	8406.32	1206.00	454.12	2927.55	1325.27	1158.00	6200.00
17.	मेघालय	11593.66	1351.00	283.07	5098.75	3225.08	1579.00	6455.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	मिजोरम	10271.11	313.00	156.52	1086.60	543.30	1123.00	2500.00
19.	नागालैंड	32984.32	927.00	399.80	3374.01	1687.01	1052.00	2513.00
20.	उड़ीसा	79844.00	14363.00	7181.55	50321.27	24137.70	9578.00	56460.00
21.	पंजाब	3427.63	1351.00	675.56	7389.05	3073.61	1228.00	9910.00
22.	राजस्थान	278882.00	7200.00	3600.07	21384.64	10692.32	8245.00	59900.00
23.	सिक्किम	2225.44	346.00	173.00	645.29	524.48	1053.00	2727.00
24.	तमिलनाडु	116656.59	11103.00	5551.57	34741.77	18155.55	3158.00	18213.00
25.	त्रिपुरा	20916.75	2177.00	1088.51	6569.52	3284.76	1403.00	13785.00
26.	उत्तर प्रदेश	359413.00	43006.00	20946.16	115043.10	67255.24	13297.00	121683.00
27.	उत्तराखंड	14497.89	2264.00	1165.03	5767.56	2856.19	3508.00	13544.00
28.	पश्चिम बंगाल	192862.00	15962.00	7981.07	69414.01	33481.33	7929.00	17013.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	396.27	25.00	8.48	1100.55	0.00		
30.	दमन और दीव	0.00	25.00	0.00	183.37	91.69		
31.	दादरा और नगर हवेली	47.73	25.00	0.00	82.03	0.00		
32.	लक्षद्वीप	33.58	25.00	0.00	71.12	0.00		
33.	पुडुचेरी	909.95	300.00	150.00	548.16	0.00		
	कुल	2299615.25	238000.00	110873.88	1005370.00	501248.98	126900.00	1018202.00

महात्मा गांधी नरेगा मांग आधारित योजना होने की वजह से इसके अंतर्गत आबंटन नहीं किया जाता है।
पीएमजीएसवाई: रिलीज में ऋण शामिल है।

बाल श्रम का क्षेत्र

1853. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाल श्रम की आयु सीमा को चौदह वर्ष से बढ़ाकर अठारह वर्ष करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए शुरू की गई अन्य पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार या किसी गैर-सरकारी संगठन ने बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम का अनुपालन नहीं करने वाले कारखानों/कंपनियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है/कराए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए एक सुदृढ़ बहु-आयामी रणनीति अपना रही है। इसमें सांविधिक तथा विधायी उपाय, बचाव और पुनर्वास, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन योजनाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां परिवार अपने बच्चों को कार्य पर भेजने के लिए विवश न हों। बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सरकार 8710 स्कूलों के माध्यम से लगभग 3.39 लाख बच्चों को कवर करते हुए 20 राज्यों के 266 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम के अंतर्गत, जोखिमकारी कार्य से हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है, जहां इन बच्चों को नियमित शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाए जाने से पहले उन्हें त्वरित ब्रिजिंग शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, छात्रवृत्ति तथा स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं आदि उपलब्ध करायी जाती हैं।

(घ) और (ङ) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। राज्य सरकारें बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु समुचित सरकार है। अब तक, 245682 उल्लंघनों के विरुद्ध 24829 दोष-सिद्ध किए गए।

[अनुवाद]

टेलीफोन घनत्व की वृद्धि दर

1854. श्री प्रदीप माझी:
श्री हेमानंद बिसवाल:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में टेलीफोन घनत्व की राज्य-वार वृद्धि दर कितने प्रतिशत है;

(ख) क्या पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान वायरलाइन उपभोक्ताओं की तुलना में वायरलेस उपभोक्ता बेस में वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां। देश में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान टेलीघनत्व की लाइसेंस क्षेत्रवार वृद्धि दर संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में चालू वर्ष के दौरान (अप्रैल, 2010 से सितंबर 2010 तक) वायरलाइन टेलीफोनों के मुकाबले वायरलेस टेलीफोनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

	टेलीफोनों की संख्या	
	वायरलाइन	वायरलेस
31.03.2009 की स्थिति	37,964,612	391,760,569
30.09.2009 की स्थिति	37,306,334	471,726205
अप्रैल 2009 से सितंबर, 2009 के दौरान वृद्धि	-1.73%	20.41%
31.03.2010 की स्थिति	36,956,684	584,323,402
30.09.2010 की स्थिति	35,566,868	687,719,077
अप्रैल 2010 से सितंबर, 2010 के दौरान वृद्धि	-3.76%	17.69%

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलाइन टेलीफोनों की मांग को पूरा करने के लिए अब भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) एक्सचेंज से 5 किमी. तक की दूरी के भीतर केबल बिछा रहा है जबकि पहले यह मानक 2.5 किमी. था।

(2) बीएसएनएल ने राष्ट्रीय राजमार्गों, महत्वपूर्ण शहरों, तीर्थ स्थानों और राज्य राजमार्गों पर अपना मोबाइल नेटवर्क संस्थापित किया है।

(3) बीएसएनएल ने दूरस्थ एवं दूरदराज में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) नेटवर्क संस्थापित किया है।

(4) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) आवश्यकतानुसार केबलों, ड्रॉप वायर आदि को बदलकर परंपरागत टेलीफोन नेटवर्क में सुधार कर रहा है।

(5) सेवा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एमटीएनएल द्वारा सभी एक्सचेंजों को डिजिटल बना दिया गया है।

(6) दोष दर में कमी करने के लिए एमटीएनएल द्वारा आउटडोर नेटवर्क में निरंतर सुधार किया जा रहा है।

(7) एमटीएनएल टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने के लिए अगली पीढ़ी के नेटवर्क (एनजीएन) का प्रयोग कर रहा है जिसके अंतर्गत मौजूदा लैंडलाइन नेटवर्क को प्रतिस्थापित/अपग्रेड किया जाता है तथा उभरते रुझानों के अनुसार आईपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल) पर आधारित एकल नेटवर्क से अनेक सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (30.9.2010 तक) देश में टेलीघनत्व में लाइसेंस क्षेत्रवार वृद्धि दर

क्र.सं.	लाइसेंस क्षेत्र का नाम	वर्ष के दौरान टेलीघनत्व की वृद्धि दर			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (30.09.2010 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	43.99%	40.13%	44.57%	14.12%
2.	असम	51.33%	40.07%	45.27%	15.38%
3.	बिहार	63.74%	70.37%	69.19%	19.20%
4.	गुजरात	39.31%	34.29%	29.45%	18.01%
5.	हरियाणा	31.50%	43.98%	36.44%	18.39%
6.	हिमाचल प्रदेश	44.03%	34.87%	43.00%	20.14%
7.	जम्मू और कश्मीर	35.82%	50.01%	52.32%	-14.82%
8.	कर्नाटक	37.80%	30.96%	49.99%	14.25%
9.	केरल	35.18%	28.98%	37.42%	13.20%
10.	मध्य प्रदेश	63.42%	46.31%	48.29%	14.67%
11.	महाराष्ट्र (-) मुंबई	46.01%	38.22%	32.73%	14.52%
12.	पूर्वोत्तर	55.31%	47.98%	51.16%	14.36%
13.	उड़ीसा	57.73%	55.37%	68.64%	20.26%
14.	पंजाब	29.26%	21.63%	29.50%	16.91%
15.	राजस्थान	53.26%	56.48%	42.03%	9.77%
16.	तमिलनाडु (-) चेन्नै	55.61%	43.81%	47.25%	16.97%
17.	उत्तर प्रदेश	48.65%	52.45%	53.98%	18.73%
18.	पश्चिम बंगाल (-) कोलकाता	65.78%	56.36%	54.58%	21.68%
19.	कोलकाता	42.43%	39.64%	34.02%	14.63%

1	2	3	4	5	6
20.	चेन्नै	37.69%	22.60%	17.30%	5.01%
21.	दिल्ली	26.65%	27.37%	23.05%	15.37%
22.	मुंबई	28.45%	32.39%	30.03%	15.08%
	संपूर्ण भारत	43.91%	41.03%	42.62%	15.64%

नोट: पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) लाइसेंस क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों में क्रमश: अंडमान एवं निकोबार और सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के टेलीफोन भी शामिल हैं क्योंकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा आंकड़े केवल लाइसेंस क्षेत्रवार ही उपलब्ध कराए जाते हैं।

राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग

1855. श्री जयंत चौधरी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग ने हाल ही में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो आयोग की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने सामाजिक रूप से अगड़ी जातियों के निर्धन लोगों के लिए विशेष व्यवहार करने तथा उन्हें अन्य पिछड़े वर्गों के समतुल्य मानकर उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सामाजिक रूप से अगड़ी जातियों के निर्धन लोगों को सरकारी नौकरियों, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, हां।

(ख) से (च) राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

विकलांगों के लिए तकनीकी विद्यालय

1856. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न राज्यों, विशेषकर कर्नाटक में तकनीकी विद्यालय खोले हैं/खोले जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रीमियम डाक सेवाएं

1857. श्री के.आर.जी. रेड्डी:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों की तुलना में प्रीमियम डाक सेवाएं इस समय महंगी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) से (ग) प्रीमियम डाक सेवाओं के प्रशुल्क का निर्धारण, कई तथ्यों जैसे प्रचालन की लागत एवं बाजार की अपेक्षाओं आदि को ध्यान में रख कर किया जाता है। डाक विभाग ने अपनी प्रीमियम डाक सेवाओं के प्रशुल्कों में

समय-समय पर संशोधन किए हैं तथा उनका तद्नुसार पुनर्निर्धारण भी किया है ताकि ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाने के साथ-साथ बाजार में उन्हें प्रतिस्पर्द्धा योग्य बनाया जा सके। इस पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप कुछ प्रीमियम डाक सेवाओं के प्रशुल्कों में वृद्धि या कमी आई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। स्पीड पोस्ट, बिल मेल सेवा, ई-पोस्ट, डायरेक्ट पोस्ट आदि जैसी अन्य प्रीमियम सेवाओं के प्रशुल्क में पिछले तीन वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

विवरण

निम्नलिखित प्रीमियम सेवाओं के लिए पिछले तीन वर्षों में दरें पुनर्निर्धारित की गई हैं और तुलनात्मक दरें नीचे दी गई हैं:—

2004 में एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट प्रशुल्क

भार	स्थानीय	500 कि.मी. तक	501 से 1000 कि.मी. तक	1001 से 2000 कि.मी. तक	2000 कि.मी. से अधिक
3 कि.ग्रा. तक	10.00 रु. प्रति कि.ग्रा.	15.00 रु. प्रति कि.ग्रा.	20.00 रु. प्रति कि.ग्रा.	25.00 रु. प्रति कि.ग्रा.	35.00 रु. प्रति कि.ग्रा.
3 कि.ग्रा. से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त एक कि.ग्रा. के लिए	3.00 रु.	5.00 रु.	13.00 रु.	25.00 रु.	35.00 रु.

1 अप्रैल, 2008 से एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट प्रशुल्क

श्रेणी	2 कि.ग्रा. तक (रु. में)	3 कि.ग्रा. से 10 कि.ग्रा. तक प्रत्येक अतिरिक्त कि.ग्रा. के लिए (रु. में)	10 कि.ग्रा. से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त कि.ग्रा. के लिए (रु. में)
स्थानीय	25	3	2
500 कि.मी. तक	40	5	4
501 से 1000 कि.मी. तक	50	10	8
1001 से 2000 कि.मी. तक	60	20	15
2000 किमी. से अधिक	80	25	20

2007 में व्यवसाय डाक प्रशुल्क

सेवा	अपंजीकृत (रुपए में)	पंजीकृत (रुपए में)
1	2	3
परिसर से संग्रहित करने पर	0.10	0.15
फ्रैंकिंग	0.10	0.10
पतालेखन	0.15	0.15
सीलिंग	0.05	0.10
इनसर्शन (प्रति इनसर्शन)	0.50	0.05

14 दिसम्बर, 2009 से व्यवसाय डाक प्रशुल्क

सेवा	अपंजीकृत (रुपए में)	पंजीकृत (रुपए में)
परिसर से संग्रहित करने पर	0.20	0.30
फ्रैंकिंग	0.20	0.40
पतालेखन	0.30	0.30
सीलिंग	0.10	0.10
इनसर्शन (प्रति इनसर्शन)	0.10	0.20
विशेष संचालन प्रभार	0.10	0.50

2007 में लॉजिस्टिक डाक हवाई दरें

क्षेत्र	दर प्रति कि.ग्रा. (रु. में)			
	49 कि.ग्रा. तक	50 कि.ग्रा. और उससे अधिक	100 कि.ग्रा. और उससे अधिक	250 कि.ग्रा. और उससे अधिक
कोलकाता-गुवाहाटी	16	16	14.4	12
कोलकाता-इम्फाल	19	19	17.1	14.25
कोलकाता-अगरतला	20	20	18	15
गुवाहाटी-इम्फाल	13	13	11.7	9.75
गुवाहाटी-अगरतला	14	14	14	10.5
गुवाहाटी-कोलकाता	15	15	15	11.25
इम्फाल-अगरतला	14	14	10.5	10.5
इम्फाल-कोलकाता	18	13.5	9	6.3
इम्फाल-गुवाहाटी	19	19	15.2	14.25
अगरतला-कोलकाता	12	9	6	4.2
अगरतला-गुवाहाटी	17	17	17	13.6
अगरतला-इम्फाल	18	18	18	16.2

17 अगस्त, 2009 से लॉजिस्टिक डाक हवाई दरें

क्षेत्र	दर प्रति कि.ग्रा. (रुपए में)		
	0-50 कि.ग्रा. तक	51-250 कि.ग्रा. तक	251 कि.ग्रा. और अधिक
1	2	3	4
कोलकाता-गुवाहाटी	19	19	17
कोलकाता-इम्फाल	23	23	21
कोलकाता-अगरतला	24	24	22
गुवाहाटी-इम्फाल	14	14	13
गुवाहाटी-अगरतला	15	15	12
गुवाहाटी-कोलकाता	15	12	7
इम्फाल-अगरतला	14	14	11
इम्फाल-कोलकाता	18	14	9
इम्फाल-गुवाहाटी	19	19	15
अगरतला-कोलकाता	12	9	6
अगरतला-गुवाहाटी	17	17	17
अगरतला-इम्फाल	18	18	18

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए अनुदान

1858. श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को कितनी बकाया धनराशि दी जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों ने लम्बित धनराशि की मंजूरी के लिए केन्द्र के पास प्रस्ताव भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा राज्य सरकारों को लम्बित धनराशि जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का विचार अर्ह छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक-

पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत निधियां जारी की जाती हैं। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन स्कीमों के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। चूंकि प्रस्तावों की जांच वर्ष-दर-वर्ष आधार पर की जाती है, इसलिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को दी जाने वाली कोई राशि लंबित नहीं है।

महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारें अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीमों के तहत निधियों के अतिरिक्त आवंटन की मांग करती रही है। तथापि, वार्षिक बजटीय आबंटन के आधार पर निधियां वर्ष-दर-वर्ष आधार पर जारी की जाती हैं, और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को बकाया का भुगतान नहीं किया जाता।

(च) और (छ) राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमित रूप से कहा जाता है ताकि निधियां समय पर जारी की जा सकें। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ मामले को उठाया है कि छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान छात्रों को डाकघरों तथा बैंकों में उनके व्यक्तिगत खातों के माध्यम से और यथा-समय पर चरणबद्ध रूप से स्मार्ट कार्डों से पारण के माध्यम से किया जा सके।

विवरण

अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों की मैट्रिक-पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत विगत तीन वर्षों 2007-08 से 2009-10 तक और चालू वित्त वर्ष (अर्थात् 19.11.2010 तक) के दौरान राज्यवार व्यय

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मैट्रिक-पूर्व				मैट्रिकोत्तर			
		2007-08 निर्मुक्त राशि	2008-09 निर्मुक्त राशि	2009-10 निर्मुक्त राशि	2010-11 निर्मुक्त राशि	2007-08 निर्मुक्त राशि	2008-09 निर्मुक्त राशि	2009-10 निर्मुक्त राशि	2010-11 निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	377.50	407.90	533.00	–	925.02	1676.89	2035.00	1221.00
2.	बिहार	400.18	446.43	–	–	1436.49	1977.72	1752.00	–
3.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	गोवा	–	7.68	–	–	48.97	38.44	16.00	–
5.	गुजरात	175.64	267.24	290.00	227.00	223.92	288.69	568.31	568.00
6.	हरियाणा	–	–	79.00	–	396.59	491.00	563.00	71.56
7.	हिमाचल प्रदेश	–	27.58	28.00	25.25	–	22.00	–	–
8.	जम्मू और कश्मीर	46.12	–	–	–	210.22	188.77	–	–
9.	झारखंड	–	30.55	–	–	143.50	444.78	282.00	232.00
10.	केरल	–	–	–	–	560.45	161.67	–	446.00
11.	कर्नाटक	50.00	50.00	50.00	–	611.80	454.43	445.57	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	मध्य प्रदेश	–	–	158.00	–	393.59	1425.34	1612.00	968.00
13.	महाराष्ट्र	–	518.30	–	–	1950.36	2307.08	2587.00	1553.00
14.	उड़ीसा	–	–	96.00	–	51.87	441.00	–	–
15.	पंजाब	156.00	124.35	–	–	468.59	552.00	–	–
16.	राजस्थान	–	–	–	–	431.68	754.49	833.00	833.00
17.	तमिलनाडु	150.22	100.00	320.00	280.00	1099.55	1485.45	1140.32	999.68
18.	उत्तर प्रदेश	779.82	894.41	1159.00	734.00	2022.41	3962.88	4436.00	2664.00
19.	उत्तराखंड	–	–	135.00	–	–	189.58	104.00	88.00
20.	पश्चिम बंगाल	104.05	42.56	–	–	–	740.00	–	–
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	4.40	–	–	–	0.23	–
22.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	दमन और दीव	–	–	9.69	–	–	5.28	–	–
24.	चंडीगढ़	0.00	–	1.36	–	–	1.09	1.03	–
25.	दिल्ली	–	–	3.69	–	–	–	–	–
26.	पुडुचेरी	0.00	–	–	–	84.60	41.39	–	–
27.	असम	68.24	40.81	51.33	32.65	1208.32	–	659.19	–
28.	मणिपुर	100.00	125.00	108.36	34.00	120.56	120.00	25.00	–
29.	त्रिपुरा	91.35	127.34	146.00	–	128.59	193.18	230.10	–
30.	सिक्किम	0.00	6.79	–	–	0.00	5.78	7.20	12.26
	कुल	2499.12	3216.94	3172.83	1332.90	12517.08	17968.93	9656.50	9656.50

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष 2010-11 के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (आज की तारीख तक)
		निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	24048.4	23978.11	21182.31	40044.48
2.	असम	469.82	0.00	1014.99	300.00

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	0.00	2692.70	1000.00	700.00
4.	छत्तीसगढ़	482.85	100.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	240.36	1556.29	2741.34	1700.00
6.	हरियाणा	494.93	369.52	6962.57	3600.00
7.	हिमाचल प्रदेश	78.84	0.00	0.00	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	378.47	150.00	100.00
9.	झारखंड	35.32	0.00	514.74	100.00
10.	कर्नाटक	7020.59	3267.91	11819.35	6581.39
11.	केरल	4072.44	8132.43	3200.00	2400.00
12.	मध्य प्रदेश	695.983	1699.21	3653.86	3000.00
13.	महाराष्ट्र	15953.63	1000.00	13400.00	10000.00
14.	मणिपुर	139.95	163.76	185.70	100.00
15.	उड़ीसा	0.00	500.00	0.00	1144.00
16.	पंजाब	539.8	200.00	0.00	0.00
17.	राजस्थान	3204.42	10340.11	5397.72	3900.00
18.	सिक्किम	0.00	3.44	1.00	0.00
19.	तमिलनाडु	6978.05	500.00	5369.97	7475.00
20.	त्रिपुरा	180.56	410.98	410.16	313.25
21.	उत्तर प्रदेश	22313.71	4916.98	19967.13	17045.43
22.	उत्तराखंड	0.00	1089.36	789.70	500.00
23.	पश्चिम बंगाल	358.25	3250.23	3835.67	2200.00
24.	दमन और दीव	0.33	0.00	0.00	0.00
25.	पुडुचेरी	200	0.00	0.00	0.00
	कुल	87508.23	64549.49	101596.21	101211.55

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष (आज की तिथि तक) के दौरान अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	2007-08 निर्मुक्त निधियां	2008-09 निर्मुक्त निधियां	2009-10 निर्मुक्त निधियां	2010-11 निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.0	0.00	2171.5	880.00
2.	असम	2.9	92.38	52.17	0.00

1	2	3	4	5	6
3.	छत्तीसगढ़	0.0	110.79	192.08	145.00
4.	गोवा	0.0	0.00	0.89	0.50
5.	गुजरात	262.7	2820.60	3639.90	735.00
6.	जम्मू और कश्मीर	0.0	15.05	24.59	0.00
7.	केरल	0.0	0.00	6.11	15.00
8.	मध्य प्रदेश	0.0	296.41	232.59	0.00
9.	महाराष्ट्र	0.0	691.12	0	0.00
10.	उड़ीसा	0.0	35.72	0	0.00
11.	पुडुचेरी	0.0	2.24	7.71	0.00
12.	राजस्थान	0.0	1042.42	598.95	327.00
13.	सिक्किम	0.0	0.00	0	0.00
14.	तमिलनाडु	41.4	678.08	971.88	236.00
15.	त्रिपुरा	0.0	86.02	47.83	41.71
16.	उत्तराखंड	2.9	14.72	1.55	1.00
17.	पश्चिम बंगाल	0.0	41.73	26.27	20.00
	कुल	309.9	5927.28	7974.02	2401.21

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों के नियंत्रणाधीन भूमि

1859. श्री अब्दुल रहमान: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रणाधीन कुल भूमि का क्षेत्रफल, राज्य-वार कितना है;

(ख) विकास कार्यों के लिए निजी पक्षों को आबंटित की गई रक्षा भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए रक्षा स्थापनाओं के नजदीक अनेक आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों का निर्माण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत मॉनीटर्स

1860. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि अनुभवी एवं अन्वेषण तकनीक संपन्न लोगों को विभिन्न राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) में हुई धोखाधड़ी की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मॉनीटरों के रूप में भेजा जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार धोखाधड़ी को उजागर करने के लिये जांच तकनीक की जानकारी रखने वाले योग्य एवं अनुभवी लोगों का ही चयन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) योजना के क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राष्ट्रीय मॉनीटर्स के चयन की पूरी प्रणाली की समीक्षा के लिए कौन-से कदम उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, हां।

(ख) इस अभ्यावेदन में राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं (एनएलएम) की योजना बनाने के लिए मूल्यवान सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों में शामिल हैं:—

(1) मांग पर नवीन पूछताछ।

(2) जिला मुख्यालयों पर पूछताछ करना।

(3) निगरानीकर्ताओं के प्रकार तथा गुणवत्ता का पुनर्मूल्यांकन।

(ग) से (ङ) राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं की योजना को हाल में नवीन रूप दिया गया है। नवीनीकृत योजना में व्यक्तियों के स्थान पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतों की जांच करने के लिए सांस्थानिक राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं को शामिल करने, कार्यों की गुणवत्ता के संदर्भ में राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं के निष्पादन की इस उद्देश्य के लिए गठित स्वतंत्र समिति द्वारा आवधिक समीक्षा करने इत्यादि की परिकल्पना की गई है। नवीनीकृत योजना के दिशानिर्देशों को बेहतर पारदर्शिता तथा व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए इस मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है।

स्वयं सहायता समूहों की वैधानिक स्थिति

1861. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वयं सहायता समूहों को अब तक वैधानिक स्थिति प्रदान नहीं की गई है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1992 में उन्हें ऋण प्रदान करने का अधिकार दे दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) स्वसहायता समूहों की परिकल्पना अनौपचारिक संगठनों के रूप में की जाती है तथा इस प्रकार इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण पाने योग्य माना जाता है। महिला स्वसहायता समूहों की अनौपचारिक प्रकृति ने लगभग 320 लाख गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वसहायता समूह में संगठित होने तथा एसजीएसवाई के अंतर्गत आर्थिक एवं सामाजिक रूप से जोड़ने में सहायता दी है। स्वसहायता समूहों को औपचारिक संगठनों के रूप में गठित करने की प्रक्रिया से उन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वसहायता समूहों के गठन में शुरुआती रूकावट पैदा होगी जहां अधिकतर गरीब अल्प शिक्षित अथवा निरक्षर हैं।

जहां तक ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों की जरूरत का प्रश्न है, स्वसहायता समूहों की अनौपचारिक प्रकृति से उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती।

(ग) उपर्युक्त कारणों के मद्देनजर इस संबंध में इस समय कोई उपाय करने का विचार नहीं है।

रक्षित पत्तन पर समिति

1862. श्री बिभू प्रसाद तराई: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में 'पोहांग लौह तथा इस्पात कंपनी (पोस्को)' द्वारा रक्षित पत्तन स्थापित करने के संबंध में कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रक्षित पत्तन हेतु आवश्यक अनुमति को निरस्त करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ङ) भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अनुसार, पारादीप पत्तन न्यास को छोड़कर अन्य पत्तन उड़ीसा सरकार के क्षेत्राधिकार में हैं। नोडल एजेंसियों से आवश्यक क्लीअरेंस के अलावा गैर-प्रमुख पत्तन को स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

राशन प्रबंधन प्रणाली

1863. श्री गणेश सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र बलों में राशन प्रबंधन प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) सशस्त्र बलों हेतु राशन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद की प्रक्रिया क्या है तथा इसकी क्या कमियां हैं; और

(ग) उक्त प्रावधानों का हाल में प्रकाशित समाचारों के अनुसार किस प्रकार उल्लंघन किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) राशन की मदें निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार अधिप्राप्त की जाती हैं और सरकार के विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणित सेना की संयुक्त खाद्य प्रयोगशाला (सीएफएल) द्वारा दिए जाने वाले आवधिक गुणवत्ता नियंत्रण के अधीन हैं। राशन की अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। यदि किसी घटिया खाद्य मद की आपूर्ति किए जाने की कोई घटना जानकारी में आती है, तो नियमानुसार प्रशासनिक और अनुशासनिक कार्रवाइयां की जाती हैं। सैन्य टुकड़ियों के लिए राशन की गुणवत्ता में सुधार करते रहना सरकार के लिए अति महत्वपूर्ण विषय है और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

केबल तथा टावर रख-रखाव

1864. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड का देश में केबल तथा टावर रख-रखाव प्रचालनों को आउटसोर्स करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) इस समय भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की केबल तथा टावर रख-रखाव कार्य को आउटसोर्स कराने की कोई योजना नहीं है।

लक्षद्वीप में तटरक्षक वायु इन्क्लेव

1865. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लक्षद्वीप द्वीपों में तटरक्षक वायु इन्क्लेव स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त इन्क्लेव के कब तक प्रचालित होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) खोज और बचाव तथा समुद्री निगरानी के लिए वायुयानों की तैनाती का प्रबंध करने के लिए लक्षद्वीप द्वीप में मिनिकॉय में तटरक्षक वायु इन्क्लेव स्थापित करने हेतु सरकार ने हाल ही में सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। आधारिक संरचना, परिसंपत्तियों और जनशक्ति के प्रावधान हो जाने पर यह कार्य शुरू कर देगा।

[हिन्दी]

व्यापार केन्द्र

1866. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में व्यापार केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन केन्द्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) व्यापार केन्द्रों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। वाणिज्य विभाग निर्यात के विकास एवं वृद्धि के लिए अवसंरचना के सृजन हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) स्कीम के अंतर्गत केवल आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रदर्शनी एवं व्यापार केन्द्र की स्थापना हेतु राज्य सरकारों के अनुरोध पर स्कीम के अंतर्गत सहायता व्यवहार्यता के अंतर को पूरा करने के लिए गुण-दोष के आधार पर परियोजना के सामान्य एवं प्रमुख पूंजी अवसंरचना घटकों हेतु लागत भागीदारी आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) से (घ) व्यापार केन्द्रों के लिए एसाइड स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

परियोजना	एसाइड स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां (करोड़ रुपये में)
व्यापार-सह-प्रदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी	20.74
क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्र, चेन्नै	23.32
क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्र, बंगलौर	12.00
इंडिया एक्सपोजीशन मार्ट, ग्रेटर नोएडा	2.92
कन्वेंशन ट्रेड सेंटर, चेन्नै	6.64
क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्र, कोलकाता	5.00
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र, पैम्पोर, जम्मू व कश्मीर व्यापार केन्द्र, बद्दी, जिला सोलन (हि.प्र.)	5.40

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र, पम्पौर, जम्मू एवं कश्मीर तथा व्यापार केन्द्र, बड्डी, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) को छोड़कर सभी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

[अनुवाद]

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अनुदान सहायता

1867. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को समय पर अनुदान सहायता जारी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो राज्यों को धनराशियां जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) कर्नाटक सहित राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी अनुदान सहायता जारी की गई; और

(ङ) कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी सड़कों का निर्माण किया गया तथा कितने संपर्क प्रदान किए गए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) जी, हां। राज्यों को निधियां, निधियों की आवश्यकता, खपत क्षमता को ध्यान में रखते हुए तथा कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार रिलीज की जाती हैं। अक्तूबर, 2010 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत रिलीज की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) कर्नाटक सहित विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को पीएमजीएसवाई के तहत की गई रिलीज राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) कर्नाटक में पीएमजीएसवाई के तहत सितम्बर, 2010 तक 2761 सड़क कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा 12650 कि.मी. लंबी सड़क बना ली गई है।

विवरण I

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	अक्तूबर, 2010 तक कुल रिलीज
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3,353.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	977.57
3.	असम	5,039.99
4.	बिहार	6,046.52
5.	छत्तीसगढ़	4,717.06
6.	गोवा	10.15
7.	गुजरात	1,094.64
8.	हरियाणा	1,195.28
9.	हिमाचल प्रदेश	1,542.69
10.	जम्मू और कश्मीर	875.48
11.	झारखंड	1,694.47
12.	कर्नाटक	2,661.20
13.	केरल	491.01
14.	मध्य प्रदेश	9,514.36
15.	महाराष्ट्र	3,937.99
16.	मणिपुर	414.62

1	2	3
17.	मेघालय	224.16
18.	मिजोरम	411.06
19.	नागालैंड	351.90
20.	उड़ीसा	5,783.96
21.	पंजाब	1,309.24
22.	राजस्थान	7,586.92
23.	सिक्किम	477.89
24.	तमिलनाडु	1,380.68
25.	त्रिपुरा	1,002.48
26.	उत्तर प्रदेश	9,513.93
27.	उत्तराखंड	725.80
28.	पश्चिम बंगाल	3,065.94
	कुल	75,400.94

रिलीज में, प्रशासनिक व्यय/एजेंसी शुल्क के लिए रिलीज की गई निधियां शामिल हैं।

विवरण II

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	पीएमजीएसवाई के तहत रिलीज की गई निधियां		
		2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	316.57	470.60	877.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	102.03	107.98	282.52
3.	असम	555.00	982.12	1,179.00
4.	बिहार	733.06	1,065.20	1,750.73
5.	छत्तीसगढ़	1,050.89	976.12	540.03
6.	गोवा	–	–	–
7.	गुजरात	144.56	229.67	193.80
8.	हरियाणा	216.21	272.02	255.49
9.	हिमाचल प्रदेश	320.58	268.90	124.96
10.	जम्मू और कश्मीर	72.74	191.74	372.60
11.	झारखंड	–	210.67	417.74
12.	कर्नाटक	271.49	640.46	764.87
13.	केरल	24.68	84.02	100.11
14.	मध्य प्रदेश	1,615.66	1,895.10	2,135.65
15.	महाराष्ट्र	563.96	1,030.00	949.18

1	2	3	4	5
16.	मणिपुर	78.99	20.00	149.16
17.	मेघालय	–	35.95	–
18.	मिजोरम	21.96	65.00	44.58
19.	नागालैंड	12.51	85.71	65.02
20.	उड़ीसा	546.83	1,251.38	1,594.35
21.	पंजाब	360.21	243.42	348.42
22.	राजस्थान	1,646.64	1,771.32	603.41
23.	सिक्किम	174.51	55.00	71.80
24.	तमिलनाडु	71.03	88.68	525.00
25.	त्रिपुरा	143.00	379.99	168.49
26.	उत्तर प्रदेश	1,228.40	1,675.78	2,844.51
27.	उत्तराखंड	78.74	116.66	165.95
28.	पश्चिम बंगाल	549.69	635.48	375.00
	कुल	10,899.94	14,848.97	16,899.82

रिलीज में, प्रशासनिक व्यय/एजेंसी शुल्क के लिए रिलीज की गई निधियां शामिल हैं।

[हिन्दी]

नकली उत्पादों का आयात

1868. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में नकली/घटिया तथा सस्ते उत्पादों के आयात किए जाने के चलते देश में बेरोजगारी बढ़ रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) भारतीय विनिर्माण क्षेत्र अगस्त, 2010 पर फिक्की की तिमाही सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह सूचना दी गई है कि वर्ष 2010-11 की तिमाही-2 में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार संभावनाओं में सुधार होता प्रतीत हो रहा है क्योंकि वाहन, टायर, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, पूंजीगत वस्तुओं इत्यादि जैसे कई क्षेत्र अगले तीन महीनों में अतिरिक्त कार्यबल की सेवाएं लेने की योजना बना रहे हैं।

भारत में सभी आयातित वस्तुएं घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरण एवं सुरक्षा मानकों के अधीन होती हैं। इन विनियमों को आयात एवं निर्यात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण में भी अधिसूचित किया जाता है।

सरकार उस मामले में कार्रवाई करती है यदि वह यह पाती है कि किसी स्रोत से आयातित वस्तुओं से इन विनियमों का उल्लंघन हुआ है और इससे मानव, पशु अथवा पादप जीवन या स्वास्थ्य को खतरा बना है। विशिष्ट मामलों में, जहां सीमा-शुल्क विभाग को घटिया वस्तुओं के आयात का पता चलता है, वहीं उन वस्तुओं को जब्त कर लिया जाता है और अन्य संबद्ध अधिनियमों के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

आयातों से पैदा हुए किसी भी घरेलू सरोकार का, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन करार, सुरक्षोपाय करार और आर्थिक सहायता संबंधी करार एवं डब्ल्यूटीओ के प्रतिसंतुलक उपायों के प्रावधानों के तहत, उपयुक्त कार्रवाई द्वारा निराकरण किया जाता है। पाटन, क्षति एवं अनियत संबंध के पर्याप्त साक्ष्यों के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिकाओं के आधार पर पाटनरोधी महानिदेशालय, पाटनरोधी जांच करता है और पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

[अनुवाद]

भारत-केन्या व्यापार

1869. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री पी. बलराम:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा केन्या का द्विपक्षीय व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के नए तरीके खोजकर व्यापार संबंध बढ़ाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों की तुलना में चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जी, हां।

दिनांक 12 से 13 अक्तूबर, 2010 तक नैरोबी में आयोजित भारत-केन्या संयुक्त व्यापार समिति की 6वीं बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश तथा तकनीकी सहयोग को आगे और बढ़ाने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा को बढ़ाने और व्यापार क्षेत्र को विविधीकृत करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों में व्यापार शिष्टमंडलों के दौरे, मेलों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन तथा दोनों देशों में आयोजित होने वाले प्रमुख व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी शामिल होगी। दोनों पक्षों ने विद्युत एवं ऊर्जा, ऊर्जा बचत एवं संरक्षण, अवसंरचना विकास, लघु एवं मझोले उद्योग, कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण, पर्यटन, निर्यात संसाधन जोन और विशेष आर्थिक जोन, नागर विमानन, भारी उद्योग, निवेश संवर्धन एवं सुरक्षा, औद्योगिक निवेश, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग, वस्त्र, मानक प्रशासन, भेषज, दूरसंचार और व्यापार विकास हेतु क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन के क्षेत्रों में आगे और सहयोग हेतु उपायों को अभिज्ञात और उन पर विचार-विमर्श किया।

केन्या के प्रधानमंत्री की 14 से 16 नवम्बर, 2010 तक भारत यात्रा के दौरान एग्जिम बैंक और केन्या सरकार ने केन्या में अवसंरचना विकास, विशेष रूप से उनके विद्युत पारेषण नेटवर्क को सहायता प्रदान करने के लिए 61.60 मिलियन अम. डॉ. की ऋण लाइन (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं।

चालू वर्ष और गत तीन वर्षों के दौरान भारत एवं केन्या के बीच किए गए द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(1) द्विपक्षीय व्यापार (मिलियन अम. डॉ. में)

वित्तीय वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अप्रैल से जुलाई)
भारत से केन्या को निर्यात	1584.63	1362.10	1452.00	763.28
केन्या से भारत में आयात	86.64	82.17	78.93	39.10

(2) केन्या से भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

(मिलियन अम. डॉ. में)

वित्तीय वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अप्रैल से अगस्त)
केन्या से भारत में एफडीआई	1.13	1.12	4.05	0.15

(3) केन्या में भारतीय निवेश की वास्तविक राशि

(मिलियन अम. डॉ. में)

वित्तीय वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अप्रैल से सितंबर)
केन्या में भारतीय निवेश की वास्तविक राशि	133.74	0.9	0.54	0.21

[हिन्दी]

लिंक सड़कों हेतु नियम/प्रावधान

1870. श्री गोपाल सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दो जिलों की सीमा पर लिंक सड़कों के निर्माण हेतु कोई नियम या प्रावधान विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 और इससे अधिक की आबादी और पर्वतीय राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड), जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों, मरूभूमि क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत) और गृह मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 250 और इससे अधिक की आबादी वाली सभी पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ने की संकल्पना की गई है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बारहमासी सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बसावट एक इकाई है और लक्षित बसावट को बसावट में प्रस्तावित प्रमुख स्थानों तक एकल सड़क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। नई सड़क अथवा उन्नयन (जहां अनुमति दी गई है) के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत किसी सड़क का प्रस्ताव तब तक नहीं किया जाता है जब तक वह कोर नेटवर्क का हिस्सा न बन जाए। दो जिलों की सीमा पर स्थित होने के मानदंड के आधार पर संपर्क सड़क के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देश में कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

रक्षा कार्यक्रमों की लीकेज

1871. श्री मानिक टैगोर:
श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया में गोपनीय रक्षा परियोजनाओं/कार्यक्रमों की अप्राधिकृत लीकेज/मुद्रण का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में गोपनीयता बनाए रखने के लिए इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ठेका मजदूर

1872. श्री वीरेन्द्र कश्यप: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में तथा संगठित क्षेत्र में राज्य-वार कितने ठेका श्रमिक हैं;

(ख) क्या हाल के वर्षों में संगठित श्रमिक नियुक्त करने की तुलना में असंगठित तथा ठेका श्रमिक नियोजित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त श्रमिकों की कार्य स्थिति श्रम कानूनों के खुलेआम उल्लंघन के चलते खराब हुई है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई; और

(च) तत्संबंधी कानूनों में संशोधन सहित उक्त श्रमिकों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रस्तावित कदम क्या हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) देश में वर्ष 2009-10 में केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में ठेका आधार पर कार्यरत मजदूरों, जिनके लिए ठेकेदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं, की संख्या 13,73,430 थी। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि ठेका कामगारों का नियोजन लगभग समान ही है। (संलग्न विवरण-II के अनुसार)।

(घ) मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के फील्ड अधिकारी ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1996; और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अनुपालन की जांच करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करते हैं। चूककर्ताओं के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ङ) सूचना संलग्न विवरण-III में दी गयी है।

(च) मुख्य श्रमायुक्त (कें.) संगठन के अंतर्गत फील्ड अधिकारियों को केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के अनुदेश दिए जाते हैं। विभिन्न बैठकों/सम्मेलनों में फील्ड अधिकारियों को कामगारों की शिकायतों का शीघ्रतापूर्वक निराकरण करने के भी अनुदेश दिए गए हैं।

विवरण I

केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में लगे ठेका मजदूरों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	लाइसेंसों द्वारा कवर किए गए ठेका मजदूरों की संख्या वर्ष 2009-10
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	64,794
2.	असम	39,979
3.	बिहार	1,19,830
4.	चंडीगढ़	1,25,417
5.	छत्तीसगढ़	59,548
6.	गुजरात	1,68,646
7.	झारखंड	32,577
8.	कर्नाटक	53,990
9.	केरल	26,867
10.	महाराष्ट्र	1,16,190
11.	मध्य प्रदेश	25,950
12.	नई दिल्ली	72,921
13.	उड़ीसा	52,948
14.	राजस्थान	55,504
15.	तमिलनाडु	2,50,562
16.	उत्तर प्रदेश	61,801
17.	पश्चिम बंगाल	45,906
	कुल	13,73,430

विवरण II

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970

क्र.सं.	ब्यौरे	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	वर्ष के दौरान प्रधान नियोजकों को जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्रों—प्राप्त हुए मामलों की संख्या	819	930	796
2.	ठेकेदारों को जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या	9587	10389	10962
3.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	6843	6925	9428
4.	पता चली अनियमितताओं की संख्या	104401	94162	94832
5.	चलाए गए अभियोजनों की संख्या	3675	3573	5181
6.	दोषसिद्धियों की संख्या	1228	733	2318

1	2	3	4	5
7.	लाइसेंसों द्वारा कवर किए गए ठेका मजदूरों की संख्या	1313742	1377610	1373430
8.	रद्द/निरस्त किए गए लाइसेंसों की संख्या	5657	7419	6017
9.	रद्द/निरस्त किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या	14	35	23

विवरण III

केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में प्रवर्तन संबंधी ब्यौरा

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970

क्र.सं.	ब्यौरे	2007-08	2008-09	2009-10
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	6843	6925	9428
2.	अभियोजनों की संख्या	3675	3573	5181

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

क्र.सं.	ब्यौरे	2007-08	2008-09	2009-10
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	14039	15671	14720
2.	अभियोजनों की संख्या	5716	4631	4382

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

क्र.सं.	ब्यौरे	2007-08	2008-09	2009-10
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	3654	3791	3340
2.	अभियोजनों की संख्या	664	800	685

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996

क्र.सं.	ब्यौरे	2007-08	2008-09	2009-10
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	2456	2456	2031*
2.	अभियोजनों की संख्या	2234	2031	1788*

*अनंतिम

सॉफ्टवेयर का निर्यात

1873. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से सॉफ्टवेयर का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सॉफ्टवेयर सेवाओं और सॉफ्टवेयर उत्पादों के वर्ष-वार निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(बिलियन अम.डॉ. में)

वर्ष	सॉफ्टवेयर सेवाएं	सॉफ्टवेयर उत्पाद
2007-08	40.4	1.0
2008-09	47.1	1.1
2009-10	49.7	1.2

(ग) नेस्कॉम ने चालू वर्ष के दौरान सॉफ्टवेयर का 56-57 बिलियन अम.डॉ. का निर्यात होने का अनुमान लगाया है।

[अनुवाद]

अनुकंपा कोटे पर नियुक्ति

1874. श्री पी. करुणाकरन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग में मृत कर्मचारियों के कई ऐसे मामले हैं जिनके आश्रितों को नौकरी नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो केरल सहित गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए; और

(घ) केरल पोस्टल सर्किल सहित देश में अनुकंपा नियुक्ति कोटा के अंतर्गत नहीं भरे गए प्रत्येक श्रेणी के पदों की राज्य-वार कितनी संख्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) जी, हां।

(ख) केरल सहित सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) अनुकंपा नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो कि इस मामले में भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है, के समेकित अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होती हैं। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष में होने वाली सीधी भर्तियों के 5% रिक्तियों को भरने के लिए प्रदान की जा सकती हैं। चूंकि अनुकंपा नियुक्ति के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या की तुलना में आवेदकों की संख्या बहुत अधिक है अत: उनकी परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा अन्य संबंधित कारकों, जैसे कमाऊ सदस्य का होना, परिवार के सदस्यों की संख्या, बच्चों की आयु और उसकी सामाजिक देयताएं आदि को ध्यान में रखते हुए परिवार की आर्थिक स्थिति का एक संतुलित एवं वस्तुनिष्ठ आकलन किया जाता है। उपलब्ध रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए मामलों के निष्पक्ष तुलनात्मक मूल्यांकन के बाद, केवल उन्हीं परिवारों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति दी जाती है जो अत्यंत गरीब और तत्काल मदद के पात्र हों।

(घ) केरल सहित सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

केरल सहित राज्य-वार उन आवेदकों की सूची जिन्हें पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान नौकरी नहीं दी गई

क्र.सं.	सर्किल का नाम	उन आवेदकों की संख्या जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान नौकरी नहीं दी गई			उन आवेदकों की संख्या जिन्हें वर्तमान वर्ष (31.10.2010 तक) के दौरान नौकरी नहीं दी गई
		2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	36	37	46	0
2.	असम	10	1	35	0
3.	बिहार	21	37	48	1
4.	छत्तीसगढ़	19	19	1	38

1	2	3	4	5	6
5.	दिल्ली	48	46	50	0
6.	गुजरात	102	112	10	101
7.	हरियाणा	20	10	3	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1	21	7	0
9.	जम्मू और कश्मीर	1	8	1	4
10.	झारखंड	26	0	2	0
11.	कर्नाटक	160	195	55	36
12.	केरल	20	16	1	37
13.	मध्य प्रदेश	71	174	165	13
14.	महाराष्ट्र	123	79	47	0
15.	पूर्वोत्तर	12	9	8	6
16.	उड़ीसा	17	21	54	52
17.	पंजाब	6	24	48	19
18.	राजस्थान	45	47	44	8
19.	तमिलनाडु	5	3	1	7
20.	उत्तर प्रदेश	288	2	198	2
21.	उत्तराखंड	39	5	38	4
22.	पश्चिम बंगाल	113	104	18	124

विवरण II

देश में अनुकंपा नियुक्ति कोटा के अंतर्गत नहीं भरे गए प्रत्येक श्रेणी के पदों का केरल डाक सर्किल सहित राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	सर्किल का नाम	प्रत्येक श्रेणी में नहीं भरे गए पदों की संख्या	
		विभागीय	ग्रामीण डाक सेवक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	0
2.	असम	0	0
3.	बिहार	10*	0
4.	छत्तीसगढ़	0	0
5.	दिल्ली	0	0
6.	गुजरात	0	0
7.	हरियाणा	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	9*	0
9.	जम्मू और कश्मीर	19	7
10.	झारखंड	0	0

1	2	3	4
11.	कर्नाटक	0	0
12.	केरल	87+	0
13.	मध्य प्रदेश	0	0
14.	महाराष्ट्र	25*	0
15.	पूर्वोत्तर	0	0
16.	उड़ीसा	20*	82*
17.	पंजाब	16*	0
18.	राजस्थान	0	0
19.	तमिलनाडु	17*	0
20.	उत्तर प्रदेश	0	0
21.	उत्तराखंड	0	0
22.	पश्चिम बंगाल	0	0

*रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
+माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, एरणाकुलम द्वारा जारी किए गए समान महत्व प्रणाली का अनुसरण करने संबंधी मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए रिक्तियों के लिए संशोधित प्रलेखन एकत्र किए जा रहे हैं।

मसाले पार्क

1875. श्री के.सी. वेणुगोपाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रस्तावित तथा प्रचालित विभिन्न मसाले पार्कों की वर्तमान स्थिति के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन पार्कों के कार्य निष्पादन के संबंध में सरकार द्वारा कोई आकलन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) सरकार ने मसालों के मूल्यवर्धन और गुणवत्ता सुधार के जरिए मुख्य रूप से मसाला कृषकों के सशक्तीकरण के लिए सफाई, प्रसंस्करण, कलर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग तथा पैकिंग सुविधा आदि हेतु प्रमुख मसाला उत्पादन केन्द्रों में सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए मसाला पार्कों की स्थापना को अनुमोदित किया है। प्रस्तावित मसाला पार्क हैं— (1) इदुक्की जिले, केरल में पुट्टादी (2) तमिलनाडु में शिवगंगा (3) आंध्र प्रदेश में गुंटूर (4) उत्तर प्रदेश (5) राजस्थान में जोधपुर (6) गुजरात। इनके अतिरिक्त गुना, मध्य प्रदेश और रामगंज मंडी, राजस्थान में एक-एक मसाला पार्क को अनुमोदित किया गया है। जहां पुट्टादी में मसाला पार्क का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है वहीं अन्य पार्क प्रारंभिक चरण में हैं। इसके अतिरिक्त छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में एक मसाला पार्क फरवरी, 2009 से ही प्रचालनरत है। सरकार बोर्ड के निष्पादन की समीक्षा करते समय इन पार्कों की प्रगति की त्रैमासिक आधार पर समीक्षा कर रही है। आकलन तभी किया जा सकता है जब इन पार्कों में से कुछेक पार्क कार्य करना शुरू करते हैं और कुछ समय तक कार्य कर लेते हैं।

[हिन्दी]

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत श्रमिक संघ

1876. श्री महेश्वर हजारी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने श्रमिक संघ स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की गतिविधियां तथा श्रमिक संघों के नियमन की एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत अनुमति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पत्तनों पर कबाड़

1877. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ पत्तनों पर कबाड़ की बड़ी मात्रा पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो पत्तन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जहाजों पर लदाई तथा उतराई में इससे बड़ी बाधा आती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) प्रमुख पत्तनों में पड़े कबाड़ का पत्तन-वार ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं:—

पत्तन का नाम	पत्तनों में कबाड़
मुम्बई	कबाड़ (खुले क्षेत्र में 355.62 एमटीएस और एक कंटेनर में 20.61 एमटीएस) दिसम्बर 2004 से पड़ा है और हथियार एवं गोला-बारूद और ठीक न हो सकने वाले खोल के साथ प्राप्त कबाड़ मिला था जो सीमा शुल्क के अंतर्गत कार्रवाई के लिए है।
जवाहरलाल नेहरू	61 कंटेनर जिनमें भारी सामग्री कबाड़ न्हावा शेवा अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल में पड़े हैं।
कांडला	92,099 एमटी कबाड़ में 27,478 एमटी का एचएमएस और 64,621 एमटी की कुतरन स्टील कबाड़ पत्तन क्षेत्र के अन्दर पड़ी है।
कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, इन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, कोचीन, नव मंगलूर, मुरगांव, पोर्ट ब्लेयर पत्तन	शून्य

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मजदूरी में संशोधन

1878. श्री पी. करुणाकरन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग में कार्यरत नैमित्तिक मजदूरों तथा अल्पकालिक आकस्मिक कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी में 1 जनवरी, 2006 से संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) पूर्णकालिक नैमित्तिक मजदूरों को, जिन्हें टेम्पोरेरी स्टेटस प्रदान किया गया है, उनकी मजदूरी 1 जनवरी, 2006 से संशोधित की गई है। उन नैमित्तिक मजदूरों, जिन्हें टेम्पोरेरी स्टेटस प्रदान नहीं किया गया है, और अन्य अल्पकालिक आकस्मिक मजदूरों की मजदूरी में संशोधन नहीं किया गया है।

(ग) समूह घ के पद को मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में पुनर्पदनामित करने के पश्चात्, मजदूरी में संशोधन करने से पहले विभाग द्वारा आकस्मिक मजदूरों तथा अल्पकालिक आकस्मिक मजदूरों के कार्यों को सुप्रवाही बनाने के कदम उठाए गए हैं।

विशेष आर्थिक जोन परियोजनाओं का पूरा किया जाना

1879. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में डेवलपर मूल अनुमोदन में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार अपनी विशेष आर्थिक जोन परियोजनाओं को पूरा करने में असफल रहे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विशेष आर्थिक जोनों का परियोजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा और विस्तार प्रदान किया गया है;

(घ) विभिन्न राज्यों में इन प्रत्येक विशेष आर्थिक जोन परियोजना को पूरा करने में विलंब के परिणामस्वरूप रोजगार तथा निर्यात सृजन किस सीमा तक प्रभावित हुआ है;

(ङ) क्या सरकार ने इस विशेष आर्थिक जोन के डेवलपरों को अपनी परियोजनाएं समय पर पूरा करने हेतु कोई नया निदेश जारी किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) एसईजेड नियम, 2006 के नियम 6 के अनुसार अनुमोदन तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है जिसके भीतर अनुमोदित प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु विकासकर्ता द्वारा प्रभावकारी कदम उठाया जाना होता है। विकासकर्ता से अनुरोध होने पर अनुमोदन बोर्ड वैधता अवधि बढ़ा सकता है। एसईजेड परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए एसईजेड नियमों एवं प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) से (च) विकासकर्ताओं से तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि से आगे वैधता अवधि में विस्तार हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। जिनमें समय विस्तार के आधार के रूप में वैश्विक आर्थिक मंदी/अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलम्ब आदि का उल्लेख किया गया है। एसईजेड अधिनियम, 2005 तथा एसईजेड नियम, 2006 के प्रावधानों और दिए गए आधारों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) ने प्रत्येक मामले की अर्हता के आधार पर 184 एसईजेडों को प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि से आगे वैधता अवधि में विस्तार की अनुमति दी है जो मूल अनुमोदन में यथानिर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन है।

एसईजेडों पर सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) आय अर्जित करने का दायित्व होता है जिसका परिकलन उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए संचयी रूप से किया जाता है और इसमें असफल रहने पर इकाई पर विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। दिनांक 30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार एसईजेडों में कुल 6,20,824 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में हुए निर्यातों की तुलना में लगभग 121.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2009-10 के दौरान एसईजेडों से लगभग 2,20,711 करोड़ रुपए के कुल वास्तविक निर्यात हुए हैं। दिनांक 30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार अर्थात् चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध में एसईजेडों से 1,39,841 करोड़ रुपए के कुल वास्तविक निर्यात हुए हैं जिनमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 55.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

ठेका मजदूर विनियमन

1880. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम के प्रावधानों का स्थायी तथा टिकाऊ प्रकृति में ठेका श्रमिकों को नियोजित करके उल्लंघन किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारी सेवाओं में भी ठेका श्रमिकों को नियोजित करने को प्रोत्साहित किया;

(ग) क्या ठेका श्रमिकों हेतु श्रम कानूनों पर कार्यान्वयन नहीं होने का नियमित होने से यह परिणाम हुआ कि ठेका श्रम की प्रणाली सस्ते श्रम का स्रोत बन गया; और

(घ) यदि हां, तो ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) ठेका मजदूरों का नियोजन स्वयं प्रतिषिद्ध नहीं है। कोई भी प्रतिष्ठान, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में होने अथवा निजी क्षेत्र में, किसी कार्य में ठेका मजदूरों को लगा सकता है यदि किसी विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान में विशिष्ट कार्य को ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों के अंतर्गत प्रतिषिद्ध न किया गया हो।

मंत्रालय/विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के नियम 178 के अंतर्गत अर्थव्यवस्था और सक्षमता के हित में सफाई, अनुरक्षण, कागजात/डाक ले जाने आदि जैसी कतिपय नेमी सेवाओं को आउट-सोर्स द्वारा करा सकते हैं। इन नियमों में आउटसोर्स सेवा हेतु इच्छुक मंत्रालयों/विभागों तथा सामान्य वित्तीय नियमावली में उल्लिखित बुनियादी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए बिना इस प्रयोजनार्थ विस्तृत अनुदेश और कार्य प्रणालियां निर्धारित करने का भी प्रावधान है। सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 180 (iv) ठेकेदार द्वारा अनुपालन किए जाने वाले सांविधिक तथा संविदात्मक दायित्व के समावेश का निर्धारण करता है। कामगारों की संख्या, कार्य का प्रकार और आउटसोर्सिंग की अवधि परियोजना/कार्य की मात्रा तथा समय सारणी पर निर्भर करती है।

(घ) केन्द्रीय क्षेत्र में, मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के संगठन के अधिकारी ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और चूककर्ता नियोजकों तथा ठेकेदारों के खिलाफ अभियोजन मामले दायर करके कार्रवाई करते हैं। (विवरण संलग्न है)।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ठेका श्रम अधिनियम, 1970 के अंतर्गत किए गए निरीक्षण तथा चलाए गए अभियोजन का ब्यौरा निम्नवत् है

क्र.सं.	क्रियाकलाप	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	चलाए गए अभियोजनों की संख्या	2648	3675	3573	5181
2.	दोष-सिद्धियों की संख्या	887	1228	733	2318
3.	लाइसेंसों द्वारा कवर किए गए ठेका मजदूरों की संख्या	1001947	1313742	1377610	1373430
4.	रद्द/निरस्त किए गए लाइसेंसों की संख्या	8186	5657	7419	6017
5.	रद्द/निरस्त किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की संख्या	51	14	35	23

सिम कार्ड

1881. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **संचार और सूचना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश में कई फर्जी सिम कार्ड प्रचालन में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा जाली प्रत्यय-पत्रों के आधार पर सिम कार्ड जारी करने के कुछ मामलों के बारे में सूचित किया गया है। देश में 34 टर्म (दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और मॉनीटरिंग) प्रकोष्ठ हैं जो सभी लाइसेंसिंग सेवा क्षेत्रों को कवर करते हैं। टर्म प्रकोष्ठ नमूना आधार पर प्रति माह उपभोक्ता प्रमाण पत्रों (सीएएफ) की लेखा परीक्षा करते हैं। सिम कार्ड जारी करने से पहले उपभोक्ता द्वारा सीएएफ भरा जाना चाहिए। पिछले दो वर्षों में संपूर्ण देश (महाराष्ट्र सहित) में पीआईए (फोटो, पहचान, पता) के आधार पर सीएएफ को स्वीकृत करने की प्रतिशतता का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:—

क्र.सं.	वर्ष 2008 के लिए लिए स्वीकृत प्रतिशतता	वर्ष 2009 के लिए स्वीकृत प्रतिशतता
अखिल भारत आधार पर	84% लगभग	91.5% लगभग

(ग) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर प्रति असफल नमूना के लिए 1000 रु. से 50000 रु. तक क्रमिक आधार पर वित्तीय शास्तियां लगाई जाती हैं। जालसाजी के मामले में पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायतों भी दर्ज करायी जाती हैं।

प्रमुख पत्तनों का निगमीकरण

1882. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शीघ्र ही प्रमुख पत्तनों का निगमीकरण करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति, पत्तन-वार क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) से (ग) महापत्तनों के निगमीकरण को सुकर बनाने के लिए सशक्त प्रावधान लाकर महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन किए जाने हेतु दिनांक 31.8.2001 को लोक सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। उपर्युक्त विधेयक, जांच-पड़ताल के लिए परिवहन, पर्यटन और संस्कृति के बारे में विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। इस समिति की रिपोर्ट, दिनांक 19 फरवरी, 2003 को राज्य सभा के पटल पर रखी गई थी। इस रिपोर्ट में दी गई समुक्तियों और सिफारिशों के संबंध में सरकार अपना प्रत्युत्तर तैयार करते समय, 13वीं लोक सभा भंग हो गयी। इसके बाद उपर्युक्त विधेयक समाप्त हो गया। अब देश में महापत्तनों निगमीकरण

अथवा अन्यथा के लिए सरकारी नीति तैयार करने से पहले सरकार ने विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से, इन्नौर पत्तन जो भारत का पहला निगमित पत्तन है, के कार्य निष्पादन की पहली समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

(घ) 31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए पत्तन-वार वित्तीय स्थिति:—

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	पत्तन का नाम	संचलित व्यय	संचलित व्यय	अधिक्य
1.	कोलकाता	1424.20	1057.97	366.23
2.	पारादीप	748.87	390.60	358.27
3.	विशाखापट्टनम	660.21	468.30	191.91
4.	इन्नौर	142.06	46.33	95.73
5.	चेन्नई	718.35	532.84	185.51
6.	तूतीकोरिन	240.40	118.61	121.79
7.	कोचीन	232.08	232.95	-0.87
8.	नव-मंगलूर	318.45	183.26	135.19
9.	मुरगांव	326.83	235.25	91.58
10.	मुम्बई	959.55	870.45	89.10
11.	जे.एन.पी.टी.	1042.06	393.70	648.36
12.	कांडला	449.19	360.48	88.71

केरल में पीएमजीएसवाई संबंधी कार्य

1883. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) संबंधी कार्यों में देरी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने केरल में पीएमजीएसवाई संबंधी कार्यों के वर्तमान मार्गनिर्देशों में परिवर्तन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को केरल में पीएमजीएसवाई कार्यों के पूरा किए जाने में हो रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गयी/की जानी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सड़कों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने की केन्द्र सरकार की एक बार की एक विशेष पहल है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण, रखरखाव, स्वामित्व संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। इसलिए, इन सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा इन्हें समय पर पूरा करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। इस संबंध में जब भी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

(ग) से (ङ) केरल सरकार ने स्वीकार्य सड़क चौड़ाई तथा ग्रेडियन्ट से संबंधित मानकों में रियायत का अनुरोध किया है। केरल राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि भूमि की कम उपलब्धता और परिकल्पित ट्रैफिक 100 से कम मोटर वाहन प्रतिदिन होने की स्थिति में सड़क की चौड़ाई छह मीटर हो सकती है। ग्रेडियन्ट के मामले में ग्रामीण सड़कों के लिए 10% तक विशिष्ट ग्रेडियन्ट की अनुमति दी गई है, जैसा कि इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है। तथापि, इस विशिष्ट ग्रेडियन्ट के मामले में 100 मीटर की सीमा निर्धारित की गई है और इसका मितव्ययी रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। घाट श्रेणी के संबंध में ग्रेडियन्ट की सिफारिश की गई सीमा 7% है जिसे स्वीकार कर लिया गया है और विशिष्ट ग्रेडियन्ट 10% रखा गया है।

निजी कंपनियों के माध्यम से पत्तन परियोजनाएं

1884. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय निजी कंपनियों के माध्यम से पत्तन परियोजनाओं का कार्य पहले से ही करा रही है जिनके वांछित परिणाम अब तक नहीं आ पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं योजना के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) पोत परिवहन मंत्रालय ने निजी सरकारी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर पत्तन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति दी है। इन पीपीपी परियोजनाओं को निजी क्षेत्र से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न निजी कम्पनियों को सफलतापूर्वक पीपीपी आधार पर परियोजनाएं सौंपी गयी हैं और उनमें से बहुत सी परियोजनाएं निर्माण स्तर पर हैं। अधिकतर परियोजनाएं विभिन्न प्रकार के शुष्क कार्गो और सामान्य कार्गो को संभालने, कंटेनरों को संभालने, उपस्करों की अधिप्राप्ति, बर्थों और टर्मिनलों के मशीनीकरण आदि के लिए सौंपी गई हैं। चालू वित्त वर्ष 2010-11 में पीपीपी मॉडल के लिए विभिन्न प्रमुख पत्तनों में सौंपे जाने के लिए 21 परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

1885. श्री मनोहर तिरकी:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री नरहरि महतो:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के पुनर्वास की वर्तमान योजनाएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्त हो रहे कार्मिकों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् नागरिक जीवन में उनके पुनर्वास हेतु परामर्श/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रबंध करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थान तथा ऐसी अन्य संस्थाओं ने भूतपूर्व सैनिकों के नियोजन में मदद करने का प्रस्ताव किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (ग) सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों के पुनर्वास के लिए, पुनर्वास प्रशिक्षण सहित विभिन्न स्कीमें हैं। स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण—(क), (ख), (ग) और (घ) के रूप में संलग्न हैं। पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पुनर्वास महानिदेशक अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) और अधिकारियों के लिए विभिन्न सरकारी/अर्ध सरकारी और निजी संस्थानों में पुनर्वास प्रशिक्षण आयोजित करता है। पुनर्वास महानिदेशक भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सैनिक बोर्ड/जिला सैनिक बोर्ड के तत्वावधान के अंतर्गत पुनर्वास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है।

(घ) से (च) वर्ष 2004 से छह महीने की अवधि के प्रबंधन पाठ्यक्रम भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद, बेंगलूर, कोलकाता, इंदौर, लखनऊ सहित प्रबंधन विकास संस्थान, गुड़गांव, नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान, मुंबई और जेवियर श्रम संबंध संस्थान, जमशेदपुर में आयोजित किए जाते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान और अन्य संस्थान अवसंरचना, सलाह और मार्गदर्शन मुहैया कराते हुए नौकरी दिलाने में सहायता करते हैं। परिसर में रोजगार देने की व्यवस्था रोजगार समिति द्वारा आयोजित की जाती है जो रोजगार के लिए मार्ग-निर्देश और नियम तैयार किए जाते हैं। भागीदारों से प्राप्त फीड बैक के आधार पर प्रशिक्षण से संबंधित नीतियों का सतत उन्नयन किया जाता है।

विवरण (क)

अफसरों, अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास महानिदेशक द्वारा आयोजित पुनर्वास प्रशिक्षण

अफसर प्रशिक्षण

1. अफसर प्रशिक्षण कार्यक्रम को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:

   (क) सुरक्षा पाठ्यक्रम

   (1) कारपोरेट और औद्योगिक सुरक्षा, संरक्षा और आसूचना पाठ्यक्रम

   (2) सुरक्षा, सर्वेक्षण और लेखा परीक्षा और जोखिम विश्लेषण

   (ख) प्रबंधन पाठ्यक्रम जैसे

   (1) भारतीय प्रबंधन संस्थान और अन्य 'क' श्रेणी के बी-स्कूलों में 24 सप्ताह का प्रबंधन पाठ्यक्रम

   (2) खुदरा, उद्यमशीलता, आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन इत्यादि पर मॉड्यूलर प्रबंधन पाठ्यक्रम

(ग) अन्य पाठ्यक्रम जैसे कि

(1) सीपीएल/एटीपीएल के लिए अनुशिक्षण

(2) समुद्री यात्रा

(3) स्वतंत्र निर्देशक पाठ्यक्रम

अफसर रैंक से नीचे के रैंकों के कार्मिकों के लिए (पीबीओआर) प्रशिक्षण

2. पीबीओआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) सुरक्षा और अग्निशमन पाठ्यक्रम

(1) सहायक सुरक्षा अधिकारी पाठ्यक्रम

(2) अग्निशमन और औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन

(3) राष्ट्रीय अग्निशमन कालेज में उप अग्निशमन अधिकारी पाठ्यक्रम

(ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम

(1) वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत

(2) एक्स-रे/ईसीजी टेक्नीशियन तथा ओटी सहायक

(3) एडवांस वेल्डिंग

(4) जेसीबी ऑपरेटर

(5) एसी और रेफ्रीजरेशन

(6) समुद्री यात्रा

(ग) प्रबंधन पाठ्यक्रम

(1) सुप्रसिद्ध संस्थानों में 24 सप्ताह का प्रबंधन पाठ्यक्रम

(2) खुदरा, व्यापारिक परियोजना, उद्यमशीलता, बीमा, पर्यटन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन इत्यादि पर मॉड्यूलर प्रबंधन पाठ्यक्रम

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर पाठ्यक्रम

(1) डीओईएसीसी 'ओ' स्तर पाठ्यक्रम

(2) कंप्यूटर हार्डवेयर अनुरक्षण

(3) कंप्यूटर नेटवर्किंग

(4) डेस्क टोप पब्लिसिंग

(5) बुक कीपिंग पद्धति और लेखा विधि उपयोग पद्धति

(6) माइक्रोसॉफ्ट अधिप्रमाणित व्यावसायिक एवं समाधान प्रबंधन (एमसीपी एवं एमसीएसपी)

भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षण

3. सरकार ने दिनांक 18.5.2006 के पत्र संख्या 0014/ईएक्सएसएम/डीजीआर/रेस-8/11/रक्षा (पुनर्वास) के द्वारा भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)/विधवाओं/एक आश्रित के लिए पुनर्वास प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजित करने की स्वीकृति दी है। पुनर्वास महानिदेशक राज्य सैनिक बोर्डों/जिला सैनिक बोर्डों के तत्वावधान के अंतर्गत पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

विवरण (ख)

पुनर्नियुक्ति

सुरक्षा एजेंसियां

1. सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 4 अक्तूबर, 2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/22/93-जीएल-15 डीपीई (एससी/एसटी) के द्वारा भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सार्वनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित भूतपूर्व सैनिकों (अफसर) द्वारा संचालित सुरक्षा एजेंसियों/कंपनी से सुरक्षा आवरण लेने का अनुदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार के मंत्रालय, विभाग और बड़ी संख्या के व्यावसायिक घराने, व्यापारिक, औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थान भी पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसियों से सुरक्षा ले रहे हैं। पुनर्वास महानिदेशालय निजी क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और उद्योगों को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने के लिए भूतपूर्व सैनिक संचालित निजी सुरक्षा एजेंसियों, कंपनियों और कारपोरेशनों को सूचीबद्ध/प्रायोजित करता है। यह स्कीम सेवानिवृत्त अफसरों को स्व-रोजगार के अच्छे अवसर प्रस्तुत करती है और सेवानिवृत्त पीबीओआर को उसी क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है जिस क्षेत्र में उनके पास पर्याप्त विशेषज्ञता है।

केन्द्र और राज्य सरकार

2. केन्द्र/राज्य सरकारें सिविल कार्यों में भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित रियायतें मुहैया कराती हैं:

(क) केन्द्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और अर्ध सैन्य बलों में समूह 'ग'

और 'घ' पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण इस प्रकार है:

	समूह 'ग'	समूह 'घ'
1. केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग	10%	20%
2. सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक	14.5%	24.5%

(ख) केन्द्र सरकार सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत समूह 'ग' और 'घ' पदों में नियुक्ति के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्राथमिकता प्राप्त कर ली गई है:

(1) **प्राथमिकता 1.** नि:शक्त सैनिक जिनकी नि:शक्तता सैन्य सेवाओं के कारण मानी गई है।

(2) **प्राथमिकता 2.** सैन्य कार्रवाई में मारे गए सशस्त्र सेना कार्मिकों अथवा गंभीर रूप से नि:शक्त कार्मिक (50 प्रतिशत और अधिक नि:शक्तता सहित जिसे सैन्य सेवा के कारण हुआ माना गया हो और जो उन्हें रोजगार के लिए अनुपयुक्त बनाता है) के दो आश्रित।

(3) सेवा के दौरान मारे गए सशस्त्र सेना कार्मिकों जिनकी सैन्य सेवा की वजह से मृत्यु नहीं हुई की पत्नी/पुत्र/पुत्रियां भी समूह 'ग' और 'घ' पदों पर अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

(ग) रक्षा सुरक्षा कोर में 100% रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।

(घ) अधिकांश राज्य सरकारें भी राज्य सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण मुहैया कराती हैं।

विवरण (ग)

सामान्य

1. सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों तथा उसके परिवारों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन के लिए अनेक स्वयं-रोजगार उद्यम तैयार किए हैं। स्वयं-रोजगार स्कीमों तथा अन्य उपलब्धियों के ब्यौरे आगामी पैराओं में दिए गए हैं:—

सेना अधिशेष वाहनों का आबंटन

2. भूतपूर्व सैनिक तथा सेवा के दौरान मरने वाले रक्षा कार्मिकों की विधवा पत्नियों को सेना के अधिशेष श्रेणी-5-ख वाहनों के आबंटन हेतु आवेदन करने के पात्र माना गया है। आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है तथा आवेदित श्रेणी के वाहन के संगत एक प्रतिभूति राशि जमा करानी होती है। 12 सीवीडी/एफओडीओ के कुल 42 प्रकार के वाहन आबंटन हेतु उपलब्ध हैं।

कोयला लदाई तथा परिवहन स्कीम

3. यह गत 30 वर्ष से चली आ रही बहुत ही लोकप्रिय स्कीम है। ईएसएम कोयला कंपनियों ने कोयला सहायक कंपनियों के समग्र संतोष के अनुसार कार्य प्रदर्शन किया है और कोल इण्डिया लिमिटेड के मुख्य कार्यबल के रूप में स्थापित किया हुआ है। सीआईएल की कोयला सहायक कंपनियां संबलपुर, बिलासपुर, नागपुर, रांची, धनबाद तथा कोलकाता में स्थापित हैं। रक्षा पुनर्वास महानिदेशालय के पास पंजीकृत बेरोजगार सेवानिवृत्त अफसरों को ईसीएम कोल लोडिंग एवं ट्रांसपोर्ट कंपनियां बनाने के लिए उनकी संबंधित वरिष्ठता के अनुसार पेशकश की जाती है। इन कंपनियों की कार्य प्रणाली की तथा संबंधित कोयला सहायक कंपनियों को पांच वर्ष के प्रारंभिक कार्यकाल जिसे आगे चार साल और बढ़ाया जा सकता है, के लिए प्रायोजित किया जाता है की निगरानी संबंधित कोयला सहायका कंपनियों से परामर्श करके रक्षा पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा मॉनीटरी की जाती है।

कोल टिप्पर अटैचमेंट स्कीम

4. विधवा पत्नियों/नि:शक्त सैनिकों के लिए इस कल्याणकारी स्कीम को कोयला लदाई तथा परिवहन से जोड़ा जाता है। सैन्य सेवा करने की वजह से सेवा के दौरान मर जाने वाले सैनिकों की विधवा पत्नियों को उनके नाम पर ईएसएम कोल लोडिंग तथा परिवहन कंपनी के साथ एक टिप्पर ट्रक को लगाने के लिए रक्षा पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है। पात्र विधवा/नि:शक्त सैनिक को किसी भी नामित कोयला परिवहन कंपनी के पास 85,000/- रुपए की राशि जमा करानी होती है। कंपनी उन्हें प्रतिमाह 3,000/- रुपए के हिसाब से पांच वर्ष की अवधि तक भुगतान करती है इसके बाद 85,000/- रुपए की जमा की हुई राशि को संबंधित व्यक्ति को लौटा दिया जाता है। इन कंपनियों की कार्यप्रणाली की मॉनीटरी रक्षा पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा की जाती है। विद्यमान टिप्पर लगाई प्रक्रिया को व्यवस्थित बना दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप ईसीएम कंपनियों के संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता

है जिसकी वजह से अधिक संख्या में विधवाओं को सुविधा मिली है तथा उच्चतर संतोष स्तर हासिल हुआ।

तेल उत्पाद एजेंसी का आबंटन

5. रक्षा श्रेणी के आवेदकों जिनमें युद्धकाल/शांतिकाल की विधवाएं तथा सैन्य सेवा की वजह से होनी वाली 20 प्रतिशत या अधिक नि:शक्तता वाले नि:शक्त सैनिकों के लिए पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल उत्पाद एजेंसियों के (एलपीजी डिलरशिप, पेट्रोल पम्प तथा वरिष्ट केरोसिन तेल डिस्ट्रिब्यूटरशिप आदि) का 8 प्रतिशत आरक्षित किया हुआ है। जब भी इस प्रकार की रिक्ति का विज्ञापन 'रक्षा श्रेणी' के अंतर्गत समाचार पत्र में छपे तो पात्र व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पुनर्वास महानिदेशालय इस प्रयोजन के लिए आबंटन प्राथमिकताओं तथा विशेष अवस्थिति के आधार पर पात्रता प्रमाणपत्र जारी करके पात्र उम्मीदवारों को प्रायोजित करते हैं जिसके लिए 8% तेल उत्पाद एजेंसी जारी की जाती है। संबंधित तेल कंपनी द्वारा गठित अफसर बोर्ड द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं।

बीपीसीएल घर आउटलेटों का आबंटन

6. मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने 'घर' की संकल्पना की है जिसमें ट्रक चालकों को उनके ईंधन भरने के कार्यकलापों के दौरान अपेक्षित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मुहैया कराई जाती हैं। पुनर्वास महानिदेशालय और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच बेहतरीन सम्पर्कों के फलस्वरूप यह योजना वर्ष 2007 में शुरू हुई थी। इस योजना के लिए सेवानिवृत्त अफसरों को पुनर्वास महानिदेशालय में आवेदन करना होता है। इस समय अफसरों को 25,000/- रुपए प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाता है। इस योजना को अधिक लुभावना बनाने के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ समेकित प्रयास किए जा रहे हैं।

मदर डेयरी दुग्ध बूथ और फल एवं सब्जी (सफल) दुकानें

7. यह भूतपूर्व सैनिक अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए बेहतरीन कमाई वाली समयानुकूल जांची-परखी एक स्वरोजगार योजना है। इस समय दुग्ध बूथों तथा सफल दुकानों का संचालन करने वाले भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी योग्यता और दृढ़निश्चय का भरपूर परिचय दिया है जिससे मैसर्स मदर डेयरी पात्र भूतपूर्व सैनिक मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से पुनर्वास महानिदेशालय पर निर्भर है। यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों (अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिक) को बड़ी संख्या में शामिल किए जाने के लिए इस योजना को और अधिक आकर्षित बनाया जाए। मदर डेयरी से परामर्श करके इस योजना का विस्तार न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात् गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में किया गया है बल्कि दूसरे राज्यों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है। जयपुर को इस योजना में मार्च 2009 में शामिल किया गया है।

8. मदर डेयरी, सफल (फल एवं सब्जी) को चलाने वाले प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त की जाने वाले पारिश्रमिक राशि को अब बढ़ाकर 10,000/- रुपए प्रतिमाह जैसी लुभावनी राशि अथवा बिक्री का 9% इनमें से जो भी अधिक हो, कर दिया गया है। इससे बड़ा प्रोत्साहन मिला है और यह महसूस किया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों की प्रत्याशा की पर्याप्त रूप से भरपाई हो जाएगी।

भूतपूर्व सैनिक (अफसर) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएनजी स्टेशन का प्रबंधन

9. हाल ही में इस योजना में संशोधन किया गया है। पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा सतत प्रयास और लगातार सम्पर्कों की वजह से 1 मार्च, 2009 से वेतन पैकेज को 20,000/- रुपए से बढ़ाकर 45,000/- रुपए कर दिया गया है। इस योजना की परिसीमा को बढ़ाकर इसमें विस्तार किया गया है ताकि नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव सहित इसमें समग्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आ जाए। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) तथा पंजीकृत अफसरों की प्रत्याशाओं का ध्यान पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा उसकी सतत साझेदारी से रखा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिकतर सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधन भूतपूर्व सैनिक (अफसरों) द्वारा किया जा रहा है जिससे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का सेवानिवृत्त रक्षा अफसरों में दिखाए गए विश्वास का पता साफ-साफ दिखता है। इच्छुक अफसरों को पुनर्वास महानिदेशालय में अपना पंजीकरण कराना होता है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अफसर बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के आधार पर सेवानिवृत्त अफसरों का चयन किया जाता है।

विवरण (घ)

उद्यम योजनाएं

पुनर्वास महानिदेशालय कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए व्यवहार्य पुनर्वास विकल्प का प्रावधान करता है। भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा मुहैया कराए गए

सरल ऋण/आर्थिक सहायता और सार्वभौमिक (ग्लोबलाइजेशन) नए व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए सूचना और दिशा-निर्देश दिए जाते हैं।

सेमफेक्स (एसईएमएफईएक्स)-2, सेमफेक्स (एसईएमएफईएक्स)-3, जड़ी-बूटी और औषधीय पौधे, बागवानी, पुष्पोत्पादन, पशु-पालन, फ्रैन्चाईज और जेसीबी बैकहो लोडर योजनाएं हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रचलित उद्यम योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिए गए के अनुसार है:

सेमफेक्स (एसईएमएफईएक्स)-2 योजना

यह योजना कृषि और क्षेत्रीय विकास (नाबार्ड) के लिए राष्ट्रीय बैंक से आर्थिक सहायता के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय है:

* कृषि/खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना सहित कृषि, औद्योगिक और सैन्य क्षेत्र के उद्यमों और शीत भंडारणों के औद्योगिकीकरण को व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के वास्ते शामिल किया जाता है।
* 19-20% का सरल ऋण सहायता मुहैया कराया जाता है।
* पुनर्वित्तीयन के लिए ब्याज दर 8.5%-10.25% है।
* पुनर्भुगतान काल 2-15 वर्ष है।
* ऋण-स्थगन काल 6-18 महीने है।
* भूतपूर्व सैनिक अलग-अलग राज्य की राजधानियों और जिला मुख्यालयों में स्थापित नाबार्ड के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में जा सकते हैं।
* विवरण वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.नाबार्ड.ऑर्ग से पढ़ा जा सकता है।

सेमफेक्स (एसईएमएफईएक्स)-3 योजना (सेना से ग्रामोद्योग)

यह योजना प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमईजीपी) के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के सहयोग से सक्रिय है:

* सभी व्यवहार्य ग्राम, कुटीर, लघु और छोटे उद्योग और सेवा क्रियाएं और चयनात्मक शहरी उद्योग वित्त के लिए पात्र हैं।
* परियोजना की अधिकतम लागत उत्पादन के लिए 25 लाख रुपए और व्यवसाय सेवा के लिए 10 लाख रुपए है।
* 25%-35% की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है।
* ऋण का पुनर्भुगतान काल 3-7 वर्ष है।
* लाभार्थी को 2-3 सप्ताहों की उद्यम विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण लेना होगा।
* नकारात्मक सूची: पशु-पालन, मांस, मादक पदार्थों, पौधारोपण फसल, पॉलिथीन विनिर्माण और ग्रामीण परिवहन से संबंधित कार्यकलाप के लिए वित्त प्रबंध हेतु शामिल नहीं किए गए हैं।
* वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. केवीआईसी.ओआरजीआईएन एवं डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.पीएमईजीपी.आईएन (इन) से विवरण लिया जा सकता है।

शाकीय और औषधीय वनस्पति

* विभिन्न औषधीय पौधों की खेती के लिए 20-75% इमदाद उपलब्ध है।
* तिलहनों की खेती के लिए 20-30% परिदान उपलब्ध है।
* वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.नोवोदबोर्ड.कॉम से विवरण लिया जा सकता है।

बागवानी

* विभिन्न फलों की खेती के लिए 20-30% परिदान उपलब्ध है।
* वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.होरटिबिग इंडिया.ओआरजी से विवरण लिया जा सकता है।

पुष्पकृषि

* विभिन्न फूलों की खेती के लिए 10-20% परिदान उपलब्ध है।

एपीईडीए

* निर्यात होने वाले औषधीय पौधों, तिलहनों, फलों और फूलों की खेती के लिए 25% परिदान उपलब्ध है।
* वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एपीईडीए.कॉम से विवरण लिया जा सकता है।

पशुपालन

* डेयरी, भेड़, बकरी, सुअर-बाड़ा, मत्स्य पालन जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए 10-30% इमदाद उपलब्ध है।

* वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.आईएएचडी.एन.आईसीआईएन (इन) से विवरण लिया जा सकता है।

अनुदत्तता (फ्रांचैजिंग)

* अनुदत्तता के अंतर्गत विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं की विस्तृत श्रेणी उपलब्ध है।

* वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.फ्रैंचाइजीइंडिया.कॉम से विवरण लिया जा सकता है।

जेसीबी बैकहो लोडर

* आधारभूत संरचना विकास कार्यों में अर्थ-मूवर मशीन की भारी मांग है।

* लागत करीब 20-25 लाख रुपए है।

* नाबार्ड/केवीआईसी से परिदान/सुलभ ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

* भूतपूर्व सैनिकों को रियायत देने के लिए कंपनी तैयार है।

* वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.आईओबी.कॉम से विवरण लिया जा सकता है।

छावनी बोर्ड का गठन

1886. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छावनी बोर्ड के गठन की प्रक्रिया में देर हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बोर्डों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कब तक किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार का विचार छावनी बोर्डों के पदेन सदस्यों के रूप में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों जैसे संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों की नियुक्ति करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) छावनी अधिनियम, 2006 के अधिनियमन और छावनी निर्वाचक नियमावली, 2007 के प्रकाशन के बाद सभी 62 छावनी बोर्डों के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत रूप से गठित निर्वाचित बोर्ड सभी 62 छावनियों में कार्य कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 12(9) में निहित व्यवस्था के अनुसार उन चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को जो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से छावनी क्षेत्र में आते हैं, बोर्ड की बैठकों में विशेष आमंत्रितों के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है।

बाल श्रमिकों के लिए स्कूल

1887. श्री रामसिंह राठवा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बाल श्रमिकों के लिए स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की व्यापक रूपरेखा क्या है; और

(ग) इन स्कूलों में कुल कितने बाल श्रमिकों के दाखिले की क्षमता होगी?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) की योजना के अंतर्गत व्यापक सर्वेक्षण रिपोर्ट और परियोजना समिति जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पहचान किए गए जिलों के लिए स्कूलों की संस्वीकृति प्रदान की जाती है। स्कूलों की संख्या में वृद्धि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एनसीएलपी के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्कूल को कार्य से हटाए गए 50 बच्चों को प्रवेश देना होता है।

[हिन्दी]

आवास निर्माण हेतु अनुदान

1888. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत गरीबों को आवास निर्माण करने के लिए अनुदान देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मूल्य वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए आवास निर्माण हेतु गरीबों को अनुदान की राशि बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (दिल्ली तथा चंडीगढ़ को छोड़कर) के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित कर रहा है, इसके तहत आवासीय इकाइयां बनाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना की शुरुआत से अब तक आईएवाई के तहत रिलीज की गई केन्द्रीय निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) आईएवाई के तहत इकाई सहायता को 1.4.2010 से बढ़ाकर मैदानीक्षेत्रों में 35,000 रु. से 45,500 रु. तथा पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 38,500 रु. से 48,500 रु. कर दिया गया है।

विवरण

योजना की शुरुआत से अब तक इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को दिए गए अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्ताव
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4,375.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	175.59
3.	असम	3,419.72
4.	बिहार	10,931.02
5.	छत्तीसगढ़	648.19
6.	गोवा	21.97
7.	गुजरात	1,934.09
8.	हरियाणा	339.34
9.	हिमाचल प्रदेश	134.68
10.	जम्मू और कश्मीर	312.37
11.	झारखंड	1,467.25
12.	कर्नाटक	1,741.28
13.	केरल	963.36
14.	मध्य प्रदेश	2,064.49
15.	महाराष्ट्र	2,990.02
16.	मणिपुर	106.33
17.	मेघालय	165.19
18.	मिजोरम	61.26
19.	नागालैंड	180.74
20.	उड़ीसा	3,733.96
21.	पंजाब	302.11
22.	राजस्थान	1,171.41
23.	सिक्किम	38.09
24.	तमिलनाडु	2,009.01
25.	त्रिपुरा	364.77
26.	उत्तर प्रदेश	6,523.17
27.	उत्तराखंड	301.41
28.	पश्चिम बंगाल	3,271.26
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15.25
30.	दादरा और नगर हवेली	6.07
31.	दमन और दीव	0.84
32.	लक्षद्वीप	3.02
33.	पुडुचेरी	9.93
	कुल	49,782.47

वरिष्ठ नागरिक सुविधाओं हेतु उम्र-सीमा

1889. श्री भरत राम मेघवाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुविधाएं प्रदान करने हेतु वरिष्ठ नागरिकों की उम्र-सीमा के मानदंड विभिन्न राज्यों में एकसमान नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 60 वर्ष के उम्र मानदंड निर्धारित करने में समरूपता कायम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 में ''वरिष्ठ नागरिक'' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुके हैं।

इस अधिनियम में भरण-पोषण भत्ता; जरा-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखरेख; आश्रय और जान-माल के संरक्षण का प्रावधान है।

यह अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा अलग अधिसूचना जारी करने पर लागू होता है। अब तक 22 राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम को अधिसूचित किया है। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं है।

शेष 5 राज्यों से अधिनियम को अधिसूचित करने हेतु पहले से ही अनुरोध कर दिया गया है।

[अनुवाद]

प्रमुख मदों का निर्यात

1890. श्री नरहरि महतो: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गयी प्रमुख मदों की कुल मात्रा तथा निर्यात-मूल्य मद-वार तथा वर्ष-वार क्या है;

(ख) अन्य विकासशील देशों के साथ देश के व्यापार घाटे की तुलनात्मक तस्वीर क्या है;

(ग) क्या विभिन्न व्यापार/वाणिज्य निकायों ने निर्यात की घटती प्रवृत्ति पर अपने विचार व्यक्त किए हैं तथा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए उपाय सुझाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) गत तीन वर्षों के निर्यात की आईटीसी (एचएस) कोड वार मात्रा एवं मूल्य दर्शाने वाले विस्तृत आंकड़े सीडी रूप में क्रमश: मार्च 2008, मार्च 2009 तथा मार्च 2010 के लिए 'भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी' नामक डीजीसीआई एंड एस के प्रकाशन में उपलब्ध है, जिसे डीजीसीआई एंड एस द्वारा नियमित रूप से संसद पुस्तकालय में भेजा जाता है।

(ख) वर्ष 2009 में भारत, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान के लिए व्यापार घाटा बिलियन अम.डॉ. में क्रमश: (-)86.98, (-)6.75, 19.33, 195.85, 27.73, 33.60 तथा (-)14.03 है। इन मूल्यों की गणना डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट http://stat.wto.org से निर्यात एवं आयात संबंधी आंकड़े प्राप्त कर की गई है। अन्य विकासशील देशों के संबंध में इसी प्रकार की सूचना इसी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) विभिन्न व्यापारिक/वाणिज्यिक निकायों से समय-समय पर और विशेष रूप से निर्यात निष्पादन के संबंध में वस्तु क्षेत्रवार निष्पादन समीक्षा के दौरान, प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार देश में एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक घटनाक्रमों की तुलना में विभिन्न वस्तु क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन की सतत आधार पर कड़ी निगरानी करती आ रही है। निर्यात क्षेत्रों की क्षेत्रवार निष्पादन समीक्षाओं के आधार पर, आवश्यकता आधारित सहायता और उसके वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सहायताकारी उपाय किए जाते हैं। इन उपायों से अक्तूबर, 2009 के पश्चात् निर्यात वृद्धि को सकारात्मक स्तर पर पहुंचाने में योगदान मिला है।

[हिन्दी]

हैंड पंपों का लगाया जाना

1891. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हैंड पंप लगाने के लिए जल प्रतिनिधियों को सशक्त करने पर केन्द्र सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) दिशानिर्देशों के अनुसार, अपने निर्वाचन क्षेत्र में बसावटों में हैंड पंप लगाने के लिए संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों को जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाते समय राज्य स्तर योजना मंजूरी समिति द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संसद सदस्यों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों को परियोजनाओं की राज्य वार्षिक सूची में शामिल करने के लिए राज्य ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग

को अग्रेषित किया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ स्तर पर संसद सदस्यों को उनके प्रस्तावों को शामिल करने/शामिल न करने की तथा शामिल न किए जाने के मामले में प्रत्येक मामले के कारणों की जानकारी भी दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य अवसंरचना

1892. **श्री प्रहलाद जोशी:**
श्री राकेश सिंह:
श्री रूद्रमाधव राय:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री पूर्णमासी राम:
डॉ. थोकचोम मैन्या:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्रीमती दर्शना जरदोश:
श्री शत्रुघ्न सिन्हा:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री रमेन डेका:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:
श्री रमाशंकर राजभर:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आधि शंकर:
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील:
श्री मिलिंद देवरा:
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:
श्री पी.टी. थॉमस:
श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री प्रेमदास:
श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* **ललन सिंह:**
श्री हर्ष वर्धन:
श्री माणिक टैगोर:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तिब्बत तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन द्वारा निर्माण किए जा रहे भारी पैमाने पर सैन्य अवसंरचना तथा इन क्षेत्रों में गहन सैन्य गतिविधियों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उभरते सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करने की कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसकी प्रतिक्रिया में सरकार द्वारा बनाई गई सीमा सड़क तथा अन्य सैन्य अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) देर हुई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार पड़ोसी देशों के बराबर की क्षमता हासिल करने के लिए रक्षा तैयारी कब तक करेगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) सरकार तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और पाक अधिकृत कश्मीर सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना विकास तथा सैन्य गतिविधियों पर नजर रखती है। हमारी सीमाओं पर सीमा सड़क निर्माण सहित अवसंरचना निर्माण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ परियोजनाओं में विभिन्न कारणों जैसे विकट भू-भाग, विपरीत जलवायु परिस्थितियों आदि की वजह से विलम्ब हो जाता है। यद्यपि क्षमता विकास एक सतत प्रक्रिया है, किन्तु भारतीय सेना राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए संक्रियात्मक रूप से सक्षम है।

[हिन्दी]

भर्ती परीक्षा में अनियमितता

1893. **श्रीमती जयाप्रदा:**
श्री नीरज शेखर:
श्री सी. राजेन्द्रन:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:
डॉ. संजय सिंह:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौसेना की भर्ती परीक्षा में कथित भारी अनियमितता बरते जाने का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इनमें लिप्त अधिकारियों तथा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) जी, हां। मुम्बई में हुई अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती परीक्षा को प्रश्नपत्रों के लीक होने के कारण निरस्त कर दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है और पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक सैन्य अधिकारी और नौसेना के दो सिविलियन अधिकारी शामिल हैं। इस समय वे सभी न्यायिक हिरासत में हैं।

नौसेना में, चयन पद्धति के मानक और प्रक्रिया सुस्पष्ट हैं और यह सरकार के विभिन्न भर्ती अभिकरणों में प्रचलित प्रक्रिया के अनुरूप हैं। प्रश्नपत्रों के रखरखाव के सभी स्तरों पर सतर्कता प्रक्रियाओं को मजबूत करते हुए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पर्याप्त एहतियाती और निवारक उपाय किए जा रहे हैं।

एक पद एक पेंशन

1894. श्री विलास मुत्तेमवार:
डॉ. एम. तम्बिदुरई:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री रमेश बैस:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए 'एक पद एक पेंशन' की मांग पर पुनर्विचार करने का अनुरोध सरकार से किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या 'एक पद एक पेंशन' की मांग के संबंध में सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ पीठ ने समान पद (रैंक) पर पदस्थ कर्मी को समान वेतन/पेंशन प्रदान करने की वकालत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, हां।

(ख) संसदीय स्थायी रक्षा समिति (15वीं लोक सभा) की पहली और सातवीं रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकार को ''एक रैंक एक पेंशन'' के मामले पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। चूंकि एक रैंक एक पेंशन के मामले को पूर्व में स्वीकृत नहीं किया था और हाल ही में इस पर विचार करने के लिए गठित मंत्रिमंडल सचिव की समिति ने भी इसकी सिफारिश नहीं की है, इसलिए 'एक रैंक एक पेंशन' की मांग को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

(ग) मूल आवेदन सं. 15 और 45/2010 के मामले में सशस्त्र बल अधिकरण, चंडीगढ़ ने प्रतिवादियों को इस मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए दिनांक 3.3.2010 को आदेश जारी किए हैं।

(घ) कथित आदेश की जांच की गई थी और स्थिति स्पष्ट करने वाले आख्यापक आदेश याचिकाकर्त्ताओं को दिनांक 10.7.2010 को जारी किए गए थे।

[अनुवाद]

विदेशी शेयरधारकों द्वारा भारतीय कंपनियों में निवेश

1895. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी शेयरधारकों वाली तथा दूरसंचार, विमानन तथा एकल-ब्रांड, रिटेल जैसे अधिकतम सीमा वाले क्षेत्रों में निवेश की इच्छुक भारतीय कंपनियों को विशेष रूप से गठित समिति के समक्ष अपने पूरे शेयरधारण पैटर्न तथा समझौतों का खुलासा करने की जरूरत होगी जो उसके भारतीय स्वामित्व तथा नियंत्रित होने का निर्धारण तथा पुष्टि करेगी तथा तद्नुसार डाउनस्ट्रीम कार्यकलापों को भारतीय माने जाने की अनुमति देगी;

(ख) यदि हां, तो तथाकथित संवेदनशील क्षेत्रों में निवेशशासी ये मानदंड तथा मूल्य विदेशी शेयरधारक वाली भारतीय कंपनियों के लिए किस सीमा तक प्रयोज्य हैं; और

(ग) यदि हां, तो इससे किस सीमा तक मदद मिलेगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सक्सेना समिति

1896. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एन.सी. सक्सेना समिति के गठन के उद्देश्य तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ख) क्या सक्सेना समिति ने अपनी रिपोर्ट तब से प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश की जनसंख्या के 77 प्रतिशत के गरीबी रेखा से नीचे रहने की खबर है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण परिवारों का निर्धारण करने हेतु बीपीएल जनगणना कराने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से 12 अगस्त, 2008 को एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। डॉ. एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता वाले इस विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट 21 अगस्त 2009 को प्रस्तुत की थी। उक्त विशेषज्ञ समूह के विचारार्थ विषय निम्नानुसार थे:—

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के तहत सहायता प्रदान करने हेतु बीपीएल के निर्धारण के लिए आसान, पारदर्शी तथा विषयपरक बीपीएल जनगणना करवाने हेतु अधिक उपयुक्त प्रक्रियाविधि की सिफारिश करना।

(2) सर्वेक्षण करने, आंकड़ों के सत्यापन तथा विभिन्न स्तरों पर बीपीएल सूची के अनुमोदन हेतु संस्थागत प्रणाली की सिफारिश करना।

(3) बीपीएल सूची में विलोपन/समावेशन के बारे में जनता की शिकायतों के निवारण हेतु संस्थागत पद्धति की सिफारिश करना।

(4) निर्धनों के आकलन एवं निर्धारण की समीक्षा करना और निर्धारित किए जाने वाले बीपीएल परिवारों की कुल संख्या संबंधी सीमा पर विचार करना।

(5) बीपीएल जनगणना को सुगम एवं स्वीकार्य बनाने के लिए अन्य कोई सिफारिश करना।

विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों में बीपीएल सूची से ग्रामीण परिवारों का स्वत: विलोपन, बीपीएल सूची में स्वत: समावेशन और शेष परिवारों का श्रेणीकरण शामिल है। बीपीएल सूची में से ग्रामीण परिवारों के स्वत: विलोपन के लिए विशेषज्ञ समूह ने भूमि के स्वामित्व, मोटर वाहनों के स्वामित्व, यांत्रिक कृषि उपकरणों के स्वामित्व, नियमित रोजगार एवं आयकरदाताओं जैसे कुछ पहलुओं की सिफारिश की है। विशेषज्ञ समूह ने निम्न जैसे कतिपय समूह से ग्रामीण परिवारों के बीपीएल सूची में स्वत: समावेशन की सिफारिश की है—पदनामित ''आदिम जनजातीय समूह'', पदनामित ''महादलित समूह'', एकल महिला प्रमुख वाले परिवार, अपंग जीविकोपार्जक वाले परिवार, अवयस्क प्रमुख वाले परिवार, जीविका के लिए भिक्षा पर निर्भर परिवार, निराश्रित परिवार तथा बंधुआ मजदूरों वाले परिवार। विशेषज्ञ समूह ने सिफारिश की है कि शेष परिवारों को जाति, समुदाय, धर्म, व्यवसाय, शैक्षिक स्तर तथा परिवार के मुखिया की आयु के आधार पर 10 के पैमाने पर श्रेणीकृत किया जाए।

(घ) से (च) असंगठित क्षेत्र में उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार करने और उन्हें तकनीकी, बाजार एवं क्रेडिट सहायता प्रदान करने के संबंध में उपयुक्त सिफारिश करने के लिए माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में असंगठित क्षेत्र के उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस) का गठन किया था। वर्ष 2004-05 के अंत में एनसीईयूएस द्वारा ''असंगठित क्षेत्र में कार्य संबंधी परिस्थितियां एवं आजीविका को प्रोत्साहन'' संबंधी विषय पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार लगभग 836 मिलियन व्यक्ति अथवा (जनसंख्या का 77%) 20 रु. प्रतिदिन की आमदनी से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं।

निर्धनता एक बहुआयामी मुद्दा है और विभिन्न विशेषज्ञ/समितियां तथा संस्थान विभिन्न धारणाओं/परिभाषाओं के आधार पर निर्धनता का आकलन करते हैं। तथापि, देश में गरीबी का आकलन करने के लिए भारत सरकार में योजना आयोग नोडल एजेंसी है। प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, एनएसएस उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के 61वें दौर के आधार पर योजना आयोग द्वारा वर्ष 2004-05 के संबंध में जारी किए गए अद्यतन निर्धनता अनुमानों के अनुसार वर्ष 2004-05 में देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाली जनसंख्या का 37.2% था।

[हिन्दी]

3जी सेवा के उपभोक्ता

1897. श्री राकेश सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 3जी सेवा के उपभोक्ताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) 3जी सेवा के मामले में अपने वर्तमान उपभोक्ताओं तथा नए उपभोक्ताओं की रुचि जगाने में विफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। दिनांक 31.10.2010 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल ने 662 शहरों में 3जी सेवाएं पहले से ही प्रारंभ कर दी हैं। दिनांक 31.10.2010 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल को अपने प्रचालन क्षेत्र में 3जी सेवाओं के लिए 20,32,564 उपभोक्ता पहले से ही प्राप्त हो चुके हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वाजपेयी समिति

1898. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरिम पेंशन विनियामक ने सिविल पेंशन योजना की संरचना में सुधार करने के लिए श्री वाजपेयी की अध्यक्षता में समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गयी सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने वाजपेयी समिति की सिफारिशों के अनुसार पेंशन योजना में सुधार करने के लिए कोई कार्य-योजना बनायी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत मजदूरी में वृद्धि

1899. श्री पी.के. बिजू:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
प्रो. रंजन प्रसाद यादव:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री राम सुन्दर दास:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:
श्री के. सुधाकरण:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी:**
श्री के.आर.जी. रेड्डी:
श्री मिलिंद देवरा:
श्री सुखदेव सिंह:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री बाल कुमार पटेल:
श्री पी. बलराम
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय परामर्शदाती परिषद ने सरकार को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत सूचीबद्ध श्रमिक को विभिन्न राज्यों में प्रयोज्य न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी मिलनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ संबद्ध करने तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से असंबद्ध करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) प्रत्येक राज्य में समान मजदूरी प्रदान करने तथा इस योजना को शहरी क्षेत्रों के गरीबों के लिए विस्तारण करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रस्तावित अन्य कदम क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कामगारों को मजदूरी के भुगतान के संबंध में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को पीएमओ से नोट मिला है एवं इसकी जांच की जा रही है।

(ग) से (ङ) महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 6(1) में अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी दर का प्रावधान है। संगत प्रावधान नीचे दिए अनुसार है:

"न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्र सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ 'अधिसूचना द्वारा' मजदूरी दर निर्धारित कर सकेगी:

परन्तु यह कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए मजदूरी की भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी:

परन्तु यह और कि किसी ऐसी अधिसूचना के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी दर साठ रुपए प्रति दिन से कम की दर पर नहीं होगी।"

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मजदूरी दर का उपयुक्त सूचकांक बनाने के मामले की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(च) महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 6(1) में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न मजदूरी दरें अधिसूचित कर सकेंगी। इसलिए प्रत्येक राज्य में समान मजदूरी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। महात्मा गांधी नरेगा देश के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है और इसे शहरी गरीब क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता।

बिहार मे बी.एन.वाई. के अंतर्गत पेयजल

1900. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्री उमाशंकर सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत निर्माण योजना (बी.एन.वाई.) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित लक्ष्य बिहार राज्य में प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य में कार्यक्रम के पहले तथा दूसरे चरण के दौरान किए गए बजटीय प्रावधान तथा वास्तविक व्यय का संकेत करते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) से (ग) 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य में 47,597 निचली श्रेणी में लौट आई तथा 776 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें थीं जिनको मिलाकर कुल 48,373 बसावटें बनती हैं। राज्य में कोई भी कवर न की गई बसावट नहीं थी। भारत निर्माण चरण-I के दौरान राज्य ने 42,705 निचली श्रेणी में लौट आई तथा 6,306 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर किया था जिनकी कुल संख्या 49,011 बसावटें हो जाती हैं। भारत निर्माण चरण-II के दौरान दो वर्षों 2009-10 तथा 2010-11 में, समेकित आसूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएमआईएस) में उपलब्ध आंकड़े के अनुसार 15.11.2010 की स्थिति के अनुसार राज्य ने 15,657 बसावटों के लक्ष्य की तुलना में 11,428 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर किया है। अधिक उपलब्धि निर्धारित की गई नई गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की कवरेज के कारण हासिल हुई है।

भारत निर्माण चरण-I के दौरान बिहार को 1043.70 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे। इस निधि में से 905.38 करोड़ रु. रिलीज कर दिए गए थे तथा राज्य द्वारा बताया गया व्यय 279.67 करोड़ रु. था। भारत निर्माण चरण-II के दौरान (वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए) राज्य को मुहैया कराया गया आबंटन 713.67 करोड़ रु. है तथा 15.11.2010 तक 186.11 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं। आईएमआईएस में उपलब्ध आंकड़े के अनुसार, 15.11.2010 की स्थिति के अनुसार 424.44 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं। भारत निर्माण चरण-II के दौरान कवर न की गई तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर किए जाने को प्राथमिकता दी गई है। इसकी सतत निगरानी की जाती है। आगे, कवरेज संबंधित आंकड़े नियमित रूप से राज्यों द्वारा विभाग की वेबसाइट में डाले जाने की आवश्यकता है। कवरेज में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। क्षेत्र अधिकारी तथा भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी तीव्र प्रगति के लिए कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्यों का दौरा करते हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति का उल्लंघन

1901. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू कंपनियां विदेशी कंपनियों को व्यापार देय तथा पूजीगत वस्तुओं के आयात जैसे गैर-नकद प्रतिफल के आधार पर शेयर जारी कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के उल्लंघन तथा धनशोधन को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में (i) परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में बाह्य वाणिज्यिक कर्जों (ईसीबी) (ईसीबी के रूप में माने जाने वाले को छोड़कर) को इक्विटी शेयरों/पूर्ण रूप से अनिवार्य एवं अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में परिवर्तन के द्वारा तथा (ii) एकमुश्त तकनीकी ज्ञान शुल्क एवं रॉयल्टी पर शेयरों के निर्गमन की अनुमति दी गई है।

शेयरों के इस प्रकार के निर्गमन पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी 2010 के परिपत्र 2 के पैरा 3.4.6 में उल्लिखित शर्तें लागू होंगी। यह परिपत्र जनता के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वेबसाइट (www.dipp.gov.in) पर उपलब्ध है।

एफडीआई नीति के तहत व्यापार देय सहित नकदीतर प्रतिफलों एवं पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर अन्य प्रकार के परिवर्तनों की अनुमति नहीं है।

(ग) और (घ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने ''रोकड़ को छोड़कर अन्य प्रतिफलों के लिए शेयरों के निर्गमन'' विषय पर चर्चा पत्र जारी किया है, जिस पर हितपक्षों/जनता से विचार/सुझाव मांगे गए हैं। चर्चा-पत्र एवं उन पर प्राप्त टिप्पणियां जनता के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वेबसाइट (www.dipp.gov.in) पर उपलब्ध हैं। सरकार ने इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

बी.आर.ओ. के यूनिट

1902. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य में सीमा सड़क संगठन की एक इकाई की स्थापना के लिए राज्य की विधान सभा से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। यह 26.10.2009 को रक्षा मंत्रालय में प्राप्त हुआ था।

(ग) यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि सीमा सड़क संगठन का कार्यभार उसकी क्षमता से काफी अधिक है और इसकी प्राथमिकता, सीमा क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों को पूरा करने की है।

[अनुवाद]

नई सेलुलर सेवाएं

1903. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में नई सेलुलर सेवाओं के उन्नयन तथा उन्हें स्थापित किए जाने हेतु 2010 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार मार्च, 2012 तक 600 मिलियन टेलीफोन कनेक्शनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। दिनांक 30.9.2010 तक की स्थिति के अनुसार देश में 723.28 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन हैं जिनमें से 687.72 मिलियन वायरलेस कनेक्शन हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इंटरसेप्टर बोट

1904. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तटरक्षक बल में हाल ही में सी-148 अवरोधक नौका शामिल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उस पर कितना व्यय आया है;

(ग) इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) इन नौकाओं के निर्माण के लिए मैसर्स ए.बी.जी. शिपयार्ड को दिए गए ऑर्डर का क्या ब्यौरा है और इन नौकाओं की आपूर्ति के लिए क्या समय-सीमा नियत की गई है; और

(ङ) इससे विशेषकर गुजरात तट के संबंध में भारतीय तटरक्षक बल किस हद तक सुदृढ़ हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) गुजरात के वेरावल स्थान पर एक अवरोधक नौका सी-148 को अक्तूबर 2010 में कार्य पर लगाया गया था। नौका की अधिप्राप्ति पर 19.4 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। नौका की अधिकतम गति 90 टन के विस्थापन के साथ 45 समुद्री मील है। नौका की लम्बाई, चौड़ाई और डुबाव क्रमश: 28.30 मीटर, 6.60 मीटर और 1.50 मीटर है। मार्च 2006 में 11 अवरोधक नौकाओं की आपूर्ति करने के लिए मैसर्स एबीजी शिपयार्ड के साथ इस संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। छह नौकाओं की सुपुर्दगी पहले ही की जा चुकी है। शेष नौकाओं की सुपुर्दगी नवम्बर 2010 से मई 2011 के दौरान तय की गई है। गुजरात समुद्र तट पर इन नौकाओं के प्रयोग से तटरक्षक की निगरानी और अवरोधक क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

नि:शक्त व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार

1905. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नि:शक्त व्यक्तियों को अधिकारिता प्रदान किए जाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाना आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को नि:शक्त व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए पहले ही प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। वर्तमान में निम्नलिखित 13 विस्तृत श्रेणियों के अंतर्गत कुल 63 पुरस्कार उपलब्ध हैं:

(i) सर्वश्रेष्ठ विकलांग कर्मचारी/स्व-नियोजित विकलांग व्यक्ति;

(ii) विकलांग व्यक्तियों के स्थापन हेतु सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और स्थापन अधिकारी/एजेंसी;

(iii) विकलांग व्यक्तियों के हितार्थ कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और सर्वश्रेष्ठ संस्था;

(iv) रोल मॉडल पुरस्कार;

(v) विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान/अभिनव/उत्पाद विकास;

(vi) विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य;

(vii) पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला;

(viii) राष्ट्रीय न्यास की स्थानीय स्तर की सर्वश्रेष्ठ समिति;

(ix) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम का सर्वश्रेष्ठ राज्य संचालक अभिकरण;

(x) उत्कृष्ट सृजनशील वयस्क विकलांग व्यक्ति;

(xi) सर्वश्रेष्ठ सृजनशील विकलांग बालक/बालिका;

(xii) सर्वश्रेष्ठ ब्रेल मुद्रणालय; और

(xiii) सर्वश्रेष्ठ विकलांगजन-अनुकूल वेबसाइट।

ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस के अवसर पर अर्थात् 3 दिसम्बर को प्रदान किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मानवाधिकार का उल्लंघन

1906. श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी:**
श्री राम सुंदर दास:
श्री राधे मोहन सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सशक्त सेना के कार्मिकों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन के कितने मामले दर्ज हुए हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सशस्त्र सेना कार्मिकों के विरुद्ध प्राप्त मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्राप्त शिकायतें
2007	48
2008	51
2009	81
2010 (15.11.2010 तक)	50
कुल	230

(ख) सभी शिकायतों की जांच शुरू की गई है तथा 175 मामलों में शिकायतें औचित्यहीन पाई गईं। 4 मामलों में अब तक दोषी पाए गए 8 सशस्त्र सेना कार्मिकों को दण्डित किया गया है।

[अनुवाद]

सशस्त्र सेना में भर्ती

1907. श्री शेर सिंह घुबाया: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीमावर्ती क्षेत्र शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं, सशस्त्र सेना में भर्ती हेतु देश के सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिए जाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सशस्त्र सेनाओं में भर्ती अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर की जाती है। अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:—

सेना: ऐसे उम्मीदवारों को केवल शिक्षा और शारीरिक मानदंडों के रूप में वरीयता दी जाती है।

कुल अंकों में से 45% अंकों और प्रत्येक विषय में 32% अंकों सति मैट्रिकुलेशन की मानक अर्हता के प्रति सीमावर्ती क्षेत्रों के उम्मीदवार, विनिर्दिष्ट क्षेत्र के पिछड़ेपन (डिप्राइवेशन) के स्तर के आधार पर, आठवीं या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने भर से सेना में भर्ती होने के लिए पात्र हैं। छूट का स्तर लेफ्टिनेंट जनरल बैंक के एक अफसर की अध्यक्षता में, एक अफसर बोर्ड की सिफारिश के आधार पर तय किया जाता है।

ऐसे राज्यों के उम्मीदवारों को भर्ती हेतु कद के मामले में भी छूट दी जाती है उदाहरणार्थ पूर्वोत्तर राज्यों के उम्मीदवार, देश के क्षेत्र के आधार पर, अन्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित 166 सेंटीमीटर-170 सेंटीमीटर के मानक कद की तुलना में 160 सेंटीमीटर के कद के साथ भर्ती के लिए पात्र हैं।

वायुसेना: भर्ती अखिल भारतीय मेरिट पर आधारित है। देश के दूर-दराज/सीमावर्ती/विद्रोह प्रभावी अथवा पहाड़ी जिलों, द्वीपीय प्रदेशों और कम भर्ती वाले क्षेत्रों के युवाओं को अवसर देने हेतु भी रैलियां आयोजित की जाती हैं। इन भर्ती रैलियों के माध्यम से, वायुसेना अलग-थलग और दूर-दराज के उन उम्मीदवारों तक भी पहुंचती है जो अन्यथा निर्धारित चयन परीक्षा की सुविधाओं का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं।

नौसेना: नौसेना में भर्ती, नौसेना भर्ती योजना के अनुसार सारे भारत में की जाती है, जो आवेदन पर आधारित है और चयन पूर्णत: मेरिट के आधार पर किया जाता है।

मौजूदा प्रणाली निष्पक्ष है और यह सभी राज्यों के पात्र नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराती है।

[हिन्दी]

सोयाबीन का निर्यात

1908. श्री लालचन्द कटारिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निर्यात किए गए सोयाबीन की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या सितम्बर में समाप्त चालू वर्ष के दौरान देश से सोयाबीन का निर्यात 30 प्रतिशत कम हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसानों ने अच्छा प्रतिफल पाने की आशा में सोयाबीन की जमाखोरी की हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या घरेलू बाजार में सोयाबीन की ऊंची कीमत के कारण इसके निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोयाबीन के निर्यात की मात्रा नीचे तालिका में दी गई है:—

वर्ष	मात्रा (हजार टन में)	मूल्य (लाख में)
2007-08	7.46	12.02
2008-09	44.84	90.62
2009-10	24.70	57.65

(ख) और (ग) सोयाबीन का निर्यात पिछले वर्ष के 44.84 हजार टन से घटकर चालू वर्ष के दौरान 24.70 हजार टन रह गया है।

(घ) से (च) व्यापार अनुमानों के अनुसार वायदा बाजार में अनुचित रूप से ऊंची भाव दर के कारण किसानों/व्यापारियों ने सोयाबीन अपने पास रोक रखा है। इसके अलावा, घरेलू बाजार में सोयाबीन खाद्य की ऊंची कीमत के कारण अच्छा लाभ प्राप्त करने की आशा में उद्योग ने घरेलू बिक्री पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्चतर उत्पादन के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारी दरें प्रतिस्पर्धी नहीं थीं जिसके परिणामस्वरूप निर्यात में गिरावट आई थी।

(छ) सोयाबीन के निर्यातकों के प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा फोकस उत्पाद स्कीम (एसपीएफ) के अंतर्गत निर्यातों के एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत का लाभ प्रदान किया गया है।

[अनुवाद]

मजदूरी में वृद्धि

1909. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मजदूरी में संशोधन किए जाने की मांग की गयी है और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वाधिक शोषित वर्ग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) समुचित सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित की जाती हैं। न्यूनतम मजदूरी को मुद्रास्फीति से संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार तथा अधिकांश राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर से प्रभावी एक वर्ष में दो बार संशोधित परिवर्ती महंगाई भत्ते (वीडीए) की प्रणाली अंगीकार की है।

केन्द्रीय क्षेत्र में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन सामान्य तौर पर केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में नामोद्दिष्ट मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। वे नियमित निरीक्षण करते हैं और समयोपरि मजदूरी सहित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने अथवा कम भुगतान किए जाने के किसी मामले का पता चलने पर वे नियोजकों को यह सलाह देते हैं कि वे कम अदा की गई मजदूरी का भुगतान करें। अनुपालन न किए जाने के मामले में, चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध दाण्डिक उपबंधों का प्रयोग किया जाता है। पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 2009-10 के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन के बारे में उपलब्ध ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2009-10 के दौरान न्यूमतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन से संबंधित ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों का नाम	किए गए निरीक्षण	अनियमितताएं		दावे		अभियोजन मामले			प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की राशि (रु. '000)	जुर्माने की राशि (रु. '000)	
			पता चला	सुधारी गयी	दायर किए गए	निपटाए गए	लंबित	दायर किए गए	निर्णीत		लगाई गई	वसूल की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	केन्द्रीय क्षेत्र#	15951	161562	173225	2724	2046	51512	5599	3415	9801	2342	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	राज्य क्षेत्र											
1.	आंध्र प्रदेश	65115	7368	4461	8504	7723	356	720	186	3571	67	10
2.	अरुणाचल प्रदेश*	29	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	8683	5589	3659	80	71	18	8	3	1018	शून्य	शून्य
4.	बिहार	241509	49925	48258	25596	14361	1296	275	4	10704	2218	–
5.	छत्तीसगढ़*	6522	1076	633	156	231	11721	1094	375	25	120	371
6.	दिल्ली	5522	5359	4365	263	132	उ.न.	876	87	7385	165	165
7.	गोवा*	971	7003	98	2	9	17	9	3	शून्य	12	–
8.	गुजरात	19462	81374	54209	0	0	46383	3514	4987	13566	5792	5792
9.	हरियाणा	1612	316	316	231	175	1126	217	214	6602	79	–
10.	हिमाचल प्रदेश	3043	3043	2947	11	10	9	6	131	168	86	–
11.	झारखंड	39162	13206	4788	18252	728	669	26	1	2327	1	–
12.	केरल	32786	68861	24274	307	109	690	1567	1384	2412	1481	1481
13.	मध्य प्रदेश	6681	2307	2724	233	205	3218	1049	501	524	227	52
14.	महाराष्ट्र	50537	55774	41074	5	1	1808	230	172	8459	148	38
15.	मणिपुर	1284	8	8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मेघालय	238	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	नागालैंड	30	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	उड़ीसा	20751	16786	9999	97	1	10700	681	7	शून्य	2	–
20.	पंजाब	14624	2818	2209	250	142	4996	335	211	130	143	–
21.	राजस्थान	8577	146	88	348	193	838	45	43	7339	23	–
22.	सिक्किम	8250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	तमिलनाडु	152084	3597	2	950	737	2557	163	107	19518	92	42
24.	त्रिपुरा	19444	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	88	शून्य	शून्य	शून्य	230	शून्य
25.	उत्तराखंड	3398	1007	328	153	133	286	342	210	913	57	57
26.	उत्तर प्रदेश	38683	13247	1081	4573	5361	5377	1224	1300	1864000	304	–
27.	पश्चिम बंगाल	8695	2980	1896	–	–	1026	275	83	–	43	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	48	240	240	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	चंडीगढ़	375	77	56	26	21	–	21	27	29	11	–
30.	दादरा और नगर हवेली	21	4	4	1	1	2	1	–	9	–	–
31.	दमन और दीव*	395	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33.	पुडुचेरी	7010	185	185	शून्य	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	0.5	0.5

टिप्पणी: जम्मू एवं कश्मीर तथा कर्नाटक से सूचना प्रतीक्षित है।
#अनंतिम
*कलैंडर वर्ष अर्थात् 2009 से संबंधित

असंगठित क्षेत्र के लिए सेवानिवृत्ति योजना

1910. डॉ. जी. विवेकानन्द: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति योजना शुरू किए जाने का निर्णय लिया है जिसमें असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के लिए निश्चित आय का वादा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों से इस संबंध में परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या परिणाम निकला?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार 65 वर्ष से अधिक आयु के और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी नागरिकों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और असंगठित कामगारों को पेंशन प्रदान करने के लिए स्वावलंबन योजना कार्यान्वित कर रही है जिनका नई पेंशन योजना (एनपीएस) में वार्षिक अंशदान न्यूनतम 1,000/- रुपये और अधिकतम 12,000/- रुपये है।

[हिन्दी]

असंगठित क्षेत्र हेतु पेंशन योजना

1911. श्री गोपीनाथ मुंडे: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए कोई पेंशन योजना शुरू की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे साठ वर्षीय व्यक्तियों जो कोई पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं, की संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत इस श्रेणी को भी शामिल किया गया है; और

(ङ) इस उत्तरदायित्व को किन कंपनियों को सौंपा गया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) सरकार ने हाल ही में स्वावलंबन योजना शुरू की है जो अंतरिम पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित नई पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल होने वाले असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों पर इस शर्त के अधीन लागू है कि केन्द्रीय सरकार के अंशदान का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध होगा जो एनपीएस में वार्षिक न्यूनतम 1,000/- रुपये और अधिकतम 12,000/- रुपये अंशदान करते हैं। भारत सरकार चालू वर्ष और अगले तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक एनपीएस अंशदाता के खाते में 1,000/- रुपये का अंशदान करेगी बशर्ते कि अंशदाता प्रतिवर्ष 1,000/- रुपये और 12,000/- रुपये के बीच किसी भी धनराशि का अंशदान करें।

सरकार ने 2010-11 से प्रारंभ चार वर्षों में प्रतिवर्ष दस लाख अंशदाताओं को कवर करने का लक्ष्य रखा है, जिससे मार्च, 2014 तक अंशदाताओं की कुल संख्या 40 लाख हो जाएगी। इस योजना

के लागू होने के प्रथम वर्ष के दौरान नामांकित व्यक्ति चार वर्ष के लिए और बाद के वर्षों के दौरान नामांकित व्यक्ति योजना की शेष अवधि के लाभ प्राप्त करेंगे।

(ङ) यह योजना संग्राहकों के माध्यम से पीएफआरडीए द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। संग्राहकों के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

संग्राहक सूची

क्र.सं.	नाम और पता	कवरेज-क्षेत्र
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम/भारतीय जीवन बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड, मुम्बई-400021	अखिल भारत
2.	बंधन-कोननगर, (माइक्रो फाइनान्स इंस्टीट्यूट) हुगली (पश्चिम बंगाल)	पश्चिम बंगाल
3.	सोसाइटी फॉर एलिमीनेशन ऑफ रुरल पॉवर्टी (एसईआरपी), हैदराबाद-500004	आंध्र प्रदेश
4.	आंध्र प्रदेश कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (एपीसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी), आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद-500705	आंध्र प्रदेश
5.	फाइनेंशियल इनफॉर्मेशन नेटवर्क एवं आप्रेशन्स लि. (एफआईएनओ), नवी मुम्बई-400705	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा
6.	आईएफएमआर होल्डिंग्स प्रा.लि., चेन्नई-600113	तमिलनाडु
1.	कम्प्यूटर एज मैनेजमेंट्स सर्विसेज, चेन्नई-600002	अखिल भारत
2.	अलंकित असाइन्मेंट्स लि., नई दिल्ली-110055	अखिल भारत
3.	आईएल एवं एफएस सिक्यूरिटीज सर्विसेज लिमिटेड, मुम्बई-400072	अखिल भारत
4.	द साउथ इंडियन बैंक लि., त्रिशूर-680001 (केरल)	अखिल भारत

[अनुवाद]

पी.ई.एस.ए. अधिनियम

1912. श्री के. सुगुमार: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) (पी.ई.एस.ए.) अधिनियम, 1996 के उपबंधों को देश के नक्सल/माओवाद प्रभावित राज्यों में प्रभावी रूप से लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों में पी.ई.एस.ए. का प्रभावी कार्यान्वयन उनकी समस्याओं के निदान के लिए सही दिशा में सही कदम होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) और (ख) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) (पीईएसए) अधिनियम, 1966 के द्वारा संविधान के भाग 9 को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ 9 राज्यों के क्षेत्र जो अनुसूची 5 में आते हैं, में लागू किया गया है। यह नौ राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान हैं। सरकार ने पीईएसए के प्रावधान से प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

1. **पीईएसए के दिशानिर्देश:** 'पीईएसए का सुप्रभावी कार्यान्वयन विशेष रूप से वर्तमान आतंकवाद के संदर्भ में' पर एक परामर्शिका दिनांक 21 मई, 2010 को सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सभी पीईएसए के सभी राज्यों को जारी कर दी गई है। यह पंचायती राज की वेबसाइट www.panchayat.nic.in पर उपलब्ध है।

2. **पीईएसए आदर्श नियमावली:** पीईएसए को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नियमावली बनाने हेतु इस मंत्रालय द्वारा पीईएसए के लिए आदर्श नियमावली का मसौदा तैयार किया गया था और सभी पीईएसए राज्यों को भेज दिया गया था।

3. **पीईएसए राज्यों की यात्रा और उनमें बैठकें:** पीईएसए राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया गया। पीईएसए कार्यान्वयन से संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकें की गईं।

4. **तीन उपसमितियां:** पंचायती राज मंत्रालय ने तीन समितियों का गठन किया है जिनके नाम इस प्रकार हैं: 'पीईएसए में की गई कल्पना के अनुसार ग्राम सभाओं को अधिकार देने के लिए आदर्श मार्गदर्शी सिद्धांत' पर बीडी शर्मा उपसमिति; 'भूस्वामित्व अंतरण, विस्थापन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन' पर राघव चंद्र उपसमिति तथा लघु वन उत्पादों पर श्री ए.के. शर्मा उपसमिति। सभी उपसमितियों की रिपोर्ट और सिफारिशें पीईएसए राज्यों को अग्रेषित कर दी गई हैं।

(ग) और (घ) पीईएसए जन्म केंद्र सरकार को प्रोत्साहित करता है और ग्राम सभा को केन्द्रीय भूमिका उपलब्ध कराता है। अनुसूचित 5 क्षेत्रों में जनसामान्य की अधिकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है कि बढ़े हुए विकेंद्रीकृत शासन से लोगों की शिकायतें कम होंगी।

आर्गेनिक मसाला

1913. श्री पबन सिंह घाटोवार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मसाला बोर्ड की पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव काली मिर्च, हर्बल प्रजातियां और अदरक उगाने को प्रोत्साहित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अधीन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आबंटित निधियों सहित मसाला बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोर्ड की शाखाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बोर्ड पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों/कार्मिकों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) 11वीं योजना के दौरान मसाला बोर्ड अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) सहित विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है अर्थात् इलायची (122.23 करोड़ रुपये) एवं काली मिर्च (53.28 करोड़ रुपये) बागानों का पुन:रोपण एवं नवीकरण, मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन एवं फसलोत्तर सुधार (82.94 करोड़ रुपये) तथा मसालों का निर्यात विकास एवं संवर्धन (192.691 करोड़ रुपये)। काली मिर्च, लेकाडांग हल्दी और अदरक की जैविक खेती के लिए मसाला बोर्ड मसालों के निर्यातोन्मुख उत्पादन एवं फसलोत्तर सुधार के अंतर्गत सब्सिडियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। मसाला बोर्ड ने चालू योजना अवधि के पहले 3 वर्षों के दौरान असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर राज्यों में काली मिर्च की जैविक खेती के अंतर्गत 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 69.40 लाख रुपये की सब्सिडी देकर 374 हेक्टेयर का क्षेत्र कवर किया है। अदरक के जैविक उत्पादन के संवर्धन हेतु किसानों को 12,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 277.20 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान करके 2252 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया। मसाला बोर्ड के बजट आवंटन का लगभग 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसके विभिन्न कार्यकलापों पर व्यय किया जाता है।

(घ) से (च) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न योजना कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु मसाला बोर्ड के तीन क्षेत्रीय कार्यालय हैं। गुवाहाटी में 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से विपणन एवं विकास हेतु एक-एक कार्यालय है और 1 कार्यालय गंगटोक में है। बोर्ड के 7 मंडल कार्यालय अगरतला (त्रिपुरा), आईजॉल (मिजोरम), इटानगर (अरुणाचल प्रदेश), जोरेथांग, गंगटोक, मगानगान तथा टाडोंग (सिक्किम) में स्थित हैं। बोर्ड के 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो चूरचंदपुर (मणिपुर), दीमापुर (नागालैण्ड) और शिलांग (मेघालय) में स्थित हैं। टाडोंग (सिक्किम) में एक अनुसंधान कार्यालय भी प्रचालनरत है।

मसाला बोर्ड किसानों को प्रशिक्षण एवं रोपण सामग्री प्रदान करता है और मसालों के गुणवत्ता उत्पादन हेतु सामुदायिक उपयोग के उपस्करों की खरीद करता है। मसाला बोर्ड मसालों की खेती, फसल कटाई तथा फसलोत्तर प्रचालनों के क्षेत्र में हाल ही में हुई प्रगति के बारे में आईआईसीआर, आईसीआरआई, केएयू, जैसे प्रतिष्ठित बागान अनुसंधान केन्द्रों, गैर-सरकारी संगठनों, दक्षिण भारत की मसाला प्रसंस्करण यूनिटों तथा मसाला बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में राज्यों में बागवानी/कृषि विभागों के अधिकारियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के चुनिन्दा उपजकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। 11वीं योजना अवधि के पहले

तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 27.50 लाख रुपये के व्यय से 9 अधिकारियों और 198 किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. का विस्तार

1914. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक:
श्रीमती जे. शांता:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) चूंकि महात्मा गांधी नरेगा के तहत पहले ही सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया गया है, इसलिए महात्मा गांधी नरेगा का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विभिन्न देशों के साथ निर्यात प्रदर्शन

1915. श्री संजय भोई:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निर्यात मदों में कुछ देशों के साथ वृद्धिशील प्रवृत्ति देखने को मिली है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ हमारे निर्यात लक्ष्य मूल रूप से निर्धारित लक्ष्य से अधिक होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार वर्तमान वर्ष के लिए निर्धारित निर्यात/लक्ष्य को कम करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ङ) अप्रैल से सितम्बर, 2010 की अवधि के दौरान जिन निर्यात क्षेत्रों/निर्यात उत्पादों ने वर्ष 2009 की समान अवधि की तुलना में अमरीकी डॉलर के रूप में वृद्धि दर्ज की है, वे हैं— कॉफी, मसाले, काजू, फल एवं सब्जियां, समुद्री उत्पाद, लौह अयस्क, अदरक, कोयला एवं अन्य अयस्क, प्रसंस्कृत खनिज सहित खनिज, चर्म एवं चर्म विनिर्माण, रत्न एवं आभूषण, औषध, भेषज एवं अन्य रसायन, अन्य मूलभूत रसायन, इंजीनियरी वस्तुओं, काटन यार्न/फैब्रिक/मेडअप्स, मानव निर्मित यार्न/फैब्रिक्स/मेडअप्स, जूट विनिर्मित उत्पाद, कालीन, पेट्रोलियम उत्पाद, प्लास्टिक एवं लिनोलियम। इस अवधि के दौरान कुछेक देशों को भारत के पण्य वस्तु निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इनमें से कुछ देश हैं— दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, तुर्की, रूस, जापान, श्रीलंका, इजराइल, वियनताम, केन्या, बेल्जियम, फ्रांस, मलेशिया, अमरीका, चीन, सिंगापुर, यूएई, हांगकांग आदि। सरकार ने समस्त पण्य वस्तुओं के लिए वर्ष 2010-11 हेतु 200 बिलियन अम.डॉ. के पण्य वस्तु निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। अप्रैल से सितम्बर, 2010 के दौरान अब तक हुए लगभग 103.3 बिलियन अम.डॉ. के पण्य वस्तु निर्यात होने के कारण 200 बिलियन अम.डॉ. के लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना है।

विकास अधिकारी की नियुक्ति

1916. श्री एम.आई. शानवास: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपनी योजनाओं के ग्राम स्तर पर समुचित कार्यान्वयन को सुकर बनाए जाने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक विकास अधिकारी की नियुक्ति के प्रस्ताव पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को नियुक्त किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय में इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य सरकारों से उन ग्राम पंचायतों की संख्या, जिन्हें ग्राम पंचायतों के लिए भर्ती चरण-I में कवर किया जाएगा, के साथ प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

[हिन्दी]

प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी

1917. श्री महाबल मिश्रा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारत संचार निगम लि. और महानगर टेलीफोन निगम लि. के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा

1918. श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री ओम प्रकाश यादव:
श्री कीर्ति आजाद:
श्री बद्रीराम जाखड़:
श्री महेश्वर हजारी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा उपाय मुहैया कराए जाने के लिए उनकी संख्या का पता लगाने हेतु कोई प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति के अधीन वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अब तक राज्य-वार कार्यान्वित विभिन्न नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन योजनाओं के प्रदर्शन से संबंधित ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार तथा राज्यों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जा रही रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए संगत क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर एक विशेष प्रकोष्ठ गठित करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक अन्य बातों के साथ-साथ देश के वरिष्ठ नागरिकों की संख्या से संबंधित आंकड़े भी प्रकाशित करते हैं। जनगणना, 2001 के अनुसार कुछ महानगरों में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, आश्रय, शिक्षा, कल्याण तथा जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा का प्रावधान है।

(घ) इस समय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वृद्धजनों संबंधी समेकित कार्यक्रम की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत वृद्धाश्रमों, दिवा देखभाल केन्द्रों, सचल चिकित्सा यूनिटों आदि के संचालन एवं रख-रखाव के लिए पात्र गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धजनों संबंधी समेकित कार्यक्रम की योजना के वास्तविक व वित्तीय कार्य निष्पादन का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को रेल, बस और हवाई किराए में विभिन्न रियायतें, आयकर में छूट, विशेष चिकित्सा सुविधाएं, आदि प्रदान की जाती हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन के लिए 200/- रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी जिसके साथ राज्यों द्वारा कम से कम इसके बराबर का अंशदान दिया जाना अपेक्षित है, केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह पेंशन के रूप में कम से कम 400/- रुपए प्राप्त हो सकें।

(च) और (छ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण I

जनगणना, 2001 के अनुसार भारत के कुछ महानगरों में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या

	आयु समूह	व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
दिल्ली	60-64	258,619
	65-69	192,294
	70-74	132,818
	75-79	65,097
	80+	70,822
	कुल	719,650
मुम्बई	60-64	84,733
	65-69	69,639
	70-74	48,002
	75-79	26,945
	80+	27,817
	कुल	257,136
कोलकाता	60-64	147,323
	65-69	116,006
	70-74	84,410
	75-79	46,287
	80+	58,710
	कुल	452,736
बंगलौर	60-64	152,675
	65-69	99,124
	70-74	75,477
	75+79	38,207
	80+	45,855
	कुल	411,338
चेन्नई	60-64	124,970
	65-69	88,377
	70-74	63,406
	75-79	34,395
	80+	39,678
	कुल	350,826

विवरण II

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान वृद्धजन समेकित कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

राशि (करोड़ रुपए)

वर्ष	जारी राशि	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या				लाभार्थियों की संख्या
		ओएएच	डीसीसी	एमएमयू	कुल	
2007-08	16.12	328	300	32	660	43563
2008-09	17.72	258	148	31	437	32650
2009-10	19.72	345	184	27	556	33100
2010-11	5.66	91	84	19	193	14075

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाएं

1919. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
डॉ. निर्मल खत्री:
श्री एस.आर. जेयदुरई:
डॉ. संजय सिंह:
डॉ. रत्ना डे:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:
श्री अमरनाथ प्रधान:
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार और स्कीम-वार देश में चलायी जा रही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए मांग की गयी/आबंटित/जारी/उपयोग की गयी निधियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित लाभार्थियों के रूप में प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारें अनुवर्ती किस्तें प्राप्त कर रही हैं और उक्त अवधि के अधीन इन योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन से संबंधित प्रगति रिपोर्ट जमा किए बिना केन्द्र सरकार से और निधियों का अनुरोध कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार तथा स्कीम-वार प्रत्येक राज्य को उपलब्ध करायी गयी अतिरिक्त निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन स्कीमों की समुचित निगरानी और इनके कार्यान्वयन की त्रुटियों को दूर करने तथा सफलता की उच्च दर सुनिश्चित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) विगत तीन वर्षों (2007-08, 2008-09 और 2009-10) और चालू वित्त वर्ष 2010-11 (सितम्बर, 2010 तक) के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अर्थात् महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), समेकित वाटरशेड विकास परियोजना (आईडब्ल्यूएमपी), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत राज्यवार केन्द्रीय आबंटन, रिलीज और उपयोग की गई निधियां तथा हासिल वास्तविक उपलब्धि विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां संबंधित कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार रिलीज की जाती हैं।

(ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्र अधिकारी योजना, राज्य एवं जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों और राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं के जरिए निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी की व्यापक प्रणाली शुरू की है। राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए पांच सूत्री कार्यनीति अपनाई है जिनमें (1) योजनाओं के बारे में जागरूकता सृजन (2) पारदर्शिता (3) जन भागीदारी (4) जिम्मेदारी, सामाजिक लेखा परीक्षा और (5) अधिकतम सफलता दर हासिल करने के लिए सभी स्तरों पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सतर्कता एवं निगरानी शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (सितम्बर, 2010 तक) के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत केन्द्रीय आवंटन, केन्द्रीय रिलीज, व्यय और वास्तविक उपलब्धियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2007-08				2008-09				2009-10				2010-11 (सितम्बर, 2010 तक)			
		केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	89.80	89.63	123.77	263615	106.16	106.14	123.87	188837	114.77	114.77	162.22	295568	125.57	62.79	55.48	40087
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.98	3.08	1.99	1599	6.09	3.74	1.79	774	6.10	4.35	2.48	1496	6.92	2.48	0.51	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	असम	129.51	135.66	150.81	100261	158.29	175.68	187.65	142728	158.29	177.34	225.22	164752	179.88	89.94	58.11	50354
4.	बिहार	213.63	104.34	151.15	100159	252.56	235.86	201.69	127226	273.02	137.27	305.04	157801	298.72	80.26	82.15	53888
5.	छत्तीसगढ़	47.44	47.36	65.30	44914	56.09	56.09	69.19	46542	60.64	60.47	79.80	50311	66.35	33.18	24.08	17548
6.	गोवा	0.75	0.66	0.66	735	1.25	0.82	0.79	592	1.58	0.75	0.85	1489	2.00	0.71	0.20	120
7.	गुजरात	33.80	33.46	43.52	45189	39.96	39.96	51.80	41728	43.20	43.20	62.16	46131	47.27	23.64	27.73	23303
8.	हरियाणा	19.89	19.89	26.85	19891	23.51	23.51	29.98	20639	25.42	25.42	36.10	24392	27.81	13.91	13.05	9595
9.	हिमाचल प्रदेश	8.38	7.06	8.55	7764	9.90	9.89	13.25	11863	10.70	8.44	14.67	12284	11.71	5.81	4.77	3951
10.	जम्मू और कश्मीर	10.37	7.85	9.34	6818	12.25	10.84	8.79	6990	13.15	8.28	6.99	5644	14.49	5.38	1.28	994
11.	झारखण्ड	80.55	76.08	81.39	77168	95.23	93.74	99.74	83103	102.95	67.07	128.83	116670	112.64	53.56	55.10	54418
12.	कर्नाटक	67.81	65.93	98.80	95409	80.17	80.03	104.15	99950	86.66	86.66	120.27	96470	94.82	47.41	26.87	24015
13.	केरल	30.43	30.41	39.32	39683	35.97	35.97	47.21	43784	38.39	38.55	50.88	47426	42.55	21.28	17.46	12648
14.	मध्य प्रदेश	101.67	99.65	131.82	73091	120.20	120.18	168.59	99200	129.92	135.91	156.90	106481	142.14	75.78	59.56	36034
15.	महाराष्ट्र	134.05	131.18	182.38	119344	158.48	157.30	215.71	154647	171.31	171.31	226.59	159026	187.44	94.49	58.89	50364
16.	मणिपुर	8.68	1.80	2.18	3144	10.61	3.52	2.64	3640	10.61	4.63	2.52	3362	12.06	4.54	0.11	413
17.	मेघालय	9.73	4.50	5.31	3419	11.89	2.50	2.46	2195	11.89	6.48	6.79	5211	13.51	2.83	4.66	4268
18.	मिजोरम	2.25	2.47	2.57	5830	2.75	2.71	3.52	8748	2.75	3.70	4.11	8159	3.13	1.57	1.50	1901
19.	नागालैंड	6.67	4.23	1.48	2259	8.16	6.36	2.98	3205	8.16	6.50	4.05	3884	9.27	4.00	0.00	0
20.	उड़ीसा	102.71	100.36	116.95	87171	121.42	121.32	148.18	126206	131.27	119.81	181.84	131334	143.63	71.82	25.74	20249
21.	पंजाब	9.66	9.23	13.16	15402	11.43	11.30	11.09	13109	12.35	10.22	15.90	14504	13.51	6.76	4.90	5760
22.	राजस्थान	51.49	50.73	60.54	50351	60.87	60.87	75.49	58495	65.81	65.81	92.10	62094	72.00	36.00	25.48	17431
23.	सिक्किम	2.49	2.25	2.82	1718	3.05	3.46	3.17	1689	3.05	3.82	2.91	1463	3.46	1.73	0.89	703
24.	तमिलनाडु	79.40	79.40	108.07	152907	93.87	93.87	120.56	113097	101.48	101.48	138.89	107486	111.03	55.52	48.26	50968
25.	त्रिपुरा	15.68	17.41	23.40	13672	19.16	18.98	24.73	23847	19.16	18.46	19.81	30959	21.77	10.89	8.16	5167
26.	उत्तर प्रदेश	307.56	299.96	366.07	292105	363.59	363.02	404.55	319568	393.05	412.05	488.72	345408	430.06	209.46	200.24	166566
27.	उत्तराखंड	16.19	16.19	20.05	13482	19.14	19.14	23.05	18044	20.69	20.69	27.36	18590	22.64	11.65	12.73	7431
28.	पश्चिम बंगाल	114.15	98.96	126.46	60736	134.94	130.67	137.35	99905	145.88	118.64	212.29	63092	159.62	79.81	81.51	34893
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.25	0.06	0.05	195	0.25	0.00	0.08	243	0.26	0.10	0.21	587	0.25	0.08	0.06	68
30.	दमन और दीव	0.25	0.00	0.00	0	0.25	0.00	0.00	0	0.26	0.00	0.00	0	0.25	0.00	0.00	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0.25	0.00	0.00	0	0.25	0.00	0.02	24	0.26	0.13	0.00	0	0.25	0.00	0.00	0
32.	लक्षद्वीप	0.25	0.00	0.25	177	0.25	0.13	0.00	0	0.26	0.00	0.02	0	0.25	0.00	0.00	0
33.	पुडुचेरी	1.50	1.50	0.98	1087	2.00	2.00	1.31	1257	2.64	2.64	2.69	3103	3.00	1.50	1.04	1138
	कुल	1702.24	1540.28	1965.97	1699295	2020.00	1989.60	2285.40	1861875	2166.54	1974.96	2779.19	2085177	2380.00	1108.74	900.52	694467

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (सितम्बर, 2010 तक) के दौरान आईएवाई के अंतर्गत केन्द्रीय आवंटन, केन्द्रीय रिलीज, व्यय और वास्तविक उपलब्धियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2007-08				2008-09				2009-10				2010-11 (सितम्बर, 2010 तक)			
		केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज (31.03.08 तक)	निधियों का उपयोग	निर्मित/ उन्नयित मकानों की सं.	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज (31.03.09 तक)	निधियों का उपयोग	निर्मित/ उन्नयित मकानों की सं.	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज (31.03.10 तक)	निधियों का उपयोग	निर्मित/ उन्नयित मकानों की सं.	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय रिलीज (29.10.10 तक)	निधियों का उपयोग	निर्मित/ उन्नयित मकानों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	360.28	362.01	468.39	194861	504.35	820.83	899.38	266654	759.01	856.29	1307.96	434733	867.73	433.86	473.75	76496
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.95	18.74	13.33	6422	19.55	34.83	28.35	7236	29.36	33.37	24.01	6026	33.73	18.84	9.66	2492
3.	असम	308.54	324.30	433.47	150776	432.26	683.53	627.04	112706	649.15	667.37	863.55	181162	745.76	363.08	356.63	83672
4.	बिहार	1063.44	956.94	1494.29	430864	1488.70	2397.82	2154.36	484197	2240.39	2008.55	2995.94	653214	2561.30	1169.25	1079.36	229503
5.	छत्तीसगढ़	55.71	55.71	79.13	30093	77.99	158.49	107.33	30023	117.37	162.80	322.05	58449	134.19	70.07	75.49	22391
6.	गोवा	2.22	1.88	1.10	735	3.11	2.89	3.98	586	4.67	4.67	5.43	1864	5.34	2.67	2.91	279
7.	गुजरात	176.69	176.69	242.30	110908	247.34	358.38	338.37	122412	372.23	415.75	567.96	166760	425.55	222.37	154.18	37170
8.	हरियाणा	24.81	24.81	36.67	13398	34.73	50.31	53.57	13302	52.26	52.45	84.53	24138	59.75	31.40	29.65	5626
9.	हिमाचल प्रदेश	8.75	8.75	11.50	4029	12.25	18.06	23.30	4501	18.43	18.64	30.56	9295	21.07	11.50	10.12	842
10.	जम्मू और कश्मीर	27.18	27.18	29.58	15361	38.04	71.29	39.39	13211	57.25	57.25	59.68	18594	65.46	38.32	3.32	2601
11.	झारखण्ड	94.85	94.85	118.61	45936	132.79	296.92	163.80	56180	199.83	301.60	359.98	87524	565.96	283.43	244.41	100538
12.	कर्नाटक	138.81	138.81	134.73	39990	194.31	282.09	217.84	87051	292.43	302.27	536.34	158417	334.31	167.16	43.43	26413
13.	केरल	77.19	77.19	101.87	37094	108.06	156.56	151.91	53133	162.62	162.62	212.57	51590	185.91	94.42	89.62	26432
14.	मध्य प्रदेश	110.80	112.01	150.72	60222	155.11	234.36	408.30	74651	233.44	240.86	339.54	96877	266.87	141.12	102.15	30494
15.	महाराष्ट्र	217.77	219.15	355.97	126117	304.16	470.24	545.59	118611	457.74	474.43	1285.89	207695	523.30	261.65	212.12	19215
16.	मणिपुर	12.11	8.37	8.04	3379	16.97	16.40	4.25	514	25.48	20.66	16.84	3296	29.28	13.25	4.96	825
17.	मेघालय	21.09	5.91	5.98	2271	29.55	21.38	26.43	5619	44.38	37.83	38.54	9873	50.99	32.25	26.06	3792
18.	मिजोरम	4.50	4.52	4.94	1918	6.30	12.51	15.29	5179	9.46	12.68	14.22	4851	10.87	5.43	4.37	848
19.	नागालैंड	13.96	12.41	13.39	7491	19.56	39.59	54.99	24717	29.37	39.96	30.39	11645	33.74	16.87	30.45	9485
20.	उड़ीसा	208.93	202.80	343.95	140853	292.48	460.82	257.09	62447	410.17	460.26	768.84	170766	503.21	241.38	222.33	57208
21.	पंजाब	30.68	30.68	36.99	17992	42.95	62.04	44.30	11700	64.63	64.63	77.83	27108	73.89	30.74	26.93	7295
22.	राजस्थान	88.79	88.89	113.30	42517	124.29	181.11	204.54	52654	187.05	188.70	298.67	86992	213.85	106.92	110.51	11783
23.	सिक्किम	2.67	2.31	3.20	1533	3.74	5.79	6.86	1774	5.62	5.62	7.81	1819	6.45	5.24	1.75	0
24.	तमिलनाडु	144.25	144.25	200.91	103379	201.93	294.14	339.43	94160	303.89	305.47	444.87	169753	347.42	181.56	126.75	27
25.	त्रिपुरा	27.18	27.45	53.62	12945	38.08	66.97	63.44	26389	57.18	63.69	38.19	8322	65.70	32.85	11.40	2527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26.	उत्तर प्रदेश	477.66	467.21	699.77	264296	668.66	975.69	1070.97	267543	1006.29	1014.80	1587.70	483949	1150.43	672.55	632.83	78953
27.	उत्तराखंड	23.95	23.95	36.54	18766	33.52	48.57	42.43	12696	50.45	50.45	78.28	20373	57.68	28.56	41.26	4369
28.	पश्चिम बंगाल	288.21	260.45	270.92	107575	403.45	572.12	453.95	123808	607.17	607.27	891.64	230155	694.14	334.81	343.79	87930
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.57	3.13	0.53	297	6.40	0.93	0.74	124	9.63	0.98	1.67	242	11.01	0.00	0.80	77
30.	दमन और दीव	0.76	0.38	0.02	121	1.07	0.53	0.17	41	1.60	0.80	0.00	0	1.83	0.92	0.00	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0.34	0.00	0.01	12	0.48	0.00	0.00	0	0.72	0.00	0.00	0	0.82	0.00	0.00	0
32.	लक्षद्वीप	0.30	0.30	0.35	97	0.41	0.60	0.74	190	0.62	0.62	0.57	88	0.71	0.00	0.00	0
33.	पुडुचेरी	2.28	0.38	0.42	101	3.19	0.00	0.24	52	4.79	2.40	0.38	47	5.48	0.00	0.00	0
	कुल	4032.70	3882.37	5464.54	1992349	5645.77	8795.79	8348.34	2134061	8494.70	8635.74	13292.46	3385619	10053.70	5012.49	4470.98	929283

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (सितम्बर, 2010 तक) के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत केन्द्रीय आवंटन, केन्द्रीय रिलीज, व्यय और वास्तविक उपलब्धियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2007-08				2008-09				2009-10				2010-11 (सितम्बर, 2010 तक)			
		आवंटन	रिलीज	व्यय	उपलब्धि (लंबाई कि.मी. में)	आवंटन	रिलीज	व्यय	उपलब्धि (लंबाई कि.मी. में)	आवंटन	रिलीज	व्यय	उपलब्धि (लंबाई कि.मी. में)	आवंटन	रिलीज	व्यय	उपलब्धि (लंबाई कि.मी. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	105.00	316.57	381.89	1656.80	105.00	470.60	494.47	1885.00	89.67	877.46	886.37	3092.00	36.84	517.45	311.46	1505.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	57.00	102.03	131.76	271.90	57.00	107.98	152.01	317.43	48.68	282.52	247.61	622.55	20.00	249.37	183.87	143.25
3.	असम	181.00	555.00	608.75	1141.00	181.00	982.12	1007.05	1985.11	154.58	1179.00	1412.91	2095.88	63.50	1170.00	428.22	316.0500
4.	बिहार	337.00	733.06	580.68	1665.35	337.00	1065.20	1067.54	2532.20	287.81	1750.73	1874.51	2843.27	118.24	1360.74	970.15	1005.68
5.	छत्तीसगढ़	240.00	1050.89	932.50	2719.36	240.00	976.12	863.34	2427.08	204.97	540.03	805.06	4020.44	84.20	453.52	122.44	830.32
6.	गोवा	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0	0.00	0.70	0.00	0	0
7.	गुजरात	65.00	144.56	156.99	830.24	65.00	229.67	255.26	1262.07	55.51	193.80	190.46	1511.02	22.80	121.29	172.28	295.44
8.	हरियाणा	30.00	216.21	216.51	670.21	30.00	272.02	313.09	969.87	25.62	255.49	277.16	785.35	10.53	92.75	56.68	220.97
9.	हिमाचल प्रदेश	87.00	320.58	281.98	1555.20	87.00	268.90	240.51	1360.10	74.30	124.95	220.1	1505.61	30.52	199.30	69.12	365.16
10.	जम्मू और कश्मीर	65.00	72.74	105.09	140.69	65.00	191.74	190.71	469.80	55.51	372.60	359.42	661.54	22.80	92.09	116.16	372.25
11.	झारखण्ड	175.00	0.00	63.18	277.15	175.00	210.67	211.47	214.97	149.45	417.74	457.79	1530.90	61.40	501.11	293.27	867.79
12.	कर्नाटक	110.00	271.49	349.12	1427.01	110.00	640.46	550.37	2099.13	93.94	764.87	883.97	3019.75	38.59	428.11	428.91	816.72
13.	केरल	30.00	24.68	61.32	100.54	30.00	84.02	84.41	240.22	25.62	100.11	113.77	264.10	10.53	144.27	52.67	78.15
14.	मध्य प्रदेश	440.00	1615.66	1358.73	5231.45	440.00	1895.10	2198.06	7893.72	375.77	2135.65	2234.83	10398.01	154.37	855.45	678.95	2753.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.	महाराष्ट्र	145.00	563.96	637.33	2942.19	145.00	1030.00	929.98	4138.65	123.83	949.18	994.6	3111.50	50.87	687.54	562.24	1647.77
16.	मणिपुर	33.00	78.99	64.28	265.99	33.00	20.00	37.97	78.95	28.18	149.16	145.13	879.68	11.58	62.00	67.5	51.66
17.	मेघालय	45.00	0.00	15.59	52.47	45.00	35.95	12.64	30.80	38.43	0.00	20.38	97.92	15.79	64.55	0.33	0
18.	मिजोरम	32.00	21.96	59.47	207.43	32.00	65.00	54.55	195.18	27.33	44.58	66.86	202.71	11.23	25.00	35.92	77.41
19.	नागालैंड	30.00	12.51	20.42	398.42	30.00	85.71	87.31	298.53	25.62	65.02	71.61	273.66	10.52	25.13	15.34	29
20.	उड़ीसा	273.00	546.83	677.41	1836.04	273.00	1251.38	1163.01	2641.00	233.15	1594.35	1895.25	3838.43	95.78	564.60	884.36	1803.4
21.	पंजाब	35.00	360.21	366.95	1036.49	35.00	243.42	269.02	751.62	29.89	348.42	322.64	710.00	12.28	99.10	124.09	565.6
22.	राजस्थान	234.00	1646.64	1455.44	9887.50	234.00	1771.32	1695.54	10349.93	200.70	603.41	795.03	4350.11	82.45	599.00	325.48	1651.59
23.	सिक्किम	30.00	174.51	88.81	142.47	30.00	55.00	103.99	308.57	25.62	71.80	80.17	98.82	10.53	27.27	37.08	42.8
24.	तमिलनाडु	90.00	71.03	108.65	747.90	90.00	88.68	127.87	609.59	76.86	525.00	560.2	1940.49	31.58	182.13	165.5	1711
25.	त्रिपुरा	40.00	143.00	155.60	59.51	40.00	379.99	315.77	361.27	34.16	168.49	253.74	519.93	14.03	137.85	106.5	64.79
26.	उत्तर प्रदेश	375.00	1228.40	1201.04	3551.98	375.00	1675.78	2000.07	6461.02	323.68	2844.51	2914.96	9526.81	132.97	1216.83	597.4	2791.23
27.	उत्तराखंड	100.00	78.74	99.73	842.08	100.00	116.66	152.79	645.60	85.40	165.95	172.57	764.49	35.08	135.44	57.07	127.54
28.	पश्चिम बंगाल	226.00	549.69	439.47	1573.81	226.00	635.48	583.18	1877.11	193.01	375.00	575.82	1452.04	79.29	170.13	284	488.07
	कुल	3615.00	10899.94	10618.69	41231.18	3615.00	14848.97	15161.98	52404.52	3,089.00	16899.82	18832.92	60117.01	1269.00	10182.02	7146.99	20622.97

आबंटन, कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराए गए उपकर के अंश से किया गया है।

रिलीज में उपकर, योजना सहायता, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा नाबार्ड से प्राप्त ऋण से रिलीज की गई निधियां शामिल हैं।

वर्ष 2010-11 का व्यय सितम्बर, 2010 तक का है।

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (सितम्बर, 2010 तक) के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत केन्द्रीय आवंटन, केन्द्रीय रिलीज, व्यय और वास्तविक उपलब्धियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2007-08				2008-09				2009-10				2010-11 (सितम्बर, 2010 तक)			
		आवंटन	रिलीज	व्यय	कवर की गई बसावटें (सं.)	आवंटन	रिलीज	व्यय	कवर की गई बसावटें (सं.)	आवंटन	रिलीज	व्यय	कवर की गई बसावटें (सं.)	आवंटन	रिलीज	व्यय	कवर की गई बसावटें (सं.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	295.30	305.24	388.41	7070	394.53	395.05	398.05	15647	437.09	537.37	389.79	5553	491.02	233.23	201.93	61
2.	अरुणाचल प्रदेश	112.41	112.41	121.31	464	146.12	162.46	160.97	905	180.00	178.20	198.91	567	123.01	58.43	26.35	
3.	असम	189.59	189.59	117.26	5060	246.44	187.57	265.40	8703	301.60	323.50	241.77	12015	412.81	206.41	94.27	260
4.	बिहार	279.37	169.69	0.00	6171	425.38	452.38	73.30	25785	372.21	186.11	284.87	27103	341.46	0.00	139.57	1311
5.	छत्तीसगढ़	95.95	95.95	104.16	3852	130.42	125.26	112.42	8178	116.01	128.22	104.07	12212	130.27	61.88	41.83	1591
6.	गोवा	3.31	1.66	2.31	1	3.98	0.00	0.00	4	5.64	3.32	0.50	0	5.34	0.00	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.	गुजरात	205.89	205.89	219.12	3864	314.44	369.44	289.33	2374	482.75	482.75	484.38	1598	542.67	271.34	185.91	96
8.	हरियाणा	93.41	93.41	109.54	917	117.29	117.29	117.29	965	207.89	206.89	132.35	912	233.69	111.00	38.40	30
9.	हिमाचल प्रदेश	117.46	130.42	132.45	4510	141.51	141.51	141.49	6390	138.52	182.85	144.50	5256	133.71	66.86	44.31	451
10.	जम्मू और कश्मीर	329.92	329.92	361.41	747	397.86	396.49	176.67	2234	447.74	402.51	383.49	433	449.22	205.88	38.73	99
11.	झारखण्ड	113.88	84.46	117.51	6548	160.67	80.33	18.85	6832	149.29	111.34	86.04	14913	165.93	102.82	20.54	200
12.	कर्नाटक	278.51	283.16	286.57	5418	477.19	477.85	449.15	5586	573.67	627.86	473.71	12538	644.92	306.34	106.94	0
13.	केरल	82.93	84.25	83.46	906	103.33	106.97	106.56	7650	152.77	151.89	150.99	254	144.28	68.53	51.33	0
14.	मध्य प्रदेश	251.62	251.62	267.56	10035	370.47	380.47	368.61	5302	367.66	379.66	347.03	11414	399.04	199.52	147.41	3728
15.	महाराष्ट्र	104.40	404.40	378.38	9612	572.57	648.24	511.06	17128	652.43	647.81	618.56	7465	733.27	348.30	262.41	1499
16.	मणिपुर	38.59	45.59	34.71	144	50.16	45.23	36.33	115	61.60	38.57	32.19	160	54.61	25.94	0.00	3
17.	मेघालय	44.46	55.29	56.61	1205	57.79	63.38	74.50	1116	70.40	79.40	68.57	407	62.83	31.42	31.94	12
18.	मिजोरम	31.88	38.88	30.16	185	41.44	54.19	45.48	46	50.40	55.26	51.31	124	35.71	17.86	30.46	0
19.	नागालैंड	32.72	39.75	27.39	69	42.53	42.53	39.60	584	52.00	47.06	76.57	84	51.70	24.56	12.00	3
20.	उड़ीसा	165.85	171.95	233.60	11585	298.68	298.68	273.12	13507	187.13	226.66	198.87	9777	204.88	192.44	53.78	1286
21.	पंजाब	52.91	51.80	40.28	588	86.56	86.56	96.68	1532	81.17	88.81	95.35	1881	82.21	41.11	34.20	157
22.	राजस्थान	606.72	606.72	619.67	5353	970.13	971.83	967.95	7434	1036.46	1012.16	680.00	10644	1165.44	553.58	385.05	222
23.	सिक्किम	13.42	20.13	15.36	299	17.45	32.45	28.85	27	21.60	20.60	30.58	110	15.45	7.34	6.87	16
24.	तमिलनाडु	190.90	190.90	190.90	9832	241.82	287.82	230.58	9097	320.43	317.95	364.21	8238	316.91	158.46	107.21	15
25.	त्रिपुरा	39.43	54.43	54.30	179	51.25	41.01	36.99	555	62.40	77.40	76.51	843	53.88	26.94	28.26	65
26.	उत्तर प्रदेश	401.51	401.51	421.14	1979	539.74	615.78	514.54	1190	959.12	956.36	974.14	1877	899.12	449.56	452.37	168
27.	उत्तराखंड	89.30	89.30	114.14	2117	107.58	85.87	61.09	1351	126.16	124.90	63.83	1200	139.39	66.21	9.78	95
28.	पश्चिम बंगाल	191.37	191.37	230.55	6632	389.39	389.39	371.62	2747	372.29	394.30	390.76	4806	418.03	198.56	122.66	112
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	4.72		0.00	0.00	30.78	0	0.00	0.00	0.00	0	1.01	0.00		0
30.	दादरा और नगर हवेली	0.38	0.00	0.00	21	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	1.09	0.00		0
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.61	0.00		
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.24	0.00		
33.	पुदुचेरी	0.31	0.00	0.00	52	0.00	0.00	1.00	15	0.00	0.00	0.00	40	1.54	0.00		0
	कुल	4756.70	4699.67	4762.96	105415	6896.72	7056.02	5998.28	152990	7986.43	7989.72	7143.83	152429	8455.29	3944.50	2674.41	11480.00

**15.11.2010 को आईएमआईएस के अनुसार।

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (सितम्बर, 2010 तक) के दौरान एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत केन्द्रीय रिलीज, कुल उपलब्ध निधि, व्यय और वास्तविक उपलब्धियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2007-08				2008-09				2009-10				2010-11 (सितम्बर, 2010 तक)			
		केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	सृजित किए गए रोजगार (लाख श्रमदिवसों में)	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	सृजित किए गए रोजगार (लाख श्रमदिवसों में)	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	सृजित किए गए रोजगार (लाख श्रमदिवसों में)	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	सृजित किए गए रोजगार (लाख श्रमदिवसों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	137,105.40	222,235.63	177,220.40	2191.34	308894.00	357653.44	296390.28	2735.00	321278.00	481472.57	450918.00	4044.30	386134.00	466524.51	327254.36	257461313.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,265.38	1,532.49	303.9	2.79	1573.17	1786.86	1471.16	26.00	1117.55	2021.64	1726.60	22.34	217.46	594.60	0.00	0.00
3.	असम	52,175.01	81,467.74	54,914.93	487.61	89973.36	130658.22	95038.42	751.00	66658.18	131203.57	103351.56	735.19	33053.17	85607.57	14447.68	6582426.00
4.	बिहार	46,707.83	139,945.65	81,901.45	654.26	129681.09	209488.52	131525.92	992.00	88817.40	221359.34	181687.63	1136.89	138186.92	139447.85	17553.36	12178592.00
5.	छत्तीसगढ़	114,415.71	149,257.31	125,671.51	1316.1	163216.78	197351.96	143441.78	1243.00	81488.74	161707.27	130373.56	1041.55	102989.81	143016.66	76652.71	61359729.00
6.	गोवा	114	114	0	0	467.63	533.49	239.22	0.00	0.00	870.30	449.67	2.71	93.24	696.95	321.60	102097.00
7.	गुजरात	5,915.71	13,622.45	8,184.24	90.06	16515.98	28223.53	19615.34	213.00	74077.98	94490.32	73975.11	585.11	35035.10	60548.47	25925.80	20696923.00
8.	हरियाणा	4,840.97	6,734.46	5,235.01	35.76	13256.70	16033.04	10986.86	69.00	11879.01	18933.84	14355.55	59.02	2245.83	8595.63	3005.03	1210639.00
9.	हिमाचल प्रदेश	12,754.06	16,597.91	10,291.62	97.53	40939.56	50089.77	33227.64	205.00	37511.99	60278.20	55655.70	284.95	27028.00	37482.17	19316.83	5919864.00
10.	जम्मू और कश्मीर	7,071.37	9,413.16	4,200.26	36.81	9788.86	14573.59	8703.55	79.00	12936.83	20770.40	18236.28	127.75	10178.62	13660.44	491.77	145907.00
11.	झारखण्ड	65,069.07	124,534.57	99,889.24	747.57	176392.70	232189.25	133800.12	750.00	80394.22	191628.63	137970.19	842.47	46159.53	97391.74	43688.43	31038682.00
12.	कर्नाटक	25,869.52	44,921.54	23,650.54	197.78	37939.23	64245.43	35787.46	288.00	167237.46	233203.01	281653.45	2001.63	77305.00	165746.35	21306.99	6352122.00
13.	केरल	6,900.55	10,563.95	8,336.83	60.74	19887.34	29662.46	22451.93	154.00	46771.42	58768.93	47184.81	318.69	24924.73	37263.65	18427.94	10725388.00
14.	मध्य प्रदेश	260,279.82	329,681.33	289,379.80	2753.03	383026.75	484397.18	355166.67	2947.00	376969.30	591265.82	377972.03	2623.15	99580.00	288573.19	95907.87	55869488.00
15.	महाराष्ट्र	2,923.75	46,175.93	14,537.77	184.86	21592.52	63809.01	34942.92	420.00	22977.22	61786.89	32086.40	274.33	8721.52	40799.76	13995.16	8488428.00
16.	मणिपुर	6,184.13	6,659.81	3,462.99	48.31	30064.72	33255.17	35558.25	286.00	32346.70	39785.75	39316.87	306.18	7467.46	11086.40	88.85	107532.00
17.	मेघालय	5,918.73	7,482.50	5,038.89	40.84	8708.83	11881.51	8947.31	86.00	17657.87	21749.75	18346.08	147.99	11593.66	12760.49	2255.61	1329557.00
18.	मिजोरम	3,343.49	4,793.35	4,200.70	33.55	14952.93	17185.08	16455.70	126.00	22163.83	24201.05	23577.81	170.35	10271.11	12405.33	1383.86	860099.00
19.	नागालैंड	4,399.59	4,805.41	2,397.57	24.31	24613.03	26728.49	27231.15	203.00	42528.86	49020.95	45945.00	272.07	9043.93	11794.80	7454.44	4638693.00
20.	उड़ीसा	53,695.69	81,471.83	57,956.90	405.22	7627.49	100807.24	58780.58	404.00	46873.50	99978.90	93273.74	551.61	79844.00	91739.50	52829.86	45022036.00
21.	पंजाब	2,972.32	5,824.18	2,400.27	19.15	6757.68	11267.25	7179.89	40.00	14017.66	20404.53	14871.55	76.54	3427.63	11399.44	5274.59	2301942.00
22.	राजस्थान	105,600.20	145,267.79	147,733.72	1678.38	622972.00	695372.57	616439.75	4830.00	492582.26	716652.46	619109.65	4460.98	278882.00	541154.94	138730.38	157270534.00
23.	सिक्किम	629.75	1,775.80	946.62	8.6	3926.94	4661.83	4371.51	26.00	8857.35	10256.22	6408.99	43.28	1729.58	3783.56	956.14	611678.00
24.	तमिलनाडु	51,609.09	71,293.96	51,642.38	645.23	140126.58	179458.56	100404.37	1204.00	137118.92	241256.45	176123.35	2390.75	77558.23	124789.72	57074.77	68069833.00
25.	त्रिपुरा	17,016.45	21,915.39	20,860.34	181.05	44371.48	49916.75	45227.86	351.00	88636.01	96206.73	72393.18	458.25	20916.75	43239.81	18484.38	12279876.00
26.	उत्तर प्रदेश	166,589.89	220,832.65	182,867.60	1354.9	381142.27	458444.99	358282.20	2278.00	500678.34	682059.22	590603.93	3562.98	159413.00	275702.14	159577.34	99952122.00
27.	उत्तराखंड	11,003.65	15,362.70	7,745.61	80.34	12086.38	17536.03	13579.34	104.00	26929.81	34881.07	28309.06	182.38	7934.04	15354.92	5582.29	3143647.00
28.	पश्चिम बंगाल	88,262.88	133,275.55	100,434.62	968.8	86039.35	125786.26	92631.74	787.00	172561.00	234695.01	209422.18	1542.60	98391.00	153995.74	84479.13	55775798.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	135	135	0	0	708.75	1563.83	327.54	1.00	153.00	1515.60	1226.12	5.82	396.27	673.76	128.48	29503.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30.	दादरा और नगर हवेली	45	45	0	0	0.47	1.57	1.03	0.00	39.20	197.07	133.94	0.70	47.73	47.73	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	90	90	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	45	45	0	0	262.26	435.18	178.68	2.00	0.00	262.12	201.48	1.41	33.58	283.95	11.45	385.00
33.	पुडुचेरी	45	45	0	0	243.00	793.00	136.10	0.00	379.93	1020.44	726.91	373841.34	68.57	68.57	88.60	110817.00
	कुल	137,105.40	222,235.63	177,220.40	2191.34	308894.00	357653.44	296390.28	2735.00	321278.00	481472.57	450918.00	4044.30	386134.00	466524.51	327254.36	257461313.00

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीपी, डीपीएपी, आईडब्ल्यूडीपी और आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत कुल रिलीज निधि, निधियों का उपयोग और स्वीकृत परियोजनाएं

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	डीपीएपी		डीडीपी		आईडब्ल्यूडीपी		आईडब्ल्यूएमपी		
		रिलीज की गई निधि	उपयोग की गई निधि	रिलीज की गई निधि	उपयोग की गई निधि	रिलीज की गई निधि	उपयोग की गई निधि	रिलीज की गई निधि	उपयोग की गई निधि*	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या (2009-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	164.13	191.28	84.53	93.38	119.18	112.92	150.48	4.98	110
2.	बिहार	0.2	0.57	0	0	15.03	18.05	0	0	
3.	छत्तीसगढ़	68.07	56.15	0	0	71.95	61.24	45.64	14.08	41
4.	गोवा	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	
5.	गुजरात	115.99	156.44	279.43	353.81	90.16	95.29	167.42	6.74	153
6.	हरियाणा	0	0	81.69	85.57	14.22	13.65	0	0	
7.	हिमाचल प्रदेश	22.78	31.57	16.85	19.52	73.41	76.83	51.25	0.53	36
8.	जम्मू और कश्मीर	17.29	9.21	37.56	31.43	23.33	11.60	0	0	
9.	झारखण्ड	2.9	51.66	0	0	15.68	8.67	7.64	0.34	20
10.	कर्नाटक	175.19	210.48	149.17	139.33	113.69	127.82	151.96	30.22	119
11.	केरल	0	0	0	0	21.83	18.62	4.22	0	
12.	मध्य प्रदेश	179.45	238.56	0	0	82.08	173.96	144.94	0	116
13.	महाराष्ट्र	232.37	193.68	0	0	181.00	83.10	225.91	6.63	243
14.	उड़ीसा	102.56	117.42	0	0	85.22	88.68	72.57	1.69	65
15.	पंजाब	0	0	0	0	9.70	16.64	2.29	0	6
16.	राजस्थान	60.71	99.91	484.45	609.83	118.72	144.88	324.53	2.42	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	तमिलनाडु	90.25	127.3	0	0	77.86	88.24	76.33	3.66	50
18.	उत्तर प्रदेश	123.63	107.2	0	0	177.12	177.34	134.39	6.09	66
19.	उत्तराखंड	30.84	43.96	0	0	55.99	45.37	0	0	
20.	पश्चिम बंगाल	9.25	13.55	0	0	17.74	25.22	0	0	
	कुल	1395.61	1648.94	1133.68	1332.87	1363.91	1388.12	1559.57	77.38	
	पूर्वोत्तर राज्य									
21.	अरुणाचल प्रदेश	0		0	0	88.17	49.77	25.53	4.16	13
22.	असम	0		0	0	94.42	34.58	49.38	16.28	57
23.	मणिपुर	0		0	0	34.24	34.96	0	0	
24.	मेघालय	0		0	0	42.08	31.87	12.31	7.63	18
25.	मिजोरम	0		0	0	107.77	64.14	5.06	5.73	16
26.	नागालैंड	0		0	0	64.66	91.24	28.55	19.28	22
27.	सिक्किम	0		0	0	15.24	28.69	1.17	0.31	3
28.	त्रिपुरा	0		0	0	1.97	3.17	10.6	1.36	10
	कुल	0	0	0	0	448.55	338.42	132.6	54.75	
	कुल योग	1395.61	1648.94	1133.68	1332.87	1812.46	1726.54	1692.17	132.13	1326

*निधियों के उपयोग में अथशेष, राज्य अंश, केन्द्रीय रिलीज और उससे संबंधित अर्जित विविध प्राप्तियां आदि शामिल हैं।
डीपीएपी, डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। रिलीज की गई निधियां चल रही योजनाओं के लिए हैं। इन योजनाओं को वर्ष 2009-10 से समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम में मिला दिया गया है।

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (सितम्बर, 2010 तक) के दौरान टीएससी के अंतर्गत केन्द्रीय रिलीज, व्यय और वास्तविक उपलब्धियां

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11		
		केन्द्रीय रिलीज	व्यय	कुल आईएचएचएल	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	कुल आईएचएचएल	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	कुल आईएचएचएल	केन्द्रीय रिलीज	व्यय	कुल आईएचएचएल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	8.79	67.79	389242	13.92	61.37	292697	110.78	67.22	606277	69.40	34.34	276340
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	3.59	5436	15.30	5.24	3399	4.05	7.21	16682	0.09	4.27	16458
3.	असम	42.56	16.14	87554	83.11	51.30	206256	67.30	133.45	489334	48.05	39.29	218766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	95.55	77.32	513050	71.51	116.58	756465	90.47	134.28	640359	56.30	92.65	375352
5.	छत्तीसगढ़	51.58	94.94	506722	11.44	50.75	305456	50.18	101.44	460320	27.40	12.47	118535
6.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
7.	गोवा	0.38	0.00	310	0.00	0.31	18753	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
8.	गुजरात	85.28	68.41	847897	9.79	65.36	984200	30.37	85.62	607078	23.46	20.64	238321
9.	हरियाणा	27.55	36.66	658602	10.69	19.27	367097	7.18	19.21	191242	6.05	6.23	52753
10.	हिमाचल प्रदेश	10.25	5.26	136043	7.79	8.56	313872	10.18	19.50	239576	7.53	7.12	99987
11.	जम्मू और कश्मीर	17.91	7.95	39559	11.16	15.80	39415	3.33	22.33	55390	0.00	2.22	47018
12.	झारखंड	19.10	42.92	318227	31.88	49.22	362573	39.42	78.43	335592	27.33	32.45	206920
13.	कर्नाटक	13.84	52.59	720063	31.76	42.93	409816	55.71	70.29	1087674	22.29	32.15	322122
14.	केरल	22.29	24.33	290185	3.89	14.10	81865	9.75	31.44	68302	5.86	3.18	3066
15.	मध्य प्रदेश	67.94	95.37	868037	97.68	115.68	1105250	99.87	191.13	1354632	72.01	76.93	621334
16.	महाराष्ट्र	67.86	106.54	1191643	35.26	92.91	854563	98.94	177.77	934879	64.56	18.96	157896
17.	मणिपुर	7.48	1.95	3479	1.00	6.55	4590	11.78	5.45	15941	0.80	4.19	19794
18.	मेघालय	0.00	3.08	23311	5.78	6.44	30004	13.79	12.23	47256	3.81	10.35	14454
19.	मिजोरम	1.83	5.84	15653	6.94	4.15	8973	4.13	4.96	7639	0.00	2.84	1611
20.	नागालैंड	1.70	3.28	12156	1.00	3.28	5543	10.59	10.36	25993	1.12	4.20	12914
21.	उड़ीसा	58.58	79.10	475904	72.04	64.15	323802	50.32	77.24	539077	31.50	47.14	598170
22.	पुडुचेरी	0.00	0.00	545	0.00	0.24	227	0.00	0.05	208	0.00	0.03	77
23.	पंजाब	0.00	2.20	171713	2.23	0.86	263781	1.16	4.45	229166	2.86	3.73	44622
24.	राजस्थान	29.15	37.07	809476	25.17	34.71	889762	43.53	47.15	665660	27.90	26.61	458307
25.	सिक्किम	0.00	2.84	9201	2.55	0.00	3712	0.00	4.74	0	1.13	0.00	0
26.	तमिलनाडु	22.43	96.48	648360	4.73	55.95	421967	61.66	86.55	533108	0.00	33.25	304730
27.	त्रिपुरा	8.82	2.16	2941	1.59	7.75	62971	8.37	8.18	27346	3.40	1.42	18576
28.	उत्तर प्रदेश	150.85	272.08	2014524	382.84	512.68	2415154	115.80	674.92	2669547	223.74	65.12	765781
29.	उत्तराखण्ड	6.64	6.57	75801	8.62	7.25	98884	7.74	14.67	115071	4.37	8.18	57994
30.	पश्चिम बंगाल	90.57	75.98	692256	30.47	51.66	636422	32.46	143.35	515535	41.64	59.39	265642
	कुल	908.93	1288.43	11527890	980.14	1465.03	11267469	1038.85	2233.63	12478884	772.61	649.34	5317540

आईएचएचएलः निर्मित व्यक्तिगत परिवार शौचालय

[अनुवाद]

उपभोक्ताओं का सत्यापन

1920. श्री अनंत कुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ताओं की पहचान के संबंध में दूरसंचार प्रचालकों को सख्त अनुपालन के निदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में विशेषकर जम्मू और कश्मीर में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न दूरसंचार प्रचालकों ने उपभोक्ताओं के सत्यापन से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां। उपभोक्ताओं की पहचान के सत्यापन से संबंधित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए समय-समय पर सेलूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस)/एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंसधारकों को निदेश जारी किए गए हैं।

(ख) और (ग) दूरसंचार विभाग के दूरसंचार प्रवर्तन, संसाधन और मॉनीटरिंग (टर्म) प्रकोष्ठ द्वारा नमूना आधार पर प्रति माह उपभोक्ता प्रापण प्रपत्रों (सीएएफ) की लेखा परीक्षा करके इन निदेशों के अनुपालन की जांच की जाती है। पिछले दो वर्षों के लिए फोटो, पहचान के साक्ष्य और पते के साक्ष्य (पीआईए) के आधार पर उपभोक्ता प्रमाण प्रपत्र (सीएएफ) को स्वीकृत करने की प्रतिशतता का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

	वर्ष 2008 के लिए स्वीकृत प्रतिशतता (लगभग)	वर्ष 2009 के लिए स्वीकृत प्रतिशतता (लगभग)
अखिल भारत	84%	91%
जम्मू और कश्मीर	85.7%	82.9%

(घ) नमूना लेखा परीक्षा के दौरान पाए गए गैर-अनुपालन की स्थिति में अनुपालन के समग्र प्रतिशतता के आधार पर प्रति मामला सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंसधारक पर यथा-लागू 1000 रु. से 50000 रु. तक क्रमिक वित्तीय शास्ति लगाने का प्रावधान है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास

1921. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री पी. बलराम:
श्री के.सी. वेणुगोपाल:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, ग्रामीण क्षेत्रों सहित, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कोई योजना सरकार के पास लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत सरकार ने सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) योजना अनुमोदित की है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1,00,000 कयोस्क स्थापित किए जा रहे हैं। इन कयोस्कों में कम्प्यूटर, सम्पर्क तथा प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहन प्राप्त जनशक्ति विद्यमान है। ये केन्द्र इन्टरनेट एवं ई-मेल की सुविधाओं सहित जन सेवाएं प्रदान करते हैं। यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर कार्यान्वित की जा रही है जिसमें भारत सरकार केवल व्यवहार्य राजस्व में अंतराल का वित्तपोषण कर रही है। अब तक 85,000 सीएससी स्थापित किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं।

विवरण

सीएससी की राज्यवार स्थापना की स्थिति (अक्तूबर, 2010)

क्र.सं.	राज्य	कुल सीएससी	31 अक्तूबर, 2010 तक स्थापित सीएससी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5452	2135
2.	अरुणाचल प्रदेश	200	68
3.	असम	4375	3794
4.	बिहार	8463	6974
5.	चंडीगढ़	13	13
6.	छत्तीसगढ़	3385	3464
7.	दिल्ली	520	520
8.	गोवा	160	160
9.	गुजरात	13695	13695
10.	हरियाणा	1159	1159
11.	हिमाचल प्रदेश	3366	2576
12.	जम्मू और कश्मीर	1109	533
13.	झारखंड	4562	4556
14.	कर्नाटक	5713	800
15.	केरल	2234	2234
16.	मध्य प्रदेश	9232	8686
17.	महाराष्ट्र	10484	6308
18.	मणिपुर	399	399
19.	मेघालय	225	179
20.	मिजोरम	136	118
21.	नागालैंड	220	70
22.	उड़ीसा	8558	6036
23.	पुडुचेरी	44	44
24.	राजस्थान	6626	2558
25.	सिक्किम	45	45
26.	तमिलनाडु	5440	3952
27.	त्रिपुरा	145	133
28.	उत्तर प्रदेश	17909	8136
29.	उत्तराखंड	2804	1583
30.	पश्चिम बंगाल	6797	5578
	कुल योग	123470	85506

सामरिक बल कमांड (एस.एफ.सी.) के लिए वायुयान

1922. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना को सामरिक बल कमांड (एस.एफ.सी.) की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त वायुयानों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) भारतीय वायुसेना द्वारा परिसंपत्तियों और उपस्करों की आवश्यकता खतरे की अवधारणाओं पर आधारित होती हैं और उनकी अधिप्राप्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सुरक्षा संबंधी कारणों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में और अधिक विवरण नहीं दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि

1923. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री भूदेव चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार मरुभूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि नए उद्योगों को मरुभूमि/वीरान भूमि के बदले कृषि भूमि क्यों आबंटित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) प्रो. हनुमंत राव, योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य, की अध्यक्षता वाली तकनीकी समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में मरुभूमि के अंतर्गत 45.79 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है, जो 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में फैला हुआ है। देश में मरुभूमि का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने राष्ट्रीय किसान नीति-2007 तैयार की है, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि अपवादात्मक परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर मुख्य कृषि भूमि को कृषि कार्य के लिए ही अनिवार्यत: संरक्षित रखा जाए, बशर्ते कि जिन एजेंसियों को गैर-कृषि परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि उपलब्ध करायी जाती है, उन्हें किसी अन्य स्थान पर कृषि भूमि के बराबर अवक्रमित/बंजरभूमि को उपजाऊ बनाकर तथा उसे पूर्णत: विकसित करके कृषि भूमि की क्षति को पूरा करना चाहिए। उद्योग और निर्माण कार्यकलापों सहित गैर-कृषि विकासात्मक कार्यकलापों के लिए निम्न जैविक क्षमता वाली भूमि जैसे अकृष्य भूमि, लवणता, क्षारीयता आदि से प्रभावित भूमि को निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

विवरण

देश में मरुभूमि के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	ब्लाकों की संख्या	क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर में)
1.	आंध्र प्रदेश	1	16	1.9136
2.	गुजरात	6	52	5.5424
3.	हरियाणा	7	45	2.0542
4.	हिमाचल प्रदेश	2	3	3.5107
5.	जम्मू और कश्मीर	2	12	9.6701
6.	कर्नाटक	6	22	3.2295
7.	राजस्थान	16	85	19.8744
	योग	40	235	45.7949

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल

1924. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री जगदानंद सिंह:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:
श्री नीरज शेखर:
श्रीमती श्रुति चौधरी:
श्री एम.बी. राजेश:
श्री घनश्याम अनुरागी:
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:
कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री संजय सिंह चौहान:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री कैलाश जोशी:
श्री कमलेश पासवान:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित और जारी तथा विभिन्न घरेलू और विदेशी वित्तीय संस्थानों से ली गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस तरह की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उक्त अवधि के दौरान निधियों का उचित तरीके से उपयोग नहीं किया जा सका अथवा घपला किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) देश में उन ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो अभी भी पेयजल की पर्याप्त मात्रा से वंचित हैं और इसे उपलब्ध कराने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इसमें शामिल गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को राज्य-वार और गैर-सरकारी संगठन-वार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई तथा विदेशी वित्तीय संस्थानों से ली गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार निधियों का उपयोग न किए जाने से संबंधित किसी भी शिकायत से अवगत नहीं है।

(घ) समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार 15.11.2010 की स्थिति के अनुसार बसावटों की कवरेज स्थिति का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के माध्यम से राज्य सरकारों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, राज्य सरकारें ग्रामीण बसावटों को सुरक्षित तथा पर्याप्त पेय जल आपूर्ति करने तथा जल गुणवत्ता समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें उपलब्ध कराई गई निधियों के 65% तक का उपयोग कर सकती हैं।

(ङ) भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल योजनाओं के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराती है।

विवरण-I

ग्यारहवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन तथा रिलीज

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		कुल	
		आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज*	आबंटन	रिलीज*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	295.30	305.24	394.53	395.05	437.09	537.37	491.02	233.23	1617.94	1470.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	112.41	112.41	146.12	162.46	180.00	178.20	123.01	58.43	561.54	511.50
3.	असम	189.59	189.59	246.44	187.57	301.60	323.50	412.81	206.41	1150.44	907.07
4.	बिहार	279.37	169.69	425.38	452.38	372.21	186.11	341.46	0.00	1418.42	808.17
5.	छत्तीसगढ़	95.95	95.95	130.42	125.26	116.01	128.22	130.27	61.88	472.65	411.31
6.	गोवा	3.31	1.66	3.98	0.00	5.64	3.32	5.34	0.00	18.27	4.98
7.	गुजरात	205.89	205.89	314.44	369.44	482.75	482.75	542.67	271.34	1545.75	1329.42
8.	हरियाणा	93.41	93.41	117.29	117.29	207.89	207.89	233.69	111.00	652.28	528.59
9.	हिमाचल प्रदेश	117.46	130.42	141.51	141.51	138.52	182.85	133.71	66.86	531.20	521.64
10.	जम्मू और कश्मीर	329.92	329.92	397.86	396.49	447.74	402.51	449.22	205.88	1624.74	1334.80
11.	झारखंड	113.88	84.46	160.67	80.33	149.29	111.34	165.93	102.82	589.77	378.95
12.	कर्नाटक	278.51	283.16	477.19	477.85	573.67	627.86	644.92	306.34	1974.29	1695.21
13.	केरल	82.93	84.25	103.33	106.97	152.77	151.89	144.28	68.53	483.31	411.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	मध्य प्रदेश	251.62	251.62	370.47	380.47	367.66	379.66	399.04	199.52	1388.79	1211.27
15.	महाराष्ट्र	404.40	404.40	572.57	648.24	652.43	647.81	733.27	348.30	2362.67	2048.75
16.	मणिपुर	38.59	45.59	50.16	45.23	61.60	38.57	54.61	25.94	204.96	155.33
17.	मेघालय	44.46	55.29	57.79	63.38	70.40	79.40	62.83	31.42	235.48	229.49
18.	मिजोरम	31.88	38.88	41.44	54.19	50.40	55.26	35.71	17.86	159.43	166.19
19.	नागालैंड	32.72	39.75	42.53	42.53	52.00	47.06	51.70	24.56	178.95	153.90
20.	उड़ीसा	168.85	171.95	298.68	298.68	187.13	226.66	204.88	102.44	859.54	799.72
21.	पंजाब	52.91	51.80	86.56	86.56	81.17	88.81	82.21	41.11	302.85	268.28
22.	राजस्थान	606.72	606.72	970.13	971.83	1036.46	1012.16	1165.44	553.58	3778.75	3144.29
23.	सिक्किम	13.42	20.13	17.45	32.45	21.60	20.60	15.45	7.34	67.92	80.52
24.	तमिलनाडु	190.90	190.90	241.82	287.82	320.43	317.95	316.91	158.46	1070.06	955.13
25.	त्रिपुरा	39.43	54.43	51.25	41.01	62.40	77.40	53.88	26.94	206.96	199.78
26.	उत्तर प्रदेश	401.51	401.51	539.74	615.78	959.12	956.36	899.12	449.56	2977.49	2423.21
27.	उत्तराखंड	89.30	89.30	107.58	85.87	126.16	124.90	139.39	66.21	462.43	366.28
28.	पश्चिम बंगाल	191.37	191.37	389.39	389.39	372.29	394.30	418.03	198.56	1371.08	1173.62
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	1.47	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00
32.	दिल्ली	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31	0.00	4.62	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00
34.	पुडुचेरी	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	1.85	0.00
35.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00
	कुल	4757.01	4699.67	6896.72	7056.02	7986.43	7989.72	8460.00	3944.52	28100.16	23689.93

*15.11.2010 की स्थिति के अनुसार।

विवरण-II

क्र.सं.	परियोजना का नाम	करार की तारीख	ऋण/उधार की राशि	संचयी संवितरण (31.10.2010 की स्थिति के अनुसार)
विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (राशि मिलियन अमरीकी डॉलर में)*				
1.	कर्नाटक ग्रामीण पेय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण	17.07.10	150.00	0.00
2.	उत्तराखंड ग्रामीण पेय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	16.10.06	120.00	40.80
3.	पंजाब ग्रामीण पेय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	26.02.07	154.00	29.50
4.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण पेय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	22.01.10	150.00	15.00
जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (राशि मिलियन जापानी येन में है)**				
5.	होगेनक्कल जल आपूर्ति तथा फ्लोरोसिस न्यूनीकरण परियोजना (चरण-I)	10.3.2008/ 25.3.2017	22387 मिलियन जापानी येन	1657.486 (95.035 करोड़ रु.)
6.	होगेनक्कल जल आपूर्ति तथा फ्लोरोसिस न्यूनीकरण परियोजना (चरण-II)	31.3.2009/ 28.7.2017	17095 मिलियन जापानी येन	0.000

मौजूदा विनिमय दर के अनुसार

*1 अमरीकी डॉलर = लगभग 45.27 रु.

**1 जापानी येन = लगभग 0.54 रु.

विवरण-III

15.11.2010 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण बसावटों की स्थिति (आईएमआईएस पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	बसावटों की कुल संख्या	स्वच्छ पेय जल की अपर्याप्त मात्रा वाली बसावटों की संख्या	पर्याप्त स्वच्छ पेय जल की पर्याप्त मात्रा वाली बसावटों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	491	58	433
2.	आंध्र प्रदेश	72108	34134	37974
3.	अरुणाचल प्रदेश	5612	3121	2491
4.	असम	86976	43256	43720
5.	बिहार	107642	25868	81774

1	2	3	4	5
6.	चंडीगढ़	18	18	0
7.	छत्तीसगढ़	72329	37364	34965
8.	दादरा और नगर हवेली	70	70	0
9.	दमन और दीव	21	21	0
10.	दिल्ली	0	0	0
11.	गोवा	347	45	302
12.	गुजरात	34415	1308	33107
13.	हरियाणा	7385	1755	5630
14.	हिमाचल प्रदेश	53205	14675	38530
15.	जम्मू और कश्मीर	12826	8618	4208
16.	झारखंड	120061	2157	117904
17.	कर्नाटक	59203	26083	33120
18.	केरल	11883	0	11883
19.	लक्षद्वीप	9	9	0
20.	मध्य प्रदेश	127197	57030	70167
21.	महाराष्ट्र	98098	18114	79984
22.	मणिपुर	2870	1624	1246
23.	मेघालय	9326	4417	4909
24.	मिजोरम	777	273	504
25.	नागालैंड	1386	386	1000
26.	उड़ीसा	141928	76706	65222
27.	पुडुचेरी	248	1	247
28.	पंजाब	14519	3226	11293
29.	राजस्थान	121133	54433	66700
30.	सिक्किम	2498	712	1786
31.	तमिलनाडु	93699	7445	86254
32.	त्रिपुरा	8132	4764	3368
33.	उत्तर प्रदेश	260110	13099	247011
34.	उत्तराखंड	39142	13173	25969
35.	पश्चिम बंगाल	95394	12131	83263
	कुल	1661058	466094	1194964

[हिन्दी]

विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार तथा आय में एकरूपता

1925. श्री जगदानंद सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि, उद्योग और सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार इसके ब्यौरे क्या हैं;

(ग) उपयुक्त प्रत्येक क्षेत्र में नियुक्त लोगों की वार्षिक आय के साथ-साथ राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की आय बढ़ाने तथा आय में एकरूपता लाने के लिए बनाए गए कार्यक्रम के संबंध में सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पिछला सर्वेक्षण 2004-05 के दौरान किया गया था। विगत दो सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार, देश में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में लगे व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 1999-2000 के दौरान 237.6 मिलियन (59.9%), 69.2 मिलियन (17.4%) तथा 90.3 मिलियन (22.7%) की तुलना में 2004-05 के दौरान क्रमश: 268.6 मिलियन (58.5%), 83.1 मिलियन (18.1%) तथा 107.4 मिलियन (23.4%) थी। कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में लगे व्यक्तियों का राज्य-वार प्रतिशत विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2004-05 के दौरान प्रमुख राज्यों हेतु व्यापक क्षेत्रों हेतु 1999-2000 की कीमतों पर प्रति कामगार सकल योजित मूल्य (जीवीए) (रुपए में) प्रति वर्ष विवरण-II में दिया गया है। वर्तमान में संकेन्द्रण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की रहन-सहन दशाओं में सुधार लाने के लिए उनकी आय में वृद्धि के लिए तीव्र गति से उत्पादक रोजगार पर है। भारत सरकार विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमजीईपी); स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का भी कार्यान्वयन करती रही है। इन कार्यक्रमों से रोजगार स्तरों में वृद्धि होने का अनुमान है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों की आय में सुधार होगा।

विवरण-I

2004-05 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्रों में लगे व्यक्तियों का राज्य-वार प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	व्यक्ति (ग्रामीण)			व्यक्ति (शहरी)		
		कृषि	उद्योग	सेवा	कृषि	उद्योग	सेवा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	71.8	13.2	15.0	10.0	30.0	60.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	81.9	5.3	12.7	11.1	11.9	77.0
3.	असम	74.3	6.0	19.7	4.8	19.3	75.9
4.	बिहार	77.9	8.4	13.6	20.5	19.0	60.7
5.	छत्तीसगढ़	86.2	7.3	6.6	13.3	27.9	58.8
6.	दिल्ली	7.2	28.2	64.6	0.1	31.9	67.8
7.	गोवा	35.3	16.0	48.8	4.8	34.8	60.5
8.	गुजरात	77.3	11.4	11.4	6.2	45.3	48.5

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हरियाणा	64.1	17.8	18.0	11.2	34.2	54.6
10.	हिमाचल प्रदेश	69.6	16.2	14.1	8.5	37.3	54.0
11.	जम्मू और कश्मीर	63.9	18.3	17.7	14.1	37.6	48.2
12.	झारखंड	70.0	19.6	10.4	11.8	33.1	55.1
13.	कर्नाटक	81.0	8.7	10.2	8.2	32.5	59.2
14.	केरल	42.0	25.8	32.2	15.7	29.2	55.3
15.	मध्य प्रदेश	82.5	9.4	8.1	12.1	29.9	57.9
16.	महाराष्ट्र	80.0	8.9	11.2	6.8	34.3	59.0
17.	मणिपुर	69.3	12.2	18.4	28.3	19.2	52.6
18.	मेघालय	81.8	7.6	10.7	2.0	12.7	85.3
19.	मिजोरम	87.4	1.9	10.7	36.1	10.4	53.5
20.	नागालैंड	79.3	4.2	16.6	12.9	11.4	75.7
21.	उड़ीसा	69.0	17.5	13.6	13.9	26.6	59.4
22.	पंजाब	66.9	17.0	16.0	5.9	34.6	59.6
23.	राजस्थान	72.9	16.8	10.3	13.9	35.2	50.7
24.	सिक्किम	60.5	12.4	26.9	0.2	19.9	80.1
25.	तमिलनाडु	65.4	20.1	14.7	8.3	38.9	52.8
26.	त्रिपुरा	43.2	16.5	40.3	4.1	14.7	81.3
27.	उत्तराखंड	78.4	9.7	11.9	12.0	23.5	64.4
28.	उत्तर प्रदेश	72.8	14.5	12.8	10.5	36.4	53.3
29.	पश्चिम बंगाल	62.7	17.7	19.5	2.8	35.3	61.9
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	45.4	19.4	35.1	2.6	23.7	73.7
31.	चंडीगढ़	7.0	43.6	49.2	0.4	21.2	78.4
32.	दादरा और नगर हवेली	48.3	30.6	21.1	6.0	34.3	59.6
33.	दमन और दीव	39.4	29.5	31.0	17.6	24.9	57.4
34.	लक्षद्वीप	39.3	42.9	17.8	26.5	21.5	52.0
35.	पुडुचेरी	58.6	23.5	17.7	8.7	38.7	52.4
	अखिल भारत	72.7	13.7	13.6	8.8	34.1	57.2

विवरण-II

वर्ष 2004-05 के दौरान व्यापक क्षेत्रों में 1999-2000 में प्रति कामगार प्रतिवर्ष सकल योजित मूल्य (रु.)

क्र.सं.	राज्य	कृषि*	उद्योग	सेवा	समग्र
1.	आंध्र प्रदेश	18217	63122	89070	43255
2.	असम	17148	117753	74379	39926
3.	बिहार	10492	26451	79055	23634
4.	छत्तीसगढ़	8522	138818	94062	33986
5.	गुजरात	10769	119651	125633	57799
6.	हरियाणा	37755	115972	143690	82887
7.	हिमाचल प्रदेश	22515	141256	150641	66523
8.	जम्मू और कश्मीर	24750	48854	86163	44881
9.	झारखंड	9132	73514	82176	36105
10.	कर्नाटक	13640	86335	111084	45563
11.	केरल	35063	63676	115510	72652
12.	मध्य प्रदेश	11331	58328	86116	31096
13.	महाराष्ट्र	15352	108191	155896	66795
14.	उड़ीसा	13064	51757	87612	34198
15.	पंजाब	50566	82302	115425	75950
16.	राजस्थान	17084	55581	92418	37970
17.	तमिलनाडु	13666	62350	113421	54149
18.	उत्तर प्रदेश	15799	44018	72237	32336
19.	उत्तराखंड	15492	122151	114406	49936
20.	पश्चिम बंगाल	30062	49349	97406	55208
21.	शहरी दिल्ली	169435	92569	172842	147526
	प्रमुख राज्य	16716	70644	106203	47480
	भारत	17446	74605	119439	52051

*2002-2003, 2003-04 एवं 2004-05 का त्रैवार्षिक औसत।

[अनुवाद]

पंचायती राज को सुदृढ़ करना

1926. श्री जयराम पांगी:
श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री के.आर.जी. रेड्डी:
श्री पी. बलराम:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक सुधार लाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार अनेक केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को पुनर्गठित करने के लिए पंचायतों और ग्राम सभाओं को और अधिक अधिकार प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें सीधे तौर पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पंचायतों को स्व-शासित निकाय के रूप में काम करने का अधिकार प्राप्त है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 243(जी) के अनुसार राज्य विधायिका के लिए यह आवश्यक है कि वे पंचायतों को ऐसी शक्तियों और अधिकारों का अंतरण करे जो कि उन्हें स्थानीय शासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य रूप से चाहिए साथ ही उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने तथा उन्हें लागू करने के संबंध में भी अधिकार और दायित्व दिए जाने चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों और सहयोगियों मंत्रालयों को इस बात के लिए राजी कर रहा है कि वे पंचायतों को पर्याप्त कार्य, कोष और कार्यकारी अंतरित करें।

(ग) और (घ) विभिन्न मंत्रालयों ने अपनी-अपनी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं आरंभ की हैं जिनमें पंचायतों और ग्राम सभाओं को विभिन्न स्तरों की शक्तियां/भूमिकाएं दी जाती हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने इस मामले को विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ उठाया है जिससे कि उनकी योजनाओं में पंचायतों को पर्याप्त भूमिका मिले।

(ङ) संवैधानिक ढांचे में पंचायतें राज्य का विषय हैं और राज्य अपने-अपने संदर्भ में उपयुक्त समझे जाने वाले विधान बनाते हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने, उन्हें लागू करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए पंचायतों को अलग-अलग राज्यों में दिए गए अधिकारों की मात्रा अलग-अलग है।

[हिन्दी]

जिला नि:शक्त पुनर्वास केन्द्र

1927. श्री ओम प्रकाश यादव:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्थान-वार जिला नि:शक्त पुनर्वास केन्द्रों तथा पुनर्वास केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बिहार सहित देश में और जिला नि:शक्त पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों को सरकार द्वारा केन्द्र-वार आवंटित तथा जारी की गई वित्तीय सहायता क्या है; और

(ङ) इन केन्द्रों के माध्यम से लाभान्वित लोगों की केन्द्र-वार संख्या के साथ-साथ उक्त अवधि के दौरान उक्त सहायता राशि का कितने अंश का उपयोग किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) देश में कुल 199 जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसीज) अनुमोदित किए गए हैं। राज्यवार तथा जिलावार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने वर्ष 2010-11 और 2011-12 में देश में 100 नए जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना का निर्णय किया है, जिनमें से 50 मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्र-वार निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) सहायता अनुदान, उपयोग प्रमाणपत्रों जो पूर्व अनुदानों के संबंध में देय हैं, के प्राप्त होने पर ही जारी किया जाता है।

विवरण-I

199 अनुमोदित जिला विकलांगजन पुनर्वास केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य	संख्या	डीडीआरसी जिले का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4	विशाखापटनम, अनन्तपुर, करीमनगर, श्रीकाकुलम
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	ईटानगर, तवंग, पूर्व कामेंग
3.	असम	9	तेजपुर, डिबरूगढ़, सिल्चर, करीमगंज, धुबरी, नौगांव, जोरहट, बारपेता, धेमजी, लखीमपुर
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	पोर्टब्लेयर, निकोबार
5.	बिहार	19	दरभंगा, गया, बांका, मुजफ्फरपुर, छपरा, किशनगंज, नवादा, जेहनाबाद, समस्तीपुर, बेगुसराय, नालन्दा, चम्पारन, कईमूर, मधुबनी, भोजपुर, औरंगाबाद, वैशाली, एरारिया, कटिहार
6.	छत्तीसगढ़	7	रायपुर, राजगढ़, दुर्ग, राजनंदगांव, जशपुर, बस्तर, धामत्री
7.	दादरा और नगर हवेली	1	सिलवासा
8.	दमन और दीव	1	दीव
9.	गोवा	1	पणजी
10.	गुजरात	10	सूरत, जामनगर, अहमदाबाद, वड़ोदरा, राजकोट, भावनगर, सुरेन्द्रनगर, नादियाद, जूनागढ़, दाहोद
11.	हरियाणा	5	रोहतक, कुरूक्षेत्र, सोनीपत, हिसार, फतेहाबाद
12.	हिमाचल प्रदेश	4	शिमला, धर्मशाला, किन्नूर, चम्बा
13.	जम्मू और कश्मीर	6	उधमपुर, लेह, अनन्तनाग, डोडा, बारामुल्ला, पूंछ
14.	झारखंड	5	रांची, हजारीबाग, दुमका, ईस्ट सिंहभूम (जमशेदपुर), धनबाद
15.	कर्नाटक	7	बेल्लारी, बेलगांव, मंगलौर, तुम्कूर, गुलबर्गा, मंदया, बीदर
16.	केरल	4	कोझीकोड, त्रिसूर, त्रिवेन्द्रमपुरम, पथनामथित्ता
17.	लक्षद्वीप	1	लक्षद्वीप
18.	मणिपुर	3	इम्फाल, थोबाल, चुराचंदपुर
19.	मेघालय	3	शिलांग, ईस्ट गारो हिल्स, जयन्तिया हिल्स
20.	मिजोरम	3	एजैवाल, लुंगई, लुंगलित, कोलासिब मामित
21.	मध्य प्रदेश	22	बालाघाट, रीवा, सागर, इन्दौर, झाबुआ, ग्वालियर, राजगढ़, उज्जैन, सतना, खरगांव, खंडवा, शाजपुर (अगार), अलोते (रतलाम), नीमच (जावड़), देवास, मंदसौर, दामोह, शिवपुरी, छिन्दवाड़ा, गुना, विदिशा, सहोरे

1	2	3	4
22.	महाराष्ट्र	10	कोल्हापुर, बुलढाना, वर्धा, लातुर, औरंगाबाद, सिंधदुर्ग, दादर/महीम, गोंदिया, हिंगोली, नांदेड़
23.	नागालैंड	3	दीमापुर, तुंसांग, मोन
24.	उड़ीसा	9	कालाहांडी, सम्बलपुर, मयूरगंज, कोरापूत, फुलबनी, गंजाम, नबरंगपुर, क्योंझर, जयपुर
25.	पुडुचेरी	2	पुडुचेरी, कराईकल
26.	पंजाब	8	पटियाला, संगरूर, फिरोजपुर, भटिंडा, होशियारपुर, मोगा, नवांशहर, अमृतसर
27.	राजस्थान	9	अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, झुंझुनु, बीकानेर, जैसलमेर, टोंक, जालौर, पाली
28.	सिक्किम	1	गंगटोक
29.	तमिलनाडु	7	वेल्लौर, थौथुकुंडी, मदुरई, सलेम, विरुद्धनगर, कन्याकुमारी, पेराम्बलूर
30.	त्रिपुरा	3	अगरतला, धलाई, नार्थ त्रिपुरा
31.	उत्तराखंड	5	टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल
32.	उत्तर प्रदेश	16	गोरखपुर, मऊ, गोंडा, वाराणसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, बलिया, झांसी, फरूखाबाद, पीलीभीत, अम्बेडकर नगर, रायबरेली, मुजफ्फरनगर, महाराजगंज, मथुरा
33.	पश्चिम बंगाल	6	जलपाईगुडी, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दीनाजपुर, 24 परगना नार्थ, बीरभूम, कुच बिहार
	कुल	199	

विवरण-II

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान नए जिला विकलांगजन पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) की स्थापना हेतु पहचान किए गए जिले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	पहचान किए गए जिलों की सं.	जिले का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	15	ईस्ट गोदावरी, गुन्टूर, नालगोंडा, वारंगल, महबूबनगर, कुरूनूल, खम्माम, वेस्ट गोदावरी, रंगारेड्डी, चित्तूर, नेल्लौर, विजयनगरम, प्रकासम, मेडक, कुड्डापाह
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	पापुपारे, वेस्ट सियांग
3.	असम	4	काचर, दारंग, सिवसागर, बोंगईगांव

1	2	3	4
4.	बिहार	7	पुर्निया, रोहतास, भागलपुर, वेस्ट चम्पारन, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान
5.	गुजरात	3	बनासकांठा, खेडा, साबरकांठा
6.	जम्मू और कश्मीर	1	जम्मू
7.	झारखंड	1	पालमु
8.	कर्नाटक	1	कोलार
9.	केरल	7	मलापपुरम, कोल्लम, इर्नाकुलम, पालक्कड़, एलाप्पुझा, कन्नूर, कोट्टायम
10.	मणिपुर	1	इम्फाल वेस्ट
11.	मध्य प्रदेश	1	जबलपुर
12.	महाराष्ट्र	7	पुणे, अहमदनगर, नासिक, शोलापुर, नागपुर, अमरावती, जलगांव
13.	मेघालय	2	वेस्ट गारो हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स
14.	उड़ीसा	3	पुरी, बालेश्वर, भद्रक
15.	पंजाब	1	लुधियाना
16.	राजस्थान	8	अलवर, सीकर, नागौर, भरतपुर, बाडमेर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़
17.	सिक्किम	2	साउथ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम
18.	त्रिपुरा	1	साउथ त्रिपुरा
19.	उत्तर प्रदेश	24	आजमगढ़, बाबांकी, जौनपुर, अलीगढ़, खेरी, हरदोई, देवरिया, बुलन्दशहर, रामपुर, कानपुर देहात, सहारनपुर, उन्नाव, बरेली, प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, बदायूं, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, शाहजहांनपुर, बहराइच, बस्ती, सिद्धार्थनगर
20.	पश्चिम बंगाल	9	साऊथ 24 परगना, बर्धमान, हुगली, नदिया, बंकुरा, माल्दा, पुरुलिया, दार्जिलिंग, हावड़ा
	कुल	100	

विवरण-III

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों के संबंध में जारी निधियों का राज्यवार/केन्द्र-वार ब्यौरा

राशि (रुपए में)

राज्य	डीडीआरसी	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	विजाग	153000	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	तवंग	910500	0	1000911	0
	ईस्ट कामेंग	607000	0	964120	0

1	2	3	4	5	6
असम	करीमगंज	0	0	547824	504000
	धुमरी	1214000	0	490518	0
	नागांव	910500	0	876500	0
	जोरहाट	607000	0	714000	0
	बारपेटा	607000	0	0	871032
	सिल्चर	186300	0	0	0
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	निकोबार	0	0	1214000	0
बिहार	बेगुसराय	0	0	359338	0
	ईस्ट चम्पारन	0	0	367976	0
	मधुबनी	607000	0	0	0
	भोजपुर	607000	0	0	0
	अररिया	0	0	910500	0
	औरंगाबाद	0	0	0	1214000
	छपरा	408600	86268	0	356400
	किशनगंज	251000	0	0	0
छत्तीसगढ़	दुर्ग	0	175097	0	0
	रायगढ़	150959	0	0	0
गुजरात	सूरत	0	130719	173200	0
	वडोदरा	278389	285525	0	411911
	जूनागढ़	0	0	0	164914
	जामनगर	0	255150	0	0
	अहमदाबाद	469800	0	0	0
हरियाणा	फतेहाबाद	0	325554	460770	0
	रोहतक	0	247050	0	0
हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	0	468345	0	201858
जम्मू और कश्मीर	डोडा	0	910500	0	0
	बारामुल्ला	0	0	607000	0
झारखंड	धनबाद	607000	0	0	0
	हजारीबाग	480600	0	0	0

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक	बिदर	910500	0	0	0
	तुम्कूर	247200	0	0	0
मणिपुर	थोबाल	607000	0	1155545	0
	चूराचन्दपुर	607000	0	1180000	1182000
	इम्फाल	0	891000	0	0
मेघालय	ईस्ट गारो हिल्स	607000	0	775419	0
	जनतिया हिल्स	0	0	571720	0
	शिलांग	53785	0	0	0
मिजोरम	कोलासिब+मामित	705858	0	713627	0
मध्य प्रदेश	शिवपुरी	1214000	0	0	0
	छिंदवाड़ा	0	0	0	838762
	गुना	910500	0	0	0
	विदिशा	607000	607000	0	0
	सहोरे	0	910500	0	0
	जबलपुर	0	0	0	1720000
	सागर	0	0	59649	159161
	रीवा	376827	0	0	432000
	झाबूआ	0	351045	0	330513
	ग्वालियर	427200	0	0	241413
	उज्जैन	0	194000	0	0
	बालागढ़	848122	0	0	0
	राजगढ़	198000	0	0	0
	इन्दौर	516063	0	0	0
महाराष्ट्र	गोंदिया	0	0	910500	0
	बुल्ढाना	297109	362400	372900	322800
	लातूर	0	0	0	314216
उड़ीसा	गंजाम	714000	714000	0	0
	नाबरंगपुर	910500	0	375880	0
	क्योंझर	607000	0	0	0
	कोरापूत	0	0	0	353762

1	2	3	4	5	6
	मयूरभंज	291627	0	0	0
	फुलबनी	317995	0	0	0
पुडुचेरी	कराईकल	607000	0	0	0
पंजाब	भटिंडा	0	0	718808	0
	मोगा	0	0	321907	0
	संगरूर	521600	281400	313200	0
	पटियाला	124037	0	0	0
राजस्थान	जालौर	607000	0	0	0
	पाली	607000	0	0	0
	टोंक	0	0	0	403991
	उदयपुर	513600	351112	0	0
तमिलनाडु	पेराम्बलूर	346500	0	0	0
	थौथुकुडी	332180	451120	0	138315
	मन्सा	459600	331800	0	0
त्रिपुरा	धलाई	0	0	654587	929954
उत्तराखंड	नैनीताल	0	607000	964000	0
	हरिद्वार	0	0	1213800	0
	टिहरी गढ़वाल	440000	0	0	0
उत्तर प्रदेश	राय बरेली	0	0	498897	0
	हरदोई	0	0	0	1720000
	मथुरा	0	0	607000	0
	पीलीभीत	0	0	144000	264950
	गोरखपुर	430976	58251	0	321151
	गोंडा	172637	172433	0	0
	मऊ	83218	126175	0	0
पश्चिम बंगाल	बीरभूम	0	910500	0	0
	जलपाईगुडी	445606	0	0	481644
	दक्षिण दीनाजपुर	413374	285600	0	309000
	मुर्शिदाबाद	388800	169457	0	0
	कुल	27523062	10659001	20108496	14187747

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

1928. श्री देवजी एम. पटेल:
श्री आर.के. सिंह पटेल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण युवाओं को शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बोर्ड द्वारा कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे; और

(घ) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर वार्षिक कितनी राशि खर्च होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीडब्ल्यूई) की स्थापना वर्ष 1958 में देश में श्रमिक शिक्षा योजना को कार्यान्वित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकार द्वारा की गई थी। ग्रामीण श्रमिक शिक्षा योजना सीबीडब्ल्यूई द्वारा 18 से 45 वर्ष के आयु समूह में आने वाले बेरोजगार युवाओं को शिक्षित करने के लिए 1977-78 में शुरू की गई थी। यह योजना सीबीडब्ल्यूई द्वारा अपने 50 क्षेत्रीय निदेशालयों के माध्यम से देश भर में कार्यान्वित की जा रही है और इस योजना पर लगभग 2.50 से 3.00 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय होता है।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण

1929. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों में शौचालयों के निर्माण का राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या अभी तक यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत आवासों में शौचालय निर्माण के लिए धन जारी करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) इंदिरा आवास योजना को संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के साथ जोड़ा गया है तथा आईएवाई लाभार्थी आईएवाई मकान के साथ शौचालय के निर्माण के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग कर सकते हैं।

(ख) और (ग) प्रत्येक आईएवाई मकान के साथ शौचालय होने के लक्ष्य को पारंपरिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण के कारण प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि कई ग्रामीण परिवार मकानों के साथ स्वच्छ शौचालय निर्मित करने में अनिच्छुक हैं। तथापि, लाभार्थियों को मकान के निर्माण के साथ स्वच्छ शौचालय का निर्माण करने के लिए मनाया जाता है तथा प्रेरित किया जाता है। शौचालय के लाभों के बारे में तथा स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के लाभों के बारे में लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) क्रियाकलाप भी शुरू किए जाते हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि अर्थात् वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान आईएवाई के अंतर्गत निर्धारित वास्तविक लक्ष्य, निर्मित मकानों तथा निर्मित स्वच्छ शौचालयों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) मकानों में शौचालय बनाने के लिए आईएवाई के अंतर्गत कोई अतिरिक्त राशि रिलीज करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि टीएससी कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां पहले से ही उपलब्ध हैं।

विवरण

ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007-08 से 2010-11) के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित वास्तविक लक्ष्य, निर्मित मकानों तथा स्वच्छ शौचालयों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

(संख्या इकाई में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	मकानों की संख्या		निर्मित स्वच्छ शौचालय
		लक्ष्य	निर्मित	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1013366	972744	154328
2.	अरुणाचल प्रदेश	32134	22176	4150

1	2	3	4	5
3.	असम	710587	528316	121477
4.	बिहार	2991201	1797778	43320
5.	छत्तीसगढ़	156705	140956	69238
6.	गोवा	6241	3464	1
7.	गुजरात	496979	437250	290809
8.	हरियाणा	69774	56464	48448
9.	हिमाचल प्रदेश	22489	18667	9908
10.	जम्मू और कश्मीर	69856	49767	5913
11.	झारखंड	366791	290178	5919
12.	कर्नाटक	390418	311871	140482
13.	केरल	217110	168249	147271
14.	मध्य प्रदेश	311656	262244	71070
15.	महाराष्ट्र	611123	471638	154764
16.	मणिपुर	27895	8014	1959
17.	मेघालय	48584	21557	3031
18.	मिजोरम	10354	12796	5769
19.	नागालैंड	32149	53338	0
20.	उड़ीसा	587668	431274	12666
21.	पंजाब	86290	64095	19445
22.	राजस्थान	249736	193946	53692
23.	सिक्किम	6147	5126	283
24.	तमिलनाडु	405725	367319	221285
25.	त्रिपुरा	62597	50183	0
26.	उत्तर प्रदेश	1343503	1094741	285473
27.	उत्तराखंड	61553	56204	43131
28.	पश्चिम बंगाल	810641	549468	271889
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8852	740	217

1	2	3	4	5
30.	दादरा और नगर हवेली	1475	162	1
31.	दमन और दीव	659	12	12
32.	लक्षद्वीप	623	375	343
33.	पुडुचेरी	4408	200	143
	कुल	11215289	8441312	2186437

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत काली सूची में दर्ज ठेकेदार

1930. श्री चंदूलाल साहू: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के शुरुआत से अब तक प्र.मं.ग्रा.स. योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में काली सूची में दर्ज ठेकेदारों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से प्रत्येक ठेकेदार के विरुद्ध ठेकेदार-वार लगाए गए जुर्माने का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य में काली सूची में नाम दर्ज होने के बाद भी किसी ठेकेदार को अन्य राज्यों में काम करने की अनुमति देने का प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) उन फर्मों के नाम तथा उनकी संख्या क्या है जिनके विरुद्ध सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान सख्त कार्रवाई की है तथा उनका ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सड़क निर्माण के माध्यम से ग्रामीण अवसंरचना को सुधारने के लिए केन्द्र सरकार की एकल विशेष पहल है ताकि पात्र बसावटों को सड़क संपर्क मुहैया कराया जा सके। पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण, रखरखाव करना तथा स्वामित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। इसीलिए, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं जैसे गुणवत्ता, इन सड़कों को समय पर पूरा किया जाना इत्यादि को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में किसी भी कमी के लिए ठेकेदारों को काली सूची में डालने का काम संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा इससे संबंधित कोई भी आंकड़ा मंत्रालय में नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

दुर्घटना और पर्यावरण सुरक्षा

1931. प्रो. रंजन प्रसाद यादव: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय बंदरगाहों के पास जहाजों के टकराने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान हुई जान-माल की हानि के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कौन से निरोधक कदम उठाए गए है;

(घ) क्या भारतीय जल की पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई राष्ट्रीय पोत परिवहन नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) जी, नहीं। हाल ही के समय में भारतीय पत्तनों के नजदीक पोतों के टकराने की घटनाओं में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार की टकराने

की घटनाओं में किसी प्रकार की जीवन की हानि नहीं हुई है। वर्ष 2007 से 2009 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान टकराने वाले पोतों को मामूली क्षति को छोड़कर संपत्ति की कोई हानि नहीं हुई है। तथापि, वर्ष 2010 में टकराने की दो घटनाओं से पोतों को बड़ी क्षति तथा तेल प्रदूषण हुआ।

(ग) इस प्रकार की संभावित घटनाओं को रोकने के लिए की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

1. भारतीय तटों पर लांग रेंज एंड आइडैंटीफिकेशन सिस्टम (एलआरआईटी) की स्थापना।
2. निदेशालय द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेशों के माध्यम से, भारतीय जल सीमा क्षेत्र एवं अनन्य आर्थिक जोन में पुराने पोतों पर प्रतिबंध।
3. पत्तन राष्ट्र एवं पताका राष्ट्र का सख्त कार्यान्वयन एवं भारतीय पत्तनों में अपेक्षाकृत पुराने जलयानों का निरीक्षण।
4. सुरक्षा फेयरवेज की स्थापना, यातायात पृथकता योजनाएं, भारत के पश्चिमी तट पर तटीय जलमार्गों की सिफारिश।
5. पोत सूचना, नौचालनात्मक चेतावनी पद्धति, टोविंग एवं यात्रा अनुमति के दिशानिर्देशों के संबंध में वाणिज्यिक पोत परिवहन नोटिस जारी किया जाना तथा मानसून के महीनों में उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क की लदाई करने वाले पोतों का वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा अनिवार्य निरीक्षण।

(घ) से (च) उपर्युक्त जानकारी विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारतीय जलक्षेत्र की पर्यावरणीय सुरक्षा—यथाआवश्यकता राष्ट्रीय पोत परिवहन नीति को तैयार किया जाना

सरकार ने पोतों से प्रदूषण रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का अनुसमर्थन किया है और संगत प्रावधानों को वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में शामिल किया गया है। इसके अलावा, निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय समझौते विचाराधीन है:—

1. पोतों से होने वाले बंकर तेल प्रदूषण के लिए क्षतिपूर्ति से निबटने के लिए अनिवार्यत: बीमे से संबंधित बंकर समझौता-2001 अनुसमर्थन हेतु भारत सरकार के विचाराधीन है।
2. लिमिटेशन ऑफ लाएबिलिटी फॉर मैरीटाइम क्लेम्स (एलएलएमसी) प्रोटोकॉल 1996, जो कि एलएलएमसी 1976 समझौते में निर्धारित पोतों से दावे की मौजूदा सीमा को बढ़ाए जाने से संबंधित है, अनुसमर्थन हेतु भारत सरकार के विचाराधीन है।
3. रैक रिमूवल कन्वैन्शन 2007 जिसके अनुसार भारत के जलसीमा क्षेत्र और अनन्य आर्थिक जोन सहित भारत के तट में कहीं भी नष्ट होने वाले पोतों के लिए टूटे हुए पोत को हटाने के प्रयोजन से पोत स्वामियों के लिए अनिवार्यत: बीमा सुरक्षा लेना निर्धारित है, अनुसमर्थन हेतु भारत सरकार के विचाराधीन है।
4. इसके अलावा, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के भाग XI के अंतर्गत भारतीय तट में या उसके आसपास पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मौजूद विभिन्न राष्ट्रीय कानून निम्नानुसार हैं:

(क) धारा 356(ग) भारतीय पोत को प्रदूषण रोकथाम प्रमाणपत्र जारी करने के प्रावधानों से संबंधित है।

(ख) धारा 356(ङ) प्रदूषण की रोकथाम के लिए पोत में निर्माण एवं उपस्करों की अपेक्षाओं से संबंधित है।

(ग) धारा 356(च) पोत पर रिकार्ड पुस्तिका के रखरखाव की अपेक्षा से संबंधित है।

(घ) धारा 356(छ) तेल प्रदूषण को रोकने के लिए तेल टैंकर और अन्य पोतों के निरीक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित है।

(ङ) धारा 356(ज) मारपोत 73/78 के प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना देने के कर्त्तव्य से संबंधित है।

(च) धारा 356(झ) मारपोत समझौते की अपेक्षाओं के अनुसार तैलीय अवशेषों के लिए प्राप्ति सुविधाएं स्थापित करने के लिए पत्तनों और स्थानों के कर्त्तव्यों से संबंधित है।

(छ) धारा 356(ञ) प्रदूषण करने वाले पोतों के स्वामी को एक नोटिस आदि दिए जाने के केन्द्र सरकार के अधिकारों से संबंधित है।

(ज) धारा 356(ट) पोत स्वामी द्वारा धारा 356(ञ) के अंतर्गत निर्धारित अपने कर्त्तव्यों को पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में प्रदूषण की रोकथाम करने अथवा बंद करने के उपाय करने के केन्द्र सरकार के अधिकारों से संबंधित है।

(झ) धारा 356(ठ) कुछ पोतों को कुछ सेवाएं प्रदान करने के निर्देश देने तथा प्रदूषण को रोकने के प्रयोजनों से केन्द्र सरकार के अधिकारों से संबंधित है।

(ञ) धारा 356(ड) तेल प्रदूषण रोकने के आकस्मिक उपायों के लिए भारतीय पत्तनों में तेल रिसाव कराने वाले पोतों से तेल प्रदूषण अतिरिक्त कर लिए जाने से संबंधित है।

(ट) भारतीय तट रक्षक के अंतर्गत राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा एवं आकस्मिकता योजना भारत के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री पर्यावरणीय संरक्षण, सुरक्षा तथा रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है।

(ठ) भारत 1992 सीएलसी समझौते का एक पक्षकार है जिसमें 2000 टन से ऊपर की मात्रा के साथ कार्गो के रूप में बल्क में तेल ले जाने वाले पोतों द्वारा तेल प्रदूषण होने पर क्षतिपूर्ति के मामलों से निबटने हेतु बीमा सुरक्षा बनाए रखना अपेक्षित है।

(ड) भारत इंटरनेशनल ऑयल पॉल्यूशन कम्पनसेशन फंड 1992 का एक स्वैच्छिक सदस्य है जो कि सीएलसी 1992 के प्रावधानों के पर्याप्त सिद्ध नहीं होने पर घटनाओं की रोकथाम के उपायों के लिए क्षतिपूर्ति एवं भुगतान से संबंधित है। इन प्रावधानों को वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में शामिल किया गया है।

(ढ) उपरोक्त सांविधि एवं प्रस्तावित प्रावधानों के अंतर्गत मौजूदा कानून के मद्देनजर किसी नीति की जरूरत महसूस नहीं की गई है। इसके अलावा, नौवहन एक अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा शासित होता है और इसलिए समझौतों के शीघ्र अनुसमर्थन और बेहतर अनुपालन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

चीन के साथ व्यापार

1932. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
डॉ. एम. तम्बिदुरई:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान भारत और चीन के बीच व्यापार में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारत-चीन के बीच आयात-निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन को निर्यात पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार-संतुलन बिगड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय उद्योग के हितों की रक्षा करने तथा दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) वर्ष 2008-09 के दौरान चीन को भारत के निर्यातों में गिरावट आई थी और वर्ष 2009-10 के दौरान भारत को चीन के निर्यातों में गिरावट आई है। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और चीन के बीच कुल व्यापार में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मूल्य: मिलियन अम. डॉ. में)

वर्ष	चीन को निर्यात	चीन से आयात	कुल व्यापार
2007-08	10871.4	27146.41	38017.75
2008-09	3953.5	32497.02	41850.52
2009-10	11617.88	30824.02	42441.90

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

(ग) और (घ) ऐसे कई कारक हैं जो भारत से चीन को निर्यात में बाधा डालते हैं। चीन की वृहत आर्थिक नीतियों विनिमय दर नीति तथा अन्य विशिष्ट गैर-टैरिफ उपायों से चीन को निर्यात को गैर-किफायती तथा दुर्वह हो जाते हैं। आर्थिक संबंध, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-चीन संयुक्त दल (जेईजी) के दिनांक 19 जनवरी, 2010 को आयोजित 8वें सत्र के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चीन में अपने समकक्ष मंत्री के साथ बढ़ते हुए व्यापार घाटे का मुद्दा उठाया था। 8वें जेईजी के परिणाम के रूप में भारत और चीन के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के विस्तार संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन में यह स्वीकार किया गया है कि भारत और चीन

के बीच आर्थिक सहयोग के दीर्घावधिक, सम्पोषणीय एवं सुमेलीकृत विकास के लिए संतुलित व्यापार सहायक होगा। समझौता ज्ञापन के अनुसार चीनी पक्ष मूल्यवर्धित वस्तुओं की अपनी आवश्यकता का यथासंभव आयात भारत से करने का प्रयास करेगा।

राष्ट्रीय मॉनिटरों द्वारा मनरेगा रिपोर्ट

1933. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में हो रही धांधली की जांच के लिए अक्तूबर, 2010 में आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी सहित अनेक राज्यों में राष्ट्रीय मॉनीटरों को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय मॉनीटरों ने कोई जांच प्रतिवेदन भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दक्षिण के राज्यों में भेजे गए राष्ट्रीय मॉनीटरों को भाषा संबंधी बाधा का सामना करना पड़ा जिसके चलते उनकी रिपोर्ट बहुत ही विषयात्मक तथा सत्य से परे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का पूर्व राष्ट्रीय मॉनीटरों द्वारा दी गई रिपोर्ट की समीक्षा के लिए स्थानीय भाषा जानने वाले राष्ट्रीय मॉनीटरों को पुन: वहां भेजने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) अक्तूबर 2010 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं (एनएलएम) द्वारा की गई जांच/प्रस्तुत रिपोर्टों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में एमजीएनआरईजीएस में धोखाधड़ी के संबंध में एनएलएम द्वारा सितम्बर में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसे विवरण में शामिल किया गया है।

(घ) ऐसी कोई रिपोर्ट मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अक्तूबर, 2010 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं (एनएलएम) द्वारा की गई जांच/प्रस्तुत रिपोर्टों का ब्यौरा

क्र.सं.	दौरा किया गया जिला	राज्य	एनएलएम की तैनाती की तारीख	कथित अनियमितता	रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख	एनएलएम के निष्कर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	उमरिया	मध्य प्रदेश	31.05.2010	निधियों का दुरुपयोग तथा अक्षम एजेंसी द्वारा परियोजनाओं का कार्यान्वयन	20.10.2010	शिकायत सही पाई गई
2.	सीतापुर	उत्तर प्रदेश	25.08.2010	पंचायत से बाहर से मशीनरी तथा श्रम का उपयोग	15.10.2010	आरोप सिद्ध नहीं हुए
3.	शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश	25.08.2010	जॉब कार्डधारकों को कार्य देने में व्यक्तिपरकता, मजदूरी के भुगतान में विलंब, जॉब कार्डों में अपूर्ण प्रविष्टियां आदि	01.10.2010	•प्रधान द्वारा सामग्री का दुरुपयोग •भुगतान में विलंब तथा बहुत कम कार्य का प्रावधान

1	2	3	4	5	6	7
4.	पश्चिम गोदावरी	आंध्र प्रदेश	26.08.2010	•प्रवासियों तथा मृत व्यक्तियों को भुगतान •वास्तविक भुगतान से अधिक रिकॉर्ड करना •स्थानीय जांच में अवरोध डालना तथा याचिकाकर्ता को धमकाना	23.09.2010	प्रवासियों को भुगतान तथा याचिकाकर्ता को धमकाने संबंधी स्थिति आंशिक रूप से सही पाई गई
5.	चंदोली	उत्तर प्रदेश	07.10.2010	नरेगा तथा जवाहर रोजगार योजना में भ्रष्टाचार	प्राप्त नहीं हुई	

[हिन्दी]

राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) द्वारा गेहूं का निर्यात

1934. श्री अशोक कुमार रावत:
श्री दत्ता मेघे:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम अन्य राज्यों को गेहूं निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को देश-वार निर्यात किए गए गेहूं की मात्रा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान खराब गुणवत्ता वाले गेहूं के निर्यात से एसटीसी को भारी नुकसान हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो निगम को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार गेहूं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) इस समय सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण एसटीसी अन्य देशों को गेहूं का निर्यात नहीं कर रही है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार ने दिनांक 9.2.2007 से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। तथापि, सरकार राजनयिक विचारों से कुछ देशों को गेहूं की कुछ मात्रा का निर्यात करने की अनुमति प्रदान कर रही है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए विशेष पुलिस स्टेशन

1935. श्री राधे मोहन सिंह:
श्री राम सुन्दर दास:
श्री भीष्म शंकर *उर्फ* **कुशल तिवारी:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध हो रहे अपराधों और अत्याचारों की शिकायत दर्ज कराने के लिए विशेष पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनकी जनसंख्या तथा उनके विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों के अनुपात में ऐसे पुलिस स्टेशनों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे और पुलिस स्टेशन स्थापित करने के बारे में सोच रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (घ) अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा इसके अंतर्गत तैयार की गई नियमावली के अंतर्गत विशेष पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध हुए अपराधों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए बिहार (9), छत्तीसगढ़ (12) और मध्य प्रदेश (48) ने विशेष पुलिस स्टेशनों की स्थापना की है। संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार ऐसे पुलिस स्टेशनों की स्थापना करते हैं।

[अनुवाद]

निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा

1936. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भवन और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए विद्यमान कानूनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन कानूनों के कार्यान्वयन में कोई बाधाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत कितने राज्यों ने कल्याण बोर्डों का गठन किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को कल्याण बोर्डों की स्थापना के लिए कोई निदेश जारी किए हैं; और

(च) इस संबंध में कितनी राशि एकत्रित की गई और राज्य कल्याण बोर्डों को पहुंचाई गई?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कामगारों के नियोजन और सेवा शर्तों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपाय आदि का प्रावधान करने की दृष्टि से, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 अधिनियमित किया है। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार से एक भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गठित किया जाना अपेक्षित है। इस बोर्ड के कार्यों में, दुर्घटना की स्थिति में लाभग्राही को तत्काल सहायता, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लाभग्राहियों को पेंशन के भुगतान, आवास के निर्माण हेतु ऋण और अग्रिम, समूह बीमा योजना की प्रीमियम हेतु धनराशि का भुगतान आदि जैसे कल्याण और सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान करना शामिल हैं।

(घ) अधिनियमों को कार्यान्वित करने का मुख्य दायित्व संबंधित राज्य सरकार में विहित है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने कल्याण बोर्ड गठित कर लिए हैं।

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत कल्याण बोर्ड गठित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को निदेश जारी किए हैं।

(च) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत, निर्माण लागत का @ 1% उपकर राज्य द्वारा उगाहा जाता है और इसे निर्माण कामगारों के कल्याण संबंधी व्यय पूरे करने के लिए संबंधित कल्याण बोर्डों को दे दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 30.06.2010 तक उगाहे गए उपकर की कुल धनराशि (लगभग) 3251 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बदलाव

1937. श्री आर.के. सिंह पटेल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मूलभूत बदलावों को प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये कार्यक्रम किस हद तक प्रभावी और सार्थक हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों तथा संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इस मंत्रालय के कार्यक्रमों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आवश्यकतानुसार संशोधित/परिशोधित किया जाता है। उदाहरणार्थ, ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार,

जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, को एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार कानूनी रूप से उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के स्थान पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लाया गया है। इसी प्रकार, अब स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि इस योजना को मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा सके तथा परिणामों की समयबद्ध सुपुर्दगी की जा सके। क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया है तथा इन्हें समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। अब त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) में परिवर्तित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

हार्डवेयर क्षेत्र का विकास

1938. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में हार्डवेयर क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों से करोड़ों रुपयों का हार्डवेयर सामान आयात किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे निर्यातों का देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में हार्डवेयर क्षेत्र में आयात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर के आयात के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

इलेक्ट्रॉनिक/सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुओं का आयात

(अमेरिकी मिलियन डॉलर)

निर्यात करने वाला देश	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4
चीन	7,864.65	9,331.25	9,494.95
संयुक्त राज्य अमेरिका	1,718.94	1,505.63	1,340.12
सिंगापुर	1,551.58	1,6691.60	1,325.50
दक्षिण कोरिया	821.49	1,408.18	1,113.24
जर्मनी	828.55	1,042.47	994.50
मलेशिया	1,116.75	957.19	821.84
जापान	744.62	986.99	716.95
हांगकांग	599.91	721.92	681.07
ताइवान (ताइपी)	433.16	634.57	522.05
स्वीडन	800.09	708.13	469.01
थाइलैण्ड	373.42	369.88	387.93
फ्रांस	316.31	282.48	311.75
इजराइल	293.23	385.81	270.68
ग्रेट ब्रिटेन	313.38	323.26	228.23
फिनलैंड	233.54	342.43	208.75
यूएई	426.54	463.83	207.60
इटली	212.08	269.60	188.04
फिलीपीन	58.00	99.85	147.60
स्विट्जरलैंड	118.18	149.97	144.99
नीदरलैण्ड	345.92	442.53	143.53
वियतनाम	12.03	48.58	138.66
मैक्सिको	84.94	104.43	129.50
अननोन	–	113.55	121.44

1	2	3	4
हंगरी	39.95	67.17	117.50
इंडोनेशिया	75.32	100.94	95.36
नार्वे	73.57	77.25	66.41
कोस्टारिका	63.69	53.54	61.51
कनाडा	146.52	98.45	59.15
आयरलैण्ड	92.11	86.53	58.20
आस्ट्रेलिया	61.24	58.10	46.48
बेल्जियम	28.57	49.75	46.38
ऑस्ट्रिया	32.40	43.52	39.90
डेनमार्क	33.99	38.51	36.30
चेक गणराज्य	22.96	44.13	32.77
स्पेन	35.02	47.59	32.08
रूस	26.34	60.40	26.86
पोलैण्ड	14.36	17.76	13.63
ब्राजील	14.09	10.02	12.31
टर्की	8.13	7.72	11.57
ग्रीस	0.43	9.38	10.09
न्यूजीलैण्ड	5.08	5.02	8.18
पुर्तगाल	2.57	9.41	7.84
माल्टा	0.71	1.07	7.82
मोरक्को	11.13	11.09	6.14
दक्षिण अफ्रीका	18.84	9.76	5.97
स्लोवेनिया	5.52	2.81	4.90
प्योर्टो रिको	4.66	3.97	4.37
क्रिसमस द्वीप	–	0.14	3.95
बेलारूस	1.22	8.34	3.58
बांग्लादेश	5.05	0.03	3.24
लिथुआनिया	4.54	4.92	3.22

1	2	3	4
एस्तोनिया	1.02	1.89	3.16
यूक्रेन	2.44	2.56	2.94
रोमानिया	9.22	4.44	2.55
श्रीलंका	4.42	3.59	2.32
स्लोवाकिया	4.09	2.08	2.24
उत्तर कोरिया (उत्तर)	27.03	20.23	1.59
केमैन आइलैंड्स	–	–	1.45
लातविया	2.52	2.73	1.34
पाकिस्तान	0.22	0.43	0.98
सेशेल्स	–	–	0.88
स्वाजीलैण्ड	0.73	1.90	0.87
हैती	–	0.02	0.87
टुनिशिया	–	1.00	0.70
मॉरिशस	0.21	0.20	0.57
आइसलैंड	0.93	1.31	0.52
ईरान	0.14	0.25	0.46
डोमिनिकन गणराज्य	0.27	0.06	0.44
नॉरफोंक द्वीप	–	–	0.41
होंडुरस	0.09	0.04	0.39
सऊदी अरब	0.19	0.57	0.38
अर्जेंटनी	0.25	0.17	0.30
मालागीस (मेडागास्कर)	0.04	0.46	0.30
कागज का टुकड़ा	0.01	–	0.27
साइप्रस	1.79	0.83	0.25
चिली	0.63	1.35	0.25
बुल्गारिया	1.25	0.79	0.25
मिस्र	0.61	0.23	0.23
रीयूनियन	0.90	0.39	0.19

1	2	3	4
कोलम्बिया	0.10	0.22	0.18
पेरू	–	0.01	0.17
नेपाल	0.16	0.04	0.17
जॉर्जिया	0.05	0.55	0.15
क्रोएशिया	0.22	0.08	0.14
ब्रुनेई	0.05	0.34	0.12
बहरीन	0.05	0.08	0.12
नीदरलैंड एंटिल्स	0.14	0.11	0.11
ओमान	1.40	0.06	0.09
गैबॉन	–	0.02	0.08
फ्रेंचगयाना	–	–	0.07
कतर	0.04	0.22	0.06
अंगोला	–	–	0.06
कंबोडिया (Kampuchea)	0.01	–	0.06
म्यांमार (बर्मा)	–	0.06	0.06
पश्चिमी समोआ	–	0.02	0.05
इक्वेडोर	1.39	0.40	0.05
कुवैत	0.02	0.10	0.04
जॉर्डन	0.06	0.07	0.04
फिजी	–	–	0.04
सर्बिया	0.09	0.02	0.04
सेनेगल	0.46	0.62	0.04
नामीबिया	0.01	1.40	0.04
तंजानिया	–	0.22	0.03
गाम्बिया	0.05	–	0.03
केन्या	0.07	0.01	0.03
लेबनान	0.04	0.01	0.03
बारबाडोस	–	0.01	0.02
लाओस	–	–	0.02
सूरीनाम	–	0.01	0.02
मलावी	0.01	0.01	0.02
मोलदोवा	0.01	6.10	0.02
सेंट हेलेना	–	–	0.02
उरुग्वे	0.03	0.14	0.02
टोगो	–	–	0.02
बेनिन	–	–	0.02
अल साल्वाडोर	0.04	0.02	0.02
लक्जमबर्ग	0.40	0.14	0.02
पुर्तगाली तिमोर	0.05	0.16	0.01
सिएरा लियोन	–	0.18	0.01
मकाऊ	0.01	–	0.01
बोल्सवाना	–	–	0.01
डोमिनिका	0.10	–	0.01
तुवालू	0.11	–	0.01
यमन	–	–	0.01
जमैका	0.11	0.02	0.01
लीबिया	–	–	0.01
जिम्बावे	0.06	–	0.01
पलाउ	–	–	0.01
ब्रिटिश वर्जिन द्वीप	0.01	0.04	0.01
नाइजीरिया	20.05	0.02	0.01
कोमोरोस	–	–	–
टोंगा	–	–	–
इराक	–	–	–
एंटीगुआ और बारबुडा	0.01	0.01	–

1	2	3	4
अमेरिकन समोआ	–	–	–
इथियोपिया	–	–	–
वालिस और फ्यूचूना द्वीप	–	0.01	–
मालदीव	0.01	0.03	–
मंगोलिया	–	–	–
मार्शल द्वीप	0.01	0.08	–
गिनी	–	–	–
एलजीरिया	–	–	–
अफगानिस्तान	0.01	0.03	–
तुर्क एंड कोइकोस आइलैंड्स	–	–	–
उजबेकिस्तान	–	–	–
मोजाम्बिक	–	–	–
युगांडा	–	–	–
गुयाना	–	–	–
पापुआ न्यू गिनी	–	–	–
उत्तरी मारियाना	–	0.03	–
न्यू कैलेडोनिया	0.01	0.12	–
नाउरु	0.01	–	–
फ्रेंच पोलीनेशिया	–	–	–
जिबूती	–	–	–
जाम्बिया	–	0.02	–
इरिट्रिया	0.08	–	–
मोनाको	0.01	–	–
मैसेडोनिया	–	–	–
लिकटेंस्टीन	0.02	0.03	–
घाना	0.01	–	–
गुआदेलूप	0.01	0.01	–
जिब्राल्टर	0.05	–	–
फैरो आइलैंड्स	–	–	–
ऑनडोरा	0.01	–	–
अल्बानिया	0.01	–	–
माली	0.04	0.01	–
मॉरिटानिया	–	0.02	–
क्रेजीस्तान	–	–	–
त्रिनिदाद और टोबैगो	0.02	–	–
अमेरिका वर्जिन द्वीप समूह	0.01	0.03	–
वेनेजुएला	0.04	0.01	–
नाइजर	0.15	–	–
बहामा	0.01	–	–
अजरबैजान	–	–	–
बेलीज	0.01	0.01	–
साओ टोम और प्रिसिपे	–	0.03	–
बरमूडा	0.01	–	–
भूटान	–	0.06	–
सीरिया	–	–	–
मोटेसेराट	–	–	–
फोंकलैंड द्वीप (माल्विनास)	–	–	–
ग्रेनाडा	–	–	–
सूडान	0.01	–	–
निकारागुआ	–	–	–
पनामा	0.54	–	–
पराग्वे	–	–	–
सेंट किट्स और नेविस	0.09	–	–
सेंट पियरे और मिकेलॉन	–	–	–
जैरे	0.07	–	–
कुल	20,181.07	23,371.03	20,963.14

विवरण-II

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश

* इलेक्ट्रॉनिक/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में 100% तक सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के अनुमोदन स्वचालित मार्ग के अंतर्गत हैं।

2. सीमा शुल्क

* डब्ल्यूटीओ सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) के अन्तर्गत शामिल 217 टैरिफ लाइनों पर उच्चतर सीमा शुल्क 0% है।

* आईटीए-1 की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

* इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली विशिष्ट सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0% है।

* इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0% है।

* मोबाइल हैंड सेट के विनिर्माण के लिए पुर्जों संघटक पुर्जों तथा सहायक उपकरणों, ऐसे पुर्जों तथा संघटक पुर्जों के उप-पुर्जों के विनिर्माण के लिए और बैटरी चार्जों के पुर्जों अथवा संघटक पुर्जों के विनिर्माण के लिए तथा ऐसे मोबाइल हैंड सेटों के हैंड्स फ्री हैड फोनों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पुर्जों तथा संघटक पुर्जों को मोबाइल हैंड सेटों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

* एलसीडी टीवी के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एलसीडी पैनलों पर सीमा-शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

3. उत्पाद शुल्क

* उत्पाद शुल्क की मानक दर (सेनवैट) 10% है।

* माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों, सीडी रॉम ड्राइवों, डीवीडी ड्राइवों/डीवी राइटरों, फ्लैश मेमोरी तथा कॉम्बो ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है जिससे कम्प्यूटरों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिल सके।

* मोबाइल हैण्डसेट के पुर्जों, संघटक-पुर्जों और सहायक सामग्रियों, बैटरी चार्जों के पुर्जों, संघटक पुर्जों तथा ऐसे मोबाइल हैंडसेटों के हैंड फ्री हैंडफोनों को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है जिससे स्वदेशी मोबाइल हैंडसेटों के विनिर्माण को बढ़ावा मिल सके।

4. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी)

* सामान्य निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना में 3% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है, बशर्ते ईपीसीजी योजना के अंतर्गत आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क के 8 गुना के समतुल्य निर्यात की बाध्यता प्राधिकरण को जारी करने की तिथि से 8 वर्ष में पूरी की जाए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों की निर्यातकर्ताओं को शून्य प्रतिशत ईपीसीजी योजना उपलब्ध है इसमें 0% सीमा शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति है, बशर्ते ईपीसीजी योजना के अंतर्गत आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क के 6 गुना के समतुल्य निर्यात की बाध्यता प्राधिकरण की जारी करने की तिथि से 6 वर्ष में पूरी की जाए।

* सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं की आपूर्ति डीटीए को करके ईपीसीजी योजना अन्तर्गत निर्यात की बाध्यता को भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते आय नि:शुल्क विदेशी मुद्रा में हो।

5. सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं तथा देशीय प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्ति

* इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)/निर्यात उन्मुखी इकाइयों (ईओयू) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं तथा देशीय प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्ति को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) के प्रयोजन से गिना जाएगा।

6. विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड)

* निर्यात के प्रयोजन से बाधा मुक्त विनिर्माण तथा व्यापार की सुविधा के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है।

* एसईजेड से देशीय प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) को बिक्री को वास्तविक निर्यात माना जाता है। इसके फलस्वरूप, देशीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रति अदायगी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट प्राप्त है।

* एसईजेड इकाइयों को निर्यात से लाभ पर 5 वर्षों के लिए 100% आयकर से छूट, अगले 5 वर्षों के लिए 50% और उसके पश्चात् 5 वर्षों के लिए प्लाऊबैक लाभ का 50% प्राप्त होता है।

7. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर)

* सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र स्थापित करने के लिए नीतिगत संकल्प दिनांक 29.05.2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। ये क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा तथा इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण इकाइयों; सार्वजनिक उपयोगिताओं, आवासीय क्षेत्रों, सामाजिक मूलसंरचना तथा प्रशासनिक सेवाओं का संयोजन होंगे। ऐसे क्षेत्र नये एकीकृत टाउनशिपों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, औद्योगिक पार्कों आदि को शामिल कर सकते हैं।

8. विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (सिप्स)

* सरकार द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2007 की गजट अधिसूचना के जरिए भारत में सेमीकंडक्टर संविरचना और अन्य सूक्ष्म एवं नैनो प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (सिप्स) की घोषणा की गई हैं।

9. आईटी, आईटीईएस तथा इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग के विकास में तेजी लाने के लिए उपाय सुझाने के लिए कार्यदल

विद्यमान वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान आईटी, आईटीईएस तथा इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग में वृद्धि को जारी रखने तथा आगे प्रचुल अवसरों को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में आईटी, आईटीईएस तथा इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग के विकास में तेजी लाने के प्रयोजन से उपाय सुझाने के लिए एक कार्यदल का गठन अगस्त, 2009 में निम्नलिखित पर सिफारिश करने के लिए किया है:

(1) वैश्विक गतिविधियों के संबंध में आईटी सॉफ्टवेयर तथा आईटी समर्थित सेवा क्षेत्र के विकास में तेजी लाने की कार्य नीतियां।

(2) (i) इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर उत्पादों तथा (ii) आईटी एवं आईटी समर्थित सेवाओं की घरेलू मांग में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम।

(3) इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर क्षेत्र में देशीय विनिर्माण में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम।

कार्यदल की सिफारिशों को समुचित रूप से कार्यान्वित करने के कदम उठाए गए हैं।

10. अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना

इलेक्ट्रॉनिकी उपस्कर, कम्प्यूटर तथा दूरसंचार उपस्कर के व्यवसाय से जुड़ी कम्पनी के मामले में अपनी ही संगठन में अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय के 150% तक भारित कटौती आयकर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2एबी) के उपबंध (1) के अंतर्गत उपलब्ध है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने निम्नलिखित योजनाएं लागू की हैं:

* **इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी में अन्तर्राष्ट्रीय एकस्व अधिकार के संरक्षण को सहयोग देना:** इस योजना के अंतर्गत लघु एवं मझौले उद्योगों तथा नई प्रौद्योगिकी इकाइयों को उनकी अपनी खोजों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय एकस्व अधिकार आवेदन-पत्र दर्ज करने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति आवेदक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एकस्व अधिकार दर्ज करने पर हुए वास्तविक व्यय के 50% की जाएगी, जो प्रति आवेदन-पत्र 15 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

* **गुणक अनुदान योजना:** इस योजना का उद्देश्य नवीन एवं व्यावसायिक रूप से उपयुक्त उत्पादों/पैकेजों के विकास के लिए उद्योग को प्रमुख शैक्षणिक एवं सरकारी अनुसंधान और विकास संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार शैक्षणिक/अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में उद्योग/उद्योग संकाय/संघ द्वारा निवेश की गई राशि के अधिकतम दो गुणा तक अनुदान देगी।

* **प्रौद्योगिकी निर्माण की योजना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, आईसीटी और प्रबंध के क्षेत्र में उद्यमकर्त्ता विकास (टाइड):** इस योजना का उद्देश्य उच्च अधिगम के संस्थानों (आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी तथा एनआईटी) की उनके प्रौद्योगिकी निर्माण केन्द्रों को सुदृढ़ करने में सहायता देना है ताकि युवा उद्यमी उनके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए नई प्रौद्योगिकीय इकाइयां शुरू कर सकें।

बेरोजगार महिलाओं की वृद्धि

1939. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेरोजगार महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का तथ्यपरक स्थिति को जानने के लिए सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने और अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया था। इन सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार देश में सामान्य स्थिति आधार पर 1993-94 में 1.87 मिलियन की अनुमानित महिला बेरोजगारी 1999-2000 में बढ़कर 2.14 मिलियन हो गई और 2004-05 में और अधिक बढ़कर 3.97 मिलियन हो गई और इस प्रकार इसने 1993-94 से 1999-2000 के दौरान 2.27% की तथा वर्ष 1999-2000 से 2004-05 की अवधि के दौरान 13.16% की वार्षिक वृद्धि दर दर्शायी है।

(ख) महिला बेरोजगारी में वृद्धि का कारण यह है कि वर्ष 1999-2000 से 2004-05 की अवधि के दौरान श्रमबल में 4.09% प्रतिवर्ष की वृद्धि की गति कार्यबल की 3.09% प्रतिवर्ष की वृद्धि से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप 1999-2000 में बेरोजगारी दर 1.71% से बढ़कर 2004-05 में 2.60% हो गई।

(ग) और (घ) रोजगार तथा बेरोजगारी पर पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षण, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2004-05 में किया गया था तथा हाल ही में 2009-10 में ऐसा सर्वेक्षण किया गया है और इसके परिणाम वर्ष 2011 के दौरान आने अपेक्षित हैं।

(ङ) बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और रोजगार अवसरों के सृजन, जिसमें देश की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी शामिल हैं, के लिए भारत सरकार महिला और पुरुष—दोनों के लिए विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई); स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई); महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) और महिलाओं हेतु प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम (एसटीईपी) को समर्थन, कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत 2009-10 के दौरान रोजगार के 282.83 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए जिनमें से 48.6% महिलाओं के लिए थे। 11वीं योजना हेतु प्रबोधनीय लक्ष्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि सभी सरकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभार्थियों का कम से कम 33 प्रतिशत महिलाएं और लड़कियां हों।

ग्रामीण गरीबी संबंधी तेंदुलकर समिति

1940. श्री नीरज शेखर:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ग्रामीण गरीबी आंकड़ों के संबंध में तेंदुलकर समिति की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के ग्रामीण भाग में गरीबी के स्तरों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) गरीबी के आकलन की प्रक्रियाविधि की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2005 में योजना आयोग द्वारा गठित प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह ने दिसम्बर, 2009 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। योजना आयोग ने विशेषज्ञ समूह द्वारा यथा अनुशंसित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी के अनुमान के राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए ग्रामीण विकास एवं गरीबी उपशमन संबंधी अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन एवं रोजगार सृजन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण विकास के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)/ प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी), संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) शामिल

हैं। इसके अतिरिक्त, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत एक कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इन योजनाओं से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन में मदद मिलती है।

विवरण

वर्ष 2004-05 के लिए प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशंसित ग्रामीण गरीबी रेखा एवं ग्रामीण गरीबी अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ग्रामीण गरीबी रेखा (रु. में)	ग्रामीण गरीबी अनुपात (%)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	433.43	32.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	547.14	33.6
3.	असम	478.00	36.4
4.	बिहार	433.43	55.7
5.	छत्तीसगढ़	398.92	55.1
6.	दिल्ली	541.39	15.6
7.	गोवा	608.76	28.1
8.	गुजरात	501.58	39.1
9.	हरियाणा	529.42	24.8
10.	हिमाचल प्रदेश	520.40	25.0
11.	जम्मू और कश्मीर	522.30	14.1
12.	झारखंड	404.79	51.6
13.	कर्नाटक	417.84	37.5
14.	केरल	537.31	20.2
15.	मध्य प्रदेश	408.41	53.6
16.	महाराष्ट्र	484.89	47.9
17.	मणिपुर	578.11	39.3
18.	मेघालय	503.32	14.0
19.	मिजोरम	639.27	23.0
20.	नागालैंड	687.30	10.0
21.	उड़ीसा	407.78	60.8
22.	पुडुचेरी	385.45	22.9
23.	पंजाब	543.51	22.1
24.	राजस्थान	478.00	35.8
25.	सिक्किम	531.50	31.8
26.	तमिलनाडु	441.69	37.5
27.	त्रिपुरा	450.49	44.5
28.	उत्तर प्रदेश	435.14	42.7
29.	उत्तराखंड	486.24	35.1
30.	पश्चिम बंगाल	445.38	38.2
	अखिल भारत	446.68	41.8

दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि

1941. श्री आनंद प्रकाश परांजपे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का विचार देश में दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं उद्देश्य क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) दिनांक 15 जून, 2007 की अधिसूचना दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) के माध्यम से पहले ही दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि का गठन कर चुका है।

(ख) उपभोक्ताओं से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी विनियम, आदेश अथवा निदेश के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं के लिए निर्धारित दरों से अधिक दरों पर वसूल की गई कोई राशि अथवा ऐसी स्थिति, जहां दरों को मार्किट फॉरबियरेंस के अधीन दरों के रूप में अधिसूचित

किया गया है, में सेवा प्रदाताओं द्वारा उद्घोषित दरों से अधिक दरों पर वसूली गई राशि जिसे संबंधित उपभोक्ताओं को वापस नहीं किया जा सकता था और इसलिए सेवा प्रदाताओं के पास दावा रहित राशि के रूप में रहती है, से संग्रहित निधि का गठन किया जाता है। निधि के गठन का उद्देश्य सेवा प्रदाताओं की अन्यायपूर्ण और अनुचित समृद्धि को रोकना तथा उपभोक्ताओं से वसूली गई अधिक राशि को उनकी शिक्षा और संरक्षण के लिए उपयोग करना है।

[हिन्दी]

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत राजीव गांधी सेवा केन्द्र

1942. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनेक विशेषज्ञों ने इस योजना पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, हां। ग्राम पंचायत स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण को दिनांक 11.11.2009 की अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा I में अनुमेय क्रियाकलाप के रूप में शामिल किया गया है। यह ग्राम ज्ञान संसाधन केन्द्र और ग्राम पंचायत भवन के रूप में कार्य करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूरभाष सेवा का विस्तार

1943. श्री सोमेन मित्रा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
डॉ. बलीराम:
श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री अधीर चौधरी:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री प्रेम दास राय:
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सभी गांवों को दूरसंचार और ब्रॉडबैण्ड इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की किसी दूरसंचार कंपनी को ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त सेवाएं प्रदान करने हेतु सम्मिलित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश नहीं करने हेतु दण्ड के रूप में निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों द्वारा भुगतान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क प्रदान करने हेतु यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फण्ड (यूएसओएफ) से धनराशि व्यय करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से देश के सभी गांवों को टेलीफोन और ब्रॉडबैंड इंटनेरट सेवाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न स्कीमें तैयार की गई हैं। विभिन्न यूएसओएफ स्कीमों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

इसके अलावा, सरकार ने ई-गवर्नेंस प्लान के तहत, सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्कीम मंजूर की है जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1,00,000 कियोस्क स्थापित किए जा रहे हैं। ये कियोस्क कम्प्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहन प्राप्त जनशक्ति से

सुसज्जित हैं। ये केन्द्र ई-मेल तथा इंटरनेट की सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। भारत सरकार द्वारा राजस्व व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण उपलब्ध कराकर इस स्कीम को सार्वजनिक निजी भागीदारी माडल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। दिनांक 31 अक्तूबर, 2010 को लगभग 85,000 सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(ग) और (घ) यूएसओएफ स्कीमों के बारे में, खुली बोली प्रक्रिया की मार्फत, बीएसएनएल और विभिन्न निजी सेवा प्रदाताओं तथा अवसंरचना प्रदाताओं को, समान रूप से कार्य सौंपा गया है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान न करने के लिए निजी दूरसंचार कंपनियों पर दंड लगाने का संबंध है, तो यह उल्लेख किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के प्रावधान सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंस के तहत नहीं आते जिनमें केवल यह निर्धारित है कि मैट्रो शहरों में 90 प्रतिशत सेवा क्षेत्र को प्रभावी तारीख से एक वर्ष के अन्दर कवर कर लिया जाएगा। दूरसंचार सर्किलों में, कम से कम 10 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को प्रथम वर्ष में कवर कर लिया जाएगा और 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को लाइसेंस की प्रभावी तारीख से तीन वर्ष के अन्दर कवर कर लिया जाएगा। लाइसेंसधारक को जिला मुख्यालय के बदले एक जिले में किसी अन्य कस्बे को कवर करने की भी अनुमति दी जाएगी। जिला मुख्यालय/कस्बों को कवर करने का तात्पर्य होगा कि नगर सीमा में कम से कम 90 प्रतिशत क्षेत्र को अपेक्षित गली एवं भवन के अन्दर कवरेज दिया जाएगा। जिला मुख्यालयों को लाइसेंस की प्रभावी तारीख से लिया गया माना जाएगा। कवर किए जाने वाले जिला मुख्यालय/कस्बे का चयन करने और जिला मुख्यालय/कस्बे का 50 प्रतिशत से अधिक विस्तार करने की पसंद कारोबारी निर्णय के आधार पर लाइसेंसधारक की होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के अनिवार्य कवरेज की अपेक्षा नहीं की गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। यूएसओएफ से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमें तैयार की गई हैं। विभिन्न यूएसओएफ स्कीमों का ब्यौरा विवरण पर पहले ही संलग्न है।

इसके अलावा, बीएसएनएल ने ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एवं ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) के प्रावधान हेतु दूरसंचार विभाग के यूएसओएफ के तहत निम्नलिखित समझौते किए हैं:—

(1) भारत निर्माण वीपीटी समझौता: बीएसएनएल ने देश में भारत निर्माण के तहत 62,302 (संशोधित) ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने के लक्ष्य के साथ यूएसओएफ के तहत समझौता किया है जिनमें से 30.9.2010 तक 61,850 वीपीटी उपलब्ध कराए गए हैं। बिना स्थल कवरेज वाले दूरस्थ गांवों को डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) का प्रयोग करके वीपीटी सुविधा के साथ कवर किया जा रहा है।

(2) नए वीपीटी समझौते: बीएसएनएल ने वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में कवर नहीं किए गए आबादी वाले गांवों में 62,443 वीपीटी उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ यूएसओएफ के तहत फरवरी, 2009 में एक और समझौता किया है जिनमें से निजी बुनियादी सेवा प्रचालकों (बीपीएसओ) द्वारा प्रदान किए गए 3425 वीपीटी सहित दिनांक 30.9.2010 तक 43,526 गांवों में वीपीटी सुविधा से कवर किया गया है।

(3) वायरलैस ब्रॉडबैंड समझौता: बीएसएनएल ने दिल्ली एवं मुम्बई मैट्रो क्षेत्रों को छोड़कर, सभी सेवा क्षेत्रों में पहले ही से प्रचालनरत मौजूदा ग्रामीण एवं दूरस्थ टेलीफोन एक्सचेंजों में से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में वायर लाइन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान हेतु सहायता वितरण के लिए यूएसओएफ के तहत दिनांक 20.1.2009 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के तहत, कुल 28,762 ग्रामीण एक्सचेंजों द्वारा लगभग एक लाख गांवों को कवर किया जाएगा। बीएसएनएल ने सितंबर, 2010 तक इन पहचाने गए ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में 21,0902 का ग्राहक आधार प्राप्त कर लिया है।

विवरण

चालू/योजनागत यूएसओएफ क्रियाकलापों का ब्यौरा

अ. चालू यूएसओएफ स्कीमें

1. सार्वजनिक अभिगम

(क) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

30.09.2010 की स्थिति के अनुसार, **लगभग 5,71,170 गांव (बीएसएनएल: 5,67,745+ निजी बुनियादी सेवा प्रचालक: 3425) अर्थात्** 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले कुल राजस्व गांवों में से 96.22% गांव ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) से कवर कर दिए गए हैं जिनमें नीचे पैरा (1) और (2) में उल्लिखित चालू यूएसओएफ स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे वीपीटी शामिल हैं।

(1) भारत निर्माण के तहत उपलब्ध कराए गए वीपीटी

100 से कम जनसंख्या वाले, गहन वनों में अवस्थित और उग्रवाद प्रभावित गांवों को छोड़कर, देश में शेष 62302 गांवों (66822 से संशोधित) में वीपीटी के प्रावधान हेतु राजसहायता उपलब्ध करवाने के लिए मैसर्स बीएसएनएल के साथ नवंबर 2004 में करार पर हस्ताक्षर किए गए। इन गांवों में वीपीटी के प्रावधान को भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत क्रियाकलापों में से एक के रूप में शामिल किया गया है। 30.9.2010 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत **61850 अर्थात् 99.27%** वीपीटी उपलब्ध करवाए गए हैं।

(2) नए चिह्नित वीपीटी

मौजूदा वीपीटी और भारत निर्माण के तहत प्रदत्त वीपीटी को ध्यान में रखते हुए 2001 की जनगणना के अनुसार बसे हुए गांवों में चालू वीपीटी का समाधान हाल ही में किया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, दूरस्थता, पहुंच और कानून एवं व्यवस्था के मानदंडों पर विचार किए बिना 1.10.2007 को बसे हुए सभी शेष 62443 गांवों को इस स्कीम के तहत यूएसओ फंड की सहायता से वीपीटी के प्रावधान हेतु शामिल किया गया है। इस संबंध में बीएसएनएल के साथ हाल ही में 27.2.2009 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते की शर्तों के अनुरूप 1.10.2007 से 26.2.2009 की अवधि के बीच स्थापित वीपीटी भी वित्तीय सहायता के पात्र हैं। 30.9.2010 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के तहत **कुल 62443 वीपीटी में से 43526 अर्थात् 69.70% वीपीटी** उपलब्ध कराए गए हैं।

(ख) एमएआरआर आधारित वीपीटी को बदलना (एमएआरआर-ए और एमएआरआर-बी)

1,85,121 वीपीटी को विश्वसनीय प्रौद्योगिकी से बदलने के लिए मैसर्स बीएसएनएल के साथ वर्ष 2003 में करार पर हस्ताक्षर किए गए जोकि पहले मल्टी एक्सेंस रेडियो रिले (एमएआरआर) प्रौद्योगिकी के आधार पर कार्य कर रहे थे तथा जिन्हें 1.4.2002 से पहले लगाया गया था। इनमें 30.6.2003 से पहले बदले जा चुके 47075 एमएआरआर वीपीटी (एमएआरआर-बी) तथा 1.7.2003 से बदले जाने वाले 138046 एमएआरआर वीपीटी (एमएआरआर-ए) शामिल थे। 30.9.2010 तक **कुल 184605 एमएआरआर वीपीटी (99.72%)** को बदल दिया गया है। बीएसएनएल ने लंबित लगभग 500 एमएआरआर वीपीटी को मौजूदा दरों पर डीएसपीटी में बदलने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है तथा लंबित एमएआरआर वीपीटी को बदलने के लिए डीएसपीटी दरों की मांग की है। यह मामला यूएसओ निधि के विचाराधीन है।

(ग) ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) का प्रावधान

पीसीओ सुविधा से रहित तथा 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 40694 ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) उपलब्ध करवाने हेतु (बीएसएनएल: 21,958, आरआईएल: 18736) 30.9.2004 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये सभी 40694 आरसीपी उपलब्ध करा दिए गए हैं।

2. व्यक्तिगत अभिगम

1.4.2002 से पहले स्थापित ग्रामीण वायरलाइन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों को प्रचालन में बनाए रखने के लिए सहायता

12.3.2009 को बीएसएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके द्वारा बीएसएनएल को 1.4.2002 से पहले स्थापित ग्रामीण वायरलाइन घरेलू सीधी एक्सचेंज लाइनों को प्रचालन में बनाए रखने के लिए समाप्त किए जा चुके एडीसी के बदले सहायता के रूप में 18.7.2008 से 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रु. की सब्सिडी सहायता दी जा रही है।

3. साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम (चरण-1)

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा उन विनिर्दिष्ट ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां कोई स्थिर बेतार अथवा मोबाइल कवरेज विद्यमान नहीं है, मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए 27 राज्यों के 500 जिलों में 7387 अवसंरचना स्थलों/टावरों (7871 से संशोधित) की स्थापना एवं प्रबंध करने के प्रयोजनार्थ सब्सिडी सहायता प्रदान करने की एक योजना शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे गांवों या गांवों के समूह में टावर संस्थापित करने पर विचार किया गया जिनकी आबादी 2000 या इससे अधिक है और जिनमें मोबाइल कवरेज उपलब्ध नहीं है। करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार, टावरों की संख्या, वास्तविक क्षेत्रीय सर्वेक्षण और इससे प्राप्त होने वाली कवरेज के आधार पर परिवर्तन किया जाना है। मोबाइल सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए इस प्रकार से सृजित अवसंरचना की साझेदारी तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा की जा रही है। दिनांक 1.6.2007 से प्रभावी इस करार पर मई, 2007 में सफल बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। 30.9.2010 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत **7208 टावर अर्थात् लगभग 97.55% टावर स्थापित किए गए हैं।**

सफल बोलीताओं द्वारा चालू किए गए टावरों की संख्या (भाग-क)

क्र.सं.	बोलीदाता का नाम	टावरों की संशोधित संख्या	चालू किए गए टावरों की संख्या
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	5794	5630
2.	जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	412	409
3.	वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लि.	93	93
4.	वोडाफोन एस्सार साऊथ लि.	216	216
5.	नेशनल इन्फारमेशन टेक्नोलॉजिज लि. (अब केईसी)	377	374
6.	क्विपो टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	88	88
7.	रिलायंस कम्यूनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	407	398
	कुल	7387	7208

सृजित अवसंरचना का उपयोग करते हुए, 30.9.2010 की स्थिति के अनुसार विभिन्न सार्वभौमिक सेवा प्रदाताओं द्वारा 13638 बीटीएस (61.54%) चालू किए गए हैं और मोबाइल सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं।

सफल बोलीताओं द्वारा चालू की गई मोबाइल सेवाओं की संख्या (भाग-ख)

सार्वभौमिक सेवा प्रदाता	मोबाइल सेवा स्थलों की संशोधित संख्या	चालू किए गए बीटीएस की कुल संख्या
1	2	3
भारती (बीएएल)	886	539
भारती (बीएचएल)	289	281
बीएसएनएल	5342	4381
डिशनेट (एयरसेल)	249	225
डिशनेट (डिशनेट)	1361	661
आइडिया (बीटीए)	1195	811
आइडिया (आईसीएल)	1228	968
आइडिया आईएमसीएल)	207	202
रिलायंस (आरसीएल)	4786	1606
रिलायंस (आरटीएल)	3669	1597
वोडाफोन (एडीआईएल)	712	631
वोडाफोन (वीईसीएल)	945	579
वोडाफोन (वीईएसएल)	1233	1098
फास्सेल (वीईजीएल)	59	59
कुल	22161 (7387x3)	13638

4. ग्राम स्तर तक तारलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण ब्रॉडबैंड स्कीम

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, यूएसओएफ ने **ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्कीम** के तहत 20 जनवरी, 2009 को बीएसएनएल के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि मौजूदा ग्रामीण एक्सचेंज अवसंरचना और कॉपर तारलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में तारलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। प्रत्येक ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति हमेशा चालू रहने वाली कम से कम 512 केबीपीएस होगी।

इस योजना के अंतर्गत, बीएसएनएल अगले पांच वर्षों की अवधि अर्थात् 2014 तक व्यक्तिगत प्रयोक्ताओं और सरकारी संस्थानों को 8,88,832 तारलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करेगा तथा 28,672 कियोस्क स्थापित करेगा। यह आर्थिक सहायता संवितरण (1) ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई), कंप्यूटर/कंप्यूटिंग उपकरण और (2) ब्रॉडबैंड सेवाओं के सार्वजनिक अभिगम के साथ कियोस्क स्थापित करने हेतु किया जाता है। 5 वर्षों की समय अवधि में आर्थिक सहायता का अनुमानित प्रवाह 1500 करोड़ रु. का है जिसमें 9 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन, सीपीई, कंप्यूटर/कंप्यूटिंग डिवाइस और कियोस्क हेतु आर्थिक सहायता शामिल है।

30 सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कुल 2,10,902 ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और 430 किओस्क स्थापित किए गए हैं।

5. असम के सेवा क्षेत्र में अंतरा-जिला उप-मंडलीय मुख्यालय—जिला मुख्यालय में ओएफसी नेटवर्क का परिवर्धन, सृजन और प्रबंधन

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अभिगम नेटवर्क से वॉयस और डाटा परियात को ओएफसी नेटवर्क सुदृढ़ कर उनके कोर नेटवर्क

से जोड़ने हेतु पर्याप्त बैक-हॉल क्षमता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना में प्रारंभ में ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय के बीच ओएफसी नेटवर्क के विस्तार पर विचार किया जाता है। इस योजना के माध्यम से यूएसओएफ इस शर्त पर अंतरा-जिला उप-मंडलीय मुख्यालय—जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क के विस्तार, निर्माण और प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा कि अन्य दूरसंचार ऑपरेटर करार में विहित दरों पर इसका साझा उपयोग करेंगे। इसके कार्यान्वयन के लिए सर्वप्रथम असम को चुना गया है। असम के लिए 30.10.2009 को निविदा आमंत्रित की गई और बीएसएनएल को 98.89 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ सफल घोषित किया गया और बाद में योजना को असम में कार्यान्वित करने के लिए 12.2.2010 को बीएसएनएल के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। योजना के तहत सृजित आर्थिक सहायता प्राप्त बैंडविड्थ क्षमता का कम-से-कम 70% का साझा उपयोग ट्राई की मौजूदा अधिकतम प्रशुल्क सीमा की अधिकतम 26.22% की दर पर असम के क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर किया जाएगा। अब तक लगभग 40 नोड (354 में से) स्थापित किए गए हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं: यह ओएफसी योजना बीओओ मॉडल अर्थात् निर्माण, प्रचालन और स्वामित्व आधार पर शुरू की जाएगी और तद्नुसार बीएसएनएल प्रावधान किए गए अंतरा-जिला विस्तारित/सृजित ओएफसी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को असम के कुल 27 जिलों में कुल 354 स्थानों से जोड़ने के लिए सभी उपस्करों/अवसंरचना का निर्माण, प्रचालन, स्वामित्व और प्रबंधन करेगा। सभी स्थानों को करार पर हस्ताक्षर की तिथि से 18 महीनों के भीतर असम के सभी जिलों में एकीकृत वॉयस, डाटा और वीडियो सिग्नलों के लिए टीडीएम, आईपी, फ्रेम रिले, एटीएम आदि सहित विभिन्न प्रोटोकॉलों का परिवहन करने की क्षमता के साथ केबल रूट विविधता और कम से कम 2.5 जीबीपीएस की रिंग क्षमता सुनिश्चित करते हुए वास्तविक रिंग रूटों पर जिला मुख्यालय के साथ जोड़ा जाएगा। करार प्रभावी तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

6. प्रायोगिक परियोजनाएं

टीईआरआई की लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स (एलएबीएल) परियोजना के माध्यम से 5000 गांवों में मोबाइल चार्जिंग केन्द्रों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। इस आशय के करार पर हस्ताक्षर किए गए है। इन 5000 गांवों में सौर मोबाइल चार्जिंग केन्द्र करार पर हस्ताक्षर की तारीख से दो वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से प्रदान किए जाने हैं। यूएसओएफ समर्थित मौजूदा साझा अवसंरचना स्थलों के लिए प्रायोगिक आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों (सौर, पवन, हाइब्रिड समाधान) के लिए भी सहायता पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में कार्य चल रहा है।

ब. नियोजित यूएसओएफ योजनाएं

1. एकीकृत वायरलेस मोबाइल वॉयस और ब्रॉडबैंड योजना

देश के सुविधारहित बचे सभी ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में एकीकृत वायरलेस मोबाइल वॉयस और ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए एक योजना बनायी जा रही है। योजना के अंतर्गत इन स्थलों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (सौर/पवन/हाइब्रिड इत्यादि) का उपयोग परिकल्पित है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार ब्रॉडबैंड संपर्कता

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्ध मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करते हुए बीटीएस जैसे बेतार ब्रॉडबैंड सक्रिय अवसंरचना हेतु आर्थिक सहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना के संबंध में कार्य कर रहा है।

यह योजना अधिकांश गांवों में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराएगी। बीडब्ल्यूए एवं तीसरी पीढ़ी के स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी होने पर इस योजना को शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा।

इस योजना के तकनीकी परामर्शदाता अर्थात् सी-डॉट ने दिनांक 11.5.2010 को तकनीकी रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत किया है। यह योजना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है तथा इसे शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।

3. ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में उपग्रह ब्रॉडबैंड संपर्कता

इन ग्रामीण एवं सुदूर गांवों, जहां स्थलीय संपर्कता अर्थात् वायरलाइन/बेतार नेटवर्क व्यवहार्य नहीं है, में उपग्रह ब्रॉडबैंड संपर्कता प्रदान करने का प्रस्ताव है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि ने 5000 गांवों (जिनकी सूची दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है) की शिनाख्त की है, जिनमें कोई स्थलीय संपर्कता उपलब्ध नहीं है तथा तद्नुसार योजना तैयार की जा रही है। प्रारंभत: लगभग ऐसे 1200 गांवों में इन माध्यमों के आधार पर ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है।

इस योजना के तकनीकी परामर्शदाता अर्थात् सी-डॉट ने नवंबर, 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया गया है। यह योजना

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है तथा इसे शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। इसे चालू पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान आरंभ करने की परिकल्पना की गई है।

4. ओएफसी जैसी सामान्य अवसंरचना का सृजन—असम के अलावा अन्य राज्यों में अंतर-जिला उपमंडलीय मुख्यालय—जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क का परिवर्धन, सृजन एवं प्रबंधन

असम में अंतरा जिला-उपमंडलीय मुख्यालय—जिला मुख्यालय ओएफसी नेटवर्क योजना के परिवर्धन, सृजन एवं प्रबंधन की शुरुआत होने के बाद, पूर्वोत्तर सर्किल (जिसमें मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड राज्य शामिल हैं) तथा पश्चिम बंगाल (जिसमें पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य शामिल हैं) में अगले चरण में इसकी शुरुआत की जाने वाली है। इस योजना के अंतर्गत, बैंडों की भारी मात्रा में सृजन होगा। अन्य राज्यों में इसे बाद में चरणबद्ध रूप में आरंभ किया जाएगा।

जहां तक पश्चिम बंगाल सेवा क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर सेवा क्षेत्र का संबंध है, टीसीआईएल के साथ दिनांक 22 मार्च, 2010 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोग करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय परामर्श प्रदान किया जा सके तथा तद्नुसार, टीसीआईएल ने इन परियोजनाओं से संबंधित कार्य करना शुरू कर दिया है। शेष राज्यों के लिए 18 जून, 2010 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

[हिन्दी]

रक्षा प्रयोजनों हेतु भूमि अधिग्रहण

1944. श्री हरीश चौधरी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में रक्षा प्रयोजनों हेतु सरकार द्वारा कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया तथा कितनी भूमि का अभी तक उपयोग नहीं किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में और भूमि का अधिग्रहण करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन क्षेत्रों के अनेक किसान भूमिहीन हो गये हैं और उनके पास आजिविका का कोई साधन नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन्हें उपयुक्त रूप से मुआवजा देने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कामगारों का पलायन

1945. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कम आय एवं बेरोजगारी के कारण लोगों के पलायन की जानकारी है जिसमें कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जिससे राज्य के कुल राजस्व में कृषि का हिस्सा कम हो रहा है;

(ख) क्या भूस्वामी शहरों में रहते हैं और अपना कृषि कार्य नौकरों और अपने संबंधियों से करवा रहे हैं जिसके कारण कृषि उत्पादन में गिरावट आ रही है तथा इस प्रकार वे अपनी आय को कृषि आय के रूप में दर्शा कर काला धन अर्जित कर सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है जिससे पलायन रुक सके; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ङ) प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग में प्रवास करने का अधिकार है। तथापि, सरकार का प्रयत्न आपदा प्रवास को रोकने का रहा है।

सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अधिनियमित किया है जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसी ग्रामीण परिवार में जिसके प्रौढ़ सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने की इच्छा रखते हों, को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिन के मजदूरी-नियोजन की गारंटी देकर लोगों की जीवन-निर्वाह सुरक्षा को बढ़ाना है। इस अधिनियम के अनुसार रोजगार गांव की पांच किलोमीटर की परिधि के अंदर प्रदान किया जाएगा जहां आवेदनकर्त्ता आवेदन करने के समय रहता हो। ऐसे मामलों में जहां रोजगार ऐसी परिधि के बाहर प्रदान किया जाना जाता है तो यह खंड के भीतर प्रदान किया जाना होगा तथा श्रमिकों को 10% अतिरिक्त मजदूरी अदा की जाएगी। इस प्रकार, परिवार द्वारा मांग किए जाने पर, स्थानीय रोजगार प्रदान करने से आपदा प्रवास कम होता है।

सॉफ्टवेयर कंपनियों पर प्रतिबंध

1946. डॉ. चिन्ता मोहन:
श्री पी. करूणाकरन:
श्री जगदीश शर्मा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका सहित कुछ अन्य देशों ने संरक्षणवाद के रूप में भारतीय कंपनियों को सॉफ्टवेयर कार्यों की सरकारी आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका उन भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो कि मुख्यत: बंगलौर में स्थित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) ओहियो के गवर्नर के हाल ही के कार्यकारी आदेश के अनुसार अपतटीय (संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर) प्रदान की गई सेवाओं पर किसी भी सार्वजनिक राशि का व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) अपतटीय सेवाओं के विरुद्ध उठाया गया कदम भारत के लिए चिन्ता का विषय है, किन्तु, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सेवा कम्पनी संघ (नैसकॉम) के अनुसार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पर इस आदेश के फलस्वरूप कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने का अनुमान नहीं है क्योंकि संघीय रूप से वित्त पोषित परियोजनाएं अपतटीय सेवाओं की कुल मांग में एक छोटा अंश हैं।

(घ) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार भारत की चिन्ता को भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति मंच में अमरीकी पक्ष के समक्ष तथा अमरीकी पक्ष के समक्ष ही अन्य द्विपक्षीय समझौता में रखा गया है।

[अनुवाद]

बाल श्रम परियोजनाएं

1947. श्री समीर भुजबल:
श्री सतपाल महाराज:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अधीन राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अधीन बाल श्रमिकों को क्या सुविधाएं एवं सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के कुछ और जिलों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) की योजना इस समय देश में 20 राज्यों के 266 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य शामिल है। जिलों की सूची विवरण में संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) की योजना के अंतर्गत, जोखिमपूर्ण कार्य से हटाए गए बच्चों को नियमित शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाए जाने से पहले विशेष विद्यालयों में दाखिल किया जाता है, जहां इन बच्चों को त्वरित ब्रिजिंग शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषण, छात्रवृत्ति और स्वास्थ्य देखभाल प्रसुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन जिलों की सूची जिनमें विशेष विद्यालय चल रहे हैं

क्र.सं.	राज्यों के नाम	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	20	अनन्तपुर, चित्तूर, कुड्डापा, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, कुरनूल, खम्माम, नेल्लूर, निजामाबाद, प्रकासम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विजयानगरम, विशाखापट्टनम, वारंगल, प. गोदावरी, महबूबनगर, आदिलाबाद और कृष्णा।

1	2	3	4
2.	असम	3	नॉगांव, कामरूप और लखीमपुर।
3.	बिहार	24	नालंदा, सहरसा, जमुई, कटिहार, अररिया, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, पटना, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नवादा, खगड़िया, सीतामढ़ी, किशनगंज, बेगूसराय, बांका, सारण, पूर्णिया और भागलपुर।
4.	छत्तीसगढ़	7	दुर्ग, बिलासपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर और कोरबा।
5.	गुजरात	9	सूरत, पंचमहल, भुज, बनासकांठा, दाहोद, बडोदरा, भावनगर, अहमदाबाद और राजकोट।
6.	हरियाणा	3	गुडगांव, फरीदाबाद और पानीपत।
7.	जम्मू और कश्मीर	2	श्रीनगर और ऊधमपुर।
8.	झारखंड	8	गढ़वा, साहिबगंज, दुमका, पाकुर, प. सिंहभूम (चाईबासा), गुमला, पलामू और हजारीबाग।
9.	कर्नाटक	15	बीजापुर, रायचुर, झारवाड़, बंगलौर ग्रामीण, बंगलौर शहरी, बेलगाम, कोप्पल, दावणगेरे, मैसूर, बगलकोट, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, बेल्लारी, कोलार और मांड्या।
10.	मध्य प्रदेश	21	मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन, बड़वानी, रीवा, धार, पूर्वी निमाड़ (खंडवा), राजगढ़, छिन्दवाड़ा, शिवपुरी, सीधी, गुना, शाजापुर, रतलाम, पश्चिमी निमाड़ (खरगौन) और झाबुआ, दमोह, सागर, जबलपुर, सतना और कटनी।
11.	महाराष्ट्र	15	सोलापुर, थाणे, सांगली, जलगांव, नंदुरबार, नांदेड, नासिक, यवतमाल, धुले, बीड, अमरावती, जालना, औरंगाबाद, गौंदिया और मुम्बई उप-नगरीय।
12.	नागालैण्ड	1	दीमापुर।
13.	उड़ीसा	24	अंगुल, बालेश्वर, बरगढ़, बलांगीर, कटक, देवगढ़, गजपति (उदयगिरि), गंजाम, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, कोरापुट, मलकानगिरि, मयूरभंज, नबरंगपुर, नुआपाडा, रायगढ़, सम्बलपुर एवं सोनपुर, जयपुर, क्योंझर, केन्द्रपाड़ा, खुर्दा, नयागढ़, सुन्दरगढ़।
14.	पंजाब	3	जालंधर, लुधियाना और अमृतसर।
15.	राजस्थान	27	जयपुर, उदयपुर, टोंक, जोधपुर, अजमेर, अलवर, जालौर, चुरू, नागौर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर, सीकर, डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर, झुंझनू, बूंदी, झालावाज, पाली, भीलवाड़ा, गंगानगर, बाड़मेर, दौसा, हनुमानगढ़, कोटा और बारान।
16.	तमिलनाडु	17	चिदम्बरनार (तूतीकोरीन), कोयंबटूर, धरमापुरी, वेल्लोर, सेलम, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली, कृष्णागिरि, चेन्नई, एरोड, डिन्डीगल, थेनी, कांचीपुरम, त्रिरूवनमल्लाई, तिरुवल्लूर, नामक्कल और विरुधुनगर।

1	2	3	4
17.	उत्तर प्रदेश	47	वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, बुलंदशहर, सहारनपुर, आजमगढ़, बिजनौर, गोन्डा, खेरी, बहराइच, बलरामपुर, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, फैजाबाद, बदायूं, गोरखपुर, कुशीनगर, कन्नोज, शाहजहांपुर, रायबरेली, उन्नाव, सुलतानपुर, फतेहपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, बस्ती, सोनभद्र, मऊ, कोशाम्बी, बांदा, गाजियाबाद, जौनपुर, रामपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, इटावा, आगरा, गाजीपुर, मथुरा, एटा, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर नगर, अलीगढ़ और फिरोजाबाद।
18.	उत्तराखंड	1	देहरादून।
19.	पश्चिम बंगाल	18	बर्दवान, उत्तरी दीनाजपुर, दक्षिण दीनाजपुर, उत्तरी चौबीस परगना, दक्षिणी चौबीस परगना, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर, मालदा, बांकुरा, पुरूलिया, बीरभूमि, नादिया, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, पूर्वी मिदनापुर।
20.	दिल्ली	1	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली।
	कुल	266	

[हिन्दी]

रक्षा उत्पादों का स्वदेशीकरण

1948. श्री मंगनी लाल मंडल:
श्री शत्रुघ्न सिन्हा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंग आवश्यक हथियार, लड़ाकू विमान एवं उनके कलपुर्जों के लिये अन्य देशों पर निर्भर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण हेतु कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और इसमें निजी क्षेत्र के उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) और (ख) हमारे विरोधियों की चुनौतियों से निपटने के लिए, हमारे रक्षा बलों को आवश्यक उपकरण, हथियार प्रणालियों, प्लेटफार्मों, इत्यादि से सुसज्जित रहना पड़ता है। मुख्य रक्षा अधिप्राप्तियां, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती हैं। अधिप्राप्तियां की जाने की विभिन्न श्रेणियां खरीदो (भारतीय), बनाओ, खरीदो और बनाओ (भारतीय), खरीदो और बनाओ और खरीदों (वैश्विक) हैं।

(ग) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों को शामिल करते हुए देश के अंदर वर्धित उत्पादन को समर्थन देने के उद्देश्य से, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में एक नई श्रेणी खरीदो और बनाओ (भारतीय) की शुरुआत की गई है एवं बड़ी संख्या में अधिप्राप्ति संबंधी मामलों को खरीदो (भारतीय), बनाओ और खरीदो और बनाओ (भारतीय) के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है।

(घ) रक्षा मंत्रालय भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र-दोनों को शामिल करते हुए रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक रक्षा उत्पादन नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

प्रशिक्षण के दौरान वेतन

1949. श्री हर्ष वर्धन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान वेतन का भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षण के दौरान भी वेतन लेते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन.डी.ए.) के कैडेट प्रशिक्षण के दौरान किसी वेतन के हकदार नहीं हैं क्योंकि उनके लिए प्रशिक्षण अकादमी को कोई भुगतान करना अपेक्षित नहीं है तथा प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप उन्हें एक डिग्री दी जाती है और बाद में रक्षा सेनाओं में रोजगार दिया जाता है। रक्षा सेनाओं में कमीशन देने के लिए प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना एक पूर्वापेक्षा है जोकि सिविल साइड के साथ पूर्णत: तुलनीय नहीं है।

कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण

1950. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि एवं भूमि पुनर्वास कार्य हेतु सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने अत्यधिक भूमि अधिग्रहण किये जाने के कारण खाद्यान्नों की कमी होने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत दो दशकों के दौरान खनन परियोजनाओं हेतु साढ़े सात लाख एकड़ भूमि तथा उद्योग हेतु ढाई लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त समिति की चेतावनी पर कोई उपचारात्मक कदम उठा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) भूमि सुधारों में अपूर्ण कार्य की जांच को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में 9 जनवरी, 2008 को 'राज्य कृषि संबंधों तथा भूमि सुधार में अपूर्ण कार्य संबंधी समिति' का गठन किया गया था। समिति ने कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग सहित भूमि सुधारों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सिफारिशें की हैं।

समिति की सिफारिशों की सचिवों की समिति द्वारा जांच की जा रही है और इन्हें प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित 'राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद' के समक्ष विचारार्थ एवं निदेशार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अलावा, कृषि एवं सहकारिता विभाग की राष्ट्रीय किसान नीति-2007 में यह परिकल्पना की गई है कि अपवादात्मक परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर मुख्य कृषि भूमि को कृषि कार्य के लिए संरक्षित रखा जाए, बशर्ते कि जिन एजेंसियों को गैर-कृषि परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि उपलब्ध करायी जाती है, उन्हें किसी अन्य स्थान पर कृषि भूमि के बराबर अवक्रमित वाटरशेड को उपजाऊ बनाकर तथा उसे पूर्णत: विकसित करके कृषि भूमि की क्षति को पूरा करना चाहिए। उद्योग और निर्माण कार्यकलापों सहित गैर-कृषि विकासात्मक कार्यकलापों के लिए निम्न जैविक क्षमता वाली भूमि जैसे अकृष्य भूमि, लवणता, क्षारीयता आदि से प्रभावित भूमि को निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

(ख) और (ग) चूंकि राज्य सरकारें खनिजों के स्वामी के रूप में खनिज रियायतें प्रदान करती हैं और खदान कार्यों के लिए भूमि अर्जित करती हैं। इसी प्रकार, उद्योगों के लिए भूमि राज्य स्तर पर अर्जित की जाती है। अत: विगत दो दशकों से खनन कार्यकलापों/उद्योगों से प्रभावित लोगों के संबंध में सूचना केन्द्र स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(घ) से (च) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य-सूची) की प्रविष्टि सं. 18 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन अनन्य रूप से संबंधित राज्यों के विधायी तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भूमि सुधारों के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकारी एवं समन्वयकारी स्वरूप की है। इस संबंध में आगे कार्रवाई राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद् के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेल स्थलों पर नियुक्त श्रमिक

1951. श्री संजय निरूपम:
चौधरी लाल सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में संपन्न हुये राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित निर्माण कार्य स्थलों पर कुछ श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही थी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी और समयोपरि कार्य हेतु मजदूरी नहीं दी गई एवं उनका शोषण किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल स्थलों के निर्माण में कार्यरत नियुक्त श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कदम उठाये हैं तथा गलती करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ङ) राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित कार्यस्थलों पर विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के कर्मियों, जिन्हें विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षक के रूप में अधिसूचित किया गया है, द्वारा नियमित और संपूर्ण निरीक्षण किए गए हैं। अभियोजन मामले शुरू करने सहित चूककर्ताओं के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है। उन कामगारों के मामले में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है जिन्हें न्यूनतम मजदूरी से कम दरों पर भुगतान किया गया था। की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

किए गए निरीक्षणों, दायर अभियोजन मामलों और दावा-मामलों का ब्यौरा
अवधि—जनवरी, 2008 से सितम्बर, 2010

अधिनियम	निरीक्षणों की संख्या	अनुपालन सत्यापित	दायर न्यायालय मामलों की संख्या	प्रक्रियाधीन मामले
ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम	287	शून्य	194	93
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम	779	79	465	215
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम	284	9	187	88
कुल	1350	88	866	396

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत दावा-मामलों का ब्यौरा
अवधि—जनवरी, 2008 से सितम्बर, 2010

दायर मामलों की संख्या	दावा-धनराशि	निर्णीत मामले	प्रदान की गई धनराशि	वसूली एवं संवितरित धनराशि	प्रक्रियाधीन धनराशि
337	17957000 रु.	304	10573308 रु.	4430074 रु.	6143234 रु.

[हिन्दी]

एमटीएनएल कर्मचारियों को पेंशन

1952. डॉ. बलीराम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में आमेलित सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने हेतु शुरू किये गये नये प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एमटीएनएल में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठन ने भी सरकारी राजकोष से पेंशन लेने के संबंध में ज्ञापन सौंपा था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एमटीएनएल के कर्मचारियों/अधिकारियों को सरकारी राजकोष से पेंशन देने के मामले गत दो वर्षों से सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन कब तक किये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ङ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के आमेलित कर्मचारियों को सरकारी राजकोष से पेंशन देने के मुद्दे पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) कार्यालय, इसके अधिकारियों/कर्मचारियों की यूनियनों/एसोसियेशनों और अलग-अलग कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पत्र/ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं/हो रहे हैं। सरकार ने पिछली बार वर्ष 2004 में इस मुद्दे पर विचार किया था और इस पर सहमति व्यक्त नहीं की थी। मौजूदा प्रावधान के अनुसार एमटीएनएल के कर्मचारियों को पेंशन निधि से पेंशन दी जाती है। तथापि, इस मुद्दे को पुन: केन्द्रीय मंत्रिमंडल को विचारार्थ भेज दिया गया है।

मछुआरों की रक्षा

1953. श्री कीर्ति आजाद:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तटरक्षक बल की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप सहित तटीय राज्यों में उन्होंने अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कितनी संवेदनशीलता के साथ किया है;

(ग) क्या श्रीलंका की नौसेना कई वर्षों से मछुआरों पर आक्रमण एवं उन्हें परेशान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन्हें समुचित सुरक्षा कवर प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय मछुआरों को समुद्र में संकट के समय नियमित तौर पर गश्त लगाकर सहायता प्रदान करता है। इसमें उनको संकटकाल में सहायता प्रदान करना, मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आई.एम.बी.एल.) पार करने से रोकना, रिलीज किए गए मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा से उनके इलाके में भेजना तथा समुदाय सम्पर्क कार्यक्रम चलाना शामिल है। भारतीय मछुआरों को कथित तौर पर श्रीलंका नौसेना द्वारा पकड़े जाने तथा उन पर गोलाबारी की घटनाएं हुई हैं, हालांकि उन्होंने ऐसी घटनाओं का खंडन किया है। भारत सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा एवं संरक्षा के मामले में श्रीलंका सरकार के नियमित रूप से सम्पर्क में है। दोनों सरकारों ने अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने वाले भारतीय और श्रीलंकाई वास्तविक मछुआरों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने पर सहमति जताई है। श्रीलंका सरकार को जोर देकर यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि श्रीलंका नौसेना आत्मसंयम बरते, भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी न करे तथा भारतीय मछुआरों के साथ मानवीय व्यवहार करे।

बेरोजगारी

1954. श्री यशवंत लागुरी:
श्री पी. करूणाकरन:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री सी. शिवासामी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बेरोजगारी की बढ़ती प्रवृत्ति से अवगत है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में, विशेषकर बिहार में सरकारी तथा निजी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर तथा बेरोजगारी दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बेरोजगारी को रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बेरोजगारी के कारण युवाओं द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण (61वां दौर) वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया था। पिछली दो सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार सामान्य स्थिति आधार पर देश में बेरोजगारी दर 1999-2000 में 2.2% से आंशिक रूप में बढ़कर 2004-05 में 2.3% हो गई है।

(ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अनुसार संगठित क्षेत्र, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में

रोजगार वृद्धि संयुक्त रूप से वर्ष 2005 में 264.58 लाख से बढ़कर वर्ष 2008 में 275.48 लाख हो गई है। वर्ष 2005-08 के दौरान संगठित क्षेत्र के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की राज्य-वार चक्रवृद्धि वार्षिक दर तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 61वें चक्र की रिपोर्ट के अनुसार 2004-05 के दौरान राज्य-वार बेरोजगारी दर विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) और (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रोजगार के 58 मिलियन अवसर सृजित करना है और योजनावधि के अंत तक वर्तमान दैनिक स्तर आधार पर बेरोजगारी दर कम होकर 4.83 प्रतिशत होने की संभावना है। ग्रामीण जनसंख्या के जीवनयापन स्तर में सामान्य रूप से सुधार लाने के लिए उसकी आय में बढ़ोत्तरी हेतु तीव्र गति से उत्पादक रोजगार पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि, अवसंरचना विकास में निवेश, निर्यात में वृद्धि इत्यादि से रोजगार अवसरों के सृजित होने की संभावना है। भारत सरकार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीएसए) जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती रही है।

(ङ) और (च) अब तक ऐसी कोई घटना श्रम और रोजगार मंत्रालय की जानकारी में नहीं लाई गई है।

विवरण-I

वर्ष 2005-08 के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के रोजगार की संयुक्त वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर दर्शाता विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर (2005-08)		
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1	2	3	4	5
1.	**पूर्व क्षेत्र**	-0.61	5.98	1.22
1.	हरियाणा	-0.80	3.50	0.95
2.	पंजाब	-0.02	8.68	2.99
3.	हिमाचल प्रदेश	0.34	21.03	4.84
4.	चंडीगढ़	-1.06	14.01	4.34
5.	दिल्ली	-3.35	2.93	-1.64
6.	राजस्थान	0.53	3.24	1.11
7.	जम्मू और कश्मीर	-0.07	-1.45	-0.15
2.	**मध्य क्षेत्र**	-1.07	2.72	-0.38
8.	मध्य प्रदेश	-2.19	-3.91	-2.44
9.	उत्तर प्रदेश	-0.63	4.19	0.42
10.	उत्तराखंड	-1.11	9.82	0.59
11.	छत्तीसगढ़	0.03	2.73	0.29
3.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र**	1.15	3.58	2.15
12.	असम	-0.41	3.66	1.75
13.	मेघालय	-0.17	1.07	-0.03
14.	मणिपुर	-0.88	-1.31	-0.89
15.	मिजोरम	0.12	11.87	0.44
16.	नागालैंड	1.54	11.49	2.14
17.	त्रिपुरा	10.16	-0.38	9.14
4.	**पूर्वी क्षेत्र**	0.35	4.83	1.44
18.	बिहार	-9.27	-9.57	-9.29
19.	उड़ीसा	-4.41	-0.93	-3.98
20.	पश्चिम बंगाल	-2.84	0.25	-1.67
21.	झारखंड	11.69	27.65	14.27
5.	**पश्चिमी क्षेत्र**	-2.18	6.76	1.88
22.	गुजरात	-1.89	6.96	2.80
23.	महाराष्ट्र	-2.53	6.67	1.31
24.	गोवा	4.50	8.30	5.96
25.	दमन और दीव	-0.22	-1.24	-1.10
6.	**दक्षिणी क्षेत्र**	-0.39	5.04	1.71
26.	आंध्र प्रदेश	-0.73	3.88	0.77
27.	कर्नाटक	-0.19	10.86	4.86
28.	केरल	-0.27	-1.11	-0.65

1	2	3	4	5
29.	पुडुचेरी	0.10	16.79	5.86
30.	तमिलनाडु	-0.26	3.14	0.90
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-0.1	-19.07	-1.26
	योग	-0.62	5.32	1.35

विवरण-II

वर्ष 2004-05 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगारी (ग्रामीण व शहरी) की राज्य-वार दरें

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0.7	3.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.9	1.2
3.	असम	2.6	7.2
4.	बिहार	1.5	6.4
5.	छत्तीसगढ़	0.6	3.5
6.	दिल्ली	1.9	4.8
7.	गोवा	11.1	8.7
8.	गुजरात	0.5	2.4
9.	हरियाणा	2.2	4
10.	हिमाचल प्रदेश	1.8	3.8
11.	जम्मू और कश्मीर	1.5	4.9
12.	झारखण्ड	1.4	6.5
13.	कर्नाटक	0.7	2.8
14.	केरल	10.7	15.6
15.	मध्य प्रदेश	0.5	2.8
16.	महाराष्ट्र	1	3.6
17.	मणिपुर	1.1	5.5
18.	मेघालय	0.3	3.5
19.	मिजोरम	0.3	1.9
20.	नागालैंड	1.8	5.5
21.	उड़ीसा	5	13.4
22.	पंजाब	3.8	5
23.	राजस्थान	0.7	2.9
24.	सिक्किम	2.4	3.7
25.	तमिलनाडु	1.2	3.5
26.	त्रिपुरा	13.3	28
27.	उत्तराखंड	1.3	5.4
28.	उत्तर प्रदेश	0.6	3.3
29.	पश्चिम बंगाल	2.5	6.2
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.2	8.8
31.	चण्डीगढ़	2.6	4
32.	दादरा और नगर हवेली	3.3	3
33.	दमन और दीव	0.3	3
34.	लक्षद्वीप	7.5	25
35.	पुडुचेरी	7	8.1
	अखिल भारत	1.7	4.5

भारतीय पोत परिवहन उद्योगों की घटती हिस्सेदारी

1955. श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान वैश्विक पोत परिवहन उद्योगों में भारतीय पोत उद्योग की हिस्सेदारी में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस हिस्सेदारी की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या भारत के आयात एवं निर्यात में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है फिर भी पोत परिवहन उद्योग अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रगति नहीं कर रहा है;

(घ) क्या पोत परिवहन उद्योग का प्रबंधन पोत परिवहन प्रबंधन विशेषज्ञों की बजाए नौकरशाहों द्वारा किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप पोत परिवहन उद्योगों में गिरावट आयी है; और

(ङ) यदि हां, तो पोत परिवहन उद्योग को विश्व में और प्रतिस्पर्धी बनाने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) और (ख) भारतीय टनभार की प्रतिशत हिस्सेदारी, जो 2007 में 1.18% रही, वह घटकर 2008 में 1.10%, 2009 में 1% और 2010 में 0.96% (1 अगस्त, 2010 को रही स्थिति के अनुसार) हो गई।

(ग) भारतीय पत्तनों में कुल निर्यात-आयात कार्गों, वर्ष 2005-06 के 447.14 मिलियन टन से वर्ष 2008-09 में बढ़कर 598.70 मिलियन टन हो गया है। भारत के निर्यात-आयात कार्गों के परिवहन में भारतीय पोतों की हिस्सेदारी, वर्ष 2005-06 में 13.7% से वर्ष 2008-09 में घटकर 8.4% रह गई है।

(घ) भारतीय पोत परिवहन उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों से उद्यमियों द्वारा संचालित/प्रबंधित होता है। कुल भारतीय बेड़े में से, 33.62% स्वामित्व, एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय नौवहन निगम का, 15.16% ग्रेट इस्टर्न शिपिंग कम्पनी का, 6.50% मर्केंटर लाइनों, 5.18% भारतीय स्टीमशिप और 4.53% एस्सार शिपिंग का है।

(ङ) भारतीय नौवहन कंपनियों को उनके वैश्विक हिस्सों सहित समानांतर बनाने के क्रम में, सरकार ने वर्ष 2004 से भारत में टनभार कर अधिग्रहण व्यवस्था आरंभ कर दी है, इसके अलावा, पोत अधिग्रहण के संबंध में उदारवादी नीति आरंभ कर दी है तथा सभी प्रकार के पोतों की खरीद को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत लाया गया है। इसके अलावा, पोत अधिग्रहण में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है और नए खरीदे गए पोतों के पंजीकरण की औपचारिकता को आसान बना दिया गया है।

[अनुवाद]

काजू का उत्पादन

1956. श्री ए. सम्पत: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान काजू उत्पादन संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) कच्चे काजू के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अपरिष्कृत काजू के उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:—

उत्पादन (000 मी. टन)

2007-08	2008-09	2009-10
665.0	695.0	613.0

स्रोत: काजू एवं कोकोआ विकास महानिदेशालय (डीसीसीडी), कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय।

(ख) सरकार ने राज्यों में अपरिष्कृत काजू के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकासात्मक उपायों की परिकल्पना की है। काजू एवं कोकोआ विकास निदेशालय (डीसीसीडी), कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत उपाय किए हैं। पौधशालाओं की स्थापना, अद्यतन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, कैश्यू एपल के उपयोग को लोकप्रिय बनाने, फसल संवर्धन हेतु प्रचार, कीट एवं रोग प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के संवर्धन, जैविक कृषि तथा उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का मूल्यांकन और सूचना को अद्यतन बनाने जैसे सहायताकारी कार्यक्रमों के साथ काजू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्यों के प्रमुख कार्यकलाप पुराने, जर्जर और अलाभकारी काजू बागानों का नवरोपण, विकास और उनके स्थान पर उच्च पैदावार वाली किस्में लगाना हैं।

ग्रामीण सड़क का निर्माण

1957. श्री विष्णु पद राय: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बरतंग द्वीपसमूह की सुन्दरगढ़ पंचायत में हेमराम हाउस से विजयगढ़ वार्ड नम्बर एक (रांची बस्ती) और वार्ड नं. दो (बंगाली बस्ती) 1956 का पुनर्वास और गांव में ग्रामीण सड़क निर्माण का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) से (ग) अंडमान निकोबार द्वीपसमूह सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार सड़क की कुल लंबाई ए.टी.आर. (अडाजिग से विजयगढ़) वार्ड नं. 1 (रांची बस्ती) से 5.50 किलोमीटर और ए.टी.आर. (अडाजिग से विजयगढ़) वार्ड नं. 2

(बंगाली बस्ती) से 4.50 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर की लंबाई के लिए भूमि कार्य तथा 12 पुलियाओं का काम फरवरी, 2009 में पूरा हो गया था। ए.टी.आर. (अडाजिग) से विजयगढ़ की ओर जाने वाली काली सतह वाली सड़क की लंबाई 2.34 किलोमीटर है। इन योजनाओं पर 67.15 करोड़ रुपए की राशि प्रयोग में लायी जा चुकी है। किंतु इस काम को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

रबर का निर्यात

1958. श्री जोस के. मणि: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यातित रबर की मात्रा कितनी है तथा चालू वर्ष के दौरान इसके निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या रबर निर्यात के कोटे को बढ़ाने के लिए विशेषकर रबर उत्पादकों की ओर से लगातार मांग की जाती रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए रबर के निर्यात कर लगे प्रतिबंध को हटाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार रबर के लिए कोई सतत निर्यात नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ (एनआर) के निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य 50,000 टन का है। गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यातित रबड़ की मात्रा निम्नानुसार रही है:—

प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

वर्ष	मात्रा (टन)
2007-08	60,353
2008-09	46,926
2009-10	25,090

(ख) और (ग) प्राकृतिक रबड़ का कोई निर्यात कोटा नहीं होता है। अत: उसके विवरण और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) प्राकृतिक रबड़ के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(च) और (छ) प्राकृतिक रबड़ के निर्यात के संबंध में सरकार की एक सुसंगत नीति है। भारत में एनआर क्षेत्र मुख्य रूप से घरेलू बाजारोन्मुखी है। तथापि, 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना में एनआर के निर्यात के संवर्धन हेतु एक स्कीम एनआर के निर्यात संबंधी सुसंगत नीति के आधार पर तैयार की गयी थी। भारतीय रबड़ बोर्ड की 11वीं योजना स्कीम के अन्तर्गत बाजार विकास एवं निर्यात संवर्धन एक अनुमोदित कार्यकलाप है। निर्यात संवर्धन संघटक के अन्तर्गत मुख्य कार्यकलापों में भारतीय रबड़ का प्रचार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु निर्यातकों को सहायता प्रदान करना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना तथा बाजार आसूचना का प्रावधान शामिल है। 11वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 132,369 टन प्राकृतिक रबड़ का निर्यात किया गया था।

महिला आरक्षण

1959. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री एम.के. राघवन:
श्री आधि शंकर:
श्रीमती अन्नू टन्डन:
श्रीमती जे. शांता:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका तथा उनके लिए बढ़ाए गए आरक्षण कोटे के उपभोग के बारे में कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो महिला प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण के लिए उनको प्रशिक्षण तथा जानकारी देने के लिए विशेष संसाधनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंचायत महिला एवं युवाशक्ति अभियान चयनित महिला प्रतिनिधियों तथा चयनित युवा प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस नेटवर्क से जुड़े प्रतिनिधियों की संख्या के साथ-साथ उक्त योजना की प्रमुख विशेषताएं, गुण तथा उद्देश्य क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) और (ख) वर्ष 2007-08 में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ई.डब्ल्यू.आर.) के संबंध में एक अध्ययन करवाया था, जिसका मार्गदर्शन एक शैक्षिक सलाहकार समिति द्वारा किया गया था और यह ए.सी. नीलसन ओ.आर.जी.-मार्ग, नई दिल्ली द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित था। जिला परिषद् और मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों की राष्ट्रीय सभा में 24 अप्रैल, 2008 को जारी की गई रिपोर्ट से पुरुष प्रतिनिधियों के मुकाबले निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने में मदद मिली है।

2. राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी पर महिलाओं के सकारात्मक प्रतिनिधित्व और उनके सशक्तीकरण के बारे में अध्ययन के दौरान निकाले गए निष्कर्षों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल है:—

(1) चुने गए सब प्रतिनिधियों में से 4/5 प्रतिनिधि आरक्षित सीटों से थे और पहला चुनाव लड़ने के मामले में आरक्षण एक महत्वपूर्ण प्रेरक (43 प्रतिशत) के रूप में उभरकर आया।

(2) पहले किसी भी प्रकार की राजनीति से संबंध बहुत कम था और अधिकांश महिलाओं के लिए पहला चुनाव लड़ना सक्रिय राजनीति में उनके प्रवेश का इशारा था।

(3) निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के एक बड़े वर्ग ने यह महसूस किया कि उनमें आत्मसम्मान (79%) आत्मविश्वास (81%) और निर्णय लेने की क्षमता (74%) बढ़ी है। प्रधान या वार्ड सदस्य बनने से उनके परिवार के भीतर भी उनका सम्मान (67%) बढ़ा है साथ ही जब वे संबंधित अधिकारियों के समक्ष स्थानीय मुद्दे उठाती हैं तो उन्हें अधिक तवज्जो मिलने से समाज में भी उनका सम्मान (82%) बढ़ा है।

(4) दो तिहाई निर्वाचित प्रतिनिधियों ने बताया कि लाइन विभागों और समानान्तर निकायों के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार में भी समय के साथ उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

(5) 60% महिला प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ लिंग भेद का बर्ताव किया जा रहा है और उनकी उपेक्षा की जा रही है।

(6) महिला प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणामस्वरूप उन्हें अपने परिवार के समकक्ष सदस्यों और समाज से मान्यता मिल रही है।

(7) 95% महिला प्रतिनिधियों ने अनुभव किया कि वे ग्राम सभा की बैठकों में स्वतंत्रतापूर्वक मुद्दे उठा सकती हैं।

3. जहां तक, निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण का संबंध है, चाहे वे महिलाएं हों अथवा पुरुष, विभिन्न योजनाओं जैसे कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना और पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पीएमईवाईएसए) के तहत सरकार इस बात के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण किया जाए। वास्तव में पीएमईवाईएसए विशेष रूप से बनाया गया एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थानों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) और निर्वाचित युवा प्रतिनिधियों (ईवाईआर) की क्षमता निर्माण को मजबूत करना है।

(ग) और (घ) इस योजना के दो घटक हैं अर्थात् पंचायत महिला शक्ति अभियान और पंचायत युवा शक्ति अभियान। पीएमईवाईएसए का उद्देश्य निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को एकत्र करके एक ऐसा कार्यजाल तैयार करना है कि वे सामूहिक कार्यक्रम के द्वारा शक्ति प्राप्त कर सके जिससे कि स्थानीय शासन के मुद्दों पर उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व में सुधार हो। इस योजना का मूल उद्देश्य पंचायत नेताओं के रूप में महिलाओं की समस्याओं को उजागर करना है और संस्थानात्मक तंत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सके और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण हो तथा उनमें आत्मविश्वास आए जिससे कि वे उन संस्थानात्मक सामाजिक और राजनैतिक अड़चनों को दूर कर सकें जो उन्हें स्थानीय ग्रामीण स्वशासन में भागीदारी से रोकते हैं, और उन्हें इस योग्य बनाना है जिससे कि वे राजनीति की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ें और उन्हें समर्थन मिले ताकि उनकी चिंताओं को राज्य तथा तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थान प्रणाली द्वारा अपनाई गई विकास की प्रक्रिया के माध्यम से दूर किया जा सके।

4. पीएमईवाईएसए में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं— राज्य सम्मेलन आयोजित करना, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रभाग/जिला-स्तरीय सम्मेलन आयोजित करना, एसोसिएशन बनाना, राज्य समर्थन केन्द्रों का गठन कना, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और निर्वाचित युवा प्रतिनिधियों के लिए सुग्राही कार्यक्रम बनाना।

5. वर्ष 2007-08 की पंचायतों की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के कुल 28 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से लगभग 10 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि थीं। उपर्युक्त कार्यकलाप निर्वाचित युवा प्रतिनिधियों के अलावा इन निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए भी हैं।

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति

1960. श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त छात्रवृत्तियों के निर्धारण/समीक्षा के लिए मूल्य सूचकांक लागत सहित सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अ.जा./अ.पि.वि. के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दर बहुत कम है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) अ.जा./अ.पि.व. के छात्रों की छात्रवृत्ति की दर की सरकार द्वारा कब तक समीक्षा किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) छात्रवृत्ति योजनाओं में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि और निधियों की उपलब्धता सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

(घ) से (च) ''अस्वच्छ व्यवसाय में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना'' (जिसे पिछली बार 1.4.2008 को संशोधित किया गया था) को छोड़कर इन योजनाओं के अंतर्गत आय सीमा, छात्रवृत्ति दरों और अन्य भत्तों में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। तथापि, इस बारे में कोई समय-सीमा इंगित करना संभव नहीं है।

विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्नांकित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इन सभी योजनाओं को राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जिन्हें प्रत्येक योजना के वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

1. **भारत में अध्ययन हेतु अनुसूचित जातियों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना**

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। वित्तीय सहायता में भरण-पोषण भत्ता, शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रभारित वापस न की जाने वाली अनिवार्य फीस की प्रतिपूर्ति, पुस्तक बैंक सुविधा और अन्य भत्ते शामिल हैं।

आय सीमा: छात्रवृत्ति ऐसे विद्यार्थियों को दी जानी है जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय समस्त स्रोतों से 1.00 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक न हो।

पिछले संशोधन की तारीख: इस योजना को पिछली बार 1.4.2003 को संशोधित किया गया। आगे संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

2. **अस्वच्छ व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना**

योजना का उद्देश्य हाथ से मैला साफ करने वालों, हाथ से मैला साफ करने वालों की पारम्परिक प्रथा से जुड़े सफाई कर्मियों, चमड़ा उतारने वालों और रंगने वालों के बच्चों को मैट्रिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हों। लक्ष्य समूह में अनुसूचित जाति के विद्यार्थी भी शामिल हैं। राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इस योजना को कार्यान्वित करते हैं। वित्तीय सहायता में मासिक छात्रवृत्ति और वार्षिक तदर्थ अनुदान शामिल हैं। योजना के कक्षा-1 से 10 में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी समाहित होते हैं।

आय सीमा: इस योजना के अंतर्गत कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है।

3. **अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना**

इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने

हेतु मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वित्तीय सहायता में भरण-पोषण भत्ता, शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रभारित वापस न की जाने वाली अनिवार्य फीस की प्रतिपूर्ति, पुस्तक बैंक सुविधा और अन्य भत्ते शामिल हैं।

आय सीमा: छात्रवृत्ति ऐसे विद्यार्थियों को दी जानी है जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय समस्त स्रोतों से 44,500 रुपए प्रति वर्ष से अधिक न हो।

4. अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों में दिवा छात्रों के लिए कक्षा-1 से कक्षा-10 तक तथा छात्रावास में रहने वालों के लिए कक्षा-3 से कक्षा-10 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। एक शैक्षणिक वर्ष में छात्रवृत्ति की अवधि 10 माह है। छात्रवृत्ति ऐसे संस्थानों में और ऐसे मैट्रिक-पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए देय हैं जो राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा समुचित रूप से मान्यता प्राप्त हैं। वित्तीय सहायता में भरण-पोषण भत्ता और तदर्थ अनुदान शामिल हैं।

आय सीमा: छात्रवृत्ति ऐसे विद्यार्थियों को दी जानी है जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय समस्त स्रोतों से 44,500 रुपए प्रति वर्ष से अधिक न हो।

कॉफी का निर्यात

1961. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री किशनभाई वी. पटेल:
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:
श्री प्रदीप माझी:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉफी उत्पादक क्षेत्रों के कॉफी उत्पादकों ने ऋणग्रस्त कॉफी उत्पादकों के लिए राहत पैकेज मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पैकेज की मुख्य विशेषताओं और इसके वित्तीय प्रभाव से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कॉफी उत्पादकों की मदद करने तथा उनकी कार्यदशाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जी, हां। उपजकर्ताओं को पुराने संचयी ऋण के भार से सार्थक राहत पहुंचाने की दृष्टि से और उद्योग जगत के हितबद्ध पक्षकारों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद भारत सरकार ने देश के ऋण-ग्रस्त लघु कॉफी उपजकर्ताओं के लिए 241.00 करोड़ रुपए के कॉफी ऋण राहत पैकेज-2010 को संस्वीकृति प्रदान की है।

पैकेज की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:—

लघु उपजकर्ताओं (10 हे. से कम जोत वाले) के लिए:

2002 से पूर्व के ऋण-विशेष कॉफी सावधि ऋण (एससीटीएल)

5 लाख रुपए प्रति कृषक के अधिकतम लाभ के अध्यधीन कुल देयता के 50% का अधित्याग जिसका वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। बैंकों द्वारा और 25% का अधित्याग किया जाएगा तथा शेष राशि को पुन: अनुसूचीबद्ध किया जाएगा।

फसल ऋण

प्रति कृषक 1 लाख रुपए के अधिकतम लाभ के अध्यधीन देयता के 20% का अधित्याग जिसमें से 10%-10% का वहन क्रमश: भारत सरकार और बैंकों द्वारा किया जाएगा।

वर्ष 2002 के बाद के सावधि ऋण

प्रति कृषक 1 लाख रुपए के अधिकतम लाभ के अध्यधीन कुल देयता के 10% का अधित्याग जिसका वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

मंझोले और बड़े उपजकर्ताओं (10 हे. से अधिक जोत वाले) के लिए:

स्कीम के अंतर्गत मंझोले और बड़े उपजकर्ता भी ऋण के पुन: अनुसूचीकरण के पात्र होंगे।

शर्तें:

यह पैकेज निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:—

(1) यह पैकेज दिनांक 30 जून, 2009 की स्थिति के अनुसार बकाया समस्त राशि पर लागू होगा।

(2) वर्ष 2002 से पूर्व के ऋणों में कॉफी उपजकर्ताओं के सभी पूर्ववर्ती ऋणों, जिस अवधि के लिए खातों को

एनपीए या संग्रहण के अधीन खातों (एयूसीएल) अथवा डीआरटी को प्रेषित खातों के रूप में श्रेणीकृत किया गया था, के पुन: अनुसूचीकरण एवं एकीकरण के बाद वर्ष 2002 में सृजित सभी विशेष कॉफी सावधि ऋण (एससीटीएल) शामिल हैं।

(3) सभी एनपीए, एयूसीएल एवं डीआरटी खातों के मामले में स्थिति में परिवर्तन के समय बकाया राशि पर ही अधित्याग लागू होगा, जबकि स्थिति में परिवर्तन के बाद बैंकों द्वारा लगाए गए किसी जुर्माने या ब्याज का वहन बैंकों द्वारा किया जाएगा।

(4) फसल ऋणों के मामले में अधित्याग की राशि के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उपजकर्ता की देयता 62500 रुपए प्रति एकड़ अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगी।

(घ) कॉफी उपजकर्ताओं के कार्य की स्थितियों में सुधार करने की दृष्टि से पूर्व में विशेष कॉफी सावधि ऋण (एससीटीएल) पैकेज 2002 और विशेष राहत पैकेज, 2005 प्रदान किए गए थे। वर्तमान 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी विकास सहायता स्कीम में कॉफी उपजकर्ताओं को पुनर्रोपण एवं जल संवर्धन सुविधाएं देने, कॉफी के पौधों/छायादार पौध की आपूर्ति करने, सुखाने के लिए ड्राईंग यार्डों/एल्युमीनियम ट्रे का निर्माण करने तथा पल्परों का क्रय करने के साथ-साथ बाजार सहायता कार्यक्रम के जरिए कॉफी उपजकर्ताओं को सहायता प्रदान की जाती है।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से निधियों का उपयोग

1962. श्री एम.बी. राजेश: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत निर्माण के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए अभी तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) भारत निर्माण के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से आवासों के निर्माण पर अभी तक कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) भारत निर्माण के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्वच्छ पेयजल के प्रावधान के लिए अभी तक कितनी राशि व्यय की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) भारत निर्माण योजनाओं के ग्रामीण विकास से संबंधित तीन घटक यथा—प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), ग्रामीण आवास (आरएच) और पेयजल आपूर्ति (डीडब्ल्यूएस) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत निधियां सीधे राज्य सरकार/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को रिलीज की जाती हैं। अब तक उपयोग की गई राज्य-वार निधियां नीचे दिए अनुसार हैं:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	उपयोग की गई निधियां
1.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	72787.00
2.	ग्रामीण आवास (आरएच)	39956.00
3.	पेयजल आपूर्ति (डीडब्ल्यूएस)	27185.00

यद्यपि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए खर्च/उपयोग की जाती हैं फिर भी पंचायती राज संस्थाएं उपर्युक्त तीनों कार्यक्रमों की परियोजनाएं/योजनाएं तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं जैसा कि संबंधित कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट है।

इंदिरा आवास योजना

1963. श्री निशिकांत दुबे: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत झारखंड राज्य सहित निर्धनतम लोगों के लिए ग्रामीण आवास सुनिश्चित करने में उपलब्धियों से संतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंदिरा आवास योजना से छोटे तथा सीमांत किसान लाभान्वित हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्राप्त अनुभव के आलोक में इंदिरा आवास योजना में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना केन्द्र सरकार की लोकप्रिय योजना है जिसे झारखंड सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है और इस योजना का समग्र संचालन संतोषजनक पाया गया है। इस योजना की शुरुआत अर्थात् 1985-86 से लेकर

अब तक 245.18 लाख मकान बनाए गए हैं। 90 प्रतिशत से अधिक वास्तविक लक्ष्य प्रति वर्ष हासिल कर लिए जाते हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान लक्ष्य की उपलब्धि 100 प्रतिशत से अधिक थी। झारखंड में वर्ष 2009-10 में 89 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं जबकि वर्ष 2008-09 में वास्तविक उपलब्धि 111 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए ग्रामीण बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। बीपीएल श्रेणी के लघु एवं सीमांत किसान बीपीएल सूची/स्थायी आईएवाई प्रतीक्षा सूची में अपनी बारी के अनुसार आईएवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। यद्यपि लघु एवं सीमांत किसानों के लिए अलग से कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है, फिर भी विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण बीपीएल परिवारों के लिए निर्मित आईएवाई मकानों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) आईएवाई दिशा-निर्देशों में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है और इसलिए योजना की आवश्यकता के अनुसार दिशा-निर्देशों में संशोधन किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान आईएवाई दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए:

(1) दिनांक 1.4.2010 से आईएवाई के अंतर्गत इकाई सहायता बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों में 35,000 रुपए से बढ़ाकर 45,000 रु. और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 38,500 रु. से बढ़ाकर 48,500 रु. कर दी गई है। इसके पहले दिनांक 1.4.2008 से इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 25,000 रु. से बढ़ाकर 35,000 रु. और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 27,500 रु. से बढ़ाकर 38,500 रु. कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आईएवाई लाभार्थी विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के अंतर्गत 4 रु. प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 20,000 रु. तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

(2) उन ग्रामीण बीपीएल परिवारों जिनके पास न कृषि भूमि और न ही वासभूमि है, के लिए वासभूमि की खरीद/अधिग्रहण के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए आईएवाई के हिस्से के रूप में वासभूमि योजना शुरू की गई।

(3) प्राकृतिक आपदा घटक में से निधियां उपलब्ध कराने की अधिकतम सीमा को प्रति जिला प्रतिवर्ष 50 लाख रु. से बढ़ाकर 70 लाख रु. अथवा आईएवाई के अंतर्गत जिले के वार्षिक आबंटन का 10 प्रतिशत हिस्सा, इनमें से जो भी अधिक हो, कर दी गई।

(4) आईएवाई मकानों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए गठित कार्यबल की निम्नलिखित सिफारिशें मकानों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भेजी गई हैं:

- स्थायी दीवार और स्थायी छत वाले पक्के मकान का निर्माण सुनिश्चित करना जो न्यूनतम आपदा को सहन कर सके।
- तकनीकी एवं सामग्री विनिर्देशन के साथ टाइप डिजाइन को अंतिम रूप देना।
- टाइप डिजाइन के अनुसार मकान बनाने के लिए पर्याप्त श्रमशक्ति को प्रशिक्षित करना।
- निर्माण सामग्री एवं साधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- बेसमेंट/लिंटेल स्तर पर तकनीकी पर्यवेक्षण करना।
- निधियों की रिलीज को निर्माण चरण से संबद्ध करना।

विवरण

विगत तीन वर्षों अर्थात् 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार/वर्षवार निर्धारित वास्तविक लक्ष्य और हासिल उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	2007-08		2008-09		2009-10	
		वार्षिक लक्ष्य	निर्मित मकान	वार्षिक लक्ष्य	निर्मित मकान	वार्षिक लक्ष्य	निर्मित मकान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	192148	194861	192132	266654	371982	434733
2.	अरुणाचल प्रदेश	6765	6422	6770	7236	10873	6026

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	149593	150776	149699	112706	240446	181162
4.	बिहार	567171	430864	567125	484197	1098001	653214
5.	छत्तीसगढ़	29714	30093	29712	30023	57520	58449
6.	गोवा	1183	735	1183	586	2291	1864
7.	गुजरात	94234	110908	94226	122412	182429	166760
8.	हरियाणा	13231	13398	13229	13302	25611	24138
9.	हिमाचल प्रदेश	4242	4029	4242	4501	8212	9295
10.	जम्मू और कश्मीर	13177	15361	13176	13211	25508	18594
11.	झारखंड	50589	45936	50585	56180	97926	87524
12.	कर्नाटक	74029	39990	74023	87051	143311	158417
13.	केरल	41167	37094	41164	53133	79695	51590
14.	मध्य प्रदेश	59096	60222	59091	74651	114396	96877
15.	महाराष्ट्र	115879	126117	115869	118611	224323	207695
16.	मणिपुर	5872	3379	5877	514	9439	3296
17.	मेघालय	10228	2271	10235	5619	16440	9875
18.	मिजोरम	2180	1918	2181	5179	3504	4851
19.	नागालैंड	6768	7491	6773	24717	10878	11645
20.	उड़ीसा	111431	140853	111422	62447	215715	170766
21.	पंजाब	16362	17992	16361	11700	31674	27108
22.	राजस्थान	47354	42517	47350	52654	91670	86992
23.	सिक्किम	1294	1533	1295	1774	2080	1819
24.	तमिलनाडु	76932	103379	76925	94160	148929	169753
25.	त्रिपुरा	13178	12945	13187	26389	21182	8322
26.	उत्तर प्रदेश	254750	264296	254729	267543	493156	483949
27.	उत्तराखंड	11611	18766	11610	12696	22476	20373
28.	पश्चिम बंगाल	153709	107575	153697	123808	297564	230155
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1828	297	1828	124	2750	242

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दादरा और नगर हवेली	305	121	305	41	458	0
31.	दमन और दीव	136	12	136	0	205	0
32.	लक्षद्वीप	118	97	118	190	229	88
33.	पुडुचेरी	910	101	910	52	1370	47
	कुल	2127184	1992349	2127165	2134061	4052243	3385619

पंचायतों के लिए ई-प्रशासन परियोजना

1964. श्रीमती चन्द्रेश कुमारी:
श्रीमती अन्नू टन्डन:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने तथा पंचायत अभिलेखों एवं फाइलों को डिजिटाइज करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में सभी पंचायतों में ई-प्रशासन परियोजना के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) और (ख) ब्रॉडबैंड नेटवर्क के जरिए ग्राम पंचायतों को जोड़ना भारत निर्माण-2 कार्यक्रम के एक उपांग के रूप में सम्मिलित किया गया है। सितंबर 2010 तक कुल 97,392 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड चालू हो गया है। भारत निर्माण-2 कार्यक्रम के अधीन सरकार ने सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की परिकल्पना की है। कुछ राज्य पंचायतों के कार्यकरण में कंप्यूटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें प्रलेखों और फाइलों का डिजीटाईजेशन भी शामिल है।

(ग) पंचायतों में ई-शासन लागू करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने 'ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी)' तैयार की है। एमएमपी के अंतर्गत (1) सूचना एवं सेवा आवश्यकता आकलन (2) व्यवसाय प्रक्रिया री इंजिनियरिंग पर रिपोर्टें और (3) प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र (दिल्ली को छोड़कर) के लिए ब्यौरे-वार परियोजना रिपोर्टें तैयार कर ली है और संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालन के लिए भेज दी हैं। इस एमएमपी के लिए पंचायती राज मंत्रालय को 2008-09 में 5.5 करोड़, 2009-10 में 22.07 करोड़ तथा 2010-11 में 24 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। इस राशि में से पंचायतों के प्रमुख कार्यों को आटोमेट करने के लिए साफ्टवेयर एप्लिकेशन तैयार करने का काम शुरू किया गया है। विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए प्रिया साफ्टवेयर जो कि एक लेखाकरण साफ्टवेयर है तथा प्लान प्लस साफ्टवेयर पहले ही आरंभ किया जा चुका है।

[हिन्दी]

रक्षा खरीद प्रणाली

1965. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिचौलियों की भूमिका रोकने के लिए प्रावधानों के बावजूद रक्षा उपकरण की खरीद में कमीशन प्रणाली अभी भी प्रचलित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रणाली को रोकने तथा इस संबंध में वैकल्पिक उपाय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अभी तक कितनी प्रगति की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) पूंजीगत अर्जन के अंतर्गत विभिन्न रक्षा उपस्करों/प्लेटफार्मों की अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) 2008 (संशोधन-2009) के अनुसार की जाती है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में मूल उपस्कर विनिर्माताओं अथवा प्राधिकृत विक्रेताओं या सरकार द्वारा प्रायोजित निर्यात एजेंसियों (उन देशों के मामले में जिनके घरेलू कानूनों में मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा सीधे निर्यात की अनुमति नहीं है), से सीधे सौदा करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई विक्रेता किसी देशी या विदेशी व्यक्ति या फर्म को विक्रेता को

ठेका दिए जाने के संबंध में सरकारी या गैर-सरकारी तौर पर भारत सरकार या उसके किसी भी कार्यकर्त्ता के साथ मध्यस्थता करने, प्रक्रिया को सुकर बनाने या किसी भी अन्य तरीके से सिफारिश करने में शामिल करता है, तो इन प्रक्रियाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ शास्तियां लगाए जाने के प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सभी खरीद-योजनाओं में सरकारी विभाग और बोलीदाताओं के बीच एक सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने का उपबंध भी है। विनिर्दिष्ट संविदाओं के लिए सरकार और बोलीदाताओं के बीच यह सत्यनिष्ठा करार एक बाध्यकारी समझौता है। रक्षा अर्जन मामलों में दलालों की भूमिका पर रोक लगाने तथा उच्चकोटि की ईमानदारी, सार्वजनिक जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

जल परीक्षण प्रयोगशालाएं

1966. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला स्तर पर जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई केन्द्रीय योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात के सभी जिलों को विशेषकर अमरेली, मेहसाना, सूरत, राजकोट तथा वडोदरा जिलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है और वहां जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन जिलों में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी अगाथा संगमा): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार सभी ग्रामीण जिलों में जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए सहायक क्रियाकलापों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सहायता उपलब्ध करा रही है जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) राज्य द्वारा समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर सूचित ऑन लाइन डाटा के आधार पर अमरेली, मेहसाना, सूरत, राजकोट तथा वडोदरा जिलों सहित गुजरात राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र

1967. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने पंचायतों में ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र योजना का कार्यान्वयन किया गया है/आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गई है/उपयोग की गई है;

(ख) क्या सरकार ने योजना में निवेश मोड का कोई मूल्यांकन समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र योजना के कुछ उत्पादों का निर्यात किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध उत्पादों के विनिर्माण का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश के जनजातीय क्षेत्रों में इस योजना को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) 13.8.2009 को ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र योजना के संशोधित मार्गदर्शनों के अनुसार इस योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक ब्लॉक (मध्यवर्ती पंचायत) में कम-से-कम एक ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र (आरबीएच) स्थापित करना है। इस समय, इस योजना का उद्देश्य एक पायलेट परियोजना के रूप में देश के चुने हुए जिलों में आरबीएच स्थापित करना है- 250 जिले बीआरजीएफ कार्यक्रम के अधीन शामिल किए गए हैं और सभी जिले आठ उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं। परियोजना के कार्यान्वयन/प्रस्ताव के लिए इकाई के रूप में ब्लॉक पंचायत को लिया जाता है न कि ग्राम पंचायत को।

आरबीएच मांग के आधार पर चलने वाली योजना है और इसमें धन का राज्य-वार आबंटन नहीं होता। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं के लिए जारी की गई कुल राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। अगस्त 2009 में सरकार ने आरबीएच योजना संशोधित की थी और इस योजना के अधीन दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए प्रति प्रस्ताव कर दी गई है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार मेसर्ज एलाक्रिटी एक्सपोर्ट जयपुर द्वारा फर्नीशिंग्स का निर्यात यूएसए और न्यूजीलैंड को कर दिया गया है। कालीनों का निर्यात मेसर्ज जयपुर रग्स फाउंडेशन, जयपुर द्वारा यूएसए और ग्रीस को किया गया था।

(च) बीआरजीएफ जिलों तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अधीन आने वाले आदिवासी क्षेत्रों को आरबीएच योजनाओं के अधीन रखा गया है। किंतु आरबीएच की योजनाओं को और आगे बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय ने अतिरिक्त ऐसे 17 कार्यकलापों/परियोजनाओं का चयन करके इसकी सूचना भेज दी है जो कि आरबीएच के अधीन चलायी जा सकती है। इनमें से कुछ जिनके ब्यौरे निम्नलिखित है का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में इस योजना को बढ़ावा देना है:—

(1) वन/फलदार वृक्ष प्रसंस्करण परियोजना जैसे कि अचार बनाना, रोष्टिक, महुआ से स्विंटर और प्राकृतिक औषधियां इत्यादि।

(2) नयी ऊन का प्रसंस्करण और भेड़ पालन इत्यादि।

(3) परंपरागत खाद्य उत्पाद जैसे कि खजूर का गुड़, हथकरघा और हस्तशिल्प आदि।

विवरण

योजना : ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र

राज्य-वार कोई आबंटन नहीं होता। यह योजना मांग पर आधारित है। वित्तीय सहायता लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए व्यवहार्य प्रस्तावों पर दी जाती है। निम्नलिखित राज्यों में ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना के संदर्भ में कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को दी गई राशि इस प्रकार है:

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय निर्गति (2007-08)	(2008-09)	(2009-10)	(2010-11)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	20.40	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	6.60
3.	असम	14.99	–	14.17	–
4.	बिहार	3.48	–	1.16	–
5.	छत्तीसगढ़	31.32	16.46	13.12	–
6.	हिमाचल प्रदेश	–	24.00	7.08	–
7.	झारखंड	7.50	42.06	8.32	–
8.	कर्नाटक	12.48	–	2.55	–
9.	केरल	–	7.50	12.62	–
10.	मध्य प्रदेश	–	–	–	6.61
11.	महाराष्ट्र	–	2.56	24.32	–
12.	मणिपुर	7.34	1.22	7.88	10.41
13.	मेघालय	–	–	9.29	–
14.	उड़ीसा	–	–	–	7.05

1	2	3	4	5	6
15.	राजस्थान	18.99	36.62	3.85	–
16.	तमिलनाडु	2.25	13.78	0.69	4.59
17.	उत्तर प्रदेश	7.35	15.19	11.21	–
18.	उत्तराखंड	–	7.12	–	–
19.	पश्चिम बंगाल	4.25	8.24	20.24	–

आभूषण क्षेत्र निर्यात

1968. श्री सी. शिवासामी:
श्री के.आर.जी. रेड्डी:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री जयराम पांगी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत के रत्न एवं आभूषण निर्यात से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वित्तीय वर्ष 2011 में भारत के रत्न एवं आभूषण निर्यातों में 30-35 प्रतिशत वृद्धि दर्ज किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आभूषण के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में किन-किन निर्यात संवर्धन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित रत्न एवं आभूषण का कुल मूल्य निम्नानुसार है:—

(मिलियन अम. डॉलर में)

मद	2007-08	2008-09	2009-10
रत्न एवं आभूषण	19691.58	28411.38	29,081.11

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

(ख) से (घ) रत्न एवं आभूषण के निर्यात में वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 में 44.28% और वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में 2.36% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2011 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए रत्न एवं आभूषण के निर्यात में वृद्धि के संबंध में कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, सरकार ने इस प्रयोजनार्थ वाणिज्य विभाग की बाजार विकास सहायता (एमडीए) तथा बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीमों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, क्रेता-विक्रेता बैठकों इत्यादि का आयोजन करने आदि जैसे अनेक उपाय किए हैं। सरकार ने विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 में रत्न एवं आभूषण के निर्यात का संवर्धन करने के लिए विनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रमाणन/ग्रेडिंग हेतु पारेषण आधार पर हीरों के आयात तथा पुन: निर्यात की अनुमति, विदेशों में प्रदर्शनियों में भागीदारी तथा निर्यात संवर्धन दौरों इत्यादि के मामले में रत्न एवं आभूषण उत्पादों को व्यक्तिगत रूप से लाने ले जाने हेतु उसकी मात्रा की सीमा में वृद्धि जैसे अनेक उपायों की घोषणा भी की है।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. द्वारा स्वास्थ्य मेला

1969. श्री तूफानी सरोज: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) द्वारा देश में ''स्वास्थ्य मेला'' आयोजित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में दिल्ली सहित राज्य-वार ऐसे कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ''स्वास्थ्य मेलों'' के आयोजन पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों में कितने व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) बीएसएनएल ने ''स्वास्थ्य मेले'' प्रायोजित किए हैं जिन्हें हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था। एमटीएनएल ने भी स्वास्थ्य मेला प्रायोजित किया है।

(ख) बीएसएनएल ने वर्ष 2009 और वर्ष 2010 में प्रत्येक वर्ष ''स्वास्थ्य मेला'' प्रायोजित किया है। एमटीएनएल ने भी वर्ष 2007, 2008, 2009 और 2010 में प्रत्येक वर्ष एक बार स्वास्थ्य मेला प्रायोजित किया है।

(ग) इन मेलों पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:—

बीएसएनएल: वर्ष 2009 में स्वास्थ्य मेला पर 10,00,000/- रु. की राशि व्यय की गई थी। वर्ष 2010 में 7,50,000/- रु. निर्मुक्त करने का आदेश जारी किया गया है।

एमटीएनएल: चार वर्षों में अर्थात् 2007-10 के दौरान इन मेलों को प्रायोजित करने पर कुल 43,50,000/- रु. की राशि खर्च की गई।

(घ) उन व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा (आंकड़े लगभग में) जिनकी स्वास्थ्य जांच की गई इस प्रकार है:—

बीएसएनएल	:	स्वास्थ्य मेला 2009	:	2,000
		स्वास्थ्य मेला 2010	:	1,500
एमटीएनएल	:	स्वास्थ्य मेला 2007	:	20,000
		स्वास्थ्य मेला 2008	:	20,000
		स्वास्थ्य मेला 2009	:	1,00,000
		स्वास्थ्य मेला 2010	:	1,00,000

[अनुवाद]

कार्मिकों को कानूनी कवर

1970. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सीमा तथा अन्य क्षेत्रों में अपने कार्यों का निष्पादन करने वाले कार्मिकों को कानूनी कवर प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जब सेना कार्मिकों को सीमा तथा अन्य क्षेत्रों में सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए तैनात किया जाता है तो उन्हें कानूनी कवर उपलब्ध कराया जाता है। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 पूर्वोत्तर क्षेत्र में और सशस्त्र बल (जम्मू व कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 जम्मू व कश्मीर में लागू होता है। जब सरकार द्वारा सेना की मांग की जाती है, तब कानून और व्यवस्था बनाए रखने संबंधी कार्रवाइयों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (धारा 129-132) के अनुसार ''सशस्त्र बलों द्वारा सिविल प्राधिकारी सहायता, 1970'' संबंधी अनुदेश भी लागू होते हैं।

पत्तन विस्तार संबंधी नई नीति

1971. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तटीय रेखा के किनारे विद्यमान पत्तनों के विस्तार तथा नए पत्तन शुरू किए जाने संबंधी नई नीति के कारण विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने नई नीति में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया है ताकि पत्तनों का विकास प्रभावित न हो;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार नई नीति के अंतर्गत सी.आर.जेड. तथा ई.आई.ए. में अपेक्षित संशोधनों पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या पत्तन क्षमता का तत्काल विस्तार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे निर्यात में बाधा पहुंचती है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) जी नहीं। विद्यमान पत्तनों के विस्तार और नए पत्तनों के आरंभ किए जाने के संबंध में नई नीति की घोषणा नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) आयात-निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए देश में मुख्य पत्तनों की क्षमता का विस्तार करने के लिए निजी सरकारी भागीदारी (पीपीपी) द्वारा निजी निवेश को आकर्षित करने का निर्णय लिया गया है। निजी सरकारी भागीदारी के आधार

पर बर्थों/टर्मिनलों के निर्माण, उपस्करों की अधिप्राप्ति, मशीनीकरण आदि के लिए अनेक परियोजनाएं सौंपी गई हैं। पत्तन परियोजनाओं में पारदर्शितापूर्वक निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, मानक बोली दस्तावेज, जैसे योग्यता के लिए अनुरोध (आर.एफ.क्यू.), प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) और मॉडल रियायत करार (एम.सी.ए.) तैयार किए गए हैं और परियोजनाएं सौंपने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

[हिन्दी]

गुम हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक किया जाना

1972. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में झारखंड सहित मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या राज्य-वार तथा कंपनी-वार कितनी है;

(ख) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) देश में गुम हुए अथवा चुराए गए मोबाइल हैंडसेटों को ब्लॉक करने की संभावना का पता लगा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में गुम हुए अथवा चोरी हो गए मोबाइल हैंडसेटों से संबंधित सूचना एकत्र करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) देश में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या संबंधी जानकारी विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) ट्राई ने ''गुम/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेटों के आईएमईआई को ब्लॉक करने संबंधी मुद्दों'' पर 2.11.2010 को परामर्श-पत्र जारी किया है। स्टेकहोल्डरों से उनकी टिप्पणियां 30 नवंबर, 2010 तक और जवाबी टिप्पणियां, यदि कोई हो, 7 दिसंबर, 2010 तक पेश करने का अनुरोध किया गया था।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

30.9.2010 की स्थिति के अनुसार देश में बेतार टेलीफोन कनेक्शनों की लाइसेंस क्षेत्र-वार और कंपनी-वार संख्या

क्र.सं.	लाइसेंस क्षेत्र का नाम	भारती एयरटेल	टाटा टेलीसर्विसेज	सिस्टमा श्याम टेलीसर्विसेज	एचएफसीएल इन्फोटेल	लूप मोबाइल	एयरसेल	रिलायंस	वोडाफोन एस्सार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	14417840	8428925	109336	0	0	1534492	7839468	6626786
2.	असम	2710036	110150	0	0	0	2896025	1969515	1065719
3.	बिहार	12901274	4596786	487686	0	0	3999191	7441754	4058424
4.	गुजरात	6008563	2910342	0	0	0	36947	6513415	12327687
5.	हरियाणा	1660048	2794804	75832	0	53	159346	3087365	3274177
6.	हिमाचल प्रदेश	1468592	266002	0	0	0	668579	1294178	251494
7.	जम्मू और कश्मीर	1772077	84717	0	0	0	1544931	318068	256127
8.	कर्नाटक	13470973	6788579	634397	0	0	1274713	6792171	5735240
9.	केरल	3352122	2613756	287615	0	0	1740945	3700958	4709123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	मध्य प्रदेश	7719594	4189825	0	0	63	289114	9476357	2276334
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	7269397	9034901	196080	0	0	786126	8101673	8607685
12.	पूर्वोत्तर	1657241	76328	0	0	0	1902068	565444	647660
13.	उड़ीसा	4905816	2349056	0	0	96	2165496	2989444	1251768
14.	पंजाब	5403251	2897137	0	1022944	35	176166	3162686	3491130
15.	राजस्थान	11084801	3150235	1641269	0	80	85	6047826	8033143
16.	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	8825302	3537402	843605	0	0	14185732	5831533	8213608
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	10812901	3719266	0	0	0	1309135	10158674	11769526
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	5000380	4170288	0	0	0	1212042	7611561	7351792
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	6664921	2324315	911099	0	0	2558260	5626672	8413649
20.	कोलकाता #	3004451	2893384	505206	0	90	1540301	3954363	3881490
21.	चेन्नई #	2897309	1247184	0	0	0	3596184	1111274	1917055
22.	दिल्ली #	7077884	5554031	574998	0	0	1666398	7022048	6024698
23.	मुंबई #	3207499	5334363	371347	0	2983482	1273102	6720923	5368727
	कुल	143292272	79071716	6638470	1022944	2983899	46515378	117337370	115553042

जारी.....

क्र.सं.	लाइसेंस क्षेत्र का नाम	आइडिया मोबाइल कम्यूनिकेशन	एस. टेल	यूनिनोर	एटिसलाट डीबी टेलीकॉम.	विडियोकॉन	बीएसएनएल	एमटीएनएल
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	7075631	0	1223875	2765	16	5477382	0
2.	असम	175362	25866	0	0	0	1274691	0
3.	बिहार	3738930	769225	1395209	2233	20	5282138	0
4.	गुजरात	6000166	0	708884	4344	834160	3519839	0
5.	हरियाणा	2471611	0	0	1695	760000	2870886	0

1	2	11	12	13	14	15	16	17
6.	हिमाचल प्रदेश	344923	311841	0	0	3600	1496931	0
7.	जम्मू और कश्मीर	71833	0	0	0	0	688642	0
8.	कर्नाटक	3121463	0	699924	3398	15	4565952	0
9.	केरल	6002217	0	410569	1104	330233	4924381	0
10.	मध्य प्रदेश	8401422	0	0	5572	309682	4638691	0
11.	महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)	10551511	0	640160	4526	20	5520117	0
12.	पूर्वोत्तर	86595	6999	0	0	0	1246301	0
13.	उड़ीसा	810952	528341	486058	0	20	3133889	0
14.	पंजाब	3759869	0	0	2289	0	4045231	0
15.	राजस्थान	2519682	0	0	4534	20	5144946	0
16.	तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर)	1201183	0	883967	3900	1260562	5274101	0
17.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	4423834	0	1907886	5228	100	9183970	0
18.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	6613009	0	1340291	5491	70	3858097	0
19.	पश्चिम बंगाल (कोलकाता को छोड़कर)	1232607	0	628882	0	20	2675862	0
20.	कोलकाता #	771790	0	498787	0	0	2113108	0
21.	चेन्नई #	0	0	0	0	0	1386570	0
22.	दिल्ली #	3035326	0	0	7388	0	0	2537769
23.	मुंबई #	1803591	0	443168	2116	983734	0	2782198
	कुल	74213507	1642272	11267660	56583	4482272	78321725	5319967

नोट: बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल लाइसेंस क्षेत्रों के आंकड़ों में क्रमश: झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अंडमान-निकोबार और सिक्किम के टेलीफोन भी शामिल हैं क्योंकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता डाटा केबल लाइसेंस क्षेत्र-वार ही प्रदान करते हैं।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शनों का प्रावधान

1973. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सेल्यूलर फोन की आजीवन वैधता जैसे एककालिक न्यूनतम अभिदान प्रशुल्क पर उपभोक्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) इस समय, भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की उपभोक्ताओं को सेल्यूलर फोन की आजीवन वैधता की तरह एककालिक न्यूनतम अभिदान प्रभार पर टेलीफोन कनेक्शन जारी करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं में सरकारी/निजी भागीदारी

1974. श्री अधीर चौधरी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निजी भागीदारी की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संस्थाओं/संगठनों को क्या भूमिका सौंपी गई है;

(घ) क्या सरकार ने संस्थानों/संगठनों के कार्यों की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के स्तर में सुधार करने हेतु आजीविका अवसर तथा शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 11वीं योजना के दौरान सार्वजनिक निजी क्षेत्र भागीदारी के ढांचे के अन्तर्गत प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) नामक योजना अनुमोदित की है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में संभावित विकास केन्द्र के चारों ओर के क्षेत्रों के सम्पूर्ण एवं त्वरित विकास का प्रस्ताव है। इस समय, ग्रामीण विकास मंत्रालय पुरा परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु निजी क्षेत्र संस्थानों का चयन करने में लगा है। चयनित निजी क्षेत्र संस्थाएं संबंधित पंचायत क्षेत्र में निर्धारित अवसंरचनाओं एवं सुविधाओं के 10 वर्ष में सृजन तथा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगी। पुरा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु शर्तें रियायत समझौते तथा राज्य समर्थित करार में विनिर्दिष्ट की जाएंगी। रियायत समझौता अनुदाता के रूप में ग्राम पंचायत तथा ग्राही के रूप में निजी क्षेत्र डेवलपर के बीच होगा। इसमें न्यूनतम सेवा स्तर मानकों, कार्यनिष्पादन गारंटी आदि का ब्यौरा शामिल होगा। राज्य समर्थित करार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र डेवलपर के बीच होगा।

[अनुवाद]

टी.सी.आई.एल. के हिस्से की बिक्री

1975. श्री रमेश राठौड़:
श्री रूद्रमाधव राय:
श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारती हेक्साकॉम लिमिटेड में टी.सी.आई.एल. के सम्पूर्ण 30 प्रतिशत हिस्से की बिक्री करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने भारती हेक्साकॉम लिमिटेड में टेलीकम्यूनिकेशंस कंसलटेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड के संपूर्ण 30 प्रतिशत स्टेक की बिक्री को सही समय पर सर्वाधिक कीमत हासिल करने हेतु सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया है।

[हिन्दी]

पत्तनों में अवैध अतिक्रमण

1976. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रमुख पत्तनों में भूमि के अवैध अतिक्रमण को नहीं रोके जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इस अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) अवैध अतिक्रमण कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं;

(घ) कितने मामले लंबित है और ये कब से लंबित हैं;

(ङ) क्या इन पत्तनों के अधिकारी तथा उगाही करने वाले मिलकर अतिक्रमण करने वालों से अवैध राशि वसूल करते हैं; और

(च) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सतर्कता शाखा द्वारा मामले की जांच की गई है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) पत्तन भूमि के अतिक्रमण के लिए कई कारण हैं। मुरगांव पत्तन न्यास जैसे कई पत्तनों में, यह अतिक्रमण गोवा की स्वतंत्रता से पूर्व से है। यह अतिक्रमण अपनी जीविका अर्जित करने के लिए मछुआरें समाज द्वारा किया गया है। चेन्नई पत्तन न्यास में, यह अतिक्रमण पत्तन से भूमि बहुत दूर होने के कारण किया गया है। जेएनपीटी में उनके मुख्य शहर से बहुत दूर स्थित होने के फलस्वरूप, अतिक्रमण चाय की दुकानों, दुकानों इत्यादि के लिए चालक और वाहनों के सफाई करने वालों के जल से संबंध रखने वाली जनसंख्या की तुलना में न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है।

(ख) पत्तन अपनी भूमि पर कड़ी नजर रखते हैं और उसके प्रति सतर्क रहते हैं। यदि कोई अतिक्रमण या पत्तन भूमि लिए जाने की सूचना मिलती है तो अतिक्रमण को हटाने की मुहिम के लिए कार्यवाही की जाती है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो स्थानीय पुलिस की सहायता ली जाती है। यहां तक की अतिक्रमणियों के प्रति पुलिस/कानूनी कार्यवाही करने के लिए एफ.आई.आर. भी दर्ज की जाती है। कुछ पत्तनों में और अधिक अतिक्रमण को रोकने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को तैनात किया गया है।

(ग) और (घ) सूचना पत्तनों से एकत्र की जा रही है।

(ङ) ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

(च) अब तक, ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। केन्द्रीय सतर्कता शाखा द्वारा जांच का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

रक्षा खरीद नीति

1977. श्री जगदम्बिका पाल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा खरीद नीति (डी.पी.पी.) 2008 की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो रक्षा खरीद नीति की ऐसी समीक्षा बार-बार किए जाने के क्या कारण हैं और रक्षा खरीद नीति 2010 को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या विदेशी हथियार आपूर्तिकर्ताओं ने डी.पी.पी. में प्रतितुलन खंड तथा अन्य उपबंधों के संबंध में पत्रों के माध्यम से आशंका व्यक्त की है तथा आपत्ति उठाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन मुद्दों पर अपने विचारों को अंतिम रूप दे दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) रक्षा अधिप्राप्ति नीति-2008 (डीपीपी-2008) 1 सितंबर, 2008 को अस्तित्व में आई। इस प्रक्रिया की आवधिक रूप से समीक्षा किए जाने का प्रावधान है। रक्षा अधिप्राप्ति नीति-2008 की पिछली समीक्षा 2009 में की गई थी और कुछ संशोधन लागू किए गए थे जो 1 नवम्बर, 2009 से प्रभावी हो गए। रक्षा अधिप्राप्ति नीति की समीक्षा एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो अधिप्राप्ति प्रक्रिया में विलम्ब को कम करने और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाती है।

(ग) से (च) विदेशी शस्त्र आपूर्तिकर्ता समय-समय पर रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में ऑफसेट खंडों तथा अन्य प्रावधानों के बारे में स्पष्टीकरण मांगते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है और विक्रेताओं को यथापेक्षित स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की लेखापरीक्षा

1978. श्री पी. लिंगम:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्रीमती अन्नू टन्डन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धि का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत परियोजनाओं की सामाजिक एवं वास्तविक लेखापरीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अतंर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन यूनिटों (पी.आई.यू.) द्वारा कार्य आदेस जारी किए जाने की तिथि से नौ महीने की निर्धारित अवधि के अंदर कितनी सड़क परियोजनाएं पूरी की गईं; और

(च) विलम्बित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों की समीक्षा, कार्य निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) के बैठकों, अधिकार-प्राप्त समिति (ईसी) की बैठकों तथा विभिन्न मासिक एवं तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है। सितम्बर 2010 तक की स्थिति के अनुसार पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) कार्यक्रम के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है जिससे पता चलता है कि सैंपल परिवारों की प्रतिव्यक्ति आय, मोटर परिवहन की आवर्तिता, गांव में निजी क्षेत्र के परिवहन वाहनों की संख्या, पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर में कमी, विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति तथा पीएमजीएसवाई सड़कों से जुड़े गांवों में भूमि की कीमतों में काफी सुधार हुआ है।

(ङ) और (च) ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सड़कों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने की केन्द्र सरकार की एक बार की एक विशेष पहल है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण, रखरखाव, स्वामित्व संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। इसलिए, इन सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा इन्हें समय पर पूरा करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। कार्यक्रम दिशानिर्देशों में सड़क परियोजनाओं को मैदानी क्षेत्रों में कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 9 मास में पूरा किए जाने का प्रावधान है जिसे मानसून अथवा अन्य मौसमी घटकों के कारण काम प्रभावित होने की स्थिति में 12 कैलेण्डर मास तक बढ़ाया जा सकता है। पहाड़ी राज्यों जहां कार्य को दो चरणों में कार्यान्वित किया जाता है, के मामले में यह समयावधि प्रत्येक चरण के लिए अलग से लागू होती है। पहाड़ी राज्यों में कार्यों के चरण-1 के संबंध में यह समय-सीमा 18 कैलेण्डर मास है और 25 मीटर लम्बाई से अधिक क्रॉस ड्रेनेज के लिए यह समय-सीमा 18-24 महीने है जो कि स्थल की स्थिति पर निर्भर करती है। राज्य सरकारों की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सड़क परियोजनाओं को कार्यक्रम दिशानिर्देशों में निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाना अपेक्षित है। विलंब के मामले में मानक बोली दस्तावेज के संबंधित प्रावधानों में परिनिर्धारित नुकसानी तथा लगातार विलंब के मामले में करार की समाप्ति की व्यवस्था है। कार्य में अधिक समय लगने के कारण लागत में वृद्धि को संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना होता है।

विवरण

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत एवं सड़कों से जोड़ी गई बसावटें (सितम्बर 2010 तक)

क्र.सं.	राज्य	सितम्बर 2010 तक सड़कों से जोड़ी गई बसावटें	सितम्बर 2010 तक पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों की लम्बाई (किमी. में)*
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1137	18559.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	226	2702.31
3.	असम	5748	8366.20
4.	बिहार (आरडब्ल्यूडी तथा एनईए)	3949	10726.91
5.	छत्तीसगढ़	5723	17668.18
6.	गोवा	2	158.70
7.	गुजरात	2120	6845.87
8.	हरियाणा	1	4127.79
9.	हिमाचल प्रदेश	1827	8967.71
10.	जम्मू और कश्मीर	708	1782.40
11.	झारखंड	2092	5430.78
12.	कर्नाटक	269	12649.94
13.	केरल	349	1106.07
14.	मध्य प्रदेश	9746	40108.60
15.	महाराष्ट्र	995	16684.93
16.	मणिपुर	148	2153.18
17.	मेघालय	139	881.45
18.	मिजोरम	103	1797.46
19.	नागालैंड	80	2582.98
20.	उड़ीसा	5354	16775.10

1	2	3	4
21.	पंजाब	406	4305.48
22.	राजस्थान	10401	46798.70
23.	सिक्किम	138	2283.56
24.	तमिलनाडु	1921	8577.65
25.	त्रिपुरा	997	1618.17
26.	उत्तर प्रदेश	10990	38511.70
27.	उत्तराखंड	475	2987.67
28.	पश्चिम बंगाल	6915	9793.62
	कुल	72959	294952.88

*इसमें नया सड़क सम्पर्क तथा उन्नयन शामिल है।

कामगार कल्याण निधि

1979. श्री एम.के. राघवन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरों के कल्याण के लिए आशयित राशि सरकार के पास जमा नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों से देय राशि सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए उपकर संग्रहित किया जा रहा है:

(1) बीड़ी कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976

(2) लाइमस्टोन और डोलोमाइट खान कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1972

(3) आईओएमसी खान कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976

(4) अभ्रक खान कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1946

(5) सिने कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981

उपकर की राशि जमा न कराने का कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

1980. श्री कैलाश जोशी:
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कितने पनधारा विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) वर्ष 2009-10 के दौरान मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के अंतर्गत हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में कितनी पनधारा विकास परियोजनाओं को पूरा किए जाने का लक्ष्य है;

(ग) क्या लक्ष्यों की तुलना में प्रगति निराशाजनक रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित करता रहा है। ये कार्यक्रम हैं— समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी)। भूमि संसाधन विभाग के इन तीन वाटरशेड कार्यक्रमों को 26.02.2009 से समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित वाटरशेड योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:—

(1) राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए)।

(2) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों (आर.वी.पी. एंड एफ.पी.आर.) के आवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण।

(3) झूम खेती क्षेत्र पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए)।

डीपीएपी, डीडीपी, आईडब्ल्यूडीपी और आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को मुहैया कराई गई केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण-I में दी गई है। डब्ल्यूडीपीआरए, आरवीपी एंड एफपीआर और डब्ल्यूडीपीएससीए के अंतर्गत राज्य-वार वित्तीय प्रगति के संबंध में कृषि एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त सूचना क्रमश: विवरण-II, III और IV पर दी गई है।

(ख) से (घ) वर्ष 2009-10 के दौरान, डीडीपी के अंतर्गत हरियाणा सहित चल रही कुल 1000 वाटरशेड परियोजनाओं को पूरा किए जाने का लक्ष्य था। वर्ष 2009-10 के दौरान 1000 परियोजनाओं के लक्ष्य की तुलना में डीडीपी के अंतर्गत हरियाणा में 89 परियोजनाओं सहित 1703 परियोजनाएं पूरी की गई थीं। राज्य सरकारों से इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु नियमित रूप से कहा जा रहा है।

(ङ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में सूचित किए गए अनुसार, डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी के साथ-साथ डीपीएपी को भी आईडब्ल्यूएमपी नामक एकल संशोधित कार्यक्रम में समेकित किया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान डीपीएपी के अंतर्गत कोई नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गई हैं। इस प्रकार, कोई भी राज्य डीपीएपी के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान वाटरशेड कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी निधियां और स्वीकृत परियोजनाएं

(करोड़ रुपये में)

राज्य	डीपीएपी* जारी की गई निधियां				डीडीपी* जारी की गई निधियां				आईडब्ल्यूडीपी* जारी की गई निधियां				आईडब्ल्यूएमपी 2009-10		
	2007-08	2008-09	2009-10	योग	2007-08	2008-09	2009-10	योग	2007-08	2008-09	2009-10	योग	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	क्षेत्र (लाख है. में)	जारी की गई निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	56.24	55.87	37.38	149.49	28.3	35.02	8.68	72.00	37.13	44.43	34.35	115.91	110	4.73	30.68
बिहार	0.2	0		0.2			0.00	0.00	2	7.32	5.71	15.03			
छत्तीसगढ़	13.92	24.38	20.76	59.06			0.00	0.00	25.75	30.44	13.82	70.01	41	2.09	13.69
गोवा			0.00	0			0.00	0.00	0	0		0.00			
गुजरात	16.34	39.33	51.31	106.98	65.59	75.13	113.63	254.35	23.57	31.87	23.69	79.13	153	7.08	50.23
हरियाणा			0.00	0	28.74	10.26	27.22	66.22	4.45	4.28	3.84	12.57			
हिमाचल प्रदेश	8.35	8.59	4.04	20.98	2.17	6.45	0.00	8.62	27.86	23.48	13.52	64.86	36	2.04	16.51
जम्मू और कश्मीर	0	6.4	3.87	10.27	7.39	2.76	9.45	19.60	5.97	4.55	11.21	21.73			
झारखंड	0	2.9	0.000	2.9			0.00	0.00	2.9	8.41	3.07	14.38	20	1.18	7.64
कर्नाटक	44.46	57.76	54.06	156.28	35.07	49.47	43.79	128.33	22.92	46.2	35.34	104.46	119	4.91	81
केरल			0.00	0			0.00	0.00	2.1	11.46	3.20	16.76			
मध्य प्रदेश	53.16	56.97	47.56	157.69			0.00	0.00	16.47	28.76	28.90	74.13	116	6.71	43.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
महाराष्ट्र	54.21	64.03	79.79	198.03			0.00	0.00	56.97	60.44	37.56	154.97	243	9.96	67.77
उड़ीसा	23.93	25.13	43.29	92.35			0.00	0.00	17.94	33.54	27.45	78.93	65	3.36	21.77
पंजाब				0			0.00	0.00	2.5	3.6	2.90	9.00	6	0.35	2.29
राजस्थान	13.96	18.1	18.71	50.77	98.18	216.87	101.39	416.44	48.45	45.26	22.53	116.24	162	9.26	69.92
तमिलनाडु	32.01	35.49	14.48	81.98			0.00	0.00	27.07	34.6	11.22	72.89	50	2.50	16.17
उत्तर प्रदेश	49.4	39.72	25.11	114.23			0.00	0.00	55.82	70.58	46.38	172.78	66	3.50	22.68
उत्तराखंड	14.62	7.07	4.11	25.8			0.00	0.00	16.67	24.64	7.60	48.91			
पश्चिम बंगाल	2.68	6.57	0.00	9.25			0.00	0.00	2.62	7.14	5.46	15.22			
योग-एनएनई	383.48	448.31	404.47	1236.26	265.44	395.96	304.16	965.56	399.16	521.00	337.75	1257.91	1187	57.67	443.83
पूर्वोत्तर राज्य															
अरुणाचल प्रदेश									15.64	32.27	26.68	74.59	13	0.68	5.45
असम									27.05	38.93	21.52	87.50	57	2.21	32.53
मणिपुर									4.5	11.18	10.97	26.65			
मेघालय									5.47	9.42	15.95	30.84	18	0.30	2.43
मिजोरम									31.29	26.5	36.7	94.49	16	0.62	5.06
नागालैंड									29.64	27.53	7.49	64.66	22	1.06	8.57
सिक्किम									3.86	2.6	8.45	14.91	3	0.15	1.17
त्रिपुरा									0	1.58	0.39	1.97	10	0.30	2.45
योग एन.ई.									117.45	150.01	128.15	395.61	139	5.32	57.66
कुल योग	383.48	448.31	404.47	1236.26	265.44	395.96	304.16	965.56	516.61	671.01	465.9	1653.52	1326	62.99	501.49

टिप्पणी: डीपीएपी को 16 राज्यों, डीडीपी को 7 राज्यों और आईडब्ल्यूडीपी को 28 राज्यों में कार्यान्वित किया जाता है।

*वर्ष 2007-2008 के बाद डीपीएपी, डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत कोई नई परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गई थीं।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान एनडब्ल्यूडीपीआरए की वित्तीय प्रगति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	एनडब्ल्यूडीपीआरए		
		2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	192.50	400.00	74.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	255.00	519.00	1408.65
3.	असम	80.10	300.00	
4.	बिहार	98.14	6.19	220.85
5.	झारखंड	0.00	871.03	823.20
6.	गोवा	290.09	107.79	154.37
7.	गुजरात	1260.00	963.44	1475.73
8.	हरियाणा	313.64	190.73	222.85
9.	हिमाचल प्रदेश	144.30	633.31	399.99
10.	जम्मू और कश्मीर	260.70	543.00	250.52

1	2	3	4	5
11.	कर्नाटक	2175.70	2248.29	1250.55
12.	केरल	947.00	175.70	200.24
13.	मध्य प्रदेश	2345.60	3127.48	2424.83
14.	छत्तीसगढ़	548.40	1198.52	765.60
15.	महाराष्ट्र	1860.41	1867.00	1439.62
16.	मणिपुर	660.00	408.00	409.00
17.	मिजोरम	800.00	1269.75	1321.37
18.	मेघालय	617.00	628.00	1036.00
19.	नागालैण्ड	882.00	900.00	950.00
20.	उड़ीसा	1296.73	972.00	2010.15
21.	पंजाब	488.97	581.30	40.53
22.	राजस्थान	1521.00	688.40	1557.62
23.	सिक्किम	176.20	391.00	565.00
24.	तमिलनाडु	1315.00	551.52	893.07
25.	त्रिपुरा	213.00	409.28	529.00
26.	उत्तर प्रदेश	1794.60	4918.86	4960.72
27.	उत्तराखंड	1256.10	1318.24	1410.01
28.	पश्चिम बंगाल	116.80	404.26	1544.32
	योग	21908.98	26592.09	28338.21

विवरण-III

विगत 3 वर्षों के आरवीपी एंड एफपीआर कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	आरवीपी एंड एफपीआर		
		2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश			
	(i) वन	433.12	339.67	475.71
	(ii) कृषि	318.27	251.79	246.32
	उप-योग (i और ii)	751.39	591.46	722.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	224.04	124.31	184.19
3.	असम	126.95	79.03	143.56
4.	बिहार		61.08	36.84
5.	छत्तीसगढ़	602.67	304.88	305.80
6.	गुजरात			
	(i) वन	283.94	302.43	60.51
	(ii) कृषि	2120.04	2067.49	964.5
	उप-योग (i और ii)	2403.98	2369.92	1025.01
7.	हरियाणा	299.01	296.18	302.88
8.	हिमाचल प्रदेश	1090.13	1098.39	751.08
9.	झारखंड	322.21	167.88	51.51
10.	जम्मू और कश्मीर	383.86	600.52	476.54
11.	कर्नाटक	1353.95	1946.05	1250.00
12.	केरल	242.89	240.82	129.24
13.	मध्य प्रदेश			
	(i) कृषि	1613.18	1586.44	2191.84
	(ii) एनवीडीडी	298.80	666.11	502.70
	उप-योग (i और ii)	1911.98	2252.55	2694.54
14.	महाराष्ट्र	4324.46	3459.99	2456.91
15.	मणिपुर	453.00	430.50	453.00
16.	मेघालय	4.73	39.00	127.46
17.	मिजोरम	563.00	452.77	350.00
18.	नागालैण्ड	300.00	300.00	300.00
19.	उड़ीसा	445.00	476.32	229.30
20.	पंजाब	76.62	70.26	0.36
21.	राजस्थान	2918.95	4185.13	3322.98
22.	सिक्किम	227.88	254.17	245.00
23.	तमिलनाडु	1237.35	1064.13	1487.51

1	2	3	4	5
24.	त्रिपुरा	60.70	81.57	61.47
25.	उत्तर प्रदेश	1201.68	3120.52	2270.00
26.	उत्तराखंड	675.54	386.83	400.00
27.	पश्चिम बंगाल	94.92	86.09	418.11
	डीवीसी	1011.24	1001.43	
	कुल योग	23308.13	25541.78	20195.32
	जे. एंड के. के लिए पीएम पैकेज	1852.97	2148.34	1861.43
	कुल योग	25161.10	27690.12	22056.75

विवरण-IV

डब्ल्यूडीपीएससीए की विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार वित्तीय प्रगति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	डब्ल्यूडीपीएससीए			
		2007-08	2008-09	2009-10	योग
1.	अरुणाचल प्रदेश	350.00	175.00	175.00	700.00
2.	असम	550.00	600.00	700.00	1850.00
3.	मणिपुर	600.00	885.00	755.00	2240.00
4.	मेघालय	752.40	550.00	550.00	1852.40
5.	मिजोरम	550.00	600.00	550.00	1700.00
6.	नागालैण्ड	1050.00	800.00	720.00	2570.00
7.	त्रिपुरा	350.00	350.00	280.00	980.00
	योग	4202.40	3960.00	3730.00	11892.40

[अनुवाद]

लघु उद्योग निर्यातकों को राहत

1981. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु उद्योग निर्यातकों हेतु किसी विशेष राहत पैकेज की आवश्यकता पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सरकार और आरबीआई द्वारा देश में और अंतर्राष्ट्रीय रूप से आर्थिक घटनाक्रमों पर नियमित आधार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और वित्तीय एवं समग्र आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आवश्यकता आधारित उपाय किए जाते हैं। लघु उद्योगों सहित निर्यात क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के रूप में निर्यात निष्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार और सीबीआई द्वारा बजट, 2009-10 तथा 2009-11; विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2009-14 में की गई घोषणाओं; तत्पश्चात् जनवरी/मार्च, 2010 और 23 अगस्त, 2010 को जारी एफटीपीए के वार्षिक पूरक अंक में की गई घोषणाओं सहित प्रोत्साहन पैकेजों के रूप में विभिन्न उपाय किए गए हैं। लघु उद्योग क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए किए गए कुछेक उपायों में शामिल हैं-मुख्यत: विश्वभर में संवर्धित बाजार पहुंच और निर्यात बाजारों के विविधिकरण हेतु बाजार वित्तीय प्रोत्साहन; रियायती निर्यात ऋण, 2% ब्याज छूट; प्रक्रियागत यौक्तिकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन का सुगमीकरण।

अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का लौटाया जाना

1982. श्री खगेन दास:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ जी.एस.एम. ऑपरेटरों को बिना अतिरिक्त भुगतान के 10 मेगाहर्ट्ज तक का स्पेक्ट्रम दिया गया जोकि अनुबंध मूल्य से कहीं अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या जिन नए ऑपरेटरों ने प्रवेश शुल्क का भुगतान कर दिया है, वे अब भी अनुबंध मूल्य के आरंभिक/अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ङ) दूरसंचार विभाग लाइसेंस फीस का भुगतान कर चुके नए ऑपरेटरों को कब तक आरंभिक/अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटित करेगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जिन जीएसएम प्रचालकों को प्रारंभिक स्पेक्ट्रम के अतिरिक्त अधिक स्पेक्ट्रम आबंटित किया गया है उनसे समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के उच्चतर प्रतिशत की दर से वार्षिक स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार लिए जाते हैं। सेवा लाइसेंस करार के अनुसार, प्रारंभिक स्पेक्ट्रम के बाद अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए, समय-समय पर निर्धारित किए गए परियात और उपभोक्ता संबंधी सभी प्रकार के मानदंडों को ध्यान में रखकर, पहले से आबंटित स्पेक्ट्रम का अधिकतम और कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के बाद विचार किया जाता है। पहली अप्रैल, 2010 से पूर्व, प्रचालकों से 4.4. मेगाहट्र्ज से 6.2 मेगाहट्र्ज के बीच आबंटित स्पेक्ट्रम के लिए अतिरिक्त 1% (एजीआर का 3%) की वसूली की जाती है और 6.2 मेगाहट्र्ज से 10 मेगाहट्र्ज के बीच आबंटित स्पेक्ट्रम के लिए अतिरिक्त 1% (एजीआर का 4%) की वसूली की जाती है। पहली अप्रैल 2010 से मौजूदा स्पेक्ट्रम प्रभारों को संशोधित कर दिया गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उस पर रोक लगा दी गई है।

(ख) से (ङ) सभी नए प्रचालकों को, दिल्ली सेवा क्षेत्र को छोड़कर, सभी सेवा क्षेत्रों में 4.4 मेगाहट्र्ज का प्रारंभिक स्पेक्ट्रम आबंटित किया गया है। दिल्ली सेवा क्षेत्र में, पांच नए प्रचालक प्रारंभिक स्पेक्ट्रम के आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ सेवा क्षेत्रों में कुछ नए प्रचालकों ने 1.8 मेगाहट्र्ज के अतिरिक्त स्पेक्ट्रम हेतु आवेदन किया है।

नए प्रचालकों को इस शर्त के अधीन एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) के लाइसेंस दिए गए थे कि स्पेक्ट्रम का आबंटन उसकी उपलब्धता के अध्यधीन किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के बीच दिनांक 22.05.2009 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि रक्षा मंत्रालय द्वारा समयबद्ध रूप से स्पेक्ट्रम छोड़ा जाना और अन्य संबंधित मुद्दों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। रक्षा मंत्रालय द्वारा छोड़े गए स्पेक्ट्रम को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

1983. श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों को श्रमिकों की मांग के अनुसार धनराशि आवंटित की जा रही है क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) मांग आधारित योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को स्वीकृत श्रमिक बजट में अतिरिक्त श्रमिकों की मांग के अनुसार धनराशि जारी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2010-11 हेतु आंध्र प्रदेश को स्वीकृत श्रमिक बजट के अतिरिक्त श्रमिकों की मांग के अनुसार कितनी धनराशि जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित विधान है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिला कार्यक्रम समन्वयक को अपेक्षित श्रम मांग के मद्देनजर अधिनियम की धारा 14(6) के अनुसार जिले के लिए श्रम बजट बनाना होता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकार के साथ परामर्श कर श्रम बजट पर चर्चा करता है और इस पर सहमति देता है। आरंभिक छह माह के लिए पहली किस्त संपूर्ण वित्त वर्ष के दौरान आवश्यक 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा के अध्यधीन वित्त वर्ष के पहले माह में रिलीज की जाती है। शेष निधियां राज्यों की मांग के आधार पर और वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति तथा राज्यों के पास निधियों की उपलब्धता के अनुसार किस्तों में रिलीज की जाती हैं। अब तक की रिलीज अनुमोदित श्रम बजट के भीतर की गई है।

(घ) 18.11.10 की स्थिति के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2010-11 के लिए 6011.42 करोड़ रुपए के अनुमोदित केन्द्रीय अंश की तुलना में आंध्र प्रदेश की राज्य निधि को 3861.34 करोड़ रुपए की केन्द्रीय निधियां रिलीज की गई हैं। निधियों के उपयोग का वास्तविक निष्पादन अनुमोदित श्रम बजट के काफी भीतर है और अनुवर्ती संशोधन के लिए पुनर्विचार उपयुक्त होगा यदि वास्तविक निष्पादन सूचित माह तक माह-वार अनुमानों से अधिक है।

राजस्थान में एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत अनियमितताएं

1984. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के क्रियान्वयन के बारे में 30 पंचायतों में कराई गई लेखापरीक्षा में 6.2 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों की पूरी जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार अन्य राज्यों में भी जांच कराने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (च) राजस्थान राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है।

ग्रामीण आजीविका में सुधार

1985. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एण्ड को-ऑपरेशन (एस.डी.सी.) तथा एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन (ए.एफ.पी.आर.ओ.) ने सामाजिक तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने हेतु सतत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एस.डी.सी., ए.एफ.पी.आर.ओ. भागीदारी को यादगार बनाने के लिए भारत में फिलीपींस के राजदूत ने 'विंग्ड सीड्स' नामक दस्तावेज जारी किया है, जिसमें ''बदलती जलवायु भागीदारी में जल एवं खाद्य सुरक्षा'' विषय पर एक परिचर्चा का हवाला दिया है;

(घ) यदि हां, तो भारत में ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने हेतु एस.डी.सी. तथा ए.एफ.पी.आर.ओ. ने कितनी भागीदारी की है; और

(ङ) यदि हां, तो कौन-कौन सी नई योजनाएं बनाई गई हैं तथा भारत में ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने में ये उपाय कितने उपयोगी रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय सामाजिक तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार करने के लिए स्थायी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एसडीसी) और एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन (एएफपीआरओ) के बीच किसी भागीदारी में शामिल नहीं है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार उन्हें इन एजेंसियों के बीच किसी प्रकार की भागीदारी की जानकारी नहीं है। कृषि मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

महिला श्रमिक

1986. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक क्षेत्रों की महिला श्रमिकों के योगदान तथा उनके योगदान के प्रतिशत के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) पुरुष श्रमिकों के अनुपात में महिला श्रमिकों का राज्य-वार प्रतिशत कितना है तथा इनमें से कुशल तथा अकुशल श्रमिकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महिला श्रमिकों हेतु कोई विशेष कार्य-योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो उनके वेतमान से विसंगतियां दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) देश के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में महिला श्रमिकों के योगदान के संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष 2006-07 के दौरान वार्षिक सर्वेक्षण के अंतर्गत श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा संकलित विनिर्माण उद्योगों में राज्य-वार महिला और पुरुष कामगारों से संबंधित सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) मंत्रालय, एक सहायता-अनुदान योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओज)/स्वैच्छिक संगठनों को महिला श्रमिकों के लाभार्थ कार्रवाई-कार्यक्रमों/परियोजनाओं को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उपबंधों का कारगर प्रवर्तन कर रही है जिनमें पुरुषों एवं महिलाओं को एक ही कार्य अथवा एक ही स्वरूप के कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान पारिश्रमिक के भुगतान की व्यवस्था की गई है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान उद्योगों में नियोजित कामगारों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	सीधे नियोजित		ठेका कामगार	सभी कामगार
		पुरुष	महिला		
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	22220	1060	14656	37936
2.	हिमाचल प्रदेश	35886	4107	12267	52260
3.	पंजाब	268375	8517	125696	402588
4.	चंडीगढ़	6010	199	1471	7679
5.	उत्तराखंड	37675	3056	30384	71115
6.	हरियाणा	171169	8883	151814	331865
7.	दिल्ली	79494	5021	4916	89431
8.	राजस्थान	152251	6656	81419	240326
9.	उत्तर प्रदेश	337239	10337	186217	533794
10.	बिहार	23773	554	30831	55159
11.	नागालैंड	730	80	2406	3216
12.	मणिपुर	1226	578	109	1913
13.	त्रिपुरा	6101	164	12845	19110
14.	मेघालय	2294	89	2396	4779
15.	असम	87847	3840	24313	116000
16.	पश्चिम बंगाल	306801	6382	89912	403095
17.	झारखंड	87440	5648	20343	113430
18.	उड़ीसा	67213	12663	45319	125195
19.	छत्तीसगढ़	65757	3273	36591	105621
20.	मध्य प्रदेश	122070	7013	49071	178154
21.	गुजरात	461156	27156	261284	749597
22.	दमन और दीव	41760	7980	15682	65423
23.	दादरा और नगर हवेली	32184	1804	24519	58507
24.	महाराष्ट्र	590572	72472	342337	1005380

1	2	3	4	5	6
25.	आंध्र प्रदेश	308660	81541	450375	840577
26.	कर्नाटक	266809	196174	88381	551364
27.	गोवा	14182	4295	13498	31976
28.	केरल	87063	167462	43008	297533
29.	तमिलनाडु	669109	486519	191494	1347122
30.	पुडुचेरी	23496	6186	10222	39904
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	166	10	57	233
	अखिल भारत	4376728	1169722	2363832	7880283

दूरसंचार सर्किलों का विलय

1987. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी दूरसंचार सर्किलों (राज्यों) का विलय करने के साथ-साथ रोमिंग शुल्क में कटौती करने का भी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में रूपरेखा तैयार करने के लिए कोई समिति/विशेषज्ञ दल गठित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सेना की खरीद परियोजनाएं

1988. श्री गजानन ध. बाबर: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना की लगभग 100 खरीद परियोजनाएं नौकरशाही की अडंगेबाजी जटिल प्रक्रियाओं तथा पर्याप्त रुचि न लिए जाने के कारण उनमें विलंब हो रहा है और वे विभिन्न चरणों में हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वर्तमान श्रमशक्ति वर्ष में केवल 24 परियोजनाएं चला पाने में सक्षम हैं; और

(घ) यदि हां, तो सशस्त्र सेना के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सेना के लिए रक्षा उपकरणों/हथियार प्रणालियों की अधिप्राप्ति, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। अधिप्राप्ति के कुछ मामलों में विभिन्न कारणों से विलंब हो जाता है जिनमें अपर्याप्त और सीमित विक्रेता आधार, प्रस्तावों का प्रस्ताव हेतु अनुरोध की शर्तों के अनुरूप नहीं होना, फील्ड परीक्षण, संविदा वार्ताओं में जटिलता, सीमित स्वदेशी क्षमता तथा स्वदेशीकरण शुरू करने में अधिक समय लगना, आदि शामिल हैं। अधिप्राप्ति प्रक्रिया के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर प्रणालीगत और संस्थागत विलंबों से निपटने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार लाया जाता है। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए शीघ्रता से अधिप्राप्ति करने हेतु रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया एक प्रभावी ढांचा प्रदान करता है।

रोजगार के अवसरों का सृजन

1989. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार के 58 मिलियन अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान अब तक सृजित रोजगार के अवसरों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा और अधिक अवसरों के सृजन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मौजूदा दैनिक स्थिति के आधार पर 58 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना है।

(ख) रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा अंतिम सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान रोजगार सृजन से संबंधित जानकारी, जुलाई 2009 से जून 2010 में किए गए एनएसएसओ के सर्वेक्षण के 66वें दौर के परिणामों के पश्चात् ज्ञात होगी और यह वर्ष 2011 के अंत तक उपलब्ध होगी।

(ग) सरकार अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त सामान्य विकास प्रक्रिया के माध्यम से और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करके अतिरिक्त रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए सतत प्रयास करती रही है।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन

1990. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी रैंकों के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन राशि में न्यायमूर्ति चंद्रशेखर समिति की सिफारिशों के अनुसार वृद्धि कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो 01.01.1953 से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों को मानद रैंकों से वंचित रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) वरिष्ठ रैंकों के कार्मिकों की तुलना में कनिष्ठ रैंक के कार्मिकों हेतु अधिक पेंशन राशि निर्धारित करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, हां।

(ख) 01.01.1953 से पूर्व सेवानिवृत्त मानद रैंक के किसी भी कार्मिक को किसी भी लाभ से वंचित नहीं रखा गया है।

(ग) मंत्रिमंडल सचिव की समिति की सिफारिशों के संदर्भ में 1.1.2006 से पूर्व के पेंशनरों की संशोधित पेंशन की मात्रा का निर्धारण करते समय यह पाया गया कि रैंक वेटेज के कारण कुछ उच्चतर रैंक वाले अधिकारियों की पेंशन कमतर रैंक वाले अधिकारियों की संशोधित पेंशन से कम है। इस विसंगति को दूर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है जो अंतिम चरण में है।

[अनुवाद]

अत्याधुनिक पोत निर्माण यार्ड

1991. श्री एस. सेम्मलई: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने शिपयार्ड हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इन यार्डों में कितने बड़े कंटेनर पोतों तथा टैंकरों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या सरकार देश में अत्याधुनिक पोत निर्माण यार्डों की स्थापना हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना लागत और स्थान संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी कंटेनर पोत निर्माण की क्षमता कितनी है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) देश में 27 प्रमुख शिपयार्ड हैं, जिनमें से छह, अर्थात् कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि; हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, विशाखापट्टनम; मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई; गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता; और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा, संघ सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है; दो शिपयार्ड, अर्थात् मैसर्स एलकॉक एशडाउन एंड कं.लि., कोलकाता, राज्य सरकारों के अधीन है और 19 गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। पिछले तीन वर्षों में किसी भी सरकारी शिपयार्ड ने बड़े कंटेनर पोतों तथा टैंकरों का निर्माण नहीं किया है।

(ख) और (ग) सरकार ने, पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत एक संयुक्त उपक्रम के रूप में सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति से

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एक नया शिपयार्ड स्थापित किए जाने के प्रति सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। भारतीय नौवहन निगम से नए शिपयार्ड के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। परियोजना लागत और अन्य विवरण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही पता लग सकेंगे।

पोत परिवहन नीति

1992. श्री आधि शंकर: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विदेशी व्यापार में आत्मनिर्भरता बढ़ाने तथा निर्यात-आयात व्यापार में हिस्सेदारों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय पोत परिवहन संवर्धन के लिए भारत की पोत-परिवहन नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): सरकार ने भारतीय टन भार की वृद्धि के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं। जिनमें निम्नलिखित शामिल है:-

(1) भारतीय नौवहन कंपनियों को उनके वैश्विक हिस्सों सहित समानांतर बनाने के क्रम में, सरकार ने वर्ष 2004 से भारत में टनभार कर अधिग्रहण व्यवस्था आरंभ कर दी है, इसके अलावा, पोत अधिग्रहण के संबंध में उदारवादी नीति आरंभ कर दी है तथा सभी प्रकार के पोतों की खरीद को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत लाया गया है। इसके अलावा, पोत अधिग्रहण में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है और नए खरीदे गए पोतों के पंजीकरण की औपचारिकता को आसान बना दिया गया है।

(2) भारत सरकार ने राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम तैयार किया है। यह व्यापक कार्यक्रम इस आशय से है कि भारतीय पोत परिवहन उद्योग में समग्र रूप से बढ़ोतरी लाने की दृष्टि से विभिन्न मुद्दों का समाधान निकाला जाए। राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र नौवहन कंपनी, भारतीय नौवहन निगम, वर्ष 2015 तक चरणों में पूरा किए जाने हेतु लगभग 15,000 करोड़ रुपए के कुल परिकल्प से युक्त कुल 76 नए जलयान खरीद रही है। इनमें से 22 पोत पहले ही सुपुर्द कर दिए गए हैं और अन्य 30 जलयानों का निर्माण किए जाने हेतु आदेश दे दिए गए हैं।

'रिफयूलर' विमान की खरीद

1993. डॉ. पदमसिंह बाजीराव पाटील: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय वायु सेना के पास इस समय कितने मिड-एयर रिफयूलर विमान हैं;

(ख) क्या भारतीय वायु सेना को अपने बेड़े में ऐसे छह और विमानों की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है तथा इस आवश्यकता को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में पहले जारी प्रस्ताव/अनुरोध (आरएफपी) को रद्द किए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) भारतीय वायु सेना की वायुयान संबंधी आवश्यकता की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी संक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। भारतीय वायुसेना के लिए छह नये हवा में ईंधन भरने वाले विमानों की अधिप्राप्ति हेतु 16 सितंबर, 2010 को एक नया प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी किया गया था। इस प्रस्ताव पर रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 2008 के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में बहु-विक्रेता मामलों में प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी कर देने की तारीख से संविदा पर हस्ताक्षर करने तक ढाई वर्ष तक की समय-सीमा परिकल्पित है।

(घ) छह हवा में ईंधन भरने वाले विमानों की अधिप्राप्ति हेतु पहले प्रस्ताव पर रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 2006 के अनुसार कार्रवाई की गई थी और उसके बाद इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया था जिन्होंने बोलियों की प्रतिस्पर्धात्मकता एवं कीमत के औचित्य संबंधी कतिपय आस्तियां व्यक्त की थीं। इसलिए, प्रस्ताव हेतु अनुरोध को वापस लेने और नये प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी कर देने का निर्णय लिया गया।

निजी क्षेत्र हेतु ईएसआई योजना

1994. श्री राजू शेट्टी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी शिक्षा एवं चिकित्सा संगठनों के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के दायरे में लाने के बारे में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कितने कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों को भी इसके दायरे में लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 दस अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखाने पर लागू होता है। समुचित सरकारें इसके दायरे का अन्य प्रतिष्ठानों अथवा प्रतिष्ठानों की श्रेणियों तक विस्तार करने के लिए अधिकार प्राप्त हैं। सक्षमता प्रदान करने वाले इस उपबंध के अंतर्गत राज्य सरकारें ने पहले ही कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का विस्तार 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले दुकानों, होटलों तथा रेस्तराओं, पूर्वावलोकन थियेटरों सहित सिनेमा घरों, सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों तथा समाचार पत्र प्रतिष्ठानों तक किया है। वर्ष 2005 में, कराबी निगम ने इस योजना के अंतर्गत कवरेज का विस्तार शैक्षणिक तथा निजी चिकित्सा संस्थानों तक करने का निर्णय लिया था और सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया था कि इस आशय की अधिसूचना जारी करें। अब तक 13 राज्य सरकारों ने इस उपबंध को शैक्षणिक संस्थानों पर लागू कर दिया है और 12 राज्य सरकारों ने इसका विस्तार निजी चिकित्सा संस्थानों तक कर दिया है।

(ख) शैक्षणिक/चिकित्सा संस्थानों के कवरेज से संबंधित अलग से आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया जाता है। तथापि, 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार योजना में देश के 787 औद्योगिक केन्द्रों के 1.43 करोड़ बीमित व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिसमें शैक्षणिक तथा चिकित्सा संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बासमती चावल का भौगोलिक संकेत

1995. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भौगोलिक संकेत (जीआई) रजिस्ट्री के अंतर्गत अब तक कौन-कौन से उत्पाद सम्मिलित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में 'कांचीपुरम सिल्क साड़ियों' तथा मध्य प्रदेश में उत्पादित बासमती चावल को जीआई रजिस्ट्री के अंतर्गत सम्मिलित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जीआई टैग वाले उत्पादों के अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत अब तक 146 उत्पाद पंजीकृत किए गए हैं। पंजीकृत भौगोलिक सूचकों की सूची संलग्न विवरण पर है।

(ख) और (ग) कांचीपुरम सिल्क को भौगोलिक सूचक के रूप में पंजीकृत किया गया है भौगोलिक सूचक रजिस्ट्री को मध्य प्रदेश में उत्पादित बामसती चावल के पंजीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं मिला है।

(घ) से (च) सरकार भौगोलिक सूचक के स्वामियों में अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा प्राधिकृत प्रयोक्ताओं का पंजीकरण बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है।

विवरण

भौगोलिक उपदर्शन के आवेदन के पंजीकरण के विवरण 2003—16 नवम्बर, 2010

क्र.सं.	आवेदन पत्र सं.	भौगोलिक उपदर्शन	वस्तुएं [माल का भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 के अनुच्छेद 2 (छ) के अनुसार]	राज्य
1	2	3	4	5
		अप्रैल 2004 से मार्च 2005 तक		
1.	1 और 2	दार्जीलिंग चाय (शब्द और लोगो)	कृषि	पश्चिम बंगाल
2.	3	अरनमुला कनडी	हस्तशिल्प	केरल
3.	4	पोचमपल्ली इकाट	हस्तशिल्प	आंध्र प्रदेश

1	2	3	4	5
		अप्रैल 2005 से मार्च 2006 तक		
4.	5	सलेम फैब्रिक	हस्तशिल्प	तमिलनाडु
5.	7	चंदेरी फैब्रिक	हस्तशिल्प	मध्य प्रदेश
6.	8	शोलापुर चद्दर	हस्तशिल्प	महाराष्ट्र
7.	9	शोलापुर टेरीटाअल	हस्तशिल्प	महाराष्ट्र
8.	10	कोटपेड हैंडलूम फैब्रिक	हस्तशिल्प	उड़ीसा
9.	11	मैसूर सिल्क	हस्तशिल्प	कर्नाटक
10.	12	कोटाडोरिया	हस्तशिल्प	राजस्थान
11.	13 और 18	मैसूर अगरबत्ती	विनिर्मित	कर्नाटक
12.	15	कांचीपूरम सिल्क	हस्तशिल्प	तमिलनाडु
13.	16	भवानी जमाक्कल	हस्तशिल्प	तमिलनाडु
14.	19	कुल्लु शॉल	हस्तशिल्प	हिमाचल प्रदेश
15.	20	बीद्री वेयर	हस्तशिल्प	कर्नाटक
16.	21	मदुरै सुंगुदी	हस्तशिल्प	तमिलनाडु
17.	22	उड़ीसा एकाट	हस्तशिल्प	उड़ीसा
18.	23	चन्नापटना टाइज एंड डाल्स	हस्तशिल्प	कर्नाटक
19.	24	मैसूर रोजवुड इन्ले	हस्तशिल्प	कर्नाटक
20.	25	कांगड़ा चाय	कृषि	हिमाचल प्रदेश
21.	26	कोयम्बटूर वेटग्राइंडर	विनिर्मित	तमिलनाडु
22.	28	श्रीकलास्टी कंलककारी	हस्तशिल्प	आंध्र प्रदेश
23.	29	मैसूर सन्दलवुड ऑयल	विनिर्मित	कर्नाटक
24.	30	मैसूर सन्दल सोप	विनिर्मित	कर्नाटक
25.	31	कसूटी एम्ब्रॉयडरी	हस्तशिल्प	कर्नाटक
26.	32	मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग्स	हस्तशिल्प	कर्नाटक
27.	33	कूर्क ओरंज	कृषि	कर्नाटक
		अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक		
28.	34	मैसूर बीटल लीफ	कृषि	कर्नाटक
29.	35	नंजनागुडु बनाना	कृषि	कर्नाटक
30.	37	मधुबनी पेंटिंग्स	हस्तशिल्प	बिहार

1	2	3	4	5
		अप्रैल 2007 से मार्च 2008 तक		
31.	44	कोंडापल्ली बोमाल्लु	हस्तशिल्प	आंध्र प्रदेश
32.	47	तंजावुर पेंटिंग्स	हस्तशिल्प	तमिलनाडु
33.	53	सिल्वर फिलिग्री ऑफ करीमनगर	हस्तशिल्प	आंध्र प्रदेश
34.	54	एलेप्पी कॉयर	हस्तशिल्प	केरल
35.	55	मूंगा सिल्क	हस्तशिल्प	असम
36.	65	टेम्पल ज्वैलरी ऑफ नागरकोइल	हस्तशिल्प	तमिलनाडु
37.	69	मैसूर जास्मिन	कृषि	कर्नाटक
38.	70	उडुप्पी जास्मिन	कृषि	कर्नाटक
39.	71	हडागली जास्मिन	कृषि	कर्नाटक
40.	17	नवारा राइस	कृषि	केरल
41.	36	पलाक्कडन मट्टा राइस	कृषि	केरल
42.	63	तंजावुर आर्ट प्लेट	हस्तशिल्प	तमिलनाडु
43.	76	इक्कल साड़ीज	हस्तशिल्प	कर्नाटक
44.	73	एप्लिक-खटवा पेचवर्क ऑफ बिहार	हस्तशिल्प	बिहार
45.	74	सुजिनी एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बिहार	हस्तशिल्प	बिहार
46.	75	सिक्की ग्राम वर्क ऑफ बिहार	हस्तशिल्प	बिहार
47.	49 और 56	मालाबार पीपर	कृषि	केरल
48.	50	इलाहाबाद सुरखा	कृषि	उत्तर प्रदेश
49.	52	नक्शी कंथा	हस्तशिल्प	पश्चिम बंगाल
50.	60	गंजीफा काड्र्स ऑफ मैसूर (कर्नाटक)	हस्तशिल्प	कर्नाटक
51.	61	नवलगुंड ड्यूरीज	हस्तशिल्प	कर्नाटक
52.	62	कर्नाटका ब्रोंज वेयर	हस्तशिल्प	कर्नाटक
53.	77	मोलाकलमुक साड़ीज	हस्तशिल्प	कर्नाटक
54.	85	मॉन्सूंड मालाबार अरेबिका कॉफी	कृषि	कर्नाटक
55.	114	मॉन्सूंड मालाबार रॉबुस्ता कॉफी	कृषि	कर्नाटक
56.	72	स्पाइसेज-एलेप्पी ग्रीन कार्डमॉम	कृषि	केरल
57.	78	कूर्ग ग्रीन कार्डमॉम	कृषि	कर्नाटक

1	2	3	4	5
58.	95	ई.आई. लेदर	विनिर्मित	तमिलनाडु
59.	94	सलेम सिल्क नॉन एज सलेम वेनपट्टु	हस्तशिल्प	तमिलनाडु
60.	93	कोवई कोश कॉटन	हस्तशिल्प	तमिलनाडु
61.	92	अरनी सिल्क	हस्तशिल्प	तमिलनाडु
		अप्रैल 2008 से मार्च 2009 तक		
62.	83	बस्तर धोकरा	हस्तशिल्प	छत्तीसगढ़
63.	84	बस्तर वूडन क्राफ्ट	हस्तशिल्प	छत्तीसगढ़
64.	91	निर्मल टॉयल एण्ड क्राफ्ट	हस्तशिल्प	आंध्र प्रदेश
65.	59	मदालम ऑफ पलक्कड़	हस्तशिल्प	केरल
66.	58	स्क्रू पाइन क्राफ्ट ऑफ केरला	हस्तशिल्प	केरल
67.	64	स्वामीमलाई ब्रोंज आइकॅन्स	हस्तशिल्प	तमिलनाडु
68.	82	बस्तर आयरन क्राफ्ट	हस्तशिल्प	छत्तीसगढ़
69.	87	कोणार्क स्टोन कार्विंग	हस्तशिल्प	उड़ीसा
70.	88	उड़ीसा पट्टचित्रा	हस्तशिल्प	उड़ीसा
71.	90	मछलीपट्टनम कलमकारी	हस्तशिल्प	आंध्र प्रदेश
72.	110	ऑस्थोमोजी टॉल कोकोनट	कृषि	तमिलनाडु
73.	57	ब्रास ब्रॉयडर्ड कोकोनट शेल क्राफ्ट्स ऑफ केरला	हस्तशिल्प	केरल
74.	66	ब्ल्यू पॉटरी ऑफ जयपुर	हस्तशिल्प	राजस्थान
75.	67	मोलेला क्ले वर्क	हस्तशिल्प	राजस्थान
76.	68	कठपुतली ऑफ राजस्थान	हस्तशिल्प	राजस्थान
77.	97	लेदर टॉयज ऑफ इन्दौर	हस्तशिल्प	मध्य प्रदेश
78.	98	बाघ प्रिंट्स ऑफ मध्य प्रदेश	हस्तशिल्प	मध्य प्रदेश
79.	100	संखेड़ा फर्नीचर	हस्तशिल्प	गुजरात
80.	101	अगेट्स ऑफ केम्बे	हस्तशिल्प	गुजरात
81.	102	बेल मेटल वेयर ऑफ दलिया एण्ड टीकमगढ़	हस्तशिल्प	मध्य प्रदेश
82.	103	कच्छ एम्ब्रॉयडरी	हस्तशिल्प	गुजरात
83.	51	कनी शॉल	हस्तशिल्प	जम्मू और कश्मीर
84.	79	चम्बा रूमाल	हस्तशिल्प	हिमाचल प्रदेश

1	2	3	4	5
85.	80	धारवाड़ पेढ़ा	खाद्य वस्तु	कर्नाटक
86.	81	पोकली राइस	कृषि	केरल
87.	86 और 108	पीपली एप्लिक वर्क	हस्तशिल्प	उड़ीसा
88.	89	बुदिती बेल एण्ड ब्रास क्राफ्ट	हस्तशिल्प	आंध्र प्रदेश
89.	96	तंजावुर डॉल	हस्तशिल्प	तमिलनाडु
90.	104	शान्तिनिकेतन लैदर गुड्स	हस्तशिल्प	पश्चिम बंगाल
91.	105	निर्मल फर्नीचर	हस्तशिल्प	आंध्र प्रदेश
92.	106	निर्मल पेंटिंग्स	हस्तशिल्प	आंध्र प्रदेश
93.	107	आंध्र प्रदेश लैदर पपेट्री	हस्तशिल्प	आंध्र प्रदेश
94.	111	लक्ष्मण भोग मेंगो	कृषि	पश्चिम बंगाल
95.	112	खिरससी (हिमसागर) मेंगो	कृषि	पश्चिम बंगाल
96.	113	फजली मेंगो ग्रोन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ माल्दा	कृषि	पश्चिम बंगाल
97.	46	कश्मीर पश्मीना	हस्तशिल्प	जम्मू और कश्मीर
98.	48	कश्मीर सोजानी क्राफ्ट	हस्तशिल्प	जम्मू और कश्मीर
99.	109	नगा मिर्चा	कृषि	नागालैंड
100.	116 और 117	नीलगिरी (ऑर्थोडॉक्स) लोगो	कृषि	तमिलनाडु
101.	115 और 118	असम (ऑर्थोडॉक्स) लोगो	कृषि	असम
102.	119	लखनऊ चिकन क्राफ्ट	हस्तशिल्प	उत्तर प्रदेश
103.	124	वीरूपक्षी हिल बनाना	कृषि	तमिलनाडु
104.	126	सिरूमलाई हिल बनाना	कृषि	तमिलनाडु
105.	120	फेनी	विनिर्मित	गोवा
106.	122	उप्याडा जामदानी साड़ीज	हस्तशिल्प	आंध्र प्रदेश
		अप्रैल 2009–मार्च 2010 तक		
107.	121	तिरूपति लड्डू	खाद्य वस्तु	आंध्र प्रदेश
108.	125	मेंगो मलीहाबादी दशहरी	कृषि	उत्तर प्रदेश
109.	128	पुनेरी पगड़ी	हस्तशिल्प	महाराष्ट्र
110.	99	बनारस ब्रोकेड्स एण्ड साड़ीज	हस्तशिल्प	उत्तर प्रदेश
111.	127	तंगलिया शॉल	हस्तशिल्प	गुजरात

1	2	3	4	5
112.	130 और 141	वजाकुलम पाइनेपल	कृषि	केरल
113.	131	देवनहाली पोमेलो	कृषि	कर्नाटक
114.	132	एपीमिडी मेंगो	कृषि	कर्नाटक
115.	133	कमलापुर रेड बनाना	कृषि	कर्नाटक
116.	138	शान्तिपुर साड़ी	हस्तशिल्प	पश्चिम बंगाल
117.	144	कन्नानोर होम फर्नीशिंग	हस्तशिल्प	केरल
118.	43	पेरूविअन पिस्को	विनिर्मित	पेरू
119.	147	सांगानेरी हेंड ब्लॉक प्रिंटिंग	हस्तशिल्प	राजस्थान
120.	152	बल्लारपुरम साड़ीज एण्ड फाइन कॉटन फेब्रिक्स	हस्तशिल्प	केरल
		अप्रैल 2010 से आज तक		
121.	142	बीकानेरी भुजिया	कृषि	राजस्थान
122.	143	गुंटूर सन्नम चिली	कृषि	आंध्र प्रदेश
123.	123	नासिक वेली वाइन	विनिर्मित	महाराष्ट्र
124.	137	गढ़वाल साड़ीज	हस्तशिल्प	आंध्र प्रदेश
125.	149	किन्नौरी शॉल	हस्तशिल्प	हिमाचल प्रदेश
126.	170	कसरागोड साड़ीज	हस्तशिल्प	केरल
127.	179	कुथमपुली साड़ीज	हस्तशिल्प	केरल
128.	134	संदूर लम्बानी एम्ब्रॉयडरी	हस्तशिल्प	कर्नाटक
129.	148	हेंडमेड कारपेट ऑफ भदोई	हस्तशिल्प	उत्तर प्रदेश
130.	150	पैथानी साड़ीज एण्ड फेब्रिक्स	हस्तशिल्प	महाराष्ट्र
131.	154	महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी	कृषि	महाराष्ट्र
132.	193	हैदराबाद हलीम	खाद्य वस्तु	आंध्र प्रदेश
133.	140	शेम्पेन	विनिर्मित	फ्रांस
134.	146	नापा वैली	विनिर्मित	यूएसए
135.	163	सेंटर त्रावणकोर जग्गेरी	कृषि	केरल
136.	172	चम्पा सिल्क साड़ी एण्ड फेब्रिक्स	हस्तशिल्प	छत्तीसगढ़
137.	186	वेयानाद गंधकशाला राइस	कृषि	केरल
138.	187	वेयानाद गंधकशाला राइस	कृषि	केरल

1	2	3	4	5
139.	191	कोटा डोरिया (लोगो)	हस्तशिल्प	राजस्थान
140.	165	नासिक ग्रेप्स	कृषि	महाराष्ट्र
141.	171	सूरत जरी क्राफ्ट	हस्तशिल्प	गुजरात
142.	190	चेरियल पेंटिंग्स	हस्तशिल्प	आंध्र प्रदेश
143.	194	पेम्बार्थी मेटल क्राफ्ट	हस्तशिल्प	आंध्र प्रदेश
144.	6	पय्यानुर पवित्रा रिंग	हस्तशिल्प	केरल
145.	27	फुल्कारी	हस्तशिल्प	पंजाब हरियाणा और राजस्थान
146.	137	खंडुआ साड़ी एण्ड फेब्रिक्स	हस्तशिल्प	उड़ीसा

निजी एजेंसियों द्वारा स्वच्छता कार्य

1996. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़े शहरों तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों में स्वच्छता कार्य हेतु निजी एजेंसियों को लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों में लगे कामगारों तथा सफाई कर्मचारियों को पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाएं मिल रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा किन-किन एजेंसियों को दोषी पाया गया;

(घ) सरकार द्वारा उक्त एजेंसियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) कार्रवाई किए जाने का क्या परिणाम निकला?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) सरकारी संगठनों ने शहरों तथा भारत सरकार के कार्यालयों में स्वच्छता कार्यों में निजी एजेंसियों को लगाया है।

(ख) उक्त कार्यों में संलग्न सफाई कर्मचारी सामान्यत: केन्द्रीय परिधि के प्रतिष्ठानों में सांविधिक उपबंधों के अनुसार उचित मजदूरी तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। मुख्य श्रमायुक्त (के.) के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा प्रवर्तित किए जाने वाले विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित निरीक्षक अनुपालन की सीमा की जांच के लिए निरीक्षण करते हैं। जब कभी न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किए जाने का मामला सामने आता है अथवा इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) सफाई कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों सहित केन्द्रीय परिधि में अपर्याप्त मजदूरी के भुगतान संबंधी कुल 85 शिकायतें प्राप्त हुईं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय परिधि में सफाई कर्मचारियों सहित संबंधित अधिनियमों के कथित उल्लंघन के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय परिधि में आने वाले प्रतिष्ठानों में प्रवर्तन का विवरण (आंकड़ों में सफाई कर्मचारियों के मामले भी शामिल हैं)

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	6843	6925	9428
2.	अभियोजनों की संख्या	3675	3575	5181

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	14039	15671	14720
2.	अभियोजनों की संख्या	5716	4631	4382

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10
1.	किए गए निरीक्षणों की संख्या	3654	3791	3340
2.	अभियोजनों की संख्या	664	800	685

[अनुवाद]

मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एमजीएनआरईजीएस का भुगतान

1997. श्रीमती अन्नू टन्डन:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) का भुगतान मोबाइल बैंकिंग सेवाओं तथा विशिष्ट पहचान पत्र (यूआईसी) के माध्यम से करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने बैंक शाखाओं तथा डाकघरों को पारिश्रमिक के हस्तांतरण का क्रियान्वयन करना आरंभ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के लाभार्थियों हेतु डाकघरों तथा बैंकों में खाता खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है, जिससे कि मजदूर सीधे ही अपने खातों में पारिश्रमिक जमा कर सकें?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) महात्मा गांधी नरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए यूआईसी की जरूरत नहीं होती है। तथापि, अधिनियम के तहत मजदूरी के भुगतान के लिए बिजनेस करेस्पान्डेंट मॉडल पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) दिनांक 19.2.2009 की अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची-1 के पैरा 31 में संशोधन करके महात्मा गांधी नरेगा के कामगारों को उनके बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किए जाने को अनिवार्य बना दिया गया है। अब तक 9.37 करोड़ खाते खोले गए हैं।

(ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बैंक में खाता खोलने के लिए मनरेगा जॉबकार्ड को वैध दस्तावेज मानने के लिए उस पर राज्य सरकार अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाने के अनुदेश जारी किए हैं। कामगारों के खाते उचंत खाते नहीं हैं।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एमजीएनआरईजीएस परियोजनाएं

1998. डॉ. एम. तम्बिदुरई: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एमजीएनआरईजीएस के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नक्सल प्रभावित सभी राज्यों को कोई निदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन राज्यों ने निर्देशों को क्रियान्वित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त राज्यों में राज्य-वार कितनी परियोजनाएं आरंभ की गई तथा इन परियोजनाओं पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) जी, हां। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा के और अधिक सार्थक रूप से कार्यान्वयन के लिए 27.10.2009 को निर्देश जारी किए गए हैं। राज्यों को ग्रामीण परिवारों में जागरूकता उत्पन्न करने संबंधी अभियान को तेज करने, जॉब कार्ड जारी करने, पर्याप्त संख्या में कार्यों को कार्यान्वित करने तथा मजदूरी के समय पर भुगतान के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों का विवरण नरेगा वेबसाइट www.nrega.nic.in पर उपलब्ध है।

(ङ) विभिन्न राज्यों के नक्सल प्रभावित जिलों में शुरू किए गए कुल कार्यों तथा किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	नक्सल प्रभावित जिले	कुल व्यय (लाख में)			शुरू किए गए कार्य		
			2008-09	2009-10	2010-11 सितम्बर, 2010 तक	2008-09	2009-10	2010-11 सितम्बर, 2010 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	खमाम	19066.1	21819.0	12614.5	57077	72207	79439
1.	**आंध्र प्रदेश के एलडब्ल्यूई प्रभावित कुल जिले**		**19066.1**	**21819.0**	**12614.5**	**57077**	**72207**	**79439**
2.	बिहार	औरंगाबाद	4053.3	5880.0	966.1	6252	6193	6777
3.	बिहार	गया	3471.4	3786.9	161.2	4832	5051	5573
4.	बिहार	जमूई	3267.7	3379.8	970.7	2885	2333	3903
5.	बिहार	जहानाबाद	2633.0	2568.9	0.3	2454	3253	1667
6.	बिहार	रोहतास	2525.9	3119.1	1487.2	3143	3257	5039
7.	बिहार	अरवल	1366.6	1209.2	2.8	538	704	320
2.	**बिहार के एलडब्ल्यूई प्रभावित कुल जिले**		**17317.8**	**19943.8**	**3588.3**	**20104**	**20791**	**23279**
8.	छत्तीसगढ़	बस्तर	8067.3	4854.7	2139.4	4462	3754	9555
9.	छत्तीसगढ़	दंतेवाडा	4221.0	3467.8	942.1	2373	3261	4747
10.	छत्तीसगढ़	कांकेर	5585.5	5281.2	3770.6	3283	2806	5626
11.	छत्तीसगढ़	राजानंदागांव	14585.1	12372.2	11814.8	17245	12792	50228
12.	छत्तीसगढ़	सरगुजा	18499.8	14809.5	4298.0	12940	12827	19142
13.	छत्तीसगढ़	बीजापुर	–	–	135.7	–	–	1510
14.	छत्तीसगढ़	नारायणपुर	–	–	129.8	–	–	517
3.	**छत्तीसगढ़ के एलडब्ल्यूई प्रभावित कुल जिले**		**50958.6**	**40785.4**	**23230.3**	**40303**	**35440**	**91325**
15.	झारखंड	बोकारो	3624.7	3732.4	1985.9	6119	4606	7308
16.	झारखंड	चतरा	8490.6	7644.1	1964.2	7635	8882	12048
17.	झारखंड	गढ़वा	7159.7	5336.0	2623.4	4774	5293	8326
18.	झारखंड	गुमला	7472.9	5289.0	1935.8	17943	8649	19251
19.	झारखंड	हजारीबाग	6035.9	6216.5	2205.0	4039	4503	8689
20.	झारखंड	लातेहर	5830.5	4949.0	2192.7	4659	6457	11655
21.	झारखंड	लोहारदगा	2879.9	2904.3	1156.0	4810	5849	7872

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	झारखंड	पलामू	6681.7	5558.8	2201.7	6503	6360	8444
23.	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	10551.4	10108.7	2593.4	8480	8954	11227
24.	झारखंड	पूर्व सिंहभूम	7115.2	6534.8	2813.4	4748	6676	7849
25.	झारखंड	रामगढ़	2830.1	2861.7	745.7	892	1583	3621
4.	**झारखंड के एलडब्ल्यूई प्रभावित कुल जिले**		**68672.5**	**61135.3**	**22417.3**	**70602**	**67812**	**106290**
26.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	17979.9	18250.4	6159.0	15182	12406	30081
5.	**मध्य प्रदेश के एलडब्ल्यूई प्रभावित कुल जिले**		**17979.9**	**18250.4**	**6159.0**	**15182**	**12406**	**30081**
27.	महाराष्ट्र	गड़चिरौली	2338.8	2594.9	1618.2	1718	1823	4056
28.	महाराष्ट्र	गोंदिया	2000.5	2464.4	1726.7	1876	1789	6128
6.	**महाराष्ट्र के एलडब्ल्यूई प्रभावित कुल जिले**		**4339.3**	**5059.3**	**3344.9**	**3594**	**3612**	**10184**
29.	उड़ीसा	देवगढ़	1089.7	1162.2	285.0	2640	2921	3085
30.	उड़ीसा	गजापट्टी	2502.7	3503.4	1323.9	4843	5956	7226
31.	उड़ीसा	मलकनगिरी	2087.5	2010.4	1042.2	3192	4636	5078
32.	उड़ीसा	रायगढ़	4486.1	4672.4	3098.4	7698	10202	12883
33.	उड़ीसा	संबलपुर	2168.0	2325.2	2495.0	3660	6198	7965
7.	**उड़ीसा के एलडब्ल्यूई प्रभावित कुल जिले**		**12334.0**	**13673.6**	**8244.4**	**22033**	**29913**	**36237**
34.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	17242.6	25044.7	7132.2	4543	3838	11952
8.	**उत्तर प्रदेश के एलडब्ल्यूई प्रभावित कुल जिले**		**17242.6**	**25044.7**	**7132.2**	**4543**	**3838**	**11952**
35.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मेदिनीपुर	10600.7	23397.7	11556.2	13865	29347	40137
9.	**पश्चिम बंगाल के एलडब्ल्यूई प्रभावित कुल जिले**		**10600.7**	**23397.7**	**11556.2**	**13865**	**29347**	**40137**
	एलडब्ल्यूई कुल जिले		**218511.5**	**229109.3**	**98287.0**	**247303**	**275366**	**428924**

आईटीआई का वित्तपोषण

1999. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में वित्तपोषण पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ख) आईटीआई में केन्द्र तथा राज्यों के वित्तपोषण का अनुपात कितना है; और

(ग) आईटीआई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राज्य सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण के अधीन स्थापित किए जाते हैं। केन्द्र सरकार उनके दैनंदिन संचालन हेतु निधियां प्रदान नहीं करती है और इस प्रकार राज्य सरकार अपनी स्वयं की निधियां प्रदान करती है। तथापि, उनके सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा विशिष्ट केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (सीएसएस) के तहत निधियां प्रदान की जाती हैं।

चल रही योजनाओं हेतु, जहां निधियां सीधे ही राज्य सरकारों को जारी की जाती हैं, वित्तपोषण प्रतिरूप 75:25 के अनुपात में है अर्थात् 75% केन्द्र सरकार का अंशदान है तथा शेष 25% राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है परंतु पूर्वोत्तर राज्यों का वित्तपोषण 90:10 के अनुपात में है।

जिस योजना में निधियां सीधे ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को जारी की जाती हैं, उसमें वित्तपोषण प्रतिरूप 100% केन्द्र सरकार के माध्यम से है तथा यह 2.5 करोड़ रु. का ब्याज मुक्त ऋण है जिसे 10 वर्षों के अधिस्थगन काल के साथ 30 वर्षों में लौटाया जाना है।

(ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	शामिल किए गए आईटीआईज की संख्या जहां सीएसएस के तहत वित्तपोषण प्रतिरूप 75:25 है (90:10 पूर्वोत्तर राज्यों हेतु)	शामिल किए गए आईटीआईज की संख्या जहां वित्तपोषण प्रतिरूप 100% है परंतु ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान किया जा रहा है
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	01	00
2.	आंध्र प्रदेश	30	61
3.	अरुणाचल प्रदेश	01	04
4.	असम	07	20
5.	बिहार	10	20
6.	चंडीगढ़	01	01
7.	छत्तीसगढ़	22	61
8.	दादरा और नगर हवेली	00	01
9.	दमन और दीव	01	00
10.	दिल्ली	04	11
11.	गोवा	09	01
12.	गुजरात	37	105
13.	हरियाणा	21	60
14.	हिमाचल प्रदेश	14	43
15.	जम्मू और कश्मीर	10	29
16.	झारखंड	04	10
17.	कर्नाटक	36	102
18.	केरल	12	24
19.	लक्षद्वीप	01	00
20.	मध्य प्रदेश	36	112
21.	महाराष्ट्र	99	266
22.	मणिपुर	02	02
23.	मेघालय	01	02
24.	मिजोरम	01	02
25.	नागालैंड	01	05
26.	उड़ीसा	11	15
27.	पुडुचेरी	02	04
28.	पंजाब	35	73
29.	राजस्थान	15	113
30.	सिक्किम	01	00
31.	तमिलनाडु	22	36
32.	त्रिपुरा	01	07
33.	उत्तर प्रदेश	26	134
34.	उत्तराखंड	13	42
35.	पश्चिम बंगाल	13	30
	कुल	500	1396

केरल में एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत नई मदें शामिल करना

2000. श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल रोजगार गारंटी परिषद से इस आशय का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि 14 नई कार्य मदों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), 2005 की अनुसूची 1 पैरा (1) में शामिल किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय को केरल राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें महात्मा गांधी एनआरईजी अधिनियम की अनुसूची-1 के पैरा (1) में नए कार्यों को शामिल किए जाने के संबंध में केरल रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों को अग्रेषित किया गया है। चूंकि प्राप्त प्रस्ताव अधिनियम के तहत नए कार्यों को शामिल किए जाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं था, इसलिए उसे राज्य सरकार को लौटा दिया गया है।

ईएसआईसी को सेवा कर मांग जारी करना

2001. श्री जी.एस. बासवराज: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व विभाग ने देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की सभी शाखाओं को सेवा कर मांग जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कदम के परिणामस्वरूप कामगारों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु बीमा की लागत में वृद्धि होगी;

(घ) यदि हां, तो इस कदम से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार कर मांग के लंबित रहने की स्थिति में कर्मचारियों पर कर का बोझ लादने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार कर रही है; और

(च) क्या मंत्रालय को भविष्य निधि के संबंध में ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा था?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) राजस्व विभाग से सेवा कर संबंधी मांग कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली को प्राप्त हुई है जिसमें समग्र रूप से सभी कार्यालयों के लिए समेकित रूप से मांग-सह-कारण बताओ नोटिस दिया गया।

(ख) मांग-सह-कारण बताओ नोटिस में कराबी योजना को सामान्य बीमा व्यवसाय के समान माना गया है और यह कहा गया है कि कराबी निगम की गतिविधियां बीमा अधिनियम, 1938 के दायरे में आती हैं अत: सेवा कर के उपबंध इस पर लागू होते हैं।

(ग) से (च) यदि सेवा कर संबंधी उपबंध कराबी योजना पर लागू किए जाते हैं तो बीमा की लागत सेवा कर की सीमा तक बढ़ जाएगी। सेवा कर मांग संबंधी नोटिस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भी प्राप्त हुआ है। कराबी योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होने के कारण इनका प्रशासन सांविधिक संगठनों अर्थात् क्रमश: कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से किया जाता है। वित्त मंत्रालय से कराबी योजना तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं पर सेवा कर की अनुप्रयोज्यता से छूट प्रदान करने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत लाभार्थियों को विशिष्ट पहचान पत्र

2002. डॉ. संजय सिंह:
श्री अब्दुल रहमान:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विशिष्ट पहचान पत्रों (यूआईसी) के अभाव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत न तो नियमित मजदूरी मिल रही है और न ही रोजगार भत्ता मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों हेतु विशिष्ट पहचान पत्र को अनिवार्य बनाकर कदाचार को रोकने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत नियमित मजदूरी के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूआईसी) की आवश्यकता नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार भत्ता देय नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि

2003. श्री कमलेश पासवान:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता पाने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के उपयोग की निगरानी और दुरुपयोग का पता लगाने के लिए सरकार के पास क्या तंत्र मौजूद हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कौन-कौन से गैर-सरकारी संगठन धनराशि के दुरुपयोग आदि जैसी अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए;

(घ) इन गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग और संबद्ध सहायता हेतु कुछेक परियोजनाएं ही स्वीकृत की गई हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में रज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमों के तहत गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वयंसेवी संगठनों के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है:—

(1) अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मुफ्त कोचिंग की स्कीम।

(2) अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों के लिए सहायता अनुदान।

(3) अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों के लिए सहायता।

(4) वृद्धजन एकीकृत कार्यक्रम।

(5) मद्यपान तथा नशीले पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग की रोकथाम।

(6) सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम की स्कीम।

(7) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास स्कीम।

(8) यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता की स्कीम (एडिप)।

गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों की संख्या और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में निर्मुक्त राशि का स्कीम-वार, राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

(ख) मंत्रालय निम्नलिखित विधियों से विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत निधियों का उपयोग सुनिश्चित करता है:

(1) किसी वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों के लिए अनुदानों की नई/उत्तरवर्ती निर्मुक्तियां केवल संस्वीकृत पूर्ववर्ती अनुदानों के संबंध में जो देय हो गए हैं के उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति के पश्चात् ही जारी की जाती हैं।

(2) मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्यों के अपने दौरों के दौरान स्कीम/कार्यक्रमों की समीक्षा।

(3) मंत्रालय विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों के समुचित उपयोग की जांच करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन भी प्रायोजित करता है।

(4) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित स्कीमों/कार्यक्रमों की संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा मॉनीटरिंग किया जाना भी अपेक्षित होता है।

(5) किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा निधियों के प्रमाणित दुरुपयोग की स्थिति में, मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डालने की कार्रवाई करता है।

(ग) और (घ) उक्त अवधि के दौरान अनियमितताओं में शामिल पाए गए तथा काली सूची में डाले गए गैर-सरकारी संगठन हैं (1) किसान महिला ग्रामोद्योग संस्थान, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश और (2) ओम हरि बहु-उद्देशीय शिक्षण संस्था, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।

(ङ) और (च) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समूहों के लिए ''मुफ्त कोचिंग तथा संबद्ध स्कीम'' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चयनित गैर-सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की संख्या निम्न प्रकार है:

समुदाय का नाम	गैर-सरकारी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों की संख्या
अनुसूचित जातियां तथा अन्य पिछड़ा वर्ग	195
अनुसूचित जनजातियां	29
अल्पसंख्यक	197

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना								अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों के लिए सहायता अनुदान							
		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (31.10.2010 तक)		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (31.10.2010 तक)	
		एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	राज्य																
1.	आंध्र प्रदेश	5	27.87	2	33.58	0	0.00	0	0.00	35	298.59	32	261.78	17	114.71	15	99.53
2.	बिहार	2	7.56	1	5.03	0	0.00	0	0.00	9	92.43	10	88.41	1	6.32	0	0.00
3.	छत्तीसगढ़	4	10.51	2	5.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.	गुजरात	3	6.50	1	2.03	1	0.65	1	12.71	14	51.97	11	25.31	16	39.75	3	3.35
6.	हरियाणा	4	22.27	3	29.58	0	0.00	0	0.00	6	18.28	2	5.77	4	17.34	1	1.83
7.	हिमाचल प्रदेश	1	7.76	1	7.76	0	0.00	0	0.00	1	7.17	1	6.17	1	3.14	1	3.09
8.	जम्मू और कश्मीर	1	2.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	13.38	0	0.00	0	0.00	1	13.36
9.	झारखंड	4	13.10	3	10.57	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.	कर्नाटक	3	5.92	2	3.53	0	0.00	1	9.37	29	312.73	20	208.19	16	150.60	12	117.33
11.	केरल	1	4.73	1	3.59	0	0.00	1	9.37	2	17.33	1	1.29	1	1.37	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	मध्य प्रदेश	9	22.25	4	30.90	1	1.28	2	11.70	26	120.54	16	131.14	4	31.15	11	49.25
13.	महाराष्ट्र	9	13.56	5	63.28	0	0.00	0	0.00	47	429.19	31	227.09	20	194.08	26	304.28
14.	उड़ीसा	3	13.01	2	6.56	1	1.63	2	11.99	31	281.48	28	288.72	22	155.59	16	152.24
15.	पंजाब	1	2.04	3	23.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16.	राजस्थान	10	32.16	7	24.48	1	7.50	3	23.77	51	556.88	40	235.99	16	100.19	35	182.02
17.	तमिलनाडु	2	15.86	2	35.64	0	0.00	2	16.01	2	1.22	1	9.81	0	0.00	1	5.84
18.	उत्तर प्रदेश	11	43.57	8	17.97	0	0.00	0	0.00	38	322.10	26	235.89	14	107.09	16	124.31
19.	उत्तराखंड	1	2.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	10.84	3	29.81	1	5.16	2	9.59
20.	पश्चिम बंगाल	2	13.76	1	31.44	0	0.00	0	0.00	11	101.58	8	113.57	5	63.66	4	50.56
	पूर्वोत्तर राज्य																
21.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22.	असम	5	31.68	2	19.80	1	6.40	0.00	0.00	9	67.77	8	51.14	3	18.68	5	18.93
23.	मणिपुर	10	20.91	3	6.78	1	2.21	0.00	0.00	9	57.50	5	18.13	6	33.28	5	16.11
24.	मेघालय	1	2.53	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25.	मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26.	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27.	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.54	0	0.00	1	3.11
28.	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	संघ राज्यक्षेत्र																
29.	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30.	दिल्ली	4	34.94	3	29.00	0	0.00	4.00	32.97	25	334.96	22	209.90	8	80.68	19	163.30
31.	पुडुचेरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
34.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता की स्कीम (एडिप स्कीम)								दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम की योजना (डीडीआरएस)							
		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (31.10.2010 तक)		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (31.10.2010 तक)	
		एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	राज्य																
1.	आंध्र प्रदेश	10	120.62	7	108.75	7	43.00	0	0.00	123	1807.74	107	1317.78	80	1586.81	45	588.19
2.	बिहार	6	130.26	3	58.88	3	16.99	0	0.00	18	112.62	13	87.75	7	48.48	3	30.65
3.	छत्तीसगढ़	2	11.53	3	20.25	1	7.50	0	0.00	8	39.23	9	76.69	6	31.52	2	5.35
4.	गोवा	0	0.00	1	3.00	0	0.00	0	0.00	2	14.87	2	13.09	2	18.30	0	0.00
5.	गुजरात	3	73.29	5	44.62	0	0.00	0	0.00	17	81.17	14	82.20	8	57.40	5	11.75
6.	हरियाणा	5	23.49	6	42.87	2	5.00	1	2.25	21	186.31	15	127.92	9	78.36	5	38.63
7.	हिमाचल प्रदेश	1	12.99	3	17.25	0	0.00	0	0.00	2	11.49	4	40.83	2	17.99	3	8.65
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	4	36.75	0	0.00	0	0.00	2	7.91	4	27.93	2	7.19	2	9.57
9.	झारखंड	0	0.00	2	24.25	0	0.00	1	17.00	4	16.68	1	10.06	1	12.01	0	0.00
10.	कर्नाटक	2	25.36	2	48.50	1	6.00	0	0.00	83	1135.92	60	814.66	44	857.24	24	237.33
11.	केरल	3	218.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	37	237.19	44	378.40	38	386.96	42	365.70
12.	मध्य प्रदेश	2	8.57	7	93.65	2	3.00	1	6.71	26	134.63	19	170.35	16	99.56	9	40.89
13.	महाराष्ट्र	7	50.67	8	122.38	8	111.25	0	0.00	23	188.41	18	254.23	14	150.51	8	58.71
14.	उड़ीसा	1	1.89	5	83.50	5	100.75	0	0.00	43	418.51	34	367.34	32	448.66	12	93.18
15.	पंजाब	5	71.25	6	45.19	2	5.50	0	0.00	12	105.67	11	94.00	4	35.38	6	26.50
16.	राजस्थान	4	15.27	6	131.74	1	331.83	0	0.00	24	182.70	17	93.14	17	168.81	12	29.39
17.	तमिलनाडु	2	694.30	12	172.72	3	58.09	0	0.00	56	481.75	55	474.37	32	366.18	24	116.28
18.	उत्तर प्रदेश	21	63.29	19	319.76	14	156.65	1	21.67	66	704.54	58	700.21	45	718.82	20	126.93
19.	उत्तराखंड	7	246.61	6	21.25	1	3.75	0	0.00	6	43.98	7	63.02	5	53.60	8	32.90
20.	पश्चिम बंगाल	2	7.01	5	30.59	2	21.55	0	0.00	48	449.94	39	641.12	29	543.22	15	135.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	पूर्वोत्तर राज्य																
21.	अरुणाचल प्रदेश	1	4.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	10.67	1	7.37	1	6.72	0	0.00
22.	असम	2	35.17	4	469.27	7	317.50	1	20.00	14	84.72	14	121.92	12	87.40	12	49.05
23.	मणिपुर	0	0.00	2	18.14	0	0.00	0	0.00	15	125.70	15	196.76	13	130.14	12	70.73
24.	मेघालय	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	85.16	4	75.65	4	25.64	1	8.39
25.	मिजोरम	0	0.00	1	8.00	0	0.00	0	0.00	2	12.50	2	19.60	1	6.58	1	4.54
26.	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.43	0	0.00	–	0.00	0	0.00
27.	त्रिपुरा	0	0.00	1	33.00	0	0.00	0	0.00	2	11.86	2	10.81	2	21.36	0	0.00
28.	सिक्किम	0	0.00	1	15.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	–	0.00	0	0.00
	संघ राज्यक्षेत्र																
29.	चंडीगढ़	8	167.10	4	30.25	1	91.10	1	35.00	1	5.11	0	0.00	1	10.50	0	0.00
30.	दिल्ली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	22	314.12	22	193.55	17	170.24	12	103.33
31.	पुडुचेरी	0	0.00	1	3.00	0	0.00	0	0.00	1	12.56	1	15.63	1	13.36	0	0.00
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	1	3.00	0	0.00	0	0.00	0	0*	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	–	0.00	0	0.00
34.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	मद्यपान और नशीले पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग की रोकथाम की स्कीम								सामाजिक सुरक्षा* के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम की स्कीम							
		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (31.10.2010 तक)		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (31.10.2010 तक)	
		एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	राज्य																
1.	आंध्र प्रदेश	13	118.53	10	86.75	9	76.82	1	8.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.	बिहार	6	45.90	10	105.00	5	47.19	10	90.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	छत्तीसगढ़	3	9.59	2	20.41	2	12.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	गोवा	1	1.50	0	0.00	1	8.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.	गुजरात	2	37.35	1	18.83	2	37.21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6.	हरियाणा	9	138.31	4	27.03	7	90.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	3	20.04	2	11.51	3	14.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	1	7.17	2	14.24	1	8.89	0	0.00	1	300.00	1	300.00	1	300.00	0	0.00
9.	झारखंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.	कर्नाटक	19	198.77	18	170.20	20	274.67	1	2.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11.	केरल	16	121.62	19	156.83	18	176.44	15	111.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12.	मध्य प्रदेश	17	110.99	9	66.70	7	66.28	1	6.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13.	महाराष्ट्र	42	361.20	38	259.25	36	327.00	13	72.11	2	2.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14.	उड़ीसा	19	188.66	21	181.22	20	233.74	4	22.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15.	पंजाब	9	126.77	7	71.60	8	53.40	7	91.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16.	राजस्थान	12	91.64	6	60.10	5	64.32	2	12.94	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17.	तमिलनाडु	21	200.84	10	69.35	20	279.00	4	36.72	1	2.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	19	95.77	30	333.82	9	61.00	8	52.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19.	उत्तराखंड	1	3.75	3	37.79	3	31.26	0	0.00	1	3.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	15	153.09	11	86.33	7	65.09	2	11.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	पूर्वोत्तर राज्य																
21.	अरुणाचल प्रदेश	1	2.62	1	6.86	1	9.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22.	असम	7	79.61	4	26.30	3	25.07	2	13.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23.	मणिपुर	18	187.56	0	0.00	17	172.39	4	35.91	1	11.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24.	मेघालय	2	17.89	19	157.66	2	6.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25.	मिजोरम	9	87.40	2	18.75	4	43.77	2	12.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26.	नागालैंड	5	59.94	9	51.65	3	21.94	2	12.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27.	त्रिपुरा	1	6.38	5	35.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
28.	सिक्किम	1	9.68	1	6.54	1	9.95	1	4.97	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	संघ राज्यक्षेत्र																
29.	चंडीगढ़	1	2.10	0	0.00	6	60.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30.	दिल्ली	6	118.27	7	10.40	0	0.00	4	34.93	1	1.54	1	10.54	0	0.00	0	0.00
31.	पुडुचेरी	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	1	0.77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
34.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

*इस स्कीम के तहत जम्मू-कश्मीर के लिए वित्तीय सहायता विधवा, अनाथ, वृद्धजन और विकलांग (आतंकवाद से पीड़ित) के पुनर्वास के लिए जम्मू-कश्मीर परिषद् को प्रदान की जाती है।

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम								अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों के लिए सहायता							
		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (31.10.2010 तक)		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (31.10.2010 तक)	
		एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि	एनजीओ की संख्या	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	राज्य																
1.	आंध्र प्रदेश	107	458.51	82	412.97	125	454.26	13	65.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.	बिहार	1	2.76	1	2.76	1	4.88	0	0.00	0	0.00	2	1.86	0	0.00	1	0.85
3.	छत्तीसगढ़	1	1.18	1	5.97	2	5.08	0	0.00	0	0.00	1	1.87	0	0.00	0	0.00
4.	गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5.	गुजरात	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	5.49	3	8.22	0	0.00
6.	हरियाणा	12	35.38	10	29.10	22	74.40	1	4.30	3	9.97	3	10.19	1	1.71	3	8.62
7.	हिमाचल प्रदेश	1	3.42	1	0.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	1	0.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.88	–	0.00	0	0.00
9.	झारखंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.	कर्नाटक	33	190.73	33	196.47	48	213.10	6	23.66	4	6.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11.	केरल	1	2.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12.	मध्य प्रदेश	2	8.02	2	9.00	5	13.20	0	0.00	2	6.01	5	13.45	2	2.07	5	16.67
13.	महाराष्ट्र	14	31.99	10	49.92	17	47.07	1	4.35	18	49.73	22	56.42	16	44.13	3	9.53
14.	उड़ीसा	48	243.29	36	293.92	96	330.19	7	38.02	5	11.95	4	11.09	1	4.50	2	5.05
15.	पंजाब	7	13.66	4	10.00	8	17.47	1	2.28	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16.	राजस्थान	5	13.15	3	7.48	6	16.66	1	1.16	9	22.46	10	29.27	9	22.42	0	0.00
17.	तमिलनाडु	52	205.67	39	209.62	68	260.32	7	26.63	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	17	53.52	7	40.31	31	87.09	5	16.43	17	40.17	17	41.63	5	11.53	4	6.70
19.	उत्तराखंड	2	3.63	1	5.54	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	5.51	0	0.00	0	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	30	124.43	34	261.85	57	205.04	1	2.39	1	2.31	1	3.50	0	0.00	2	6.18
	पूर्वोत्तर राज्य																
21.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22.	असम	21	79.22	15	87.29	29	94.58	2	2.44	4	10.03	6	14.12	1	1.33	3	5.08
23.	मणिपुर	26	98.99	21	120.16	36	118.74	1	1.45	17	57.49	21	55.20	0	0.00	0	0.00
24.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25.	मिजोरम	2	0.98	2	3.88	2	1.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
26.	नागालैंड	1	1.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
27.	त्रिपुरा	3	20.71	1	4.30	0	10.85	2	10.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
28.	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	संघ राज्य क्षेत्र																
29.	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30.	दिल्ली	3	14.99	1	20.98	3	17.88	1	4.85	5	17.14	8	31.13	0	0.00	8	19.62
31.	पुडुचेरी	1	3.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
34.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

[हिन्दी]

चर्म उद्योग

2004. श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्रीमती अन्नू टन्डन:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चर्म उद्योग जो कि सर्वाधिक श्रम गहन उद्योग है, को अपनी वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन/धनराशि उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चर्म क्षेत्र के विकास के लिए क्या आधुनिकीकरण कार्यक्रम मौजूद हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का पर्यावरणोनाकूल प्रौद्योगिकी के लिए चर्मशोधन इकाइयों और पशुवध गृहों का उन्नयन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो चर्म उद्योग की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। चमड़ा क्षेत्र के अवसंरचना विकास, क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास, निवेश संवर्धन एवं पर्यावरण समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ''भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम'' (आईएलडीपी) के तहत चमड़ा उद्योग के लिए 1251.29 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं। ''चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास'' (आईएलडीएस) उप-योजना के तहत चमड़ा इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण एवं इसे स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। फैशन एवं विपणन सहायता में बदलते रुझानों के अनुरूप जीविका सहायता, डिजाइन सहायता प्रदान करने के लिए आईएलडीपी के तहत 40 करोड़ रुपए के आवंटन वाली ''कामगारों को सहायता'' उप-योजना के तहत राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र राज्य में हस्तक्षेप केंद्र बनाए जा रहे हैं। चमड़ा उद्योग को कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने तथा कार्यरत चमड़ा कामगारों को प्रशिक्षित करने के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटन वाली उप-योजना ''मानव संसाधन विकास'' के तहत उत्तर प्रदेश (आगरा एवं कानपुर), तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास नियोजन से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा तमिलनाडु में तथा कार्य स्थल (कारखाने में) एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जीनसाजी उद्योग हेतु अनुसंधान एवं विकास सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। केन्द्र सरकार ने फुरसतगंज, उत्तर प्रदेश में 96.69 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता से एक अन्य फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) स्थापित किया है तथा यह चेन्नई, कोलकाता तथा रोहतक में से प्रत्येक में 96.69 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता से एफडीडीआई की तीन और शाखाएं स्थापित कर रहा है। इसके अलावा 24.85 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता राशि से मध्य प्रदेश में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है। नोएडा स्थित एफडीडीआई शाखा के उन्नयन के लिए भी 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है। एफडीआई की रोहतक, कोलकाता और चेन्नई स्थित तीन नई शाखाओं में शैक्षिक सत्र तथा मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्र सितम्बर, 2010 में आरंभ हो चुका है। शून्य तरल उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य से चर्म उद्योग के पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए उप-योजना ''पर्यावरण पहलों'' के अंतर्गत तथा तमिलनाडु राज्य में 5 साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्रों की सहायता के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान उपलब्ध है। केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश में चर्म परिसर (चर्मशोधनशाला) तथा तमिलनाडु में फुटवियर परिसर की स्थापना में अवसंरचना विकास के लिए भी सहायता दे रही है। चर्म पार्कों के विकास के लिए ''चर्म पार्क विकास'' उप-योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

(ग) और (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण तथा चर्म इकाइयों की स्थापना हेतु अनुदान देने के लिए भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) की ''चर्म क्षेत्र का एकीकृत विकास'' (आईडीएलएस) उप-योजना के अंतर्गत 253.43 करोड़ रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया है। यह अनुदान चर्मशोधनशालाओं/चर्म फैक्ट्रियों के लिए बहि:स्राव शोधन संयंत्र की स्थापना के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है। भारतीय चर्म उद्योग के पर्यावरणीय सरोकारों को ध्यान में रखते हुए उप-योजना ''पर्यावरण पहलों'' के अंतर्गत चर्म उद्योग के पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए तथा तमिलनाडु राज्य में 5 साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्रों की सहायता के लिए साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपए का प्रावधान उपलब्ध है। पर्यावरण अनुकूल तरीके से भारतीय चर्म उद्योग की अवसंरचना संबंधी बाधाओं के निराकरण के लिए ''चर्म पार्कों का विकास'' उप-योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

वायुसेना का आधुनिकीकरण

2005. डॉ. मन्दा जगन्नाथ:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री पूर्णमासी राम:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री मंगनी लाल मंडल:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री सतपाल महाराज:
श्री जयप्रकाश अग्रवाल:
श्री मिलिंद देवरा:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री मानिक टैगोर:
श्री ए. गणेश मूर्ति:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना के पचास प्रतिशत उपकरण और प्रौद्योगिकियां पुरानी हैं जैसा कि हाल ही में जानकारी में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न प्रकार के विमानों तथा अन्य प्रमुख उपकरणों की विद्यमान संख्या कितनी है तथा उन्हें कब शामिल किया गया;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण हेतु पूंजी परिव्यय के अंतर्गत निर्धारित/वापस की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त स्थिति के मद्देनजर उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए वायु सेना सहित सशस्त्र सेनाओं की तैयारी का स्तर क्या है;

(च) पुराने उपकरणों तथा विमानों को बदलने/उनका उन्नयन करने के लिए तथा वायु सेना में अधिकारियों की कमी को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(छ) वायु सेना सहित सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण हेतु तैयार संदर्शी योजना का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारतीय वायुसेना के प्रत्येक उपकरण का एक विशिष्ट जीवन काल होता है। एक बार जब जीवन काल पूरा हो जाता है तो उपकरण को पुराना मान लिया जाता है। भारतीय वायुसेना उपकरणों के जीवन काल का उन्नयन/विस्तार करके (जहां तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो) और उपकरणों की खरीद करके पुराने उपकरणों को हटा कर अपने बेड़े का सतत रूप से आधुनिकीकरण कर रही है।

(ग) विमानों एवं अन्य उपकरणों की मौजूदा संख्या और उनके सेवा में शामिल करने के वर्ष के बारे में सूचना प्रकट करना देश की सुरक्षा के हित में नहीं है।

(घ) पूंजीगत अधिप्राप्ति के अंतर्गत निधियों का आबंटन सशस्त्र बलों की जरूरतों के आधार पर होता है। विगत तीन वर्षों के दौरान हुए व्यय/सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत परिव्यय के तहत निर्धारित व्यय की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) सशस्त्र सेनाएं उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

(च) पुराने उपकरणों जैसे मिग-23, मिग-25 और केनबरा विमानों को हटा दिया गया है। विद्यमान लड़ाकू विमानों जैसे मिग-27, मिग-29, जगुआर, मिराज-2000, एसयू-30 एमकेआई, परिवहन विमान जैसे एएन-32 तथा विभिन्न हेलीकॉप्टरों का चरणबद्ध रूप से उन्नयन किया जा रहा है। साथ ही, सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, रडार तथा मिसाइल प्रणालियां भी चरणबद्ध रूप से खरीदी जा रही हैं।

वायुसेना में अफसरों की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना कई कदम उठा रही है जिनमें विभिन्न विश्वविद्यालयों में तेजी से चयन आयोजित करना, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग शाखा के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश योजना को पुन: शुरू करना, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देना, भर्ती तथा कैरियर संबंधी लेखों का प्रकाशन करना तथा भारतीय वायुसेना में कार्य करने के लिए एनसीसी कैडेटों को प्रोत्साहन देना शामिल है।

(छ) एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय, सशस्त्र सेनाओं के लिए सेना मुख्यालयों से परामर्श करके खतरे की संभावना और संक्रियात्मक चुनौतियों के आधार पर 15 वर्षीय दीर्घकालीन एकीकृत संदर्शी योजना, 5 वर्षीय रक्षा योजनाएं तथा वार्षिक अर्जन योजनाएं तैयार करता है। दीर्घकालीन एकीकृत संदर्शी योजना 2002-17 लागू की जा रही है।

विवरण

सशस्त्र सेनाओं के लिए विगत तीन वर्षों के लिए पूंजीगत अर्जन आबंटन और व्यय

(करोड़ रु. में)

वर्ष		सेना	नौसेना*	वायुसेना
2007-08	बजट अनुमान	6937.20	9980.74	15908.86
	संशोधित अनुमान	6224.20	8552.19	13333.62
	व्यय	6695.53	8566.63	12641.26
2008-09	बजट अनुमान	7607.67	11593.68	18281.42
	संशोधित अनुमान	5740.03	8765.78	16108.83
	व्यय	5379.90	8959.53	15660.99
2009-10	बजट अनुमान	9821.07	11732.01	18814.64
	संशोधित अनुमान	6254.35	11386.34	17506.19
	व्यय	8159.88	12829.51	17437.61

*संयुक्त स्टाफ प्रति

तम्बाकू की खेती

2006. श्री पी. बलराम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को तम्बाकू की खेती करने वालों के लिए वैकल्पिक फसल का पता लगाने हेतु कोई दीर्घकालिक योजना तैयार करनी होगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) तम्बाकू के किसानों के लिए वैकल्पिक फसल का पता लगाने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ने अब तक कोई दीर्घावधिक योजना तैयार नहीं की है।

पी.यू.आर.ए. योजना

2007. श्री यशवंत सिन्हा:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री प्रताप सिंह बाजवा:
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:
श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पीयूआरए) के अंतर्गत वर्षवार और राज्यवार क्या वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए और तत्संबंधी कितनी उपलब्धियां हासिल की गईं;

(ख) सरकारी-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मोड के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत कितनी सफलता मिली है; और

(ग) देश में इस योजना को सर्वांगीण रूप से कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) सरकार ने 11वीं योजना में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) नामक योजना स्वीकृत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हेतु आजीविका अवसर तथा शहरी सुविधाएं प्रदान के लिए सार्वजनिक निजी क्षेत्र भागीदारी के माध्यम

से प्रत्येक ग्राम पंचायत में संभावित विकास केन्द्र के चारों ओर के क्षेत्रों के सम्पूर्ण एवं त्वरित विकास का प्रस्ताव है। 11वीं योजना के अंतर्गत पुरा के लिए वर्तमान वित्तीय परिव्यय 248 करोड़ रु. है। निजी क्षेत्र संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति मंगाने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तथा वित्तीय समाचारपत्रों में 15 अप्रैल, 2010 को एक नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के उत्तर में 93 रुचि की अभिव्यक्तियां प्राप्त हुई थीं जिनमें से 45 संगठन रुचि की अभिव्यक्ति स्तर पर योग्य पाए गए थे। इन 45 संगठनों को 7 अक्तूबर, 2010 तक संकल्पना योजना सहित विस्तृत बोली प्रस्तुत करने को कहा गया था। इसके उत्तर में, 9 संगठनों ने पुरा प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने के लिए 14 प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिनका इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है।

रक्षा भूमि

2008. **श्री सुरेश अंगड़ी:**
श्री रुद्रमादव राय:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री नीरज शेखर:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रक्षा भूमि का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है जिनका अतिक्रमण किया गया, अन्यत्र उपयोग में लाया गया और जिन पर अवैध निर्माण किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अतिक्रमण से मुक्त कराई गई रक्षा भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) रक्षा भूमि पर अतिक्रमण/निर्माण हटाने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न न्यायालयों में अतिक्रमण से जुड़े लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में रक्षा भूमि की लेखापरीक्षा की है/उसे सूचीबद्ध किया है; और

(च) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रक्षा भूमि की बिक्री/उपयोग के लिए क्या मानदंड/दिशानिर्देश मौजूद हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता

2009. **श्री धनंजय सिंह:**
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री मानिक टैगोर:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ने अभी तक किन-किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार कुछ अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्य योजना है तथा प्राथमिकतापूर्ण किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(घ) क्या सरकार ने घरेलू उद्योगों और किसानों पर इन मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने व्यापार विपणन को रोकने और घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए एफटीए नियम तैयार किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो ऐसे नियम कब तक बनाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारत ने निम्नलिखित देशों के साथ मुख्य व्यापार करार (एफटीए) और अधिमानी व्यापार करार किए हैं:—

(1) मुक्त व्यापार करार

क्र.सं.	करार का नाम	भागीदारी देश/देशों	हस्ताक्षर की तारीख	कार्यान्वयन की तारीख
1	2	3	4	5
1.	भारत-श्रीलंका एफटीए	श्रीलंका	28 दिसम्बर, 1998	मार्च, 2000
2.	साफ्टा पर करार	पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव	4 जनवरी, 2004	1 जनवरी, 2006 (टैरिफ (रियायतें 1 जुलाई, 2006 से कार्यान्वित की गई थीं)
3.	अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार और नेपाल के बीच संशोधित सहयोग करार	नेपाल	27.10.2009	27.10.2009
4.	भारत-भूटान व्यापार वाणिज्य एवं पारगमन करार	भूटान	17.01.1972	पारस्परिक रूप से सहमत संशोधनों के साथ आवधिक रूप से नवीकृत किया जाता है।
5.	भारत-थाइलैंड एफटीए—शीघ्र फलदायी स्कीम (ईएचएस)	थाइलैंड	1.09.2004	1.09.2004
6.	भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए)	सिंगापुर	29.06.2005	1 अगस्त, 2005
7.	भारत-आसियान व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) केवल वस्तु व्यापार से संबंधित भाग हस्ताक्षरित	ब्रुनेई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपिंस, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम	13.08.2009	1.1.2010
8.	भारत-दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए)	दक्षिण कोरिया	7.08.2009	1.1.2010

(2) अधिमानी व्यापक करार

1.	एशिया प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए)	बांग्लादेश, चीन, भारत, कोरिया गणराज्य, श्रीलंका	जुलाई, 1974 (संशोधित करार पर दिनांक 2 नवम्बर, 2005 को हस्ताक्षर किए गए थे)	1 नवम्बर, 1976
2.	जीएसटीपी	अल्जीरिया, अर्जेंटिना, बांग्लादेश बेनिन, बोल्विया, ब्राजील, कैमरून, चिली, कोलम्बिया, क्यूबा, कोरिया	अप्रैल, 1988	अप्रैल, 1989

1	2	3	4	5
		जन.गण., इक्वेडोर, मिस्र, घाना, गिनीया, गूयाना, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, लीबिया, मलेशिया, मैक्सिको, मोरक्को, मोजाम्बिक, म्यांमार, निकारागोआ, नाईजीरिया, पाकिस्तान, पेरू, फिलिपिन्स, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, सिंगापुर, श्रीलंका, सूडान, थाईलैंड, ट्रिनिदाद और टोबैगो, ट्यूनीशिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम, युगोस्लाविया, जिम्बाब्वे		
3.	भारत-अफगानिस्तान	अफगानिस्तान	6 मार्च, 2003	मई, 2003
4.	भारत-मर्कोसुर		25 जनवरी, 2004	1 जून, 2009 से कार्यान्वित
5.	भारत-चिली	चिली	8 मार्च, 2006	सितम्बर, 2007

(ख) और (ग) जी, हां। भारत जिन देशों के साथ मुक्त व्यापार करार पर वार्ता कर रहा है उनकी सूची और ऐसी वार्ताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	करार का नाम	भागीदार देश/देशों	ब्यौरा
1	2	3	4
1.	भारत-जापान सीईपीए	जापान	वार्ताएं पूरी हो चुकी हैं। प्रस्तावित करार में वस्तुएं, सेवाएं, निवेश, बौद्धिक सम्पदा अधिकार एसपीएस/टीबीटी शामिल हैं।
2.	भारत-ईयू बीटीआईए	आस्ट्रीया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साईप्रस, चैक गणराज्य, डेनमार्क, स्टोनिया, फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जम्बर्ग, माल्टा, नीदरलैण्ड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, यूके	वस्तुओं, सेवाओं, निवेश स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों, व्यापार की तकनीकी बाधाओं, व्यापार सुगमीकरण और सीमाशुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा, आईपीआर और जीआई आदि क्षेत्र में 28 जून, 2007 को वार्ताएं शुरू की गई थीं।
3.	भारत-आसियान सीईसीए-सेवा और निवेश करार	ब्रुनेई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाईलैण्ड और वियतनाम	सेवा व्यापार और निवेश पर वार्ताएं अभी चल रही हैं।
4.	भारत-श्रीलंका सीईपीए	श्रीलंका	मार्च 2000 से सेवाओं संबंधी एफटीए कार्यान्वित। निवेश और सेवाओं से संबंधित वार्ताएं अभी चल रही हैं।

1	2	3	4
5.	भारत-थाईलैंड सीईसीए	थाईलैंड	82 मदों पर शीघ्र फलदाई स्कीम कार्यान्वित। व्यापक आर्थिक सहयोग करार हेतु वार्ताएं चल रही हैं।
6.	भारत-मलेशिया सीईसीए	मलेशिया	व्यापक आर्थिक सहयोग करार हेतु वार्ताएं चल रही हैं।
7.	भारत-मॉरिशस सीईसीपीए	मॉरिशस	व्यापक आर्थिक सहयोग करार हेतु वार्ताएं अक्तूबर, 2006 में आयोजित 10वें दौर की वार्ता के बाद रुकी हुई हैं।
8.	भारत ईएफटीए बीटीआईए	आईसलैंड, नॉर्वे, लिचटेंसटीन और स्विट्जरलैंड	व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर वार्ताएं चल रही हैं।
9.	भारत-न्यूजीलैंड एफटीए/सीईसीए	न्यूजीलैंड	व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर वार्ताएं चल रही हैं।
10.	भारत-इजरायल एफटीए	इजरायल	व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर वार्ताएं चल रही हैं।
11.	भारत-सिंगापुर सीईसीए	सिंगापुर	व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर वार्ताएं चल रही हैं।
12.	भारत-एसएसीयू पीटीए	दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लिसोथो, स्वाजीलैंड और नामीबिया	व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर वार्ताएं चल रही हैं।
13.	भारत-मर्कोसुर पीटीए	अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरूग्वे	उत्पाद कवरेज को व्यापक बनाकर और अधिमान्यताओं को गहन बनाकर वर्तमान करार का विस्तार किया जा रहा है।
14.	भारत-चिली पीटीए	चिली	उत्पाद कवरेज को व्यापक बनाकर और अधिमान्यताओं को गहन बनाकर वर्तमान करार का विस्तार किया जा रहा है।
15.	बिमस्टेक सीईसीए	बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाइलैंड, भूटान और नेपाल	व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर वार्ताएं चल रही हैं।
16.	भारत-जीसीसी कार्यढांचा करार	सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर और यमन	व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर वार्ताएं चल रही हैं।
17.	भारत-कनाडा एफटीए	कनाडा	व्यापक आर्थिक सहयोग करार के लिए वार्ताएं नवम्बर, 2010 में शुरू हुई हैं।

(घ) अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ वार्ताएं शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित एफटीईए के घरेलू उद्योग पर प्रभाव सहित उनकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन आंतरिक रूप से और संयुक्त अध्ययन दलों के जरिए अध्ययन किए जाते हैं। शीर्षस्थ वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों, उद्योग एसोसिएशनों और प्रशासनिक मंत्रालयों तथा विभागों सहित घरेलू हितबद्ध पक्षकारों के साथ परामर्श भी किए जाते हैं।

(ङ) से (छ) जी, हां। घरेलू उद्योग के हित का संरक्षण करने और एफटीए का लाभ उठाते हुए तीसरे देशों से उत्पादों की

रोकथाम करने के लिए भी भारत के सभी प्रमुख व्यापार करारों में कई प्रावधान शामिल होते हैं। उद्गम नियमों से संबंधित अध्याय से यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल एफटीए भागीदार देश में उत्पादित वस्तुओं को ही भारत में आयात किए जाने की स्थिति में एफटीए के अंतर्गत लाभ की पात्रता होती है। इन नियमों से यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किसी उत्पादन प्रक्रिया हेतु किसी गैर-भागीदार देश से आई कच्ची सामग्री और अन्य निविष्टियों का भारत को निर्यात किए जाने से पूर्व एफटीए भागीदार देश में पर्याप्त प्रसंस्करण किया जाता है।

मुक्त व्यापार करारों में संवेदनशील मानी गई मदों को भी संवेदनशील/नकारात्मक सूचियों में रखकर उन्हें संरक्षण दिया जाता है जिन पर सीमित या कोई टैरिफ रियायत प्रदान नहीं की जाती है। इसके अलावा आयातों में वृद्धि होने और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की स्थिति में भारत पाटनरोधी एवं रक्षोपाय जैसे उपायों का सहारा लेकर किसी उत्पाद पर टैरिफ रियायतें स्थगित कर सकता है या उन्हें वापस ले सकता है।

[अनुवाद]

कृत्रिम अंगों और उपकरणों/साधन के लिए अनुदान

2010. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री पूर्णमासी राम:
श्री मनोहर तिरकी:
कुमारी सरोज पाण्डेय:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साधन और उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु नि:शक्त व्यक्तियों की सहायता योजना (एडीआईपी) के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सहायता के पीछे क्या उद्देश्य हैं;

(ख) उक्त उद्देश्यों को हासिल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना का लाभ उठाने हेतु नि:शक्त व्यक्तियों में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित कैंपों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान नि:शक्त व्यक्तियों को वितरित किए गए कृत्रिम अंगों और उपकरणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु क्या तंत्र मौजूद है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए आधुनिक, मानक सहायक यंत्र एवं उपकरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है जिससे कि विकलांगता के प्रभाव को कम करके उनके भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके और उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि की जा सके।

(ख) पात्र जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्रों/उपकरणों का वितरण करने के लिए, कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता-अनुदान जारी किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस योजना के अंतर्गत जारी निधियों तथा लाभ प्राप्त करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:—

	जारी निधियां (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या (लाख में)
2007-08	49.08	2.24
2008-09	60.22	2.10
2009-10	67.35	2.00 (अनुमानित)

(घ) और (ङ) कार्यान्वयन एजेंसियों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(च) इस योजना के अंतर्गत अनुदान निरीक्षण रिपोर्ट तथा सिफारिश करने वाले प्राधिकरण से विशेष कार्यान्वयन एजेंसी के लाभार्थियों की प्रतिदर्श जांच के पश्चात् जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सात राष्ट्रीय संस्थानों को राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय के अधिकारियों को भी आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन एजेंसियों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2जी स्पेक्ट्रम मामले की जांच

2011. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन के मामले में की जा रही जांच की धीमी गति पर अपनी चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में जांच में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) कुछ टिप्पणियों के बारे में जिनके संबंध में यह दावा किया जाता है कि वे 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के संबंध में जांच के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई हैं, मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई हैं। तथापि, 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। अत: इस संबंध में सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने या अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

सशस्त्र सेनाओं में कार्मिकों की कमी

2012. **श्री मिलिंद देवरा:**
श्री एम.आई. शानवास:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों में उनकी स्वीकृत संख्या की तुलना में अधिकारियों और अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) तीनों सेनाओं में अधिकारियों और अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों की कुल कितनी कमी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए अल्प सेवा आयोग के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया में बदलावों सहित भर्ती कार्यनीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की कमी रही है। सेना में विद्यमान अफसर नफरी 35,354 है जबकि प्राधिकृत नफरी 47,864 है जिसमें 12,510 अफसरों की कमी है। नौसेना में 9719 की प्राधिकृत नफरी की तुलना में 7972 अफसरों की नफरी विद्यमान है जिसमें 1747 अफसरों की कमी हुई और वायुसेना में 12,211 की प्राधिकृत नफरी की तुलना में विद्यमान अफसर नफरी 11,195 है यह कमी 1016 अफसरों की है। सशस्त्र सेनाओं में अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की कोई विशेष कम नहीं है।

सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की कमी आंशिक रूप से, समय-समय पर उनकी संख्या बढ़ाए जाने, कठिन चयन प्रक्रिया, मुश्किल सेवा शर्तों तथा सेवा कैरियर में अन्तर्ग्रस्त उच्च दर्जे का जोखिम शामिल होने की वजह से है।

सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रतिभावान युवाओं को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अल्प सेवा कमीशन अफसरों सहित सभी अफसर अब क्रमश: 2, 6 और 13 वर्ष की संगणनीय सेवा पूरी करने पर कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के मूल पदों को धारण करने के पात्र हैं। अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों की सेवा-अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है। ए.वी. सिंह समिति रिपोर्ट (चरण-1) के कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल के कुल 750 पदों को कर्नल के रूप में पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा, ए.वी. सिंह समिति रिपोर्ट (चरण-2) को कार्यान्वित करते हुए सेना के कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल तथा लेफ्टिनेंट जनरल और वायुसेना और नौसेना के उनके समकक्षों के 1896 अतिरिक्त पदों को पदोन्नत किया गया है। सशस्त्र सेनाओं के अफसर वेतन ढांचे में अच्छे खासे-सुधार के साथ छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से सेनाओं को और अधिक आकर्षक बनाया गया है।

चुनौतीपूर्ण तथा संतोषजनक कैरियर अपनाने के लाभों के संबंध में युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सशस्त्र सेनाओं ने सतत, छवि निखार अभियान भी शुरू किए हैं। जागरूकता अभियान, कैरियर मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी, प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक्स मीडिया में विज्ञापन, स्कूल तथा कालेजों में प्रेरक व्याख्यान इस दिशा में किए गए कुछ अन्य उपाय भी हैं।

अल्प सेवा कमीशन अफसरों की भर्ती बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जिससे कि अन्य उपायों के साथ-साथ सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की कमी कम होने की उम्मीद है।

सेना में नई रेजीमेंट

2013. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:**
श्री एम.आई. शानवास:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:
श्री संजय दिना पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सेना में एक जनजातीय रेजीमेंट सहित नई रेजीमेंटों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कदम जनजातियों के लिए अधिक रोजगार अवसर पैदा करेगा;

(ग) क्या अधिकाधिक जनजातियों को भर्ती करने के उद्देश्य से उनके लिए आयु, शारीरिक मानक और शिक्षा के संबंध में छूट लागू होगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार से सेना में जनजातियों की भर्ती को कार्यान्वित करेगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सरकार की नीति किसी वर्ग, पंथ, समुदाय, धर्म अथवा क्षेत्र के आधार पर कोई नई रेजीमेंट खड़ी करने की नहीं है बल्कि एक ऐसी सेना रखने की है जिसमें सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो।

(ग) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को शारीरिक एवं शैक्षिक मानदंडों में पहले से ही छूट दी गई है।

(घ) आदिवासी क्षेत्रों सहित देश भर में भर्ती रैलियां आयोजित की जाती हैं ताकि आदिवासी अभ्यर्थियों को भर्ती के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जा सकें।

अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित धनराशि का अन्यत्र उपयोग

2014. श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री मानिक टैगोर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निर्धारित धनराशि का अन्यत्र उपयोग कर रहे हैं अथवा उन्हें खर्च करने में उदासीनता दिखा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी धनराशि का दुरुपयोग करने वाले राज्यों के खिलाफ केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए हैं और सुधारात्मक कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ङ) राज्य सरकारें सामान्यतया अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत निधियों को निर्दिष्ट कर रही हैं जो अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यनीति है। योजना आयोग ने इस संबंध में 2005 में राज्य सरकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर मामले की समीक्षा की जाती है और इसे राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है।

[हिन्दी]

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत रोजगार

2015. श्री महेन्द्र कुमार राय:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीब ग्रामीण जनसंख्या में बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार बेरोजगार लोगों की पहचान के लिए किसी रजिस्टर का रखरखाव करती है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गरीब बेरोजगार लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार नहीं मिल पा रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या तंत्र स्थापित किया है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय न तो ग्रामीण गरीबों में बेरोजगार लोगों के आंकड़े रखता है और न ही बेरोजगार लोगों की पहचान के लिए कोई रजिस्टर रखता है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में ऐसे प्रत्येक पंजीकृत परिवार को 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है जिनके वयस्क सदस्य मांग पर अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों। राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2007-08 के दौरान 3.39 करोड़ परिवारों को, वर्ष 2008-09 के दौरान 4.51 करोड़ परिवारों को तथा वर्ष 2009-10 के दौरान 5.25 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेलों की परियोजनाओं में निर्माण के दौरान मौतें और मुआवजा

2016. श्री राम सुन्दर दास:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री भीष्मशंकर उर्फ **कुशल तिवारी:**
श्री राधे मोहन सिंह:
श्री चौधरी लाल सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रमंडल खेलों (सीडब्ल्यूजी)-2010 के लिए विभिन्न परियोजनाओं अथवा स्टेडियमों के निर्माण के दौरान मरने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मृत लोगों के परिवार के सदस्यों को भुगतान किये गए/दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चूककर्ता अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त (कें.) के अधिकारियों ने केन्द्रीय परिधि में परियोजना का निरीक्षण किया था ताकि भवन कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रावधान तथा चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज करना सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष 2008, 2009 तथा 2010 के दौरान स्वीकृत अभियोजन तथा दोष-सिद्धियां क्रमश: 40, 20 और 18 तथा 21, 11 और 9 हैं।

विवरण

फेज-1 मृतक सूची (2001-2005)

क. 1.6.2003 को बनाई गई श्रमिक कल्याण निधि से पूर्व मृत्यु के मामलों की सूची

क्र.सं.	मृतक का नाम	ठेकेदार	कामगारों की प्रतिपूर्ति की राशि	पता	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1.	चन्द्र देव	एफकॉन्स	–	–	ये दुर्घटनाएं डीएमआरसी के श्रमिक कल्याण निधि के गठन से पूर्व घटित हुई।
2.	संजय कुमार यादव	एफकॉन्स			
3.	वेद पाल	एफकॉन्स			
4.	चन्द्र देव	एकॉन-पुरी			
5.	जय शंकर पांडेय	एकॉन-पुरी			
6.	मुन्ना (बृज गोपाल)	गंगा कंस्ट्रक्शन			
7.	सहिदुर रहमान	गैमोन रिजानी जेवी			

1	2	3	4	5	6
8.	श्रीनाथ मेहता	एफकॉन्स			ये दुर्घटनाएं डीएमआरसी के श्रमिक कल्याण निधि के गठन से पूर्व घटित हुई।
9.	अजय घटवाल	गैमोन रिजानी जेवी			
10.	आर.के. विश्वकर्मा	स्कान्सका			
11.	रामजी साह	स्कान्सका			
12.	विश्वदीप कुंडु	केएसएचआई			
13.	बृजेश द्विवेदी	आईएमसीसी	5,24,940/-	जि.-पो.-हरदोई, जि.-राय बरेली, उ.प्र.	
14.	राज कानन	आईएमसीसी	3,20,285/-	वेंकैया वेल्लौर, इनाम काशी गांडेल, पो. तिरूवन्नामलाई, तमिलनाडु	
15.	डब्ल्यू	वाह्य	1,40,000/-	जि. बसोरा, थाना-बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार	
16.	मुजामिल साह	गैमोन रिजानी जेवी	2,96,276/-	सुपुत्र-शमशेर साह, ग्रा.-बरगिनियां, जि. सीतामढ़ी, बिहार	
17.	पप्पू कुशवाहा	आईएमसीसी	5,59,451/-	ग्रा.पो.-बांगीबंगरा, थाना-तेहरोली, झांसी, मध्य प्रदेश	
18.	दीपक कु. बोस	आईएमसीसी	2,05,000/-	1/80, गली सं.-4, गढ़वाली मुहल्ला, लक्ष्मीनगर, दिल्ली	

ख. 1.6.2003 को बनाए गए श्रमिक कल्याण निधि से पूर्व मृत्यु के मामलों की सूची

क्र.सं.	मृतक का नाम	ठेकेदार/उप-ठेकेदार और मृत्यु की तिथि	कामगार के प्रतिपूर्ति + मानवता प्रतिपूर्ति की राशि	डीएमआरसी श्रमिक कल्याण निधि प्रतिपूर्ति राशि रु. में	कुल कामगार प्रतिपूर्ति + श्रमिक कल्याण निधि	पता	अभ्युक्तियां, यदि हों
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गणेश पोद्दार	मै. एकोनपुरी/ 9.6.2003	1,65,000	1,50,000	3,15,000	ग्रा.+पो.-सुखाशन मनारा थाना-सिंहेश्वर स्थान जिला-मधेपुरा, बिहार	अंतिम रूप दिया गया
2.	कृष्ण कुमार साह	मै. गैमोन-रिजानी/ 10.6.2003	3,76,861	50,000	4,26,861	ग्रा.+पो.-भावदेव वाया चम्पारण कोठी, थाना-सीमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा, बिहार	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	विनोद कुमार	मै. गैमोन-रिजानी/ 11.8.2003	4,06,381	50,000	4,56,381	ग्रा.-सवाना उत्तातुला पो.-सवाना, जिला-सिवान, बिहार	अंतिम रूप दिया गया
4.	राम स्वरूप	मै. अहलुवालिया/ 8.12.2003	4,63,060	2,00,000	6,63,060	ग्रा.-कुंटालवाश, पो-राहुवाश तहसील-लोलसोट, थाना-नांगल, राजवतन जि.-दौसा, राजस्थान	अंतिम रूप दिया गया
5.	पृथ्वी राज सिंह उर्फ सोनू	मै. अहलुवालिया/ 23.1.2004	4,60,500	50,000	5,10,500	खेडिया हेवातखान, पो. कलवा, तहसील-गवाना, थाना गवाना, जि.-अलीगढ़, उ.प्र.	अंतिम रूप दिया गया
6.	जगन चन्द्र बंशी	मै. आईएमसीसी/ 7.6.2003	3,67,040	3,00,000	6,67,040	ग्रा. बेहारा, पो. ताला लेमुआ, ठेक्कार, थाना-मोहम्मदगंज, जि.-पलामू, झारखण्ड	अंतिम रूप दिया गया
7.	अशोक कुमार	मै. आईएमसीसी/ 10.6.2003	2,77,516	3,00,000	5,77,516	भवन सं. ए-51, मेन बाजार, पूर्वी जवाहर नगर, लोनी बोर्डर, उ.प्र.	अंतिम रूप दिया गया
8.	धूर्बा करकी	मै. केएसएचआई/ 28.6.2003	4,35,297	2,50,000	6,85,297	द्वारा न्यू श्राइन एकेडिमी, फूल चौकी माई मार्ग/भवन सं. 432, बानेश्वर, काठमांडू-10, नेपाल	अंतिम रूप दिया गया
9.	नाबर केरकेट्टा	मै. केएसएचआई/ 3.07.2003	4,15,399	2,50,000	6,65,399	द्वारा विक्टर मिंज, कोकर टंकी टोला, पो. बरियातु, थाना-सदर, रांची, झारखण्ड-834009	अंतिम रूप दिया गया
10.	रवि शंकर मौरया	मै. केएसएचआई/ 18.7.2003	4,48,930	50,000	4,98,930	ग्रा. नवादा, पो. बियुर, प्रखंड-सैदाबाद, थाना हंडिया, जि. इलाहाबाद, उ.प्र.	अंतिम रूप दिया गया
11.	सुशील कुमार	मै. आईएमसीसी/ 1.10.2003	4,63,703	1,00,000	5,63,703	ग्रा. नांगल थाथल, पो. गढ़दीवाला, थाना गढ़दीवाला, जि. होशियारपुर, पंजाब	अंतिम रूप दिया गया
12.	संतोष मिश्रा	मै. आईएमसीसी/ 28.3.2004	3,19,852	2,00,000	5,19,852	ग्रा. जमुनियापार, पो. कायमोरी, जि. कटनी, म.प्र.	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	कन्हैया लाल यादव	मै. आईएमसीसी/ 14.9.2004	5,29,200	1,70,800	7,00,000	ग्रा. लोहंडी रोड, थाना-पुथा महावीर, जि. मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश	अंतिम रूप दिया गया
14.	विकास कौशल	मै. केएसएचआई/ 15.9.2004	6,25,700	74,300	7,00,000	ग्रा.-उमरेन, जि.-औरेया, उत्तर प्रदेश	अंतिम रूप दिया गया
15.	नागेन्द्र सिंह	मै. आईएमसीसी/ 9.10.2004	5,30,000	1,70,000	7,00,000	ग्रा. कुंदलिया, पो. बेनीपुर, थाना-जांसा, जि.-वाराणसी, उत्तर प्रदेश	अंतिम रूप दिया गया
16.	हीरामन पंडित	मै. आईएमसीसी/ 26.9.2005	2,17,645	1,00,000	3,17,645	ग्रा. शिवनगर, सतपीपार, पो. रामगढ़वा, थाना-रामगढ़वा, जि.-पश्चिम चम्पारण, मोतिहारी, बिहार	अंतिम रूप दिया गया
17.	दीजन मंडल	मै. पर्सीज पुंज लॉयड/ 31.12.2003	3,22,278	2,50,000	5,72,278	ग्रा. बल्लीटोला, पो. भटनी, थाना मानीकचक, जि. मालदा, पश्चिम बंगाल	अंतिम रूप दिया गया
18.	रेशबुल शेख	मै. जेएमसी (इंडिया) लि./ 7.2.2004	3,21,100	2,50,000	5,71,100	द्वारा श्रीमती नुरफुलसेख, जि. दक्षिण सीलमपुर, सदरपुर, पो. बाहादुरपुर, थाना-कलियाचक, जि.-मालदा, पश्चिम बंगाल	अंतिम रूप दिया गया
19.	सुरेश यादव	मै. आईजेएम जेवी/6.3.2004	4,37,759	1,00,000	5,37,759	ग्रा. पुरसोलिया, थाना-कलुआही, तहसील-जयनगर, जि.-मधुवनी, बिहार	अंतिम रूप दिया गया
20.	अवधेश मिश्रा	मै. गैमन इंडिया लि./13.3.2004	3,90,138	2,00,000	5,90,138	द्वारा श्री श्रद्धा नंद मिश्रा, गांव-गिजास, वाया-जयंतपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार-843123	अंतिम रूप दिया गया
21.	सदानंद/कुल इनकेपीसीटेशन	मै. गैमन इंडिया लि./4.6.2004	3,75,488	3,00,000	6,75,488	ग्रा. बुदीयारू, पो. पोगड़ा, थाना-सिल्ली, जि. रांची, झारखंड	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	संजय कुमार चौधरी	मै. गैमन इंडिया लि./21.6.2004	3,87,761	50,000	4,37,761	ग्रा. धानपारा, गरटोला, थाना सिमरी, बख्तियारपुर, पो. छपवा कोठी, जि. सहरसा, बिहार	अंतिम रूप दिया गया
23.	दीपलाल सहनी	मै. जेएमसी (इंडिया) लि./ 19.8.2004	1,00,000	50,000	1,50,000	द्वारा श्री देवशरण साहनी, ग्रा.पो. भेलवा, थाना-मधुवन, जि. पूर्वी चम्पारण, बिहार	अंतिम रूप दिया गया
24.	बीरपाल चौहान	मै. एफकॉन्स 31.10.2004	2,90,165	3,00,000	5,90,165	भवन सं. 563, मरयम नगर, शंकर विहार के पास, माता कॉलोनी, घुकना, मेरठ रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	अंतिम रूप दिया गया
25.	बिजेन्द्र माथुर	पुंज लॉयड लि./11.11.04	3,34,109	50,000	3,84,109	सी-68, पुरानी सीमा पुरी, शाहदरा, दिल्ली	अंतिम रूप दिया गया
26.	दिवान सिंह	मै. गैमन इंडिया लि./8.12.2004	3,85,840	2,50,000	6,35,840	ग्रा.-धुरीहार, पो. पचरा, वाया नवादा, जि. हिसुवा-805110	अंतिम रूप दिया गया
27.	गोविन्दी देवी	मै. पुंज लॉयड/ 10.12.2004	1,55,243	2,00,000	3,55,243	आरजेड 256, ब्रह्मपुरी, नई दिल्ली	अंतिम रूप दिया गया
28.	सुरेश कुमार	मै. गैमन इंडिया लि./10.1.2005	4,97,155	50,000	5,47,155	कानजी राकट्टा हाउस, पो. इडाकेडेथी, जि. कोट्टेयम, केरल	अंतिम रूप दिया गया
29.	बीरेन्द्र चौधरी	आईजेएम-एनबीसीसी-बीआरएम जेवी/ 15.2.2005	3,17,242	2,00,000	5,17,242	ग्रा.-पूर्वी जाई, पो. जुघा दान, जि. वाराणसी, उत्तर प्रदेश	अंतिम रूप दिया गया
30.	मो. शकूर	सैम इंडिया बिल्ट वेल प्रा.लि./ 9.4.2005	4,02,920	2,00,000	6,02,920	ग्रा.-सहरिया, पो. बसादा, थाना-बराड़ी, जि. कटिहार, बिहार	आश्रितों को अभी आना है
31.	शैलेन्द्र यादव	एलएण्डटी/ 23.4.2005	3,91,312	1,88,000	5,79,312	ग्रा.-सोहरवा, पो. सेसवा, थाना-चौथम, जि.-खगड़िया, बिहार	अंतिम रूप दिया गया
32.	हीरा लाल यादव	आईजेएम-एनबीसीसी-वीआरएम जेवी/ 26.4.2005	4,82,437	2,10,000	6,92,437	ग्रा.+पो.-किरीयानी, जि.-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	विक्रांत सिंह, ट्रेफिक मार्शल	बीबीजे (पुंज लॉयड) क.एस.पी. अरविंद/ 04.08.2005	पेंशन ईएससी आईसी से	4,00,000	4,00,000	भवन संख्या 447, गंगा राम मोहल्ला, ग्रा. कैर, पो. कैर, वाया नजफगढ़ थाना-जाफरपुर, जि. जाफरपुर, नई दिल्ली-110043	अंतिम रूप दिया गया
34.	अभि राम धल	इरकॉन/ 08.08.2005	न्यायाधीन	2,00,000	2,00,000	ग्रा. रामपुर, पो. अपंडा, थाना-बॉथ, जि. भद्रक, उड़ीसा	अंतिम रूप दिया गया
35.	मो. तनजील	गैमॉन/ 18.08.2005	3,97,818	2,00,000	5,47,818	बागदूर टोला, मीरजादपुर चौकी वाया दुर्गागंज, कडवा, कटिहार, बिहार	आश्रितों को अभी आना है
36.	वीरू राय	जेएमसी (इंडिया) लि./10.10.2005	3,74,290	2,25,000	5,99,290	ग्रा.-जगदल पो. जगदल, थाना-बामोनगोला, जि.-मालदा पश्चिम बंगाल	अंतिम रूप दिया गया
37.	गौरी शंकर	आईसीई कन्सोर्टियम/ 7.12.2005	न्यायाधीन	2,00,000		द्वारा-श्री बलराम यादव ग्रा.+पो. नया गांव थाना-बलदेवगढ़, जिला-टिकमगढ़, मध्य प्रदेश	आश्रितों को अभी आना है

चरण-2 हताहतों की सूची (2006-तक)

क्र.सं.	मृतक का नाम	ठेकेदार/उप-ठेकेदार तथा मृत्यु की तारीख	ठेकेदार अर्थात् डब्ल्यूसी+ ह्यूमेनिटेरियन कम्पनी	एलडब्ल्यूएफ क्षतिपूर्ति	कुल क्षतिपूर्ति डब्ल्यूसी+ एलडब्ल्यूएफ	पता	अभ्युक्तियां, यदि कोई हों
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजय बेहरा	नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कम्पनी/1.8.2006	3,77,308	1,50,000	5,27,308	गांव-कर्माला, डाकघर-अलीबाद, थाना-ब्रह्मगिरि, जिला-पुरी राज्य-उड़ीसा	अंतिम रूप से निपटाया गया
2.	भुल्लू शेख	सेनबो/ 30.10.2006	4,20,324/-	2,50,000	4,70,324	श्रीमती मामेजहां बेवा, गांव-खुलीग्राम डाकघर-कुली, जिला-मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल पिन-742233	अंतिम रूप से निपटाया गया
3.	बासुदेव सरकार	एएफसीओएएनएस/ 5.11.2006	3,91,737	1,00,000	4,91,737	जतिन सरकार, गांव-करडाहा कटनी वादी, डाकघर करडाहा, थाना-तपन जिला-दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	अंतिम रूप से निपटाया गया

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	सुरेन्द्र यादव	मै. पेरसजि-एसडीएन-बीएचडी जेवी/14.11.2006	3,69,980	1,50,000	5,19,980	श्री युगेश्वर यादव, गांव-माहुली डाकघर-मिर्जापुर नबी नगर, औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद	अंतिम रूप से निपटाया गया
5.	अशोक कुमार	आईजेएम-आईजेएम-2 जेवी/18.2.2007	मामला एमएसीटी के अंतर्गत निर्णयाधीन है	3,00,000	3,00,000	गंगापुर डाकघर-मुर्वा बाजार समस्तीपुर, बिहार	एलडब्ल्यूएफ अंतिम रूप से निपटाया गया
6.	सतेन्द्र सिंह	सीमेंस/ 28.2.2007	4,30,166	1,00,000	5,30,166	गांव-पीपला बंदपुर, डाकघर-पिलखुआ, थाना-पिलखुआ जिला-गाजियाबाद, राज्य-उत्तर प्रदेश पिन-245304	अंतिम रूप से निपटाया गया
7.	संजय शर्मा	आईजेएम-आईजेएम-2 जेवी/22.7.2007	3,84,077	2,50,000	6,35,077	श्री पूरन मल शर्मा, गांव व डाकघर-पिलोड थाना-चिड़वा जिला-झुंझुनूं, राज्य-राजस्थान	अंतिम रूप से निपटाया गया
8.	बचितर सिंह	नवयुग/28.7.2007	4,29,640	2,75,000	7,04,640	पुत्र दर्शन सिंह, गांव-खलवान डाकघर-कादियां, जिला-गुरदासपुर, पंजाब	अंतिम रूप से निपटाया गया
9.	मो. हनीफ	एफकॉन्स/ 14.09.2007	3,69,118	3,30,000	6,99,118	गांव-गेरवा, डाकघर-सिहावल थाना-अमिलिया, जिला-सीधी, मध्य प्रदेश	अंतिम रूप से निपटाया गया
10.	सतेन्द्र कुमार	पार्श्वनाथ/ 7.10.2007	डब्ल्यूसी निर्णयाधीन	2,50,000	2,50,000	गांव-नगला बागड़ी, डाकघर-मुगलपुर नराली, जिला-इटावा, उत्तर प्रदेश	एलडब्ल्यूएफ अदा कर दी गयी और डब्ल्यूसी निर्णयाधीन
11.	विनोद पाण्डेय	नवयुग/ 6.5.2007	3,44,399	2,00,000	5,44,399	पुत्र गंगा पाण्डेय, गांव-पटमाचैक डाकघर-पहाड़ी, जिला+डाकघर-शिवहर, बिहार	अंतिम रूप से निपटाया गया
12.	अब्दुल	नवयुग/ 6.5.2007	3,86,577	2,00,000	5,86,577	गांव-बहुआ पारा, डाकघर-बैदारा थाना-इटाहर, जिला-उत्तर दिनाजपुर राज्य-पश्चिम बंगाल	अंतिम रूप से निपटाया गया
13.	बसर	नवयुग/ 6.5.2007	3,78,839	1,50,000	5,28,839	गांव-दीपासराय, डाकघर-चम्बल, जिला-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	अंतिम रूप से निपटाया गया
14.	पुलेश्वर किस्कु	आईटीडी/ 7.5.2007	3,55,407	2,50,000	6,05,407	गांव-बर्मो टांड, डाकघर-चांदीपुर, थाना-कस्मार, जिला-बोकारो, झारखंड	आश्रित अभी आने हैं
15.	अमित कुमार	सिम्प्लैक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि./ 9.7.2007	4,27,140/-	2,80,000	7,07,140	गांव-उमरैन, थाना-उमरैन जिला-औरैया, उत्तर प्रदेश	अंतिम रूप से निपटाया गया

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	विजय मंडल	एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि./ 21.1.2008	3,49,030	3,00,000	6,49,030	मौजा-सोनाचूरा मंडल पारा-251 जीपी-10 नम्बर सोनाचूरा, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	अंतिम रूप से निपटाया गया
17.	सबहपति	सीईसी-सोमा जेवी/29.1.2008	4,01,483	3,00,000	7,01,483	गांव-माधोपुर धारंग तहसील-लालगंज थाना-देवगांव, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश	अंतिम रूप से निपटाया गया
18.	ब्रह्मानंद	एलएण्डटी/ 30.1.2008	3,94,120	3,00,000	6,94,120	गांव-फुलोरिया लाला डाकघर-भालोनी, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश पिन-274122	अंतिम रूप से निपटाया गया
19.	अरबिन्द कुमार	अल्पाइन एचसीसी-सैमसंग जेवी/7.2.2008	3,75,000	2,50,000	6,25,000	गांव-नरोली, डाकघर-लौंड , थाना-सिरडला, जिला-नवादा, बिहार	आश्रित अभी आने हैं
20.	राकेश कुमार सिंह	आईजेएम-आईजेएम-2 जेवी/7.2.2008	4,23,994	2,00,000	6,23,994	गांव-सबदलपुर, डाकघर-सबदलपुर काहिटिश, थाना-परमानिक, जिला-मलादा, पश्चिम बंगाल-732201	अंतिम रूप से निपटाया गया
21.	उमेश कुमार चौधरी	स्सुधीर पॉवर प्रोजेक्ट्स/ 22.5.2008	3,75,960	4,00,000	7,75,960	गांव+डाकघर-मोहब्बतपुर, थाना-पारो (देवरिया), जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार	अंतिम रूप से निपटाया गया
22.	राजेश कुमार	सिम्प्लैक्स/ 30.5.2008	4,01,409	3,95,000	7,96,409	गांव-नौगांव कला, डाकघर-बिच्छी थाना-राबर्ट्सगंज, जिला-सोनभद्र, उत्तर प्रदेश	अंतिम रूप से निपटाया गया
23.	तपन महालदर	कालिंदी रेल निर्माण/ 24.8.2008	4,62,696	2,50,000	7,12,996 (अंतिम एलडब्ल्यूएफ क्षतिपूर्ति का निर्णय लिया जाना है)	गांव-हजारीपारा, डाकघर-नूरपुर थाना-मानिकचक अंचल जीपी-नूरपुर, जिला-मालदा, पश्चिम बंगाल	अंतिम रूप से निपटाया गया
24.	हंसनाथ सिंह	आईटीडी-आईटीडी-सैम जेवी/28.8.2008	3,53,580	4,00,000	7,53,580	गांव-राजबाड़ी पटवरा, थाना-यादवपुर जिला-गोपालगंज, बिहार	अंतिम रूप से निपटाया गया
25.	आत्मा सिंह	आईजेएम-आईजेएम-2 जेवी/6.9.2008	2,85,360	3,00,000	5,85,360	गांव+डाकघर करम्बनायर जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश	अंतिम रूप से निपटाया गया
26.	त्रिभुवन	एल एण्ड टी/ 12.10.2008	4,36,940	2,50,000	6,86,940	गांव-एकडरहिया गारद, डाकघर-कोरौन, थाना कोरौन, जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	अंतिम रूप से निपटाया गया
27.	शफीक मौहम्मद	आईटीडी-आईटीडी सैम जेवी/15.10.2008	3,97,615	2,50,000	6,47,615	गांव-जिया राम, थाना-ढाका, डाकघर-परेसिया, जिला-मोतिहारी, बिहार	आश्रित अभी आने हैं

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	छोटे लाल	एफकॉन्स/ 19.10.2008	4,26,000	5,00,000	9,26,000	गांव-विजय बाजार, माझीटोला, जिला पूर्णिया, बिहार	अंतिम रूप से निपटाया गया
29.	सुरेन्द्र कुमार (ब्ल्यूलाइन बस/ लक्ष्मी नगर)	बस चालक/ 19.10.2008	डब्ल्यूसी एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं किया गया	5,00,000	5,00,000	3609/ए-5, नारंग कालोनी, त्रिनगर, दिल्ली	अंतिम रूप से निपटाया गया
30.	हितेन राय	लैंग इन्दु जेवी/ 23.11.2008	4,30,397	2,50,000	4,85,397 (अंतिम एलडब्ल्यूएफ क्षतिपूर्ति का निर्णय लिया जाना है)	गांव+डाकघर-बेगुलबारी खासपुर, थाना बल्लूर घाट, जिला-दक्षिण दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	अंतिम रूप से निपटाया गया
31.	वोरापोंग	आईटीडी-आईटीडी-सैम जेवी/12.12.2008	2,37,320	2,50,000	4,87,320	50/23, एम 001, सब-जिला बांजखेन, जिला-मुआंग, प्रांत नौन्थाबुरी थाइलैंड-11000	अंतिम रूप से निपटाया गया
32.	रामप्रकाश	गेमन इंडिया/ 28.12.2008	4,23,064	2,50,000	6,73,064	चमरा शिकारगंज चाकिया चंदौली, उत्तर प्रदेश	अंतिम रूप से निपटाया गया
33.	विवेकानंद दास	आईटीडी-आईटीडी-सैम जेवी/19.1.2009	4,07,700	2,50,000	6,57,700	गांव-गबटाला, पुलिस थाना-हसनाबाद, डाकखाना-इचापुर, जिला-24 परगना (उत्तर) पश्चिम बंगाल	अंतिम रूप से निपटाया गया
34.	रतनेश	एएसएच-जेवी-एएमईएलसी/ 4.3.2009	4,23,580	3,50,000	7,73,580	गांव-पोस्ट ऑफिस-थाटियान, पुलिस थाना-कुंधनी, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार	अंतिम रूप से निपटाया गया
35.	हशनेन खान	एएसएच-जेवी-एएमईएलसी/ 9.3.2009	3,38,880	4,00,000	7,38,880	नागवा वाया काजीसेरी, काका, जहानाबाद, बिहार	अंतिम रूप से निपटाया गया
36.	गुल मोहम्मद	कंवरजी कंस्ट्रक्शन/ 10.5.2009	अनुग्रह राशि: 1,50,000	2,50,000	4,00,000	गांव-पिरगान, डाक-सुलतान नगर पुलिस थाना-हरीचंदरपुर, मालदा, पश्चिम बंगाल	एलडब्ल्यूएफ अंतिम रूप से निपटाया गया
37.	गनपत राय	एल एण्ड टी/ 16.5.2009	4,27,140	2,70,000	6,97,140	गांव-समाहुता, डाक-पिपरा मर्दन राय के, पुलिस-थाना कोराहगड़, जिला-रोहतास, बिहार-821107	अंतिम रूप से निपटाया गया
38.	नहिरूल मंडल	सेनबो/ 15.6.2009	4,30,560	2,50,000	6,80,560	गांव-कोमराघा घाट, डाक-राजदरबारा, पुलिस थाना-बहरामपुर, जिला-मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल	आश्रितों को अभी आना है

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	सनत मरांडी	एपलाइन-एचसीसी-सेमसंग/9.7.2009	4,48,000	2,50,000	6,98,000	गांव-पायक पारा, डाक-माल पहाड़ी, जिला-पाकुर, झारखंड	अंतिम रूप से निपटाया गया
40.	अंशुमन प्रतिहार	गेमन/ 12.7.2009	4,23,580	5,00,000	9,23,580	पुत्र शंकर प्रसाद प्रतिहार, गांव-सुकगोरा, डाक-गलिया, पुलिस थाना-जाजपुर, जिला-बाजुरा, पश्चिम बंगाल	अंतिम रूप से निपटाया गया
41.	निरंजन यादव	गेमन/ 12.7.2009	4,52,760	50,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है 4,50,000 रुपये डब्ल्यूसी के संवितरण के पश्चात् अदा किए जाएंगे	9,52,760	पुत्र अवधि प्रसाद, गांव-लत्तीपुर, डाक-बीहपुर, जिला-भागलपुर, बिहार	डब्ल्यूसी न्यायालय द्वारा कानूनी वारिस निर्धारित किया जा रहा है
42.	बदन सिंह	गेमन/ 12.7.2009	3,94,120	5,00,000	8,94,120	पुत्र हरि विलास, गांव-डाक-बुढारा, पुलिस थाना-पोरसा, जिला मुरेना, मध्य प्रदेश	अंतिम रूप से निपटाया गया
43.	अमित कुमार	गेमन/ 12.7.2009	4,15,960	5,00,000	9,15,960	पुत्र लड्डू यादव, गांव-लत्तीपुर डाक-बीहपुर, जिला-भागलपुर बिहार	अंतिम रूप से निपटाया गया
44.	पप्पु यादव	गेमन/ 12.7.2009	4,33,820	5,00,000	9,33,820	पुत्र देवनंदन यादव, गांव-लत्तीपुर, डाक-बीहपुर, जिला-भागलपुर, बिहार	अंतिम रूप से निपटाया गया
45.	भान सिंह	गेमन/ 12.7.2009	4,07,700	5,00,000	9,07,700	पुत्र चित्रा सिंह, गांव-रतनपुर, डाक-माधाभाऊ पुलिस थाना-मनिया, तहसील-धौलपुर, राजस्थान	अंतिम रूप से निपटाया गया
46.	अमर सिंह	गेमन/ 12.7.2009	4,07,700	5,00,000	9,07,700	पुत्र भवन सिंह, गांव-डाक-बुढारा, पुलिस थाना-पोरसा, जिला मुरेना, मध्य प्रदेश	अंतिम रूप से निपटाया गया
47.	विक्की सिंह	आईडीईबी-एसयूवीजी-जेवी/22.7.2009	5,12,740	3,00,000	8,12,740	पुत्र रामसिंह, गांव-रघुनाथपुर, डाक-मुगडिया, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	अंतिम रूप से निपटाया गया
48.	अरूण गोवाला	गेमन/ 29.8.2009	4,48,000	2,50,000	6,98,000	पुत्र सुखराम गौवाला, हेलेम बागान, लाइन संख्या-6, डाक-हेलेम, पुलिस थाना-मिचामारी, जिला-सोनीतपुर राज्य-असम	आश्रितों को अभी आना है

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	सरवर अहमद	सीईसी-सोमा जेवी//29.10.2009	4,36,940	2,50,000	4,86,940	पुत्र अनवर अहमद, गांव-कुशी, दिलदार नगर, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	अंतिम रूप से निपटाया गया
50.	मनीष कुमार	सिम्लैक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि./29.12.2009	4,19,840	2,50,000	4,69,840	गांव-मोरभोज, डाक-मोरभोज, घोसी, जिला-मऊ-275105	अंतिम रूप से निपटाया गया
51.	विपिन एक्का	आईजेएम-आईजेएमआईआई जेवी/31.1.2010	4,33,820	2,00,000	6,33,820	गांव-घंगारी गुरी, पुलिस थाना-केंगेर केला, जिला-सुन्दरगढ़, उड़ीसा	आश्रितों को अभी आना है
52.	बलराज सिंह	आईडीबीई-एसयूसीजी-7.2.2010	4,50,500	2,50,000	7,00,500	गांव-बलिया मंजपुर, तहसील-अमृतसर, जिला-अमृतसर	अंतिम रूप से निपटाया गया
53.	घनश्याम	सीपीसी-एसबीजी जेवी/24.1.2010	डब्ल्यूसी के अंतर्गत मामला न्यायाधीन है	2,50,000	–	गांव-भडराई, डाक-बार, तहसील-पलेरा, टिकमगढ़	अंतिम रूप से निपटाया गया
54.	जय प्रकाश	लेंग इंदू/ 11.8.2010	8,85,480	2,00,00	10,85,480	गांव व डाक-धेनुकी, जिला-सारण, बिहार	अंतिम रूप से निपटाया गया

कुल [चरण-1—55 (18+37), चरण-2—54] कुल : 109 मामले

ठेका श्रम अधिनियम में संशोधन

2017. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में देश में लाखों कामगार बिना किसी रोजगार सुरक्षा के ठेके के आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे कामगारों के लिए निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1971 के ठेका श्रम अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास देश में ठेका श्रमिकों का कोई डाटा है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ठेका श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) देश में ठेका आधार पर नियोजन रोजगार का बढ़ता स्वरूप है। जैसा कि ठेका श्रम की अवधि परियोजना/कार्य की मात्रा तथा समय-सूची पर निर्भर करती है, इसलिए ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेका श्रमिकों के नियमितीकरण के लिए कोई उपबंध मौजूद नहीं है। उक्त अधिनियम में कार्य/रोजगार की सुरक्षा के लिए किसी संशोधन का कोई आशय नहीं है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा वर्ष 2006-07 और 2007-08 में कराए गए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में ठेका श्रमिकों की संख्या निम्नवत् है:—

वर्ष	ठेका श्रमिकों की संख्या
2006-07	2363832
2007-08	2538360

केन्द्रीय परिधि में लाइसेंसों के माध्यम से कवर किए गए कामगारों की संख्या निम्नवत् है:-

वर्ष	ठेका श्रमिकों की संख्या
2007-08	1313742
2008-09	1377610
2009-10	1373430

(च) जहां कहीं किसी संगठन को सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों जैसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल किया जाता है वहां ठेका श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, ठेका कामगारों सहित असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को महसूस करते हुए सरकार न असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 का अधिनियमन किया है।

उपभोक्ता सेवाओं में सुधार

2018. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग की उपभोक्ता सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को उपभोक्ता सेवाओं में सुधार करने के कोई दिशा-निर्देश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपभोक्ता न्यायालयों में उपभोक्ता सेवाओं के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो उपभोक्ताओं की शिकायतों के इस बढ़ते रुझान को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) दूरसंचार विभाग अब सेवा प्रदाता नहीं है और इसलिए दूरसंचार विभाग की उपभोक्ता सेवाओं के संबंध में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्ष 2000 में यथा-संशोधित ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(ख)(V) के द्वारा ट्राई को सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानदंड निर्धारित करने, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की जा सके। बीएसएनएल और एमटीएनएल भी अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की भांति ट्राई द्वारा सेवा की गुणवत्ता के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

(ङ) और (च) महाप्रबंधक दूरसंचार बनाम एम. कृष्णन तथा अन्य के बीच 2004 के सिविल अपील मामला सं. 7687 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के अद्यतन विनिर्णय/आदेश के अनुसार, यदि टेलीफोन बिलों से संबंधित विवादों के संबंध में भारतीय तार अधिनियम की धारा 7-ख में विशेष उपाय का प्रावधान किया गया है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत समाधान के उपाय करने पर रोक लगा दी गई है।

विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा

2019. श्री रमाशंकर राजभर:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री चंदूलाल साहू:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों की विकास दर में तुलनात्मक रूप से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वर्ष की तुलना में पिछले दो वर्षों का पूंजीगत वस्तुओं तथा मुख्य क्षेत्र सहित क्षेत्र-वार/उद्योगवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) हाल ही की मंदी के दौरान पिछले दो वर्षों में कितने उद्योग बंद हुए;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए तथा सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में हाल के गिरावट के रुझान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या छत्तीसगढ़ सहित किसी राज्य सरकार ने औद्योगिक पैकेज दिए जाने का अनुरोध किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में मापी गई समग्र औद्योगिक विकास दर 2008-09 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 10.5 प्रतिशत हो गई है। चालू वर्ष के पहले छह महीनों में समग्र विकास दर 10.2 प्रतिशत है जो 2009-10 की इसी अवधि में 6.3 प्रतिशत और 2008-09 में 5.4 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। आईआईपी की क्षेत्र-वार वृद्धि इस प्रकार है:

प्रमुख समूहों के लिए औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर (प्रतिशत)

	2008-09	2009-10	अप्रैल-सितम्बर		
			2008-09	2009-10	2010-11
आधारभूत वस्तुएं	2.7	7.2	4.1	6.1	5.5
पूंजीगत वस्तुएं	8.2	20.9	12.4	5.2	24.3
मध्यवर्ती वस्तुएं	-1.8	13.6	0.8	9.3	10.4
उपभोक्ता टिकाऊ सामान	4.7	24.6	7.5	18.6	23.2
उपभोक्ता गैर-टिकाऊ सामान	6.1	0.4	7.9	-0.1	2.0
समग्र उद्योग	3.2	10.5	5.4	6.3	10.2

(ग) बंद हुए उद्योगों के संबंध में विवरण केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के संबंध में चर्चा पत्र का मसौदा टिप्पणियों के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वेबसाइट पर डाला गया है। प्रारूप नीति में परिकल्पित प्रमुख उद्देश्य उपायों की एक विस्तृत शृंखला के माध्यम से जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का भाग बढ़ाना है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अच्छी भौतिक अवसंरचना मुहैया कराना, स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देना, उचित निवेश प्रोत्साहन और कारोबार के अनुकूल अनुमोदन तंत्र शामिल हैं।

(च) और (छ) विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत अनुदान हेतु आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। चूंकि, ये राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और पूर्वोत्तर राज्यों जैसी भौगोलिक अलगाव, दुर्गम भू-भाग, कम संसाधन आधार, बड़े बाजारों से काफी दूर होना, घटिया अवसंरचना, आदि जैसी प्रतिकूलताओं से ग्रस्त नहीं है, अत: इन पर किसी भी विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत अनुदान हेतु विचार नहीं किया गया है।

आईटीआई का उन्नयन

2020. श्री उमाशंकर सिंह:
श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का संपूर्ण देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) का उन्नयन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो बिहार तथा गुजरात में इस योजना के तहत कितने आईटीआई को शामिल किया गया है; और

(ग) इन राज्यों में इन आईटीआई के लिए कितनी धनराशि संस्वीकृत तथा उपलब्ध कराई गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां। संघीय सरकार ने पूरे देश में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के प्रयोजन से निम्नलिखित तीन योजनाएं तैयार की हैं:

(1) घरेलू वित्तपोषण के माध्यम से 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्ट केन्द्रों (सीओई) के रूप में उन्नयन।

(2) विश्व बैंक की सहायता से व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) के माध्यम से 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन।

(3) सार्वजनिक निजी भागीदारी माध्यम से 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन।

(ख) उपर्युक्त योजनाओं के माध्यम से बिहार के 21 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और गुजरात के 103 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नयन की प्रक्रिया में हैं।

(ग) बिहार राज्य के लिए 50.90 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है और इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 39.81 करोड़ रुपए उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

गुजरात राज्य के लिए 250.73 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई है और 232.60 करोड़ रुपए इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत बिहार तथा गुजरात राज्यों को संस्वीकृत तथा उपलब्ध करवाई गई निधियों का ब्यौरा विवरण-I व II के रूप में संलग्न है।

विवरण I

बिहार राज्य के लिए संस्वीकृत तथा उपलब्ध करायी गई निधियां

क्र.सं.	योजना का नाम	औ.प्र.सं. की संख्या	संस्वीकृत निधियां करोड़ रुपये	उपलब्ध करवाई गई निधियां करोड़ रुपये
1.	घरेलू वित्त पोषण से 100 औ.प्र.सं. का उत्कृष्ट केन्द्रों (सीआई) के रूप में उन्नयन	2	2.40	2.19
2.	विश्व बैंक की सहायता से व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) के माध्यम से 400 औ.प्र.सं. का उन्नयन	8	21.00	10.12
3.	पीपीपी माध्यम से 1396 सरकारी और औ.प्र.सं. का उन्नयन	11	27.50	27.50
	कुल	21	50.90	39.81

विवरण II

गुजरात राज्य के लिए संस्वीकृत तथा उपलब्ध करायी गई निधियां

क्र.सं.	योजना का नाम	औ.प्र.सं. की संख्या	संस्वीकृत निधियां करोड़ रुपये	उपलब्ध करवाई गई निधियां करोड़ रुपये
1.	घरेलू वित्त पोषण से 100 औ.प्र.सं. का उत्कृष्ट केन्द्रों (सीआई) के रूप में उन्नयन	8	9.60	9.60
2.	विश्व बैंक की सहायता से व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) के माध्यम से 400 औ.प्र.सं. का उन्नयन	29	76.13	58.00
3.	पीपीपी माध्यम से 1396 सरकारी औ.प्र.सं. का उन्नयन	66	165.00	165.00
	कुल	103	250.73	232.60

असंगठित क्षेत्र के कामगार

2021. श्री आर. थामराईसेलवनः
श्री जयंत चौधरीः
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डीः

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र के कामगारों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक राज्य-वार कितनी निधियां जारी की गईं तथा व्यय की गईं; और

(घ) इस संबंध में लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

बंधुआ मजदूर

2022. श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार तथा राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उक्त अवधि के दौरान आज तक विशेषकर ईंट के भट्टों से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा मुक्त कराए गए इन मजदूरों का पुनर्वास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों की संख्या निम्नवत् है:

वर्ष	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	मुक्त कराए गए/ पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की संख्या
1	2	3
2007-08	बिहार	150
	मध्य प्रदेश	192
	हरियाणा	09
	उत्तर प्रदेश	277
	पश्चिम बंगाल	88
2008-09	बिहार	409
	उत्तर प्रदेश	80
	पश्चिम बंगाल	54
2009-10	बिहार	264
	उत्तर प्रदेश	100
2010-11 (30.9.2010 तक)	छत्तीसगढ़	586
	उत्तर प्रदेश	100
	पश्चिम बंगाल	77

(ग) ईंट भट्टों से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। पहचाने गए और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए मई, 1978 से बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना स्कीम लागू है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक बंधुआ मजदूर को पुनर्वास सहायता के लिए 20,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं जिसे केन्द्र और राज्य सरकार समान रूप से बांट लेती हैं।

[अनुवाद]

निर्यात क्षेत्र हेतु प्रोत्साहन

2023. श्री वैजयंत पांडा:
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम-सघन निर्यात क्षेत्र अर्थात् वस्त्र, हथकरघा तथा चमड़ा उद्योग हेतु प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें कमजोर वैश्विक आर्थिक उत्थान के दौर में मदद प्रदान की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) श्रम-सघन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आरंभ/विस्तार दिए जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) हथकरघा तथा परिधान क्षेत्रों की जीवनक्षमता में सुधार करने के लिए इन क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कार्य योजना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) सरकार और आरबीआई द्वारा वस्त्र, हस्तशिल्प और चर्म क्षेत्रों सहित श्रम गहन क्षेत्रों के निष्पादन की निगरानी पर विशेष जोर देते हुए देश में और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से आर्थिक घटनाक्रमों पर नियमित आधार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सरकार और आरबीआई द्वारा जरूरत आधारित प्रोत्साहनों समेत बजट, 2009-10 तथा 2009-11; विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2009-14 में की गई घोषणाओं; तत्पश्चात् जनवरी/मार्च, 2010 और 23 अगस्त, 2010 को जारी एफटीपीए के वार्षिक पूरक अंक में की गई घोषणाओं सहित प्रोत्साहन पैकेजों के रूप में विभिन्न उपाए किए गए हैं। किए गए कुछेक विभिन्न उपायों में शामिल हैं- विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), फोकस बाजार स्कीम (एफएमएस), फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस), बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम (एमएलएफपीएस) के अंतर्गत बाजार विस्तार तथा उत्पाद विविधिकरण हेतु निर्यात प्रोत्साहन, रियायती निर्यात ऋण, विशिष्ट क्षेत्रों के लिए ब्याज छूट, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) स्कीम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु शून्य अथवा रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात और प्रक्रियागत सरलीकरण एवं यौक्तिकरण हेतु उपाय। सरकार ने विभिन्न निर्यात क्षेत्रों और खासकर ऐसे श्रम गहन क्षेत्रों में सहायता/प्रोत्साहन प्रदान किए हैं जो वैश्विक आर्थिक मदी से प्रतिकूलत: प्रभावित हुए हैं।

[हिन्दी]

फलों तथा सब्जियों का निर्यात

2024. श्री अंजन कुमार एम. यादव:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्रीमती रमा देवी:
श्री जगदीश शर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से फलों तथा सब्जियों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा तथा मूल्य की सब्जियों का निर्यात किया गया; और

(ग) फलों तथा सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान फलों एवं सब्जियों के निर्यात की मात्रा एवं मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

मात्रा: मी. टन में; मूल्य: लाख रुपए

वस्तु	2007-08		2008-09		2009-10	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ताजे फल	365732	912	470796	1151	475363	1467
ताजी सब्जियां	1358842	1525	2175472	2508	2084164	3051

स्रोत: कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

(ग) सरकार, एपीडा में पंजीकृत निर्यातकों को फल एवं सब्जियों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए एपीडा के माध्यम से उसकी स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है; ये स्कीमें है:— (1) अवसंरचना विकास स्कीम, (2) गुणवत्ता विकास स्कीम, (3) बाजार विकास स्कीम, (4) अनुसंधान एवं विकास स्कीम तथा (5) विपणन विकास सहायता। वाणिज्य विभाग की विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) के अंतर्गत फल एवं सब्जियों सहित अधिसूचित उत्पादों के निर्यातों के लिए परिवहन लागतों की प्रतिपूर्ति तथा अन्य नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से एफओबी मूल्य के 5% की समतुल्य दर से शुल्क ऋण स्क्रिप के लाभ प्रदान किए जाते हैं। फलों एवं सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित दर के अलावा अतिरिक्त 2% की दर प्रदान की जाती है। सरकार ने बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन स्कीम की घोषणा की है और वह उपजकर्ताओं को बागवानी उत्पादों के संवर्धन हेतु कार्यकलाप करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कर रही है।

रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2025. श्री संजय दिना पाटील:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्री मिलिंद देवरा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की आवक को और प्रोत्साहन देने के लिए रक्षा उत्पादन को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही एफडीआई में प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार आयात कम करने तथा दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के समक्ष आ रही निवेश संबंधी बाधाओं को दूर करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार की नीति रक्षा उत्पादन में अधिक आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहने की है। इस उद्देश्य के लिए 2009 में अधिप्राप्ति की 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' श्रेणी को शामिल करने हेतु रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008 में संशोधन किया गया है। अधिक से अधिक रक्षा उपस्करों की अधिप्राप्ति इस प्रक्रिया की 'खरीदो (भारतीय)', बनाओ तथा 'खरीदो और बनाओ (भारतीय)' के जरिए की जा रही है। हम रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की पहले से अधिक भागीदारी को भी सक्रियता से प्रोत्साहित कर रहे हैं।

भूमि का वितरण

2026. श्री जयवंत गंगाराम आवले:
श्री कीर्ति आजाद:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम को प्रभावकारी रूप से लागू करने तथा अधिशेष भूमि को गरीबों विशेषकर अनुसूचित जातियों (एससी) तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) में वितरित करने तथा भूमिहीन मजदूरों को उनके हितों की रक्षा के लिए स्वयं के संघ/संगठन बनाने हेतु सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भूमिहीन गरीबों को राज्य-वार कितनी भूमि आवंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि सं. 18 के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन अनन्य रूप से संबंधित राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भूमि सुधारों के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकारी और समन्वयकारी स्वरूप की ही है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के राजस्व मंत्रियों और राजस्व सचिवों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। निर्धारित सीमा से अधिक भूमि को पात्र ग्रामीण गरीबों में वितरित करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है।

(ख) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य-वार वितरित की गई निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ग) उपरोक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार आबंटित निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण I

(30.6.2010 की स्थिति के अनुसार)
क्षेत्र एकड़ में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का वितरण							
		एस.सी.		एस.टी.		ओ.बी.सी.		लाभार्थियों की कुल सं. (3+5+7)	व्यक्तिगत लाभार्थियों को वितरित क्षेत्र (4+6+8)
		सं.	क्षेत्र	सं.	क्षेत्र	सं.	क्षेत्र		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	227052	236546	86356	121913	223438	238908	536846	597367
2.	असम	43723	86069	42365	58986	359774	400820	445862	545875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	बिहार	271437	202892	41973	34156	147726	116310	461136	353358
4.	छत्तीसगढ़	6057	10367	9608	29047	11787	21267	27452	60681
5.	गुजरात	17108	101130	15338	34795	4348	25955	36794	161880
6.	हरियाणा	12687	43672	0	0	16664	57494	29351	101166
7.	हिमाचल प्रदेश	3912	2727	329	245	2018	3195	6259	6167
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	झारखंड	487	310	328	277	501	273	1316	860
10.	कर्नाटक	18392	69884	2252	8196	11008	47100	31652	125180
11.	केरल	60831	24896	10510	8815	95557	39002	166898	72713
12.	मध्य प्रदेश	16046	38911	18385	51315	12630	43976	47061	134202
13.	महाराष्ट्र	41039	158810	29998	100436	68718	374912	139755	634158
14.	मणिपुर	82	128	70	97	1106	1457	1258	1682
15.	उड़ीसा	49072	51342	53127	66413	41155	42801	143354	160556
16.	पंजाब	11404	41501	216	743	16713	56444	28333	98688
17.	राजस्थान	30348	145568	12077	50512	41280	272888	83705	468968
18.	तमिलनाडु	66425	71287	236	320	83807	118455	150468	190062
19.	त्रिपुरा	256	218	359	448	809	933	1424	1599
20.	उत्तर प्रदेश	207321	184567	487	974	96034	77317	303842	262858
21.	पश्चिम बंगाल	1113243	388965	540245	223049	1358397	428497	3011885	1040511
22.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	दिल्ली	495	277	0	0	159	117	654	394
24.	पुडुचेरी	858	640	0	0	606	430	1464	1070
	भूमि का योग एकड़ में	2198275	1860707	864259	790737	2594235	2368551	5656769	5019995

विवरण II

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार आबंटित निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का ब्यौरा

(क्षेत्र एकड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान वितरित क्षेत्र	2010-11 (जून, 2010 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4511	0
2.	असम	0	0
3.	बिहार	94241	0
4.	छत्तीसगढ़	1	0
5.	गुजरात	56873	0
6.	हरियाणा	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0
9.	झारखंड	0	0
10.	कर्नाटक	1135	0
11.	केरल	185	0
12.	मध्य प्रदेश	24	0
13.	महाराष्ट्र	110362	0
14.	मणिपुर	0	0
15.	उड़ीसा	1172	0
16.	पंजाब	128	0
17.	राजस्थान	11886	0
18.	तमिलनाडु	1002	0
19.	त्रिपुरा	1	0
20.	उत्तर प्रदेश	0	0
21.	पश्चिम बंगाल	14813	237
22.	दादरा और नगर हवेली	0	0
23.	दिल्ली	0	0
24.	पुडुचेरी	0	0
	भूमि का योग एकड़ में	296334	237

[अनुवाद]

स्पेक्ट्रम प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण

2027. श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री अर्जुन राम मेघवाल:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने स्पेक्ट्रम मुद्दों पर अपनी सिफारिशों में देश में स्पेक्ट्रम प्रबंधन को सुदृढ़ किए जाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम प्रबंधन को सुदृढ़ किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ''स्पेक्ट्रम प्रबंधन और लाइसेंसिंग ढांचा'' पर दिनांक 11 मई, 2010 को दी गई अपनी सिफारिशों के पैरा 6.64 के तहत निम्नलिखित व्यापक सिफारिशें की हैं जिससे कि डब्ल्यूपीसी संगठन उपयुक्त तरीके से सुदृढ़ हो सके।

* बेतार सलाहकार के पद का उन्नयन;
* केन्द्रीय व्यावसायिक जिलों में और तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ मानव रहित रिमोट मॉनीटरिंग इकाइयों की स्थापना;
* आईटीयू/एपीटी में डब्ल्यूएमओ/डब्ल्यूपीसी के कर्मचारियों की भागीदारी में वृद्धि;
* उप बेतार सलाहकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में जनशक्ति को बढ़ाना।

(ग) और (घ) सरकार ने ट्राई की ओर से पूर्ण सिफारिशें नहीं आने के कारण इसकी दिनांक 11.05.2010 की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया है। नीतिगत मामला होने के कारण कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

एमजीएनआरईजीएस के तहत भुगतान

2028. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि राजस्थान के टोंक जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) कामगारों को अपना कार्य किए जाने पर एक रुपया प्रतिदिन प्राप्त होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मजदूरी दर के तहत अनेक कामगार प्रभावित हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) से (ग) जी, हां। इस मामले को सत्यापन और जांच के लिए राजस्थान सरकार को भेज दिया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम गुडुलिया, ग्राम पंचायत रूपवास, पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक में नाडी की खुदाई और पिचिंग से संबंधित एमजीएनआरईजीएस कार्य के संबंध में दिनांक 26.4.2010 से 9.5.2010 तक के दौरान 99 कामगारों ने 11.10 घनमीटर मिट्टी की खुदाई की जिससे कुल 1037 श्रम दिवस सृजित हुए। किए गए कार्य की मात्रा की मापन पुस्तिका में विधिवत प्रविष्टि की गई और इस कार्य का अधिनियम की अनुसूची-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन किया गया। चूंकि किए गए कार्य की मात्रा के लिए भुगतान की जाने वाली मजदूरी की राशि 980.27 रुपये बनती है। लेकिन 1 रुपये की दर से मजदूरी का भुगतान किया गया है।

(घ) राज्य स्तरीय अधिकारी जो स्थल पर गए थे, द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि कामगारों द्वारा किए गए कार्य की स्थल पर वास्तविक जांच नहीं की जा सकी क्योंकि वह क्षेत्र जल से भरा था। जांच रिपोर्ट में पर्यवेक्षण संबंधी लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की और उसी कार्य के लिए देय मजदूरी के दीर्घकालिक औसत के आधार पर मजदूरी के भुगतान की सिफारिश की गई है। जांच रिपोर्ट संदर्भाधीन कार्य से संबंधित मापन पुस्तिका में प्रविष्टियों से प्रतिकूल नहीं थी। डीपीसी, एमजीएनआरईजीएस, टोंक ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि कामगारों को उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार भुगतान किया गया। डीपीसी की रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित है कि पर्यवेक्षण संबंधी लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की गई है।

[हिन्दी]

अत्याचारों के मामलों हेतु विशेष न्यायालय

2029. श्री वरुण गांधीः
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं;

(ख) वे राज्य कौन से हैं जहां अब तक उक्त अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्य सरकारों से अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी विशेष न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया है जहां अब तक ऐसे न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उक्त न्यायालयों को राज्यवार कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी

की राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने इस अधिनियम के अंतर्गत जिला सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में अभिनामित किया है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश (23), बिहार (11), छत्तीसगढ़ (6), गुजरात (19), कर्नाटक (7), मध्य प्रदेश (43), राजस्थान (17), तमिलनाडु (04) और उत्तर प्रदेश (40) की राज्य सरकारों द्वारा 170 अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है।

अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी जिला सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए नामित नहीं किया है। इन राज्यों में अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज अत्याचार के अपराधों की संख्या नगण्य है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बुलेटप्रूफ जैकेट

2030. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थल सेना हल्की बुलेटप्रूफ जैकेटों की कमी का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा शीघ्रातिशीघ्र ऐसी जैकेटों की खरीद करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सेना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हल्की बुलेटप्रूफ जैकेटें उपलब्ध हैं। बुलेट प्रूफ जैकेटों की खरीद सेना की आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

इसके अलावा, आतंकवादी रोधी संक्रियाओं में बढ़ते खतरे की अवधारणा के मद्देनजर बुलेटप्रूफ जैकेटों की जनरल स्टाफ हेतु गुणात्मक आवश्यकता की पुनरीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई थी और इसे हाल ही में संशोधित किया गया है। ऐसी अधिप्राप्तियां निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती हैं।

[अनुवाद]

आईएलओ वैश्विक रिपोर्ट

2031. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''द एण्ड ऑफ चाइल्ड लेबर विद इन रीच'' के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है जैसा कि भारतीय श्रम संगठन वैश्विक प्रतिवेदन, 2006 में घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्र/राज्यों द्वारा अलग-अलग बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सामान्य बजट के अनुपात में कितना बजटीय आबंटन किया गया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) सरकार चरणबद्ध रूप से बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को पूरा करने के समग्र तथा बहुउद्देश्यीय अभिवृत्ति के माध्यम से देश से बाल श्रम का उन्मूलन करने की दिशा में बढ़ रही है जिसकी शुरुआत जोखिमकारी व्यवसायों से बच्चों को हटाने तथा गैर-जोखिम वाले व्यवसायों में संलग्न बच्चों को कवर करते हुए की गई है।

(ख) से (घ) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में 14 वर्ष की कम आयु बच्चों को जोखिमकारी व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में नियोजित करना प्रतिषिद्ध है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 3 नये व्यवसायों तथा 8 प्रक्रियाओं को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया था जिससे कुल 18 व्यवसाय तथा 65 प्रक्रियाएं हो गई हैं जिनमें बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया गया है। बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार 20 राज्यों के 266 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है जिसमें 8710 विशेष विद्यालयों को कवर किया गया है जहां जोखिमकारी कार्यों से हटाए गए बच्चों को मुख्यधारा की नियमित शिक्षा प्रणाली में शामिल करने से पूर्व प्रवेश देते हुए तथा उन्हें त्वरित समायोजी शिक्षा, पोषण, वृत्तिका तथा स्वास्थ्य देखरेख संबंधी सुविधाएं आदि उपलब्ध कराई जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2007-08 से 2009-10 में कुल 2,33,849 बच्चों को नियमित शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में जोड़ा गया है। सरकार ने राज्य सरकारों को एक प्रोटोकाल भी जारी किया है, जो प्रवासी बच्चों को वापस बुलाने तथा उनके पुनर्वास की प्रक्रिया के पालन से संबंधित है, जिसमें रोकथाम, बचाव, वापसी तथा तस्करी के माध्यम से बाहर ले जाए गए बाल श्रमिक के पुनर्वास से संबंधित गंभीर मुद्दों के बारे में महत्वपूर्ण पणधारियों के लिए व्यावहारिक दिशानिर्देश दिए गए हैं।

(ङ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए बजटीय आवंटन क्रमश: 143 करोड़ रुपये, 147 करोड़ रुपये तथा 100 करोड़ रुपये था तथा वर्ष 2010-11 के लिए बजटीय आबंटन 135 करोड़ रुपये है।

संयुक्त नौसेना अभ्यास

2032. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना ने हाल ही में ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही भाग लेने वाले देशों के पोतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय हुआ; और

(घ) उक्त अभ्यास से भारतीय नौसेना को कितना लाभ पहुंचा है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) भारतीय नौसेना ने सितम्बर, 2010 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया जिसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाएं शामिल थीं। इस अभ्यास में इन तीन देशों के 11 पोतों/पनडुब्बियों ने भाग लिया था।

भारतीय नौसेना यूनिटों की वार्षिक तौर पर विदेशों में तैनाती के एक भाग के रूप में वार्षिक अनुमोदित योजना के आधार पर नियमित रूप से तैनाती की जाती है। किसी विशेष अभ्यास के लिए किसी विशेष व्यय का अनुमोदन नहीं लिया जाता है।

ऐसे अभ्यासों से पारस्परिक सहयोग और अंतर-प्रचालनात्मकता को बढ़ाने और सामुद्रिक क्षेत्रों के बारे में जागरूकता में अभिवृद्धि करने में मदद मिलती है। ऐसे अभ्यासों के दौरान प्राप्त ज्ञान, देश की तटीय और सामुद्रिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना की भूमिका के लिए भी मददगार होता है।

चाय का निर्यात

2033. श्री के.आर.जी. रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष घरेलू मांग में वृद्धि तथा उत्पादन में हल्की सी गिरावट की संभावना के कारण भारत के चाय निर्यात में गिरावट होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अब तक किन उपायों की घोषणा की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) इस वर्ष चाय की कम फसल होने का अनुमान है। तथापि, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बढ़ती हुई घरेलू मांग से निर्यातों पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि घरेलू बाजार में सीटीसी चाय की खपत होती है। निर्यातों में कोई गिरावट कम वैश्विक मांग के साथ-साथ इंडोनेशिया, वियतनाम और चीन जैसे अन्य चाय उत्पादक देशों से सस्ती चाय की उपलब्धता के कारण आएगी।

(ग) भारत सरकार द्वारा चाय बोर्ड, कोलकाता के जरिए चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलापों का आयोजन और भारतीय चाय निर्यातकों को उनके विपणन प्रयासों में संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करना शामिल है।

[हिन्दी]

रक्षा खरीद में विलम्ब

2034. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा उत्पाद के आयात में अत्यधिक विलम्ब के कारण लागत लंघन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा लागत लंघन के बिना रक्षा उत्पादों के आयात में लिए जाने वाले समय को कम करने के लिए क्या प्रणाली अपनाई जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) रक्षा उपस्करों/प्लेटफार्मों की अधिप्राप्ति विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। आयात विकल्प पर तभी विचार किया जाता है जब उपस्करों/

प्लेटफार्मों को संक्रियात्मक आधार पर एक निश्चित समय-सीमा के भीतर अधिप्राप्त किया जाना आवश्यक होता है और सामान्यत: जब ऐसे उपस्करों/प्लेटफार्मों को स्वदेशी तौर पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में संविदा को अंतिम रूप देने में 2-3 वर्षों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया की परिकल्पना है। तथापि, कुछ मामलों में कई कारणों से विलंब हो जाता है जैसे अपर्याप्त और सीमित विक्रेता आधार, प्रस्तावों के प्रस्ताव हेतु अनुरोध की शर्तों के समनुरूप नहीं होना, फील्ड परीक्षणों, संविदा मूल्यवार्ताओं में जटिलताएं, सीमित स्वदेशी क्षमता और स्वदेशीकरण शुरू करने में अधिक समय लगना आदि।

व्यवस्थागत और संस्थागत विलंबों से निपटने के लिए अधिप्राप्ति प्रक्रिया के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर प्रक्रियाओं की सतत समीक्षा एवं उनका परिष्करण किया जाता है।

[अनुवाद]

पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड रिपोर्ट

2035. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पत्रकारों हेतु वेतन बोर्ड ने हाल ही में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है साथ ही लागू किए जाने की पद्धति का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चूंकि दोनों वेतन बोर्ड, एक श्रमजीवी पत्रकारों तथा दूसरा गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए, निर्धारित समय अर्थात् 23 मई, 2010 तक अपनी रिपोर्ट नहीं दे सके, इसलिए सरकार ने वेतन बोर्डों का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 2010 तक बढ़ा दिया है।

प्रक्रिया के अनुसार वेतन बोर्डों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं।

बीड़ी कामगारों से उपकर

2036. श्री प्रबोध पांडा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बीड़ी उत्पादन से उपकर के रूप में तथा इसकी बिक्री से भारी धनराशि प्राप्त होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीड़ी कामगारों के कल्याण पर इस उपकर के किसी भाग का व्यय किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बीड़ी कामगारों के विभिन्न संगठन यह मांग कर रहे हैं कि उपकर के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को बीड़ी कामगारों पर खर्च किया जाना चाहिए; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसी कोई मांग नहीं उठायी गई है क्योंकि बीड़ी कामगारों के लिए एकत्रित पूर्ण उपकर उन्हीं के कल्याण के लिए होता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बीड़ी कामगार कल्याण निधि

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अथशेष	आय	व्यय	अंतशेष
1	2	3	4	5
1999-2000	-0.50	40.57	36.46	3.61
2000-2001	3.61	53.78	52.03	5.36
2001-2002	5.36	81.93	55.36	31.93
2002-2003	31.93	84.15	65.82	50.26

1	2	3	4	5
2003-2004	50.26	85.83	81.30	54.79
2004-2005	54.79	72.39	89.15	38.03
2005-2006	38.03	125.79	132.58	31.24
2006-2007	31.24	127.51	134.51	24.24
2007-2008	24.24	184.62	232.94	-24.08
2008-2009	-24.08	187.24	228.14	-64.98
2009-2010	-64.98	168.00	260.44	-156.74

दूरसंचार नेटवर्क

2037. श्री हमदुल्ला सईद: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप द्वीपसमूह में दूरसंचार सेवाएं असंतोषजनक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मं राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) जी, नहीं। लक्षद्वीप द्वीपसमूह में टेलीफोन सेवाएं संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सफाई कर्मचारियों का उत्थान

2038. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त आवास विकास निगम' द्वारा सफाई कर्मचारी और उनके आश्रितों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा किस तिथि से इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग की गई धनराशि सहित निगम द्वारा आवंटित और जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाएं सफाई कर्मचारियों के उत्थान में किस सीमा तक मददगार साबित हुई हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) पूरे देश में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत ऋण सीमा (कुल परियोजना लागत का 90% तक)	ब्याज दर		कार्यान्वयन की तारीख
			एनएसकेएफडीसी से एससीए को	एससीए से लाभार्थियों को	
1	2	3	4	5	6
1.	सामान्य आवधिक ऋण योजना (सफाई संबंधी कार्यकलापों सहित)	10.00 लाख रुपए तक	3%	6%	अक्तूबर, 1997 (सफाई संबंधी कार्यकलाप योजना को 1.10.2003 से जोड़ा गया था)।
2.	महिला अधिकारिता योजना (एमएवाई)	50,000 रुपए तक	2%	5%	01.07.2008
3.	माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस (एमसीएफ)	30,000 रुपए तक	2%	5%	अक्तूबर, 1997
4.	महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)	30,000 रुपए तक	1%	4%	01.10.2003

1	2	3	4	5	6
5.	शैक्षिक ऋण	भारत में अध्ययन के लिए 10.00 लाख रुपए और विदेश में अध्ययन के लिए 20.00 लाख रुपए तक	1%	4%	01.10.2003
6.	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	पाठ्यक्रम फीस के लिए 100% अनुदान और प्रति अभ्यर्थी प्रति माह 1,000 रुपए वजीफा। 17-40 वर्षों की आयु समूह के अभ्यर्थियों के लिए।			01.10.2002

(ख) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) समय-समय पर आयोजित मूल्यांकन अध्ययन यह दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की ऋण योजना लक्षित समूह के बीच जागरूकता पैदा कर रही है और लाभार्थियों के सामाजिक स्तर और उनके प्रति लोगों की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। लाभार्थियों द्वारा परिसम्पत्तियां सृजित की गई हैं और उनकी आय में वृद्धि हुई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		कुल		विगत तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई निधियां
		सैद्धांतिक आवंटन	संवितरण	सैद्धांतिक आवंटन	संवितरण	सैद्धांतिक आवंटन	संवितरण	सैद्धांतिक आवंटन	संवितरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	840.00	1167.91	529.53	0.00	604.36	0.00	1973.89	1167.91	1778.77
2.	असम	45.00	0.00	78.36	0.00	89.87	0.00	213.23	0.00	0.00
3.	बिहार	90.00	284.05	559.96	356.25	642.19	591.75	1292.15	1232.05	534.54
4.	चंडीगढ़	55.00	0.00	6.76	0.00	7.83	8.51	69.59	8.51	0.00
5.	छत्तीसगढ़	435.00	54.00	103.80	408.02	119.04	216.00	657.84	678.02	229.44
6.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.21	0.00	1.15	0.00	1.36	0.00	0.00
7.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.18	0.00	1.13	0.00	1.31	0.00	0.00
8.	दिल्ली	105.00	0.00	100.56	0.00	110.15	0.00	315.71	0.00	137.30
9.	गुजरात	540.00	1264.84	154.18	1290.61	176.82	1018.29	871.00	3573.74	1444.63
10.	गोवा	10.00	0.00	1.02	0.00	1.78	0.00	12.80	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	हरियाणा	45.00	0.00	175.56	24.96	201.35	32.49	421.91	57.45	57.45
12.	हिमाचल प्रदेश	215.00	12.95	64.46	65.61	73.93	0.00	353.39	78.56	251.51
13.	जम्मू और कश्मीर	100.00	66.23	33.05	81.00	37.90	60.75	170.95	207.98	180.20
14.	झारखंड	65.00	0.00	136.87	0.00	156.96	313.75	358.83	313.75	5.50
15.	कर्नाटक	775.00	0.00	367.51	1612.52	421.48	1230.14	1563.99	2842.66	1060.95
16.	केरल	35.00	0.00	134.06	0.00	153.75	0.00	322.81	0.00	0.00
17.	मध्य प्रदेश	875.00	2373.79	392.88	2494.95	452.66	2567.70	1720.54	7436.44	4431.60
18.	महाराष्ट्र	515.00	632.68	424.06	552.46	486.33	1795.73	1425.39	2980.87	1112.47
19.	मणिपुर	20.00	0.00	1.91	0.00	2.19	0.00	24.10	0.00	0.00
20.	मेघालय	20.00	0.00	0.48	0.00	1.36	0.00	21.84	0.00	0.00
21.	मिजोरम	20.00	0.00	0.01	0.00	1.36	0.00	21.37	0.00	0.00
22.	नागालैंड	0.00	0.00	0.48	0.00	1.36	0.00	1.84	0.00	0.00
23.	उड़ीसा	40.00	0.00	261.00	0.00	299.33	159.18	600.33	159.18	4.09
24.	पुडुचेरी	85.00	75.31	6.77	6.06	7.84	24.65	99.61	106.02	76.41
25.	पंजाब	110.00	24.16	301.63	125.01	345.92	49.50	757.55	198.66	146.56
26.	राजस्थान	435.00	143.61	416.02	241.28	477.12	336.96	1328.14	721.85	371.80
27.	सिक्किम	0.00	0.00	1.17	0.00	1.80	0.00	2.97	0.00	0.00
28.	तमिलनाडु	35.00	0.00	508.85	0.00	583.57	0.00	1127.42	0.00	0.00
29.	त्रिपुरा	20.00	0.00	23.85	0.00	27.35	0.00	71.20	0.00	0.20
30.	उत्तर प्रदेश	390.00	0.00	1507.85	0.00	1729.30	0.00	3627.15	0.00	323.00
31.	उत्तराखंड	35.00	0.00	65.11	0.00	74.67	0.00	174.78	0.00	0.35
32.	पश्चिम बंगाल	45.00	0.00	791.86	27.24	908.15	0.00	1745.01	27.24	0.01
	कुल	6000.00	6099.52	7150.00	7285.96	8200.00	8405.41	21350.00	21790.89	12146.84

[अनुवाद]

आईटी कंपनियों को कठिनाइयां

2039. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों को यू.एस. वीजा स्क्रीनिंग के कारण कठिनाइयों/चिंता का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में संरक्षणवाद की भावना तथा आपात अनुपूरक समायोजन विधेयक पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है जिसका उद्देश्य अमरीकी कांग्रेस में हाल ही में पारित एच1बी तथा एल श्रेणी वीजा का शुल्क बढ़ाकर संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा सुरक्षा का संवर्धन करने के लिए 600 मिलियन अमरीकी डॉलर की उगाही करना है, जिसका भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। संरक्षणवाद का प्रत्येक रूप में विरोध करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार, जी-20 के संदर्भ सहित प्रतिबद्ध है। यह बात संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के हाल ही में 6 से 9 नवम्बर, 2010 के दौरान किए गए भारत के दौरे में दोहराई गई, जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ओबामा व्यापारिक बाधाओं और संरक्षणवाद के उपायों को कम करने पर सहमत हुए। उन्होंने दोनों देशों के बीच कार्मिकों के आवागमन की सुविधा पर भी सहमति व्यक्त की।

[हिन्दी]

सस्ते विदेशी उत्पाद और रोजगार

2040. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों से विशेषकर चीन से नकली और सस्ते उत्पादों के कारण देश में बेरोजगारी फैल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार विदेशी उत्पादों को रोकने के लिए कानून और नियम बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (घ) भारतीय विनिर्माण क्षेत्र अगस्त, 2010 पर फिक्की की तिमाही सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह सूचना दी गई है कि वर्ष 2010-11 की तिमाही-2 में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार संभावनाओं में सुधार होता प्रतीत हो रहा है क्योंकि वाहन, टायर, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स, पूंजीगत वस्तुओं इत्यादि जैसे कई क्षेत्र अगले तीन महीनों में अतिरिक्त कार्यबल की सेवाएं लेने की योजना बना रहे हैं।

भारत में सभी आयातित वस्तुएं घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरण एवं सुरक्षा मानकों के अधीन होती हैं। इन विनियमों को आयात एवं निर्यात मदों में आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण में भी अधिसूचित किया जाता है।

सरकार उस मामले में कार्रवाई करती है यदि वह यह पाती है कि किसी स्रोत से आयातित वस्तुओं से इन विनियमों का उल्लंघन हुआ है और इससे मानव, पशु अथवा पादप जीवन या स्वास्थ्य को खतरा बना है। विशिष्ट मामलों में, जहां सीमा-शुल्क विभाग को घटिया वस्तुओं के आयात का पता चलता है, वहीं उन वस्तुओं को जब्त कर लिया जाता है और अन्य संबद्ध अधिनियमों के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

आयातों से पैदा हुए किसी भी घरेलू सरोकार का, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन करार, सुरक्षोपाय करार और आर्थिक सहायता संबंधी करार एवं डब्ल्यूटीओ के प्रतिसंतुलक उपायों के प्रावधानों के तहत, उपयुक्त कार्रवाई द्वारा निराकरण किया जाता है। पाटन, क्षति एवं अनियत संबंध के पर्याप्त साक्ष्यों के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिकाओं के आधार पर पाटनरोधी महानिदेशालय, पाटनरोधी जांच करता है और पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

तम्बाकू पर गोस्वामी तुलसीदास के चित्र का उपयोग

2041. श्री रामकिशुन:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रॉयल चिविंग टॉबैको पर रामचरितमानस की रचना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास का चित्र छपे होने के मामले में दिनांक 15 मार्च, 2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2775 के संदर्भ में सरकार द्वारा क्या अंतिम कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल संस, प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेड मार्क (व्यापार चिह्न) आवेदन पत्र संख्या 1524877 को दिनांक 11.3.2010 के आदेश द्वारा परित्यक्त माना गया है।

[अनुवाद]

बांग्लादेश के साथ व्यापार

2042. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्विपक्षीय बाजार को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश और भारत के बीच अपनी कॉमन सीमाओं पर कामचलाऊ बाजार हेतु सीमा हाट समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो अब तक हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच रिपोर्ट किए गए व्यापार की मात्रा कितनी है; और

(घ) शेष ग्यारहवीं योजना में बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत और बांग्लादेश ने मेघालय सीमा पर सीमा हाटों के संबंध में दिनांक 23.10.2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सम्पूर्ण ब्यौरा वाणिज्य विभाग की वेबसाइट http://commerce.nic.in/trade/MOU_Border_Haats_across_Border_India_and_Bangladesh2010.pdf पर उपलब्ध है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा निम्नानुसार है:—

भारत-बांग्लादेश व्यापार

(आंकड़े मिलि. अम. डॉलर में)

भारत	2007-08	2008-09	2009-10
बांग्लादेश को निर्यात	2,923.72	2,497.87	2,430.89
बांग्लादेश से आयात	257.02	313.11	254.48
बांग्लादेश के साथ कुल व्यापार	3,180.74	2,810.98	2,685.37

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

(घ) ग्यारहवीं योजना के शेष अवधि के लिए किए गए संवर्धनकारी उपाय हैं— निर्यात अवसंरचना के विकास हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) स्कीम के अंतर्गत भू-सीमाशुल्क केन्द्रों का विकास, नियमित व्यावसायिक संवाद, व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजने एवं बुलाने को प्रोत्साहन, गेहूं एवं चावल के निर्यात के लिए बांग्लादेश को विशेष छूट, भारत-बांग्लादेश अंतर्देशीय जलमार्ग पारगमन एवं व्यापार (डब्ल्यूटीटी) नयाचार के सिलघाट (भारत) तथा आशुगंज (बांग्लादेश) को व्यवहार पत्तन (पोर्ट ऑफ कॉल) घोषित किया गया है, भारत बांग्लादेश को 250 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति करेगा, बांग्लादेश ने भारत द्वारा निर्यात के लिए चिटगांग और मोंग्ला पत्तनों के उपयोग की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है, नदी एवं रेल मार्गों से कंटेनरों के आवागमन की अनुमति देना आदि।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ बैठक

2043. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रमुखों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) सरकार विभिन्न मुद्दों के संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठक करती रहती है। सेवा प्रदाताओं के सुझावों/विचारों पर सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा सेवा प्रदाताओं को समय-समय पर विभिन्न निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। सरकार के निर्देशों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर संबंधित लाइसेंस करारों की शर्तों के तहत कार्रवाई की जाती है।

चाय की फसल को नुकसान

2044. श्री प्रताप सिंह बाजवा:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पीड़क जन्तुओं के प्रकोप तथा अत्यधिक वर्षा के कारण फसल के नुकसान के कारण भारतीय चाय उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका घरेलू उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) उत्पादकों को क्षेत्र-वार फसल का कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) निकट भविष्य में उत्पादन में वृद्धि करने तथा नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2010 के आरंभ में विशेष रूप से असम राज्य में चाय बागानों में फसलों को हानि पहुंची और मई, 2010 से खराब मौसम और टी मॉस्किटो बग्स के प्रकोप के कारण स्थिति बदतर हो गई थी। वर्ष 2009 की समनुरूपी अवधि की तुलना में वर्ष 2010 (जनवरी से सितम्बर, 2010) के दौरान क्षेत्र-वार फसल की हानि निम्नानुसार है:

क्षेत्र	वर्ष 2009 की समनुरूपी अवधि की तुलना में जनवरी से सितम्बर, 2010 के दौरान क्षेत्र-वार फसल की हानि
असम घाटी	-11.60
कछार	-1.95
कुल (असम)	-13.55
पश्चिम बंगाल	+4.67
कुल (उत्तर भारत)	-9.36
कुल (दक्षिण भारत)	+5.58
कुल (समग्र भारत)	-3.78

(घ) कृषि फसल होने के कारण चाय पर मौसम की अस्थिर परिस्थितियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चाय अनुसंधान एसोसिएशन (टीआरए) को ऐसे पौध संरक्षण उपायों पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी गई है जो नम मौसम में प्रभावी हों। टीआरए ने विभिन्न क्षेत्रों में कीट-नियंत्रण तथा छिड़काव तकनीकों के संबंध में विशेष संगोष्ठियों और खेत पर प्रदर्शनों का आयोजन किया है जिनमें सदस्य चाय बागानों से बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। ऊपरी असम में एक अग्रणी चाय कम्पनी द्वारा आयोजित इन-हाउस सेमिनार में पौध-संरक्षण वैज्ञानिकों द्वारा तकनीकी प्रस्तुतियां दी गईं और खेत पर प्रदर्शन किए गए। पौध-संरक्षण वैज्ञानिकों ने प्रभावित बागानों का विशेष रूप से दौरा किया और पौध-संरक्षण तथा प्रौद्योगिकी अंतरण प्रभागों से बागानों हेतु विशेष बुलेटिन तथा कीट-नियंत्रण पैकेजों को परिचालित किया। कीट-पहचान तथा छिड़काव के संबंध में स्थानीय भाषाओं में सामूहिक प्रशिक्षण के जरिए प्राथमिक स्तर के कामगारों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया गया है।

बासमती, गैर-बासमती चावल का निर्यात

2045. श्रीमती जे. शांता:
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बासमती और गैर-बासमती चावल के कुल निर्यात संबंधी ब्यौरा क्या है और किन देशों को यह निर्यात किया गया है;

(ख) चावल के निर्यात हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी निर्यातकों को एमएमटीसी, एसटीसी और अन्य पीएसयू के स्थान पर गैर-बासमती चावल के निर्यात के आदेश दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने 2008 से ऐसे शिपमेंट पर पाबंदी के बावजूद मालदीव को 30 हजार टन से अधिक गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान बासमती और गैर-बासमती चावल के कुल निर्यातों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) बासमती चावल का निर्यात न्यूनतम कीमत के अध्यधीन है। गैर-बासमती चावल का निर्यात प्रतिबंधित है और राजनयिक निर्णयों के आधार पर केवल सीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति है। गैर-बासमती चावल के निर्यात की प्रक्रिया का ब्यौरा संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार ने भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच दिनांक 31 मार्च, 1981 को हस्ताक्षरित व्यापार

करार के अनुसार वर्ष 2010-11 हेतु मालदीव को 33,201 मी. टन गैर-बासमती चावल (परमल) का निर्यात अनुमोदित किया है। उक्त करार में प्रावधान है कि भारत सरकार मालदीव सरकार के अनुरोध पर मालदीव सरकार को वार्षिक कोटा आधार पर वस्तुओं की आपूर्ति को सुकर बनाएगी, चाहे ऐसी वस्तुएं भारत की निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत निषिद्ध अथवा प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आती हों। अत: यद्यपि गैर-बासमती चावल का निर्यात प्रतिबंधित है तथापि द्विपक्षीय व्यापार करार के अंतर्गत मालदीव को इसका निर्यात करने की छूट है।

विवरण

भारत से बासमती चावल का निर्यात

(मात्रा: मिलियन टन में)

2007-08	2008-09	2009-10
1.183	1.556	2.016

बासमती चावल के प्रमुख प्राप्तकर्ता देशों में से कुछेक देश आस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, मिश्र, जर्मनी, सऊदी अरब, सेशेल्स, दक्षिण अफ्रिका, अमरीका आदि थे।

भारत से गैर-बासमती चावल का निर्यात

(मात्रा: मिलियन टन में)

2007-08	2008-09	2009-10
5.286	0.931	0.139

गैर-बासमती चावल के प्रमुख प्राप्तकर्ता देशों में से कुछेक देश बांग्लादेश, मेडागास्कर, सिएरा लियोन, घाना, मॉरीशस, कॉमोरोस आदि थे।

भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात हेतु प्रक्रिया

गैर-बासमती चावल का निर्यात निम्नलिखित स्थितियों के अंतर्गत किया जा सकता है, जिसके लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं:—

(1) **गैर-बासमती चावल का निर्यात, जब निर्यातों पर कोई मात्रात्मक/कीमत प्रतिबंध न हो:** इस स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता हेतु निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए केवल वाणिज्यिक आधार पर निर्यात कर सकते हैं।

(2) **सरकारी खाते से मानवीय/राजनयिक आधार पर गैर-बासमती चावल का निर्यात:** इस स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों द्वारा पूर्णत: नियंत्रित होते हैं और निर्यात विदेश मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट देश को सरकारी खाते से किया जाएगा। चावल की खरीद खुले बाजार के आधार पर अथवा उपलब्धता के अनुसार एफसीआई के केन्द्रीय पूल से लिए गए स्टॉक से की जाएगी।

(3) **गैर-बासमती चावल का निर्यात, जब निर्यातों पर कीमत/मात्रात्मक प्रतिबंध लागू हो और निर्यात राजनयिक निर्णयों अथवा वाणिज्यिक आधार पर किए जा रहे हों:**

(क) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग निर्दिष्ट देशों को निर्यात किए जाने वाले चावल की मात्रा के बारे में वाणिज्य विभाग/डीजीएफटी को सलाह देगा। डीजीएफटी चावल के निर्यात हेतु एक अथवा अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नामित करेगा।

(ख) डीजीएफटी द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर विदेश मंत्रालय प्राप्तकर्ता देश को उस देश को निर्यात हेतु प्राधिकृत पीएसयू के नाम की सलाह देगा। विदेश मंत्रालय द्वारा प्राप्तकर्ता देश को गैट के प्रावधानों के अनुसार केवल निर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (उपक्रमों) के साथ निर्यातों हेतु संविदाएं निष्पादित करने की सलाह दी जाएगी।

(ग) निर्यात प्रत्यक्ष रूप से और केवल निर्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ही किए जाएंगे। कोई सहयोगी निर्यातक नहीं होगा।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के अलग-अलग उपक्रमों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार करने हेतु अर्हता-पूर्व मानदण्डों के आधार पर अखिल भारतीय आधार पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने हेतु निविदाएं जारी की जाएंगी।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पूर्व-अर्हता प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं से भाव दरें आमंत्रित करेंगे। ऑर्डर सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार एल-1 आपूर्तिकर्ता को दिया जाएगा। यदि सामग्री की खरीद एफसीआई से करने का निर्णय लिया जाता है तो आपूर्ति का निर्णय एफसीआई द्वारा

केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर लिया जाएगा। यदि सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टॉक से निर्यात करने का निर्णय लिया जाता है तो यह लाभकारी लागत पर किया जाएगा और एफसीआई को भुगतान किया जाएगा।

(च) पीएसयू चावल की खरीद देश-भर के बाजारों से व्युत्पन्न एमएसपी का यथासंभव निकटतम कीमत पर करेगा।

(छ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निर्दिष्ट देश को चावल की आपूर्ति वाणिज्यिक सौदेबाजी के बाद निर्धारित कीमत पर करेंगे।

श्रम कानूनों के अंतर्गत कर्मचारियों के विरुद्ध मामले

2046. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान श्रम कानूनों के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के लिए कर्मचारियों के विरुद्ध कर्नाटक सहित देश में कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालयों में कितने मामले दर्ज किए गए/दर्ज करवाए गए;

(ख) तीन वर्षों से अधिक समय से ऐसे लंबित मामलों की संख्या कितनी है तथा विलंब के कारण क्या हैं; और

(ग) ऐसे मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज मामलों की संख्या के संबंध में सूचना को शून्य समझा जाये।

तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनायी गई योजनाओं कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 76, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 42 तथा इडली योजना, 1976 के पैरा 29, जैसा भी मामला हो, के साथ पठित अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत उपबंधों का उल्लंघन करने पर नियोक्ताओं के खिलाफ अभियोजन चलाया जाता है। शास्ति उपबंधों के अंतर्गत नियोक्ता के खिलाफ अंशदान के भुगतान/विवरणी जमा करने/गलत सूचना देने इत्यादि की चूक करने पर अभियोजन चलाया जाता है। विगत तीन वर्षों में अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत दायर किए गए मामलों की संख्या:

वर्ष	दायर मामलों की संख्या	कर्नाटक राज्य में दायर मामलों की संख्या
2007-08	4854	787
2008-09	4515	1047
2009-10	3711	464

वर्तमान वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्र कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है।

यदि नियोक्ता वेतन से अंशदान काटने के बाद कर्मचारी के अंशदान का हिस्सा सांविधिक खाते में जमा नहीं कराता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत भी मामले दर्ज किए जा सकते हैं। विगत तीन वर्षों में भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत दायर मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	दायर मामलों की संख्या	कर्नाटक राज्य में दायर मामलों की संख्या
2007-08	559	38
2008-09	320	71
2009-10	442	53

वर्तमान वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्र कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है।

न्यायालयों में भारी लंबितता तथा न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया विलम्ब का मुख्य कारण है।

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत मानदण्डों का अनुपालन न किया जाना

2047. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मानदण्ड का पालन न किए जाने की स्थिति में एमजीएनआरईजीएस तथा अन्य योजनाओं जैसी रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजनाओं के लिए आगे अनुदान न दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार तत्संबंधी क्रियान्वयन स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार भविष्य में वित्तीय प्रस्तावों को ऑनलाइन बनाने जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 (सितम्बर, 2010 तक) में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) जी, हां। महात्मा गांधी नरेगा के तहत केन्द्रीय निधि की रिलीज के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का एक मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है तथा उसका संचालन शुरू कर दिया गया है। इसका लक्ष्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने में होने वाले विलंब से बचना तथा संपूर्ण प्रक्रिया को आसान और ऑनलाइन बनाना है।

विवरण

महात्मा गांधी नरेगा: वित्त वर्ष 2009-10 की कार्यान्वयन स्थिति संबंधी रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या	श्रम दिवस (लाख में)					केन्द्रीय रिलीज करोड़ में	कुल उपलब्ध निधियां करोड़ में	उपयोग की गई कुल निधियां करोड़ में	शुरू किए गए कार्य
			कुल	अनु. जाति	अनु. जन. जाति	महिलाएं	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	6158493	4044.30	998.00	594.80	2349.60	2451.50	3781.60	5383.55	4509.18	1025080
2.	अरुणाचल प्रदेश	68157	16.98	0.00	16.60	2.92	0.38	33.86	42.90	17.26	1505
3.	असम	2137270	732.95	89.03	227.36	203.03	416.56	778.89	1424.73	1033.90	22392
4.	बिहार	4127330	1136.88	515.05	24.57	341.48	597.26	1032.78	2358.20	1816.88	158905
5.	छत्तीसगढ़	2025845	1041.57	159.59	397.85	512.52	484.13	827.10	1629.33	1322.67	93284
6.	गुजरात	1596402	585.09	87.00	230.87	278.19	267.22	777.30	981.42	739.38	296717
7.	हरियाणा	156406	59.04	31.65	0.00	20.55	27.39	124.00	194.55	143.55	7705
8.	हिमाचल प्रदेश	497336	284.94	95.04	24.80	131.32	165.10	395.43	623.09	556.56	62473
9.	जम्मू और कश्मीर	336036	128.70	10.79	33.64	8.58	84.28	175.69	254.61	185.31	29426
10.	झारखंड	1702599	842.47	135.15	362.12	288.53	345.20	812.16	1924.51	1379.70	160813
11.	कर्नाटक	3535281	2003.43	334.64	171.77	737.07	1497.02	2769.98	3352.05	2739.19	567055
12.	केरल	955976	339.71	56.97	18.11	299.61	264.63	467.71	591.19	471.51	149108
13.	मध्य प्रदेश	4714591	2624.00	485.03	1189.82	1160.54	949.15	3519.24	5678.23	3722.28	555310
14.	महाराष्ट्र	591547	274.35	70.27	90.98	108.80	113.10	249.65	638.75	321.09	24926
15.	मणिपुर	418564	306.18	84.29	131.19	146.89	90.70	436.81	511.20	393.17	14141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	मेघालय	300482	148.48	0.77	139.70	70.08	8.01	211.37	252.29	183.53	10115
17.	मिजोरम	180140	170.33	0.01	170.10	59.60	0.22	276.97	297.05	238.24	3330
18.	नागालैंड	325242	284.27	0.00	284.27	123.74	0.00	562.92	628.65	499.46	8823
19.	उड़ीसा	1398300	554.09	106.18	200.91	200.84	247.00	445.81	976.73	938.98	199622
20.	पंजाब	271934	77.17	60.90	0.00	20.26	16.27	143.18	211.28	149.92	11836
21.	राजस्थान	6522264	4498.10	1193.52	1011.87	3008.86	2292.71	5942.64	8202.73	5669.03	203247
22.	सिक्किम	54156	43.27	4.18	18.41	22.17	20.68	88.57	102.56	64.09	2137
23.	तमिलनाडु	4373257	2390.75	1412.23	59.67	1982.09	918.85	1371.19	2411.32	1761.23	54008
24.	त्रिपुरा	576487	460.22	82.97	188.59	189.12	188.66	886.36	962.08	729.41	182000
25.	उत्तर प्रदेश	5483434	3559.23	2007.84	52.75	771.34	1498.64	5318.87	7132.68	5900.04	547362
26.	उत्तराखंड	522304	182.41	47.49	7.37	73.46	127.55	279.60	359.11	283.09	36973
27.	पश्चिम बंगाल	3479915	1551.68	571.93	223.18	518.62	756.57	1787.29	2408.54	2108.98	183500
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20337	5.83	0.00	0.40	2.62	5.43	2.41	16.04	12.26	511
29.	दादरा और नगर हवेली	3741	0.70	0.00	0.70	0.61	0.00	0.39	1.97	1.34	46
30.	दमन और दीव	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
31.	गोवा	6604	1.85	0.10	0.50	1.16	1.25	0.21	12.22	4.70	470
32.	लक्षद्वीप	5192	1.41	0.00	1.41	0.53	0.00	2.00	4.62	2.01	3295
33.	पुडुचेरी	40377	9.07	4.19	0.00	5.76	4.88	4.60	11.00	7.27	917
34.	चंडीगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	कुल	52585999	28359.46	8644.81	5874.31	13640.49	13840.34	33506.61	49579.19	37905.23	4617032

महात्मा गांधी नरेगा: वित्त वर्ष 2010-11 (सितम्बर, 2010 तक) की कार्यान्वयन स्थिति संबंधी रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य	रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या	श्रम दिवस (लाख में)					केन्द्रीय रिलीज करोड़ में	कुल उपलब्ध निधियां करोड़ में	उपयोग की गई कुल निधियां करोड़ में	शुरू किए गए कार्य
			कुल	अनु. जाति	अनु. जन. जाति	महिलाएं	अन्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	5814228	2649.61	642.75	405.26	1512.01	1601.60	3861.34	4748.30	3560.09	1488182
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	31.25	0.00	580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	असम	598974	97.46	5.33	17.10	21.93	75.02	330.53	903.14	205.31	35165
4.	बिहार	721719	200.72	55.17	3.57	61.05	141.97	1465.05	2007.24	303.97	181842
5.	छत्तीसगढ़	1975974	643.35	69.02	197.46	302.77	376.87	1188.52	1585.01	837.50	209969
6.	गुजरात	676867	241.92	23.58	70.75	115.96	147.60	367.59	670.44	311.37	164669
7.	हरियाणा	74296	16.67	8.55	0.01	5.87	8.12	27.66	90.66	38.77	9711
8.	हिमाचल प्रदेश	260853	77.29	23.11	5.97	42.11	48.20	420.28	541.69	241.29	87514
9.	जम्मू और कश्मीर	17912	3.17	0.35	0.45	0.19	2.37	101.79	200.79	7.30	15006
10.	झारखंड	1213544	387.68	49.26	167.55	126.84	170.87	644.07	1229.97	558.48	228536
11.	कर्नाटक	332185	98.32	17.07	11.10	44.81	70.14	773.05	1458.45	305.10	469002
12.	केरल	733749	153.20	26.57	4.94	139.01	121.69	252.42	439.38	246.56	119192
13.	मध्य प्रदेश	2413634	727.47	157.12	213.95	307.54	356.40	2132.01	4210.52	1281.54	725432
14.	महाराष्ट्र	285092	103.86	6.53	12.25	53.60	85.09	119.46	525.88	184.17	123622
15.	मणिपुर	19571	2.05	0.11	0.08	0.89	1.86	84.06	230.36	1.97	2792
16.	मेघालय	120282	26.40	0.19	25.37	11.52	0.84	115.94	190.39	40.65	11946
17.	मिजोरम	59448	12.51	0.00	12.47	1.90	0.04	102.71	180.17	23.40	5410
18.	नागालैंड	261558	92.32	0.27	82.67	31.13	9.39	354.77	509.27	152.70	10466
19.	उड़ीसा	1296183	493.57	93.87	157.04	189.25	242.66	1102.70	1231.53	613.69	291973
20.	पंजाब	154361	30.39	23.66	0.01	12.14	6.71	34.28	104.90	69.76	14129
21.	राजस्थान	4502558	1700.27	303.81	370.77	1175.78	1025.69	2788.82	5497.88	1548.50	489484
22.	सिक्किम	27241	9.47	0.44	3.20	4.61	5.83	22.25	61.03	15.89	2883
23.	तमिलनाडु	5190742	1731.30	525.14	20.47	1326.81	1185.69	1166.57	1901.04	1424.42	107944
24.	त्रिपुरा	511741	178.39	31.69	78.91	67.13	67.80	209.17	657.55	274.18	193735
25.	उत्तर प्रदेश	3999683	1107.02	295.26	15.15	172.27	796.62	3594.13	5047.07	1769.78	1054314
26.	उत्तराखंड	205403	46.98	9.25	1.62	20.08	36.11	147.98	249.48	85.69	34589
27.	पश्चिम बंगाल	3686811	667.75	245.50	72.03	210.91	350.21	1928.62	2535.15	1023.86	263871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2063	0.29	0.00	0.00	0.17	0.29	3.96	8.70	1.32	383
29.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	1.11	0.00	1
30.	दमन और दीव	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
31.	गोवा	5198	1.26	0.07	0.34	0.83	0.85	0.93	8.70	4.48	1825
32.	लक्षद्वीप	422	0.05	0.00	0.04	0.02	0.00	0.34	2.94	0.17	64
33.	पुडुचेरी	8900	1.87	0.90	0.00	1.42	0.98	9.10	12.83	1.53	568
34.	चंडीगढ़	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	कुल	35171192	11502.62	2614.58	1950.54	5960.54	6937.51	23352.77	37072.81	15133.48	6344799

वाई-मैक्स आधारित ब्रॉडबैण्ड सेवाएं

2048. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का विचार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में फ्रैंचाइजी मॉडल पर वाई-मैक्स आधारित ब्रॉडबैण्ड सेवाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) बीएसएनएल ने देश में फ्रैंचाइजी मॉडल पर शहरी क्षेत्रों में वाईमैक्स ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए करार को अंतिम रूप देकर उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में वाई मैक्स ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए फ्रैंचाइजी करार, अक्तूबर और नवंबर, 2010 में कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), उड़ीसा, चेन्नई और हिमाचल प्रदेश के लिए किए गए हैं। इससे पूर्व बीएसएनएल ने फ्रैंचाइजी मॉडल के जरिए आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र लाइसेंसिंग सेवा क्षेत्रों (एलएसए) के शहरी क्षेत्रों में इन सेवाओं की शुरुआत कर दी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल स्वयं ही उपस्कर संस्थापित कर रहा है।

ईपीएफ आहरण

2049. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा प्राप्त कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) आहरण दावों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारियों ने ईपीएफ आहरण किए हैं; और

(ग) इतने बड़े पैमाने पर अनुरोध किए जाने और ईपीएफ राशि आहरण के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा वर्ष 2007-2008, 2008-2009 तथा 2009-2010 के दौरान प्राप्त तथा निपटाये गये कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) आहरण दावों की कुल संख्या संलग्न विवरण-I, II और III में दी गई है।

(ग) इतने बड़े पैमाने पर आहरण किए जाने के निम्नलिखित सहित बहुत से कारण हो सकते हैं:

(1) योजना उपबंधों के अनुसार आंशिक आहरण।

(2) विद्यमान नौकरी की समाप्ति के कारण आहरण।

(3) सेवानिवृत्ति इत्यादि के कारण।

विवरण I

ईपीएफ दावे [अंतिम निपटान + आंशिक आहरण (2007-08)]

क्षेत्र	वर्ष का अथशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष का वर्कलोड	कुल निपटाये गये दावे	वापिस किए गए दावे	रद्द किए गए दावे	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार लंबित दावे
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	7095	249961	257056	196520	40231	2570	17735
हरियाणा	3409	237513	240922	178052	39194	4105	19571
हिमाचल प्रदेश	419	27120	27539	19337	6215	1810	177
पंजाब	3304	165120	168424	136572	26058	2992	2802
उत्तर प्रदेश	449	175829	176278	143093	27659	4693	833
उत्तराखंड	1825	19305	21130	16230	3204	992	704
उत्तरी जोन	16501	874848	891349	689804	142561	17162	41822
बिहार	1441	15681	17122	11888	3317	346	1571
पश्चिम बंगाल	2456	180356	182812	128747	36627	1744	15694
झारखंड	733	26627	27360	22517	3990	177	676
उड़ीसा	104	55446	55550	42153	10462	443	2492
पूर्वोत्तर क्षेत्र	558	26343	26901	17896	6769	1464	772
पूर्वी जोन	5292	304453	309745	223201	61165	4174	21205
कर्नाटक	12320	674965	687285	585719	76576	5765	19225
आंध्र प्रदेश	2173	267534	269707	209868	41356	4415	14068
केरल	171	196165	196336	169171	23209	3046	910
तमिलनाडु	15096	560977	576073	449311	103150	4967	18645
दक्षिणी जोन	29760	1699641	1729401	1414069	244291	18193	52848
छत्तीसगढ़	61	19064	19125	15875	2714	474	62
गोवा	6	20049	20055	17555	1909	385	206
गुजरात	16954	226624	243578	211365	25822	1101	5290
महाराष्ट्र	8664	569999	668663	520495	112665	4243	31260

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	971	106625	107596	88535	15049	3672	340
राजस्थान	0	98038	98038	82305	13388	2345	0
पश्चिमी जोन	26656	1130399	1157055	936130	171547	12220	37158
कुल	78209	4009341	4087550	3263204	619564	51749	153033

आंकड़े 2007-08 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हैं।

विवरण II

ईपीएफ दावे [अंतिम निपटान + आंशिक आहरण (2008-09)]

क्षेत्र	अथशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्कलोड	वापिस किए गए	रद्द किए गए	कुल निपटाए गए दावे	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार अंतशेष
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	17735	305317	323052	54834	1997	234142	32079
हरियाणा	19571	288965	308536	35902	5207	242841	24586
हिमाचल प्रदेश	177	35859	36036	6567	1429	25517	2523
पंजाब	2802	192040	194842	29358	4229	155954	5301
उत्तर प्रदेश	833	202922	203755	33073	4157	164682	1843
उत्तराखंड	704	31342	32046	5545	852	24128	1521
उत्तरी जोन	41822	1056445	1098267	165279	17871	847264	67853
बिहार	1571	17265	18836	3899	176	14566	195
पश्चिम बंगाल	15694	178972	194666	42378	1091	140667	10530
झारखंड	676	38117	38793	7403	232	30094	1064
उड़ीसा	2492	55224	57716	10203	706	45610	1197
पूर्वोत्तर क्षेत्र	772	25805	26577	5703	489	19579	806
पूर्वी जोन	21205	315383	336588	69586	2694	250516	13792
कर्नाटक	19225	611178	630403	93077	4466	475357	57503
आंध्र प्रदेश	14068	323678	337746	53809	5060	268405	10472
केरल	910	152243	153153	20887	2589	138912	765

1	2	3	4	5	6	7	8
तमिलनाडु	18645	792735	811380	106809	4269	669053	31249
दक्षिणी जोन	52848	1879834	1932682	274582	16384	1541727	99989
छत्तीसगढ़	62	23477	23539	3286	297	19953	3
गोवा	206	25170	25376	1547	865	22427	537
गुजरात	5290	303277	308567	32408	3010	267670	5479
महाराष्ट्र	31260	832318	863578	128980	6554	664374	63670
मध्य प्रदेश	340	114520	114860	17524	3306	93877	153
राजस्थान	0	108906	108906	17806	4147	86953	0
पश्चिमी जोन	37158	1407668	1444826	201551	18179	1155254	69842
कुल	153033	4659330	4812363	710998	55128	3794761	251476

आंकड़े 2008-09 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हैं।

विवरण III

**ईपीएफ दावे [अंतिम निपटान + आंशिक आहरण (2009-10)]*

क्षेत्र	अथशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्कलोड	वापिस किए गए	रद्द किए गए	कुल निपटाए गए दावे	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार अंतशेष
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	32079	394900	426979	58151	18023	321068	29737
हरियाणा	24586	327144	351730	30243	15496	257870	48121
हिमाचल प्रदेश	2523	31017	33540	6855	222	26463	0
पंजाब	5301	183989	189290	26199	3759	156874	2458
उत्तर प्रदेश	1843	208598	210441	34617	4284	170339	1201
उत्तराखंड	1521	40118	41639	5394	1784	30358	4103
उत्तरी जोन	67853	1185766	1253619	161459	43568	962972	85620
बिहार	195	15477	15672	2839	223	12565	45
पश्चिम बंगाल	10530	223862	234392	37018	1399	188614	7361
झारखंड	1064	37753	38817	6615	220	30637	1345

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा	1197	55707	56904	8810	1000	44949	2145
पूर्वोत्तर क्षेत्र	806	25017	25823	6540	301	18887	95
पूर्वी जोन	13792	357816	371608	61822	3143	295652	10991
कर्नाटक	57503	598228	655731	108038	13438	515635	18620
आंध्र प्रदेश	10472	358489	368961	49788	3620	295147	20406
केरल	765	138037	138802	19057	3020	115138	1587
तमिलनाडु	31249	656472	687721	90690	8909	544898	43224
दक्षिणी जोन	99989	1751226	1851215	267573	28987	1470818	83837
छत्तीसगढ़	3	25624	25627	3880	512	21210	25
गोवा	537	25886	26423	3088	312	22843	180
गुजरात	5479	295303	300782	39385	5733	236606	19058
महाराष्ट्र	63670	927356	991026	141176	14673	758525	76652
मध्य प्रदेश	153	108709	108862	14030	5826	87768	1238
राजस्थान	0	118524	118524	18092	4581	90900	4951
पश्चिमी जोन	69842	1501402	1571244	219651	31637	1217852	102104
कुल	251476	4796210	5047686	710505	107335	3947294	282552

*(2009-10 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।)

युवाओं के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम

2050. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समूह के युवाओं के मृदु कौशल, अंग्रेजी भाषा दक्षता, कंप्यूटर शिक्षा, संप्रेषण आदि जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रम हेतु किसी प्रस्ताव पर कार्य कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में महाराष्ट्र को अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों/अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत सॉफ्ट कौशलों की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2010-11 के दौरान 'एससी और ओबीसी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग' की केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार के लिए इस मंत्रालय द्वारा कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग की स्कीम तथा संबद्ध स्कीम के तहत, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय इस स्कीम के तहत चयनित संबंधित संस्थाओं के लिए निधियां जारी करता है न कि राज्य सरकारों के लिए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय भी एक ऐसी स्कीम क्रियान्वित कर रहा है जिसके तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण सेन्टरों के संचालन के लिए

गैर-सरकारी संगठनों को भी सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार को कोई सहायता अनुदान प्रदान नहीं किया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार को कोई सहायता अनुदान प्रदान नहीं किया गया है।

काजू कामगारों के लिए ईपीएफ ब्याज दर

2051. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में काजू कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की ब्याज दर कम कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) जी, नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि के सभी अंशदाताओं को समान ब्याज दर का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए ब्याज दर 8.5% रही है।

बेरोजगार युवाओं द्वारा गांवों से पलायन करना

2052. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगार युवा पुरुष एवं महिलाओं के पलायन के परिणामस्वरूप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गांव खाली हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक राज्यों से परामर्श के बाद क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ग) रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवसन पिछले कई दशकों से एक प्रवृत्ति रही है। राज्य-वार आंकड़े, जिनमें कार्य/नियोजन के प्रयोजनार्थ सभी प्रकार का प्रवसन शामिल है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तथापि, दु:खद प्रवसन से बचाने के दृष्टिगत, सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अधिनियमित किया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिन के वेतन-नियोजन की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है। अधिनियम के अनुसार नियोजन आवेदन के समय आवेदक के निवास वाले गांव के पांच किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियोजन ऐसे दायरे के बाहर उपलब्ध कराया जाता है, तो इसे अवश्य ही खण्ड (ब्लॉक) में उपलब्ध कराया जायेगा तथा श्रमिकों को 10% अतिरिक्त वेतन दिया जायेगा। इस तरह, परिवार की मांग पर, स्थानीय नियोजन उपलब्ध कराना, दु:खद प्रवसन को कम करता है।

विवरण

2001 की जनगणना के अनुसार कार्य/नियोजन के प्रयोजनार्थ अंतर्राज्य तथा राज्य के अंदर प्रवसन करने वाले कामगारों सहित देश में प्रवसन करने वाले कुल प्रवासी कामगारों की संख्या निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगार	राज्य के अंदर प्रवास करने वाले कामगार	देश में प्रवास करने वाले कुल कामगार
1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	35,929	71,967	1,07,896
हिमाचल प्रदेश	97,842	1,54,070	2,51,912
पंजाब	5,12,937	3,27,392	8,40,329
चंडीगढ़	1,89,905	1,506	1,91,411
उत्तराखंड	2,03,344	1,92,433	3,95,777
हरियाणा	6,17,861	3,23,807	9,41,668

1	2	3	4
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली	19,38,838	28,819	19,67,657
राजस्थान	2,92,391	9,10,091	12,02,482
उत्तर प्रदेश	3,93,425	13,30,210	17,23,635
बिहार	75,986	3,92,677	4,68,663
सिक्किम	15,238	20,249	35,487
अरुणाचल प्रदेश	48,058	47,792	95,850
नागालैंड	23,404	31,082	54,486
मणिपुर	1,886	11,673	13,559
मिजोरम	12,826	34,066	46,892
त्रिपुरा	7,641	35,551	43,192
मेघालय	18,527	16,096	34,623
असम	65,382	3,05,433	3,70,815
पश्चिम बंगाल	6,80,493	9,02,657	15,83,150
झारखंड	4,03,859	2,65,472	6,69,331
उड़ीसा	1,09,477	6,67,444	7,76,921
छत्तीसगढ़	2,33,249	5,70,008	8,03,257
मध्य प्रदेश	3,88,660	13,32,218	17,20,878
गुजरात	6,60,767	10,81,616	17,42,383
दमन और दीव	32,051	688	32,739
दादरा और नगर हवेली	28,836	1,264	30,100
महाराष्ट्र	26,81,954	41,82,801	68,64,755
आंध्र प्रदेश	1,89,031	20,50,006	22,39,037
कर्नाटक	4,89,784	13,86,942	18,76,726
गोवा	76,765	37,185	1,13,950
लक्षद्वीप	2,212	3,608	5,820
केरल	1,24,292	4,47,952	5,72,244
तमिलनाडु	1,38,081	13,87,720	15,25,801
पुडुचेरी	43,572	12,933	56,505
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	30,694	21,503	52,197
कुल	1,08,65,197	1,85,86,931	2,94,52,128

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान योजना

2053. श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान योजना के अंतर्गत बिहार और अन्य राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा इनमें से राज्य-वार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई; और

(ख) सरकार द्वारा संस्था-वार कितने प्रतिशत व्यय का वहन किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) आज की तारीख तक, बिहार से 17 प्रस्ताव सहित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बनाने के लिए 313 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं जिनमें से 194 प्रस्तावों को मंत्रालय ने स्वीकृत कर दिया है, जिनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार, आधारभूत सुविधा विकास के लिए प्रत्येक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के मामले में 1 करोड़ रु. तक के एकल व्यय को वहन करेगी।

विवरण

अक्तूबर, 2010 तक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्राप्त तथा स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	21	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	–
3.	असम	7	–
4.	बिहार	17	4
5.	छत्तीसगढ़	13	2
6.	गुजरात	21	17
7.	हरियाणा	8	2
8.	गोवा	2	–
9.	हिमाचल प्रदेश	5	3
10.	झारखंड	10	4
11.	कर्नाटक	28	28
12.	केरल	14	10
13.	मध्य प्रदेश	22	13
14.	महाराष्ट्र	17	10
15.	उड़ीसा	16	6
16.	नागालैंड	3	1
17.	पुडुचेरी	1	1
18.	पंजाब	12	6
19.	राजस्थान	27	24
20.	सिक्किम	2	1
21.	तमिलनाडु	14	7
22.	त्रिपुरा	1	1
23.	उत्तर प्रदेश	33	22
24.	उत्तराखंड	7	2
25.	पश्चिम बंगाल	11	10
	कुल	313	194

[हिन्दी]

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत पौधरोपण कार्य

2054. डॉ. किरोड़ी लाल मीणाः क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत पौधरोपण कार्य का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार पौधरोपण के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या हरित राजस्थान से संबंधित कार्य एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किए गए पौधरोपण और प्रतिशत के संदर्भ में हरियाली में इसके फलस्वरूप कितनी वृद्धि हुई;

(च) क्या 'हरित राजस्थान' के अंतर्गत किए गए पौधरोपण के संबंध में धनराशि के गबन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) जी, हां। सूखा रोधन (वनरोपण तथा वृक्षारोपण सहित) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत एक अनुमेय कार्य है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीपीएल/आईएवाई/भूमि सुधार लाभार्थियों तथा छोटे और सीमांत किसानों की भूमि पर पौधरोपण इस अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 1(iv) के अंतर्गत एक अनुमेय कार्य है।

(ग) महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित योजना है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई विशिष्ट क्रियाकलाप शुरू करने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते।

(घ) और (ङ) राजस्थान की राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

(च) जी, नहीं। इस मंत्रालय में इस संबंध में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मोबाइल टॉवरों की स्थापना

2055. श्री पी. विश्वनाथन:
श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:
श्री खगेन दास:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार और सेकेंडरी स्वीचिंग एरिया (एसएसए)-वार तथा कंपनी-वार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में कितने मोबाइल टॉवर संस्वीकृत और स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या स्थापित टॉवर प्रचालनाधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में प्रचालनाधीन और गैर-प्रचालनाधीन मोबाइल टॉवरों की राज्य-वार और सेकेंडरी स्वीचिंग एरिया (एसएसए)-वार संख्या कितनी है; और

(घ) शेष टॉवरों के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (घ) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत टॉवरों की राज्य-वार संख्या 367362 है। मोबाइल टॉवरों के संबंध में गौण स्विचन क्षेत्र-वार, कंपनी-वार तथा इस संबंध में खर्च की गई निधि तथा उनकी प्रचालनात्मक स्थिति से जुड़ी अन्य सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं।

अ.जा./अ.पि. वर्गों का शैक्षणिक सशक्तीकरण

2056. श्री पूर्णमासी राम: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति (अ.जा.) और अन्य पिछड़ा वर्गों (अ.पि.व.) के छात्र लड़के और लड़कियों के लिए शैक्षणिक सशक्तीकरण तथा छात्रवृत्ति योजनाएं जैसे बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, टॉप क्लॉस एजूकेशन स्कीम तथा राष्ट्रीय विदेश छात्रावास योजना के लाभ जानकारी के अभाव में वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंचे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा जनसाधारण में जागरूकता पैदा करने तथा इन सभी योजनाओं का प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/कार्यान्वयन अभिकरणों/लक्ष्य समूहों, जैसा भी मामला हो, को योजनाओं के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाती है और योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने की समय-समय पर सलाह दी जाती है। योजनाओं के दिशा-निर्देश इस मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

छावनियों में नागरिक जनसंख्या

2057. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छावनी क्षेत्र में निवास कर रही नगरिक जनसंख्या को प्रभावित करने वाले छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 346 में अंतर्विष्ट उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त उपबंध उपनिवेशवाद के समय से नागरिकों को शासित करते आ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे उपबंधों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 346 में शामिल उपबंधों का विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 280 के अंतर्गत ऐसे ही उपबंध विद्यमान थे।

(ग) और (घ) इस उपबंध की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

छावनी बोर्ड अधिनियम, 2006 से लिए गए उद्धरण

धारा 346. नियम बनाने का अधिकार:- (1) केन्द्र सरकार पिछले प्रकाशन के बाद, इस अधिनियम के प्रयोजनों और उद्देश्यों का पालन करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी मामलों अथवा निम्नलिखित में से किसी मामले के लिए ऐसे नियम की व्यवस्था कर सकते हैं:—

(क) छावनी में सरकार की भूमि का अधिग्रहण करने हेतु अनुमति के लिए जिस तरीके से और जिस प्राधिकारी को आवेदन करना है;

(ख) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकती है और ऐसी किसी अनुमति को प्रदान करने से सम्बद्ध शर्तें;

(ग) धारा 63 के उपबंधों के तहत, बोर्ड के प्रबंधन को सौंपी गई संपत्ति से प्राप्त किराए और लाभ के अंश को बोर्ड को आबंटन;

(घ) बोर्डों के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, कार्यकाल, वेतन और भत्तों, भविष्य निधि, पेंशन, परिदान, अनुपस्थिति अवकाश, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें;

(ङ) वे परिस्थितियां जिनमें बोर्ड के कर्मचारियों से प्रतिभूति मांगी जाएगी और ऐसी प्रतिभूति की धनराशि और स्वरूप;

(च) बोर्डों द्वारा बही खातों का रखरखाव और वह तरीका जिसमें ऐसे बही खातों की लेखापरीक्षा की जाएगी और उन्हें प्रकाशित किया जाएगा;

(छ) छावनी निधि अथवा छावनी विकास निधि से भुगतान कर सकने वाले व्यक्तियों का विवरण और तरीका;

(ज) बोर्ड की आय और व्यय के आकलन तैयार करना और उन व्यक्तियों का विवरण और शर्तों के अध्यधीन, ऐसे आकलन स्वीकृत किए जा सकते हैं;

(झ) विवाचन समितियों की प्रक्रिया का विनियमन;

(ञ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी प्राधिकारी द्वारा और प्रयुक्त किए जाने वाले, रखे जाने वाले रजिस्टरों में विवरण-पत्रों का निर्धारण करना;

(ट) बोर्ड के सदस्यों को छुट्टी प्रदान करना;

(ठ) इस अधिनियम के तहत भेजे जाने के लिए नोटिसों के फार्म और उनकी सुपुर्दगी का तरीका; और

(ड) कोई अन्य मामला जिसको निर्धारित किए जाने की आवश्यकता हो अथवा जिसे निर्धारित किया जाए।

गोला-बारूद की घटिया गुणवत्ता

2058. श्री रुद्रमाधव राय:
श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह रिपोर्ट आई है कि आयुधशालाओं से घटिया किस्म के गोला-बारूद की आपूर्ति की जा रही है जिसके फलस्वरूप घातक दुर्घटनाएं हुई हैं और लोग हताहत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत पांच वर्षों के दौरान ऐसे कदाचारों में कौन-कौन सी आयुधशालाएं संलिप्त पाई गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) घटिया किस्म की सामग्री स्वीकृत करने वाले आयुधशालाओं के अधिकारियों और उन आयुधशालाओं को ऐसी सामग्री की आपूर्ति करने वाली फर्मों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) से (घ) जी नहीं। आयुध निर्माणियां पूर्णतया निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप ही गोला-बारूद का निर्माण करती हैं। उत्पादन के बाद इन गोला-बारूदों की स्थैतिक और गत्यात्मक दोनों प्रकार की कठोर गुणवत्ता जांच की जाती है। यह गोला-बारूद तभी अंतिम मांग कर्त्ताओं को जारी किया जाता है जब यह उन कठोर गुणवत्ता जांचों पर खरा उतरता है जो जांचें गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा की जाती हैं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत कार्यालय

2059. श्री एम.आई. शानवास: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में काम न कर रहे पंचायत कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एक पंचायत कार्यालय के निर्माण/रखरखाव के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड/मापदंड क्या हैं;

(ग) क्या अवसंरचना और धनराशि के पर्याप्त आवंटन की कमी देश में पंचायत कार्यालयों के खराब रखरखाव/कार्यकरण का कारण रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का आवंटन किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी): (क) से (घ) अनुमान है कि देश में 57,743 ग्राम पंचायतों के पास अपने कार्यालय का भवन नहीं है।

पंचायती राज एक राज्य विषय है और यह राज्य का दायित्व है कि राज्य सरकार अपने राज्य के मानदंडों के अनुसार पंचायतों को पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं जिसमें कार्यालय भी शामिल है, उपलब्ध कराएं और उनका रख-रखाव करें। राज्य अपनी-अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत पंचायत कार्यालयों के निर्माण का काम कराती है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय राज्य के प्रयासों में सहायता करता है जिसके लिए प्रयोजना लागत का 25 प्रतिशत अंश राज्यों को देना होता है। वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत राज्यों को दी गई राशि का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

इसके अलावा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के अधीन मुक्त विकास अनुदान के रूप में जो राशि पंचायतों को स्थानीय मूलभूत सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए दी जाती है उसे भी पंचायत कार्यालय बनाने और उसका नवीकरण/पुनर्निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत राज्यों को पंचायत कार्यालय के निर्माण/नवीकरण हेतु दी गई राशि का राज्यवार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	निर्गत निधि			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (16.11.2010 की स्थिति)
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.94	–	–	–
2.	असम	7.23	–	–	–
3.	छत्तीसगढ़	–	–	–	6.00
4.	हिमाचल प्रदेश	2.00	3.83	3.83	–
5.	कर्नाटक	–	–	1.00	4.00
6.	मणिपुर	1.14	–	0.95	–
7.	उड़ीसा	4.92	–	–	–
8.	राजस्थान	–	–	3.00	–
	कुल	16.23	3.83	8.78	10.00

[हिन्दी]

ग्रामीण पंचायत भवन

2060. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कई राज्यों में राजीव गांधी सेवा केन्द्रों और ग्राम पंचायत भवनों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे केन्द्रों की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं;

(घ) आज की तिथि तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा इस संबंध में राज्य-वार कितने प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रदान की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): (क) और (ख) ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र (बीएनआरजीएसके) का निर्माण दिनांक 11.11.2009 की अधिसूचना के तहत महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I के पैरा 1 में अनुमेय क्रियाकलाप के रूप में शामिल किया गया है। बीएनआरजीएसके की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:—

(i) ग्राम पंचायत/ब्लॉक स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा कार्यालय के क्रियाकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थान उपलब्ध कराना;

(ii) निम्नलिखित में सहायता देने के लिए एक ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना:

- महात्मा गांधी नरेगा तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी तक नागरिकों की पहुंच।
- ग्रामीण परिसम्पत्तियों के स्थायित्व तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए प्रभावी तालमेल के लिए प्रौद्योगिकियों तथा बेहतर पद्धतियों के प्रचार-प्रसार में सहायता के लिए स्थान उपलब्ध कराना।
- कार्यक्रम अधिकारी के ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक कार्यालय की सहायता के लिए तथा विकास प्रक्रिया से संबंधित जानकारी तथा ऑनलाइन लेनदेन तक जनता की पहुंच में सहायता देने के लिए आईसीटी सुविधाओं का प्रचालन।

(घ) और (ङ) ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर बीएनआरजीएसके का निर्माण सभी महात्मा गांधी नरेगा प्रक्रियाओं के अध्यधीन है, जहां तक यह इस अधिनियम के अंतर्गत वित्तपोषित होता है। बीएनआरजीएसके के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए इस मंत्रालय को नहीं भेजा जाता है। इस लागत का जिलों के लिए श्रम बजट बनाते समय ध्यान रखा जाता है। यह मंत्रालय इसके निर्माण के लिए अलग से निधियां जारी नहीं करता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र	
		शुरू किए गए	पूरे हो चुके
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	20	0
4.	बिहार	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0
6.	गुजरात	44	0
7.	हरियाणा	207	1
8.	हिमाचल प्रदेश	164	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0
10.	झारखंड	634	0
11.	कर्नाटक	446	0
12.	केरल	0	0
13.	मध्य प्रदेश	0	0
14.	महाराष्ट्र	1	0
15.	मणिपुर	0	0
16.	मेघालय	2	0

1	2	3	4
17.	मिजोरम	0	0
18.	नागालैंड	0	0
19.	उड़ीसा	5916	1
20.	पंजाब	45	0
21.	राजस्थान	9361	1
22.	सिक्किम	1	0
23.	तमिलनाडु	0	0
24.	त्रिपुरा	56	0
25.	उत्तर प्रदेश	1	0
26.	उत्तराखण्ड	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	36	2
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0
29.	दादरा और नगर हवेली	0	0
30.	दमन और दीव	0	0
31.	गोवा	0	0
32.	लक्षद्वीप	0	0
33.	पुडुचेरी	0	0
34.	चंडीगढ़	0	0
	कुल जोड़	16935	6

[अनुवाद]

शारीरिक रूप से नि:शक्त शोध छात्रों को छात्रवृत्ति

2061. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शारीरिक रूप से नि:शक्त शोध छात्रों हेतु प्रस्तावित छात्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की योजना इस छात्रवृत्ति को राजीव गांधी छात्रवृत्ति से जोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) ऐसे किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

ठेका श्रम अधिनियम, 1970 का क्रियान्वयन

2062. श्री जगदानंद सिंह: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न उपक्रम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 का क्रियान्वयन कर रहे हैं तथा ठेके के आधार पर कार्य हेतु निर्धारित मानदण्डों का पालन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ठेका कामगारों/मजदूरों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित पारिश्रमिक, भत्ते तथा अन्य लाभ मिल रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में की जा रही जांच का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) से (ङ) राज्य तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों सहित प्रतिष्ठानों को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा वेतन, भत्ता तथा अन्य लाभों के लिए अन्य लागू श्रम कानूनों के उपबंधों का पालन करना है। राज्यों के लिए ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 का क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के श्रम विभागों द्वारा किया जाता है तथा मुख्य श्रमायुक्त (के.) के कार्यालय के अधीन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआरआईएम) केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में कार्रवाई करता है।

केन्द्रीय क्षेत्र में निरीक्षक उनको आबंटित क्षेत्राधिकार में नियमित निरीक्षणों के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत आवधिक निरीक्षण करते हैं। जब भी न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान के मामलों का पता चलता है तो चूककर्ता नियोक्ताओं को विनिर्दिष्ट समय में अनियमितताओं को ठीक करने के परामर्श के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं। यदि अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती अथवा अनुपालन रिपोर्ट असंतोषजनक पायी जाती है तो आपराधिक न्यायालयों में चूककर्ता नियोक्ताओं के

खिलाफ अभियोजन चलाये जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों, प्रारम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	किए गए निरीक्षणों की संख्या	प्रारम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या	दर्ज दावा मामलों की संख्या	निर्णित दावा मामलों की संख्या	दी गई राशि (रुपये)
2007-08	14039	2486	2005	2697	79,59,991
2008-09	14720	4382	2015	2236	80,17,217
2009-10	15951 (अनंतिम)	5599 (अनंतिम)	2754 (अनंतिम)	2046 (अनंतिम)	98,00,861 (अनंतिम)

उपचार हेतु अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता

2063. श्री महाबल मिश्रा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय सरकारी अस्पतालों में उपचार हेतु अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु डॉ. अम्बेडकर संस्थान द्वारा एक नई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लक्षित लाभार्थी समूह में इस योजना का प्रचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) और (ख) डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता स्कीम को प्रचालित कर रहा है।

यह स्कीम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन रोगियों को चिकित्सा उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अभिप्रेत है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए तक है तथा जो ऐसी गम्भीर बीमारियों अथवा किसी अन्य प्राणघातक बीमारी से पीड़ित हैं जिसमें घुटने तथा मेरुदंड की सर्जरी सहित गुर्दे, हृदय, यकृत, कैंसर, मस्तिष्क की सर्जरी की आवश्यकता होती है।

इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्र/राज्य सरकार के सभी अस्पताल, राज्य सरकार के चिकित्सा कालेजों से सम्बद्ध अस्पताल, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णरूप से वित्त-पोषित अस्पताल, सभी सीजीएचएस अनुमोदित अस्पताल, जिला मुख्यालयों में राज्य सरकार के अस्पताल, जहां उक्त बीमारी के लिए शल्य चिकित्सा उपचार सुविधा उपलब्ध है, शामिल हैं।

प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ उपचार की अनुमानित लागत के 75% तक अनुमत है। अनुमत चिकित्सा सहायता सीधे अस्पताल को भुगतान की जाती है।

(ग) और (घ) इस स्कीम का पर्याप्त प्रचार करने के लिए इसे राज्य सरकारों को भेजा गया था। यह स्कीम डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

[अनुवाद]

सिर पर मैला ढोने वाले

2064. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में अब भी सिर पर मैला ढोने की प्रथा बड़े पैमाने पर चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में सिर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही स्वरोजगार योजना सहित उत्सादन तथा पुनर्वास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सरकार से सिर पर मैला ढोने संबंधी कानूनों में संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) संसद द्वारा अधिनियमित 'सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993', अन्य बातों के साथ-साथ यह हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का प्रतिषेध करता है। इस अधिनियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति (क) किसी अन्य व्यक्ति को मानव मल-मूत्र ढोने के लिए संलग्न या नियोजित नहीं करेगा या संलग्न किए जाने या नियोजित किए जाने की अनुमति नहीं देगा; या (ख) शुष्क शौचालय का निर्माण या उसका रख-रखाव नहीं करेगा। इन प्रावधानों का उल्लंघन करना एक दण्डनीय अपराध है। अब तक, 23 राज्यों और सभी संघ राज्यक्षेत्रों ने इस अधिनियम को अपनाया है। दो राज्यों अर्थात् मणिपुर और मिजोरम ने सूचित किया है कि उनके राज्य में कोई शुष्क शौचालय नहीं है या ये राज्य हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों से मुक्त हैं। दो राज्य, अर्थात् हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पास अपने अधिनियम हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य द्वारा अभी इस अधिनियम को अपनाया जाना है। सफाई राज्य का विषय है। इस अधिनियम का प्रवर्तन राज्य सरकारों को करना है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, शुष्क शौचालय तीन राज्यों नामत: बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विद्यमान हैं। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, समेकित कम लागत सफाई योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य शुष्क शौचालयों को जलवाही फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करना है।

मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार स्कीम (एसआरएमएस) के निम्नलिखित मुख्य घटक हैं:—

(1) 1,000 रुपए प्रति माह की दर से वजीफे के भुगतान के साथ 1 वर्ष की अवधि तक के लिए कौशल प्रशिक्षण।

(2) 5 लाख रुपए तक की लागत की स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए ब्याज की रियायती दरों पर ऋण।

(3) 25,000 रुपए तक की परियोजनाओं के लिए, परियोजना लागत के 50% की दर से और न्यूनतम 12,500 रुपए तथा अधिकतम 20,000 रुपए सहित 25,000 रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए 25% की दर से पूंजीगत सब्सिडी।

राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास संबंधी स्वरोजगार स्कीम (एसआरएमएस) के तहत 1,18,474 मैनुअल स्केवेंजरों और उनके आश्रितों का पुनर्वास किया जाना था, उसमें से 78,941 लाभार्थियों का पात्र होना तथा ऋण के लिए इच्छुक होना पाया गया जिन्हें ऋण तथा पूंजीगत सहायता प्रदान की गई ताकि वे वैकल्पिक स्वरोजगार उद्यम आरम्भ करने में समर्थ हो सकें।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (एनएसी) ने मैनुअल स्केवेंजिंग और जन सेवकों की जवाबदेही की सटीक परिभाषा सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मचारी नियोजन तथा शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 में संशोधन करने की सिफारिश की है।

यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करना

2065. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्य-वार तथा स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितनी राशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) देश में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, राज्य-वार तथा स्थान-वार, किस प्रकार के प्रक्षेप होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) और (ख) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत एसटीपीआई नामक स्वायत्त संस्था ने देश में 52 एसटीपीआई केन्द्र स्थापित किए हैं। महाराष्ट्र सहित एसटीपीआई केन्द्रों की राज्यवार तथा स्थानवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए एसटीपीआई केन्द्रों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:

वित्त वर्ष	केन्द्र/स्थान	राज्य
2007-08	हल्दिया	पश्चिम बंगाल
	शिलांग	मेघालय
	पटना	बिहार
2008-09	शून्य	शून्य
2009-10	शून्य	शून्य
2010-11 (चालू वर्ष)	बहरामपुर	उड़ीसा

(ग) और (घ) चूंकि एसटीपीआई केन्द्र की स्थापना की पहल राज्य सरकार करती है, एसटीपीआई के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि में नए एसटीपीआई केन्द्रों की स्थापना तथा

इस संबंध में खर्च की जाने वाली संभावित राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है। नया एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने की नीति के अनुसार; राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर एसटीपीआई संबंधित राज्य सरकार के साथ मिलकर व्यवहार्यता अध्ययन करता है। यह अध्ययन प्रस्ताव की निर्यात की क्षमता और व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यदि यह व्यावहारिक है तो केन्द्र स्थापित करने के लिए एसटीपीआई द्वारा आगे कार्रवाई शुरू की जाती है। इस चरण में, राज्य सरकार कोई एसटीपीआई 3 एकड़ भूमि, 10,000 वर्ग फुट निर्मित स्थल तथा एक करोड़ का रुपए का सहायता अनुदान उपलब्ध कराना होता है। नए एसटीपीआई केन्द्र को अनुमोदन मिलने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/एसटीपीआई 50 लाख रुपए की आरम्भिक राशि प्रदान करते हैं।

विवरण

भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की सूची

क्र.सं.	राज्य	एसटीपीआई केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.		तिरुपति
3.		विजयवाडा
4.		वाइजैग
5.		वारंगल
6.		काकीनाडा
7.	असम	गुवाहाटी
8.	छत्तीसगढ़	भिलाई
9.	गुजरात	गांधी नगर
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
11.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
12.		जम्मू
13.	झारखंड	रांची
14.	कर्नाटक	बंगलौर
15.		हुबली
16.		मंगलौर
17.		मणिपाल
18.		मैसूर
19.	केरल	तिरुवनन्तपुरम
20.	मध्य प्रदेश	इंदौर
21.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
22.		नागपुर
23.		नासिक
24.		नवी मुम्बई
25.		कोल्हापुर
26.		पुणे
27.	मणिपुर	इम्फाल
28.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
29.		राउरकेला
30.		बहरामपुर
31.	पुडुचेरी	पुडुचेरी
32.	पंजाब	मोहाली
33.	राजस्थान	जयपुर
34.		जोधपुर
35.	सिक्किम	गंगटोक
36.	तमिलनाडु	चेन्नै
37.		कोयम्बटूर
38.		मदुरै
39.		तिरुनावेली
40.		त्रिची
41.	उत्तर प्रदेश	कानपुर
42.		लखनऊ
43.		नोएडा

1	2	3
44.		इलाहाबाद
45.	उत्तराखंड	देहरादून
46.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
47.		दुर्गापुर
48.		खड़कपुर
49.		सिलीगुड़ी
50.		हल्दिया
51.	बिहार	पटना
52.	मेघालय	शिलांग

[हिन्दी]

शिक्षित बेरोजगार

2066. श्री चंदूलाल साहू:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री रमाशंकर राजभर:
श्री रामसिंह राठवा:
श्री जयप्रकाश अग्रवाल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आतंकवाद, नक्सलवाद, आदि समस्याएं शिक्षित बेरोजगारी के परिणाम हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या सफलता प्राप्त की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2004-05 के दौरान किया गया था। इन सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार सामान्य स्थिति आधार पर शिक्षित युवाओं (15-29) में बेरोजगारी दर (%) जोकि 1993-94 में 18.5% थी वह 1999-2000 में गिरकर 14.8% तथा 2004-05 में और अधिक गिरकर 13.6% हो गई है। बेरोजगारी दर में गिरावट का कारण उच्चतर शिक्षा में बढ़ती हुई उच्चतर भागीदारी के कारण उनकी श्रम बल में निम्न भागीदारी हो सकता है।

(ग) से (ङ) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जो शैक्षिक बेरोजगारी तथा आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के मध्य संबंध स्थापित करती हो। तथापि, भारत सरकार शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की समस्या की मात्रा से पूर्णतया अवगत है। संगठित क्षेत्र में रोजगार के सिकुड़ते हुए अवसरों को हमारे बढ़ते हुए शिक्षित युवाओं, जिनकी बढ़ती हुई अपेक्षाएं हैं, में निराशा के स्रोत के रूप में देखा गया है। इस समस्या के समाधान के लिए, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ने रोजगार को कृषि क्षेत्र से बदलकर गैर-कृषि क्षेत्र में करने के प्रयास द्वारा 58 मिलियन रोजगार अवसरों के सृजन का अनुमान लगाया है।

ई-पोस्ट कार्पोरेट स्कीम

2067. श्री लालचन्द कटारिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ई-पोस्ट कार्पोरेट का प्रारूप शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना में कार्पोरेट कंपनियों को शामिल करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुरूदास कामत): (क) और (ख) जी, हां। डाक विभाग ने केरल सर्किल में ई-पोस्ट कार्पोरेट सेवा पर एक 'प्रायोगिक परियोजना' शुरू की है। केरल सरकार, ई-पोस्ट कार्पोरेट का इस्तेमाल केरल के माननीय मुख्य मंत्री के कार्यालय में प्राप्त अर्जियों की पावती भेजने के लिए कर रहे हैं। तमिलनाडु सर्किल में भी ई-पोस्ट कार्पोरेट को एक 'प्रायोगिक परियोजना' के रूप में शुरू किया गया है। यहां एलआईसी हाउसिंग फाइनैन्स लि., चेन्नै ई-पोस्ट कार्पोरेट सेवा के माध्यम से ऋण नवीकरण नोटिस भेज रहा है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत हो जाने पर सभी कार्पोरेट ग्राहक ई-पोस्ट सेवा का इस्तेमाल करने की स्थिति में होंगे।

[अनुवाद]

निर्माण कामगार अधिनियम में असंगति

2068. श्री जयंत चौधरी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 50 के क्रियान्वयन में असंगति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अधिनियम का क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके उपयुक्त क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाये गये?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): (क) और (ख) भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 50 इस अधिनियम के किसी उपबंध अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये किन्हीं नियमों के उल्लंघन अथवा उनके अनुपालन में असफल होने पर, जहां ऐसे उल्लंघन अथवा असफलता के लिए किसी एक्सप्रेस शास्ति की व्यवस्था नहीं है, शास्ति का उपबंध करती है। केन्द्रीय क्षेत्र में महानिदेशक को शास्ति लगाने के लिए सशक्त बनाया गया है जबकि राज्य क्षेत्र में मुख्य निरीक्षक को शास्ति लगाने के लिए सशक्त बनाया गया है। इस धारा के क्रियान्वयन में कोई असंगति नहीं है।

(ग) और (घ) इस अधिनियम के क्रियान्वयन का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के पास है। केन्द्र सरकार अधिनियम के त्वरित क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करती रहती है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशों के अनुसार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने हेतु सचिव, श्रम एवं रोजगार की अध्यक्षता में एक विशेष समूह गठित किया गया है। सन्निर्माण कर्मकारों से संबंधित मुद्दों पर 22 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार-विमर्श किया गया था। श्रम और रोजगार मंत्री ने हाल ही में अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों से लिखित अनुरोध किया है। केन्द्र सरकार ने भी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निदेश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

गांवों में वीपीटी का प्रावधान

2069. श्री अशोक कुमार रावत:
श्री एम.बी. राजेश:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त राज्यों में अधिकांश गांव सार्वजनिक टेलीफोन सुविधाओं से वंचित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के प्रत्येक गांव विशेषकर देश के दूर-दराज के गांवों में वीपीटी सुविधा प्रदान किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (क) से (ग) जी, नहीं। 30.9.2010 की स्थिति के अनुसार, आबादी वाले कुल 5,93,601 गांवों में से 5,71,170 गांवों अर्थात् 2001 की जनगणना के आबादी वाले राजस्व गांवों में से 96.22% गांवों, जिनमें देश के पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित गांव भी शामिल हैं, में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। केवल 4% गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। 2001 की जनगणना में उल्लिखित देश के आबादी वाले राजस्व गांवों, जिनमें पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित गांव भी शामिल हैं, में उपलब्ध कराए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित उपाए किए जा रहे हैं:—

(1) ''भारत निर्माण'' के अंतर्गत ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

मैसर्स बीएसएनएल के साथ नवंबर 2004 में करार किए गए ताकि देश के सुविधारहित 62302 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की उपलब्धता हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके; इन गांवों में 100 से कम आबादी वाले गांव, घने जंगलों में अवस्थित और उग्रवाद प्रभावित गांव शामिल नहीं हैं। इन गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को उपलब्ध कराना भारत निर्माण

कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यकलापों के रूप में शामिल किया गया है। 30.9.2010 की स्थिति के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत 61850 अर्थात् 99.27% ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध करा दिए गए हैं।

(2) नए अभिज्ञात ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

2001 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले गांवों में प्रचालनरत ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के आंकड़ों का मिलान ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों और ''भारत निर्माण'' के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए फोनों के मद्देनजर किया गया। 1.10.2007 की स्थिति के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले शेष सभी 62443 गांवों को, जनसंख्या, दूरस्थता अभिगम्यता तथा कानून एवं व्यवस्था के मानदंड को ध्यान में रखे बिना ही, इस स्कीम के अंतर्गत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से प्राप्त आर्थिक सहायता से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की उपलब्धता हेतु सूची में शामिल कर लिया गया है। 30.9.2010 की स्थिति के अनुसार, 62443 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों में से 43526 टेलीफोन अर्थात् 69.70% ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन इस स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध करा दिए गए हैं।

विवरण

30.9.2010 की स्थिति के अनुसार, राज्य-वार उपलब्ध कराए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या

राज्य का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले राजस्वों गांवों की सं.	सितंबर, 2010 तक उपलब्ध कराए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की सं.
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	501	341
आंध्र प्रदेश	26613	24487
असम	25124	24018
बिहार	39032	38895
झारखंड	29354	28243
गुजरात	18159	18049
हरियाणा	6764	6678
हिमाचल प्रदेश	17495	17352
जम्मू और कश्मीर	6417	6181
कर्नाटक	27481	27436
केरल	1372	1372
मध्य प्रदेश	52117	51986
छत्तीसगढ़	19744	18134
महाराष्ट्र	41442	40266
मेघालय (पूर्वोत्तर-1)	5782	3519
मिजोरम (पूर्वोत्तर-1)	707	704
त्रिपुरा (पूर्वोत्तर-1)	858	858
अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर-1)	3863	1700
मणिपुर (पूर्वोत्तर-1)	2315	1261
नागालैंड (पूर्वोत्तर-1)	1278	2081
उड़ीसा	47529	43281
पंजाब	12301	12063
राजस्थान	39753	39391
तमिलनाडु	15492	15481
उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश पूर्व सकिल)	76993	74123
उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश पश्चिम सर्किल)	20949	23629
उत्तराखंड	15761	15077
पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल सर्किल)	37062	33581
कोलकाता मेट्रो	893	567
सिक्किम (पश्चिम बंगाल सर्किल)	450	416
कुल जोड़	593601	571170

[अनुवाद]

मंद बुद्धि बच्चों के लिए चलाए जा रहे विशेष विद्यालयों को सहायता

2070. श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को मंद बुद्धि बच्चों के लिए चलाए जा रहे विशेष विद्यालयों और पूरी तरह से ठीक हो चुके कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु सहायता अनुदान जारी किए जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से बड़ी संख्या में आवंटन/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार संस्वीकृत किए गए उक्त प्रस्तावों और उनमें से अभी तक अनुमोदन के लिए लंबित पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(घ) इन सभी प्रस्तावों के कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन): (क) से (ग) प्राप्त और संस्वीकृत प्रस्तावों के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) निधियों की निर्मुक्ति एक सतत प्रक्रिया है और सहायता निधियों की उपलब्धता के साथ-साथ पात्रता और ग्राह्यता के आधार पर प्रदान की जाती है।

विवरण

दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस) के तहत विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या तथा मानसिक रूप से विकलांगजनों और रोग मुक्त कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए विशेष विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान की निर्मुक्ति के लिए संस्वीकृत के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11
		प्राप्त	संस्वीकृत	प्राप्त	संस्वीकृत	प्राप्त	संस्वीकृत	प्राप्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	67	67	68	66	71	47	42
2.	असम	2	2	4	4	5	3	4
3.	बिहार	5	5	14	5	5	0	1
4.	चंडीगढ़	0	0	0	0	1	1	0
5.	छत्तीसगढ़	4	4	4	4	5	3	0
6.	दिल्ली	4	4	8	7	6	5	0
7.	गुजरात	3	3	4	4	2	2	6
8.	हरियाणा	9	9	15	7	13	5	14
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	1	1	1	1	1
10.	झारखंड	1	1	1	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	31	31	25	23	24	47	13
12.	केरल	26	26	35	33	48	32	47
13.	मध्य प्रदेश	13	13	16	12	14	9	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	महाराष्ट्र	6	6	2	2	2	2	0
15.	मणिपुर	7	7	7	7	8	7	7
16.	मेघालय	1	1	1	1	4	1	0
17.	मिजोरम	1	1	1	1	1	0	1
18.	उड़ीसा	19	19	18	14	20	16	10
19.	पंजाब	6	6	4	4	5	2	4
20.	राजस्थान	7	7	8	8	8	6	6
21.	तमिलनाडु	17	17	20	19	29	15	6
22.	त्रिपुरा	1	1	1	1	2	1	0
23.	उत्तर प्रदेश	26	26	33	20	31	16	1
24.	उत्तराखंड	2	2	7	6	3	2	3
25.	पश्चिम बंगाल	13	13	24	24	16	16	5
	कुल	272	272	321	273	324	209	177

अध्यक्ष महोदय: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

12.0$^{1}/_{4}$ बजे

इस समय श्री गणेश सिंह, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

12.0$^{1}/_{2}$ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2009-10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 2009-10 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3298/15/10]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स, अप्लाएंसेज एण्ड प्रोटेक्शन डिवाईसेज एण्ड एसेसरिज (क्वालिटी कन्ट्रोल) संशोधन आदेश, 2010 जो 21 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2604(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3299/15/10]

(2) (एक) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नॉलोजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नॉलोजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3300/15/10]

(3) (एक) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3301/15/10]

(4) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3302/15/10]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) शिक्षुता (तीसरा संशोधन) नियम, 2010 जो 8 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 734(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षुता (पांचवां संशोधन) नियम, 2010 जो 18 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 838(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 3303/15/10]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2010 जो 3 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 148 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2010 जो 3 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 149 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 3304/15/10]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

प्राक्कलन समिति

7वें से 9वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) से संबंधित 'खेल-नीति, अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधाएं' विषय के बारे में सातवां प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा)।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित 'सूखा प्रबंधन, खाद्यान्न उत्पादन और मूल्य स्थिति' विषय के संबंध में दूसरे प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में आठवां प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा)।

(3) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय पत्तन-अवसंरचना विकास और क्षमता वर्धन' विषय के बारे में 9वां प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा)।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02$^{1}/_{4}$ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): मैं, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 389 के उपबंधों के अनुसरण में 1 सितम्बर, 2004 को जारी दिशा निदेश के अनुसार, श्रम संबंधी स्थायी समिति की दसवीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

समिति की दसवीं रिपोर्ट श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित है, जिसे 22.04.2010 को सभा के पटल पर रखा गया था। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि मंत्रालय ने समिति की इस रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई-रिपोर्ट 15.07.2010 को प्रस्तुत की थी जिस पर समिति द्वारा ध्यान दिया गया है।

दसवीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति, माननीय सदस्यों को परिचालित मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शाई गई है। मैं इस अनुबंध की सभी विषयवस्तु पढ़ कर सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा।

मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा समझा जाए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

सभा का कार्य*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज 22 नवम्बर, 2010 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान किए जाने वाले निम्नलिखित सरकारी कार्य संबंधी विवरण सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वर्ष 2010-11 की अनुदानों की दूसरी अनुपूरक मांगें (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(2) वर्ष 2008-09 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(3) निम्नलिखित विधेयकों का पुर:स्थापन, उन पर विचार तथा पारित किया जाना:

(क) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2010 और

(ख) विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2010।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3305/15/10

*सभा पटल पर रखा गया।

(4) राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों का पुर:स्थापन, उन पर विचार तथा पारित किया जाना:

(क) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (संशोधन) विधेयक, 2010; और

(ख) बीज विधेयक, 2004।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02$^{3}/_{4}$ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे। जो भी माननीय सदस्य अपना विषय इसमें सम्मिलित कराना चाहते हैं वे अपनी पर्चियां तत्काल सभा पटल पर दे दें।

(एक) हरियाणा में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): मैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में भारतीय खिलाड़ियों, विशेषकर हरियाणा के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। हरियाणा से कुल 54 महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने इन खेलों में भाग लिया। इन खिलाड़ियों ने कुल 32 मैडल (यानी कुल जीते गए पदकों का एक तिहाई) जीते हैं।

राज्य की खेल संबंधी नीति किसी भी खिलाड़ी के भविष्य को बेहतर बनाने की बात कहती है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना तैयार करना और छोटी उम्र से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचान कर, उन्हें तैयार करना तथा उनके द्वारा दिखाये बेहतर प्रदर्शन पर उन्हें ईनाम देने को सुनिश्चित करना शामिल है।

मैं भारत सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि हरियाणा राज्य में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करे और इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाये।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(दो) रामगंजमंडी और भोपाल के बीच रेल लाइन के निर्माण के लिए पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): रामगंज मण्डी-भोपाल रेलवे लाइन काफी समय पूर्व स्वीकृत हो चुकी है व उसके निर्माण की प्रारंभिक स्थिति में भूमि को सुरक्षित रखने आदि का कार्य (मध्य प्रदेश) सरकार द्वारा वर्ष 2002 में किया जा चुका है। उस समय के तत्कालीन कलेक्टर राजगढ़ (मध्य प्रदेश) ने इस संबंध में आवश्यक आदेश व भू-अर्जन से संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज पश्चिम मध्य रेलवे कोटा को उपलब्ध करा दिये थे। परंतु पश्चिम-मध्य रेलवे ने आज तक भू-अर्जन हेतु आवश्यक धारायें 4-6 के प्रकाशन संबंधी प्रस्ताव कलेक्टर राजगढ़ (मध्य प्रदेश) को उपलब्ध नहीं कराये हैं। भू-अर्जन की इन प्रारंभिक धाराओं के प्रकाशन के लगभग 2 वर्ष बाद मुआवजा वितरित होकर रेलवे विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा प्रकाशन संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराने में जो देरी हो रही है, उसके कारण उक्त रेलवे लाइन का निर्माण कार्य समय-सीमा में होना संभव नहीं लगता है, ऐसी स्थिति में आने वाले वर्षों में इस रेलवे लाइन की लागत में भी कई गुना वृद्धि हो जायेगी। यहां एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि मार्च, 2008 में पश्चिम मध्य रेलवे ने इस रेलवे लाइन के भू-अर्जन के मुआवजे के रूप में 20 करोड़ रुपए कलेक्टर राजगढ़ (मध्य प्रदेश) को उपलब्ध करा दिये थे, लेकिन आवश्यक धाराओं के प्रकाशन संबंधी कार्यवाही समय पर न होने के कारण यह राशि केवल बैंकों में जमा है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि उक्त रेलवे लाइन के निर्माण हेतु भूमि-अर्जन की प्रक्रिया को गति प्रदान करें ताकि उपरोक्त रेल लाइन का निर्माण जल्द हो सके।

(तीन) तमिलनाडु में तूतीकोरिन विमानपत्तन के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली): तमिलनाडु में तुतीकोरिन (थूटूकुडी) भारत का एक प्रमुख पत्तन शहर है। यह हमारे वाणिज्यिक और पर्यटन के मानचित्र का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है और वर्तमान में यहां एकमात्र चेन्नई के लिए सेवा प्रदान करने वाला किंगफिशर एयर लाइन वायु सेवा प्रदान कर रहा है। हाल ही में इस शहर को तथा इसके आस-पास के स्थानों पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या कई गुणा बढ़ गई है और अधिकांश पर्यटक हवाई यात्रा करना चाहते हैं जिससे कि वे अपने समय का अधिकतम उपयोग कर सकें। वाणिज्यिक और पर्यटन की संभावनाओं पर विचार करते

हुए तूतीकोरिन को अन्य शहरों से जोड़ने वाली वायु सेवाओं को बढ़ाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, तूतीकोरिन और दक्षिण तमिलनाडु के आस-पास के जिलों जैसे तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी से लोग खाड़ी तथा दक्षिण-पूर्व एशियन देशों को अक्सर जाते हैं। उन्हें इन देशों की यात्रा पर जाते समय मदुरै जाना पड़ता है या चेन्नै से त्रिवेन्द्रम जाना पड़ता है और इस क्रम से उन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा काफी समय और ऊर्जा बर्बाद करनी पड़ती है।

हाल ही में, केन्द्र सरकार ने देश में 35 गैर-मेट्रो शहरों में आधुनिकीकरण के लिए पहचान की है। मदुरै हवाई अड्डे पर काम चल रहा है और कुछ अन्य हवाई अड्डे का काम पूरा होने वाला है और अब तूतीकोरिन हवाई अड्डे की बारी है। तूतीकोरिन हवाई अड्डे के चरणबद्ध उन्नयन के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है और तमिलनाडु सरकार से पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

इसलिए केन्द्र सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वह तूतीकोरिन हवाई अड्डे के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए और इस कार्य के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाए।

(चार) असम में चन्द्रानाथपुर वाया लंका और जगी रोड से गुवाहाटी तक एक वैकल्पिक बड़ी रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): सुरंग सं. 10 का निर्माण कार्य छोड़ दिया गया है जिससे लम्बडिंग-बदरपुर लाइन का मीटर गेज से बड़ी लाइन में परिवर्तन के काम में और विलम्ब हुआ है। उपर्युक्त कार्य की वर्तमान आकलित लागत 1996-97 में मूल आकलित लागत 648 करोड़ रुपये की तुलना में 4073.63 करोड़ रुपये हो गई है।

केन्द्र सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं कि सुरंग सं. 10 पर निर्माण कार्य के दौरान चन्द्रनाथपुर-बरास्ता लंका और जगीरोड से गुवाहाटी के लिए एक वैकल्पिक बड़ी लाइन का निर्माण 1989 के सर्वेक्षण के अनुरूप किया जाए। यह नई लाइन लागत और समय दोनों में किफायती होगी। इससे इस क्षेत्र में कोई रेल सेवा नहीं होने के कारण इस क्षेत्र के लोगों की वर्षों से चली आ रही परेशानी कुछ हद तक दूर होगी।

(पांच) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आंग्ल-भारतीय समुदाय के विद्यार्थियों को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्देशित): व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश पाने में आंग्ल-भारतीय समुदाय के छात्रों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समुदाय के बहुत से सदस्यों का समुचित जीवन दशा के अभाव में उनका समग्र विकास प्रभावित हुआ है। वे इसमें अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं और इससे इस समुदाय का सामान्य शैक्षिक विकास पिछड़ा हुआ है। आंग्ल-भारतीय समुदाय के बहुत से सदस्यों के लिए निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान उनके पहुंच से बाहर हैं।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार को आंग्ल-भारतीय समुदाय के छात्रों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु प्रभावी कदम उठाना होगा। अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय को यह देखना होगा कि बहुत सी कमियों के शिकार अल्पसंख्यक समुदाय को व्यावसायिक महाविद्यालयों में कम से कम कुछ सीटें मिल जाएं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस विषय पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाना चाहिए और आंग्ल-भारतीय समुदाय के छात्रों के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पर्याप्त सीट आरक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कदम उठाए जाएं।

(छह) राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति देने के लिए मानदंड के रूप में तालुका के स्थान पर गांव को लिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): भारत सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदा से राहत दिलाने के लिए कई योजनायें लागू की हैं, जिसमें राष्ट्रीय फसल बीमा योजना भी एक है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को मदद दिये जाने का प्रावधान है। परन्तु, इसका आकलन एवं अनुमान एक पूरे ताल्लुका स्तर पर लगाया जाता है। अगर ताल्लुका क्षेत्र के कुछ ही भाग में प्राकृतिक आपदा का प्रकोप रहा है तो प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाती है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोग इस प्राकृतिक आपदा से मिलने वाली राहत सुविधा से वंचित हो जाते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा के ताल्लुक में कई गांव प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होते हैं, परन्तु उन गांवों के किसानों को इस सुविधा से लाभ नहीं मिल पाता है। राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा योजना का प्रावधान इस तरह से होना चाहिए, जिससे अगर प्राकृतिक आपदा से अगर एक गांव के लोग ही प्रभावित हैं तो उनको भी राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अंतर्गत सहायता दी जानी चाहिए न कि एक ताल्लुका को आधार बनाकर।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसानों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर किसी क्षेत्र को आधार नहीं बनाया जाये बल्कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसान का आधार बनाये जाने का प्रावधान बनाया जाना चाहिए।

(सात) उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत सादुलपुर और रतनगढ़ रेलवे स्टेशनों के नजदीक चौकीदार युक्त रेलवे क्रॉसिंगों पर रेल ऊपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): उत्तर पश्चिम रेलवे के सादुलपुर स्टेशन के पूर्व व पश्चिम साइड व रतनगढ़ स्टेशन के पूर्व साइड में मानव सहित समपारों पर ऊपरी पुल निर्माण की मांग काफी समय से की जा रही है। आज भी ये रेलवे क्रॉसिंग काफी समय तक बंद रहते हैं। दिल्ली-बीकानेर लगभग सौ वर्ष पुरानी रेल लाइन है। पूर्व में यह मीटरगेज रेल लाइन थी। अब आमान-परिवर्तन से कार्य पूर्ण हो चुका है। ब्रॉडगेज गाड़ियां भी चालू हो गई हैं। अगले 6 माह में बीकानेर तक भी आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो जायेगा। तब इन समपारों पर और भी लम्बी-लम्बी वाहनों की लाइनें लग जायेंगी। आम आदमी के लिए यह बहुत ही कष्टदायक होगा। आधा शहर रेल लाइनों के दोनों तरफ आबाद है। सादुलपुर रेलवे स्टेशन के पूर्व साइड में रेलवे क्रॉसिंग की स्थिति और भी खराब है। सादुलपुर-पिलानी जयपुर का यह बहुत ही व्यस्त मार्ग है। रैफरेल हॉस्पिटल, कॉलेज आदि शिक्षण संस्थाओं में आने के लिए रेलवे क्रॉसिंग को पार करना पड़ रहा है। आज रेलगाड़ियां कम चल रही हैं तब भी यह फाटक 7-8 घंटे बंद रहता है। जब लम्बी दूरी की गाड़ियों का संचालन शुरू होगा तब तो स्थिति और भी विकट हो जायेगी। रेलवे मानदण्डों के अनुसार भी यहां उपरि रेल पुल का निर्माण आवश्यक है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि जनता की मांग व इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए सादुलपुर व रतनगढ़ स्टेशनों के पूर्व साइड में रेलवे क्रॉसिंग पर उपरि पुल का निर्माण किया जाये।

(आठ) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पालेज रेलवे स्टेशन पर गुजरात एक्सप्रेस और जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने और स्टेशन पर रेलवे सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में पालेज रेलवे स्टेशन, भरूच एवं बड़ोदा रेलवे लाइन पर स्थित है, जहां से बड़ी संख्या में लोग मुम्बई एवं राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर आते जाते हैं। यहां के लोगों की मांग है कि पालेज रेलवे स्टेशन पर गुजरात एक्सप्रेस रेल सेवा, जामनगर इंटरसिटी रेल सेवा एवं अजमेर से मुम्बई के बीच चलने वाली रेल सेवा का ठहराव किया जाये, क्योंकि पालेज रेलवे स्टेशन पर उक्त गाड़ियों के न रुकने से इन्हें इन गाड़ियों को पकड़ने के लिए दूर के रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता है, जिनके कारण इन लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। साथ ही साथ इस रेलवे स्टेशन को आधुनिक एवं सुविधायुक्त भी बनाये जाने की आवश्यकता है।

सरकार से अनुरोध है कि गुजरात एक्सप्रेस एवं जानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस रेल सेवाओं का ठहराव पालेज रेलवे स्टेशन पर जनहित में किया जाये एवं इस रेलवे स्टेशन को आधुनिक एवं सुविधायुक्त बनाया जाये।

(नौ) उत्तर प्रदेश के ओरैया जिले के डिबियापुर के एनटीपीसी विद्युत संयंत्र के आस-पास के गांवों में बिजली उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री प्रेमदास (इटावा): मेरे संसदीय क्षेत्र इटावा उत्तर प्रदेश के जनपद औरेया में डिबियापुर स्थित एनटीपीसी विद्युत परियोजना स्थापित है। सरकार द्वारा 5-5 कि.मी. की परिधि में बिजली देने की बात की गई है। मैं कई बार माननीय विद्युत मंत्री जी से पत्राचार कर उक्त जगह पर बिजली आपूर्ति का अनुरोध कर चुका हूं, परंतु संबंधित मंत्रालय द्वारा बार-बार राज्य सरकार का हवाला देकर इस प्रकरण को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ग्रामीण घरों में संतोषजनक बिजली आपूर्ति नहीं होने से पूरे डिबियापुर एनटीपीसी विद्युत परियोजना के आस-पास के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।

अत: मैं सरकार से पुन: अनुरोध करूंगा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गरीब ग्रामीणों के लिए कारगर उपाय करें तथा यथाशीघ्र डिबियापुर एनटीपीसी विद्युत परियोजना के आस-पास के ग्रामीण घरों में अविलम्ब बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें।

(दस) उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खुर्जा जंक्शन पर सभी चार टिकट काउण्टरों को चालू किए जाने तथा उक्त स्टेशन पर रेलवे सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतमबुद्ध नगर): उत्तर प्रदेश राज्य के गौतमबुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत खुर्जा जंक्शन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन से बड़ी संख्या में रेलगाड़ियों का आवागमन होता है तथा दिल्ली के निकट होने के कारण यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री दिल्ली एवं अन्य स्थलों के लिए अपने कामकाज के सिलसिले में आते-जाते हैं।

लेकिन, इस स्टेशन पर रेलवे सुविधाओं का भारी अभाव है। हालांकि रेलवे द्वारा यहां पर चार टिकट खिड़कियों की स्थापना एक वर्ष पूर्व की गई थी, मगर इन सभी खिलाड़ियों में कर्मचारी तैनात न होने की वजह से टिकट वितरण का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है। वर्तमान में खुर्जा जंक्शन पर सुबह के समय केवल दो खिड़कियों के माध्यम से ही टिकट बांटी जाती है, जो रेलवे यात्रियों की संख्या को देखते हुए नगण्य है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से माननीया रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि खुर्जा जंक्शन पर जरूरी मूलभूत सुविधायें प्रदत्त कराये जाने के साथ-साथ वहां स्थापित की गई सभी टिकट खिड़कियों के माध्यम से रेलवे टिकट बांटने की सुविधा अविलम्ब करवायी जाये।

(ग्यारह) बिहार में हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन पर न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (रेलगाड़ी सं. 2523/2524) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिहार राज्य के समस्तीपुर के खगड़िया रेल खंड के बीच हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन काफी महत्वपूर्ण स्टेशन है। हसनपुर में बड़ी चीनी मिल भी स्थापित है। समस्तीपुर-खगड़िया रेल खंड के बीच सबसे अधिक आय हसनपुर रोड स्टेशन से ही होती है। यह एक पिछड़ा क्षेत्र है। यहां से बड़ी संख्या में रेल यात्री यात्रा करते हैं।

2523 अप एवं 2524 डाउन न्यू जलपाईगुड़ी सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी हसनपुर रोड स्टेशन से होकर गुजरती है, लेकिन उसका ठहराव हसनपुर रोड स्टेशन पर नहीं होने से इन क्षेत्रों के रेल यात्रियों को काफी परेशानी होती है।

अत: जनहित में 2523 अप एवं 2524 डाउन न्यू जलपाईगुड़ी सुपर फास्ट एक्सप्रेस का ठहराव हसनपुर रोड रेलवे स्टेशन पर दिया जाये।

(बारह) केरल कलामंडलम जो केरल में कला और संस्कृति का केंद्र है, के लिए वित्तीय सहायता की राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.के. बिजू (अलथूर): केरल कलामंडलम की स्थापना 1930 में वल्लाथोल नारायण मेनन, त्रिसूर जिले के चेरूधूरूनती गांव में जन्में प्रसिद्ध मलयालम कवि द्वारा किया गया था। कला के इस मंदिर ने कथकली-शास्त्रीय नृत्य जो केरल का नाटक है को 78 वर्षों से संरक्षित रखा है और इसका प्रचार-प्रसार किया है। केरल के तथा देश के अन्य हिस्सों के कई अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त कलाकारों को यहां प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। इस अद्वितीय संस्था ने कई वर्षों से कथकली के अतिरिक्त मोहिनीअट्टम, कोट्टायम, पंचवेदम तथा थूलाल का प्रशिक्षण प्रदान किया है। यहां के संकाय उच्च गुणवत्ता वाले है और इनके पास व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव है। हाल में कलामंडल को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है।

केरल कलामंडलम केरल सरकार के सांस्कृतिक मामले विभाग के अंतर्गत एक अनुदान प्राप्त संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। विशेष परियोजनाओं के लिए सांस्कृतिक विभाग, भारत सरकार तथा संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। कूडियाटम के संरक्षण और प्रचार के लिए यूनेस्को ने 2004 में कलामंडलम को पर्याप्त वित्तीय सहायता स्वीकृत की थी। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र तंजावूर वर्षों से इस परिसर में नृत्य और संगीत उत्सवों के आयोजन के लिए कलामंडलम को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।

अपनी पूर्ण क्षमता के प्रदर्शन के लिए इस संस्था को केन्द्र सरकार की ओर से और अधिक वित्तीय सहायता की जरूरत है। केन्द्र सरकार अधिक वित्तीय सहायता की जरूरत है। केन्द्र सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वह इन परियोजनाओं को स्वीकृत करे और कलामंडलम को कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक विश्वस्तरीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय में बदलने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए।

(तेरह) तमिलनाडु के धर्मापुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शिवानल्ली में लेवल क्रॉसिंग के निर्माण के अलावा अध्यामन कोट्टई, चिन्थालपडी और बुदीरेदीपट्टी के निकट लेवल क्रॉसिंग पर रेलवे ऊपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): मैं सरकार का ध्यान धर्मापुरी-सलेम राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच. 7) पर स्थित अदियमान कोट्टाई रेलवे गेट तथा धर्मापुरी शहर में स्थित वेन्नामपटी रेलवे गेट पर उपरिपुलों के निर्माण की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दोनों स्थान दक्षिण पश्चिम रेलवे के बंगलौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण रेलवे के सलेम मंडल के अंतर्गत स्थित चिंथालपडी रेलवे गेट और बुडीरेड्डीपट्टी रेलवे गेट पर भी उपरिपुल निर्माण की मांग की जा रही है। इन उपरि पुलों का निर्माण बहुत जरूरी है क्योंकि इन गेटों का उपयोग करने वाले लोगों को आने-जाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण रेलवे के सलेम मंडल के अंतर्गत शिवानल्ली में समपार भी बनाए जाने

की आवश्यकता है। शिवानल्ली में समपार के अभाव में 30 से अधिक गांवों के लोगों को रेल लाइन पार करने में अपनी जान की जोखिम उठानी पड़ती है। इसलिए, सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि धर्मापुरी जिले के शिवानल्ली में समपार बनाने के अतिरिक्त आदियमान कोट्टाई, वेन्नामपट्टी, चिन्थालपडी और बुडीरेड्डीपट्टी में उपरिपुल बनाएं।

(चौदह) यमुना नदी के साफ किए जाने के लिए बनाई गई योजनाओं की निगरानी के लिए यमुना रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): अशोधित अवजल और औद्योगिक बहि:स्राव को यमुना नदी में छोड़े जाने के कारण यमुना बहुत प्रदूषित हो गई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया है कि यमुना का जल की गुणवत्ता विलयित ऑक्सीजन (9डी.ओ.), बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.) तथा कोलिफॉर्म्स के संदर्भ में अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं करता। सी.ए.जी. और सिविल सोसायटी ने यमुना किनारे स्थित प्रदूषण फैलाने वाले कई उद्योगों की भी पहचान की है जिन्होंने बहि:स्राव शोधन संयंत्र नहीं लगाए हैं।

मेरे चुनाव क्षेत्र मथुरा, जिसका लोगों के लिए ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व है के लोग अक्रियाशील अवजल शोधन संयंत्रों और नदी में अवजल के सीधे छोड़ जाने के कारण नाराज हैं।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाए और यमुना नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना करे जो पूरी नदी के संदर्भ में क्रियान्वयन की योजना बनाएगा तथा उसका निरीक्षण करेगा।

(पन्द्रह) भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता

डॉ. तरूण मंडल (जयनगर): भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता अपने कार्यकरण के मानक को कायम नहीं रख पा रहा है जिससे इसके कर्मचारियों और उपभोक्ताओं में गंभीर शिकायतें है। समूह 'ग' और 'घ' में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। इस क्षेत्र के समूह 'ख', 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के लिए छठे केन्द्रीय वेतनमान की सिफारिश को अभी तक लागू नहीं किया गया है जिसमें उनमें असंतोष है और उनका मनोबल गिर रहा है। संगठन के भीतर विवाद और असंतोष को दूर करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी संघ प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता से बच रहे हैं।

इसलिए केन्द्रीय कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से मैं अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें और विशेष रूप से कर्मचारियों तथा आम जनता के हित में इस यूनिट की निष्पादन को सुचारु बनाने के लिए उपयुक्त उपाय करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 23 नवम्बर, 2010/2 अग्रहायण, 1932 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री रघुवीर सिंह मीणा	161
2.	श्रीमती सुप्रिया सुले	162
3.	श्रीमती दर्शना जरदोश श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	163
4.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	164
5.	श्री रामकिशुन श्री कौशलेन्द्र कुमार	165
6.	श्री मनीष तिवारी श्री विश्वमोहन कुमार	166
7.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	167
8.	श्री शत्रुघ्न सिन्हा	168
9.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	169
10.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल कुमारी मीनाक्षी नटराजन	170
11.	श्री अनंत कुमार हेगड़े श्री दिनेश चन्द्र यादव	171
12.	श्री नामा नागेश्वर राव	172
13.	श्री अर्जुन चरण सेठी श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	173
14.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	174
15.	शेख सैदुल हक श्री प्रबोध पांडा	175
16.	श्री इज्यराज सिंह श्रीमती रमा देवी	176
17.	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक	177
18.	श्री पूर्णमासी राम श्री उदयनराजे भोंसले	178
19.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	179
20.	श्री संजय भोई श्री भूदेव चौधरी	180

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	1880, 1954, 2015, 2049
2.	आधि शंकर, श्री	1892, 1959, 1992
3.	अडसुल, श्री आनंदराव	1899, 1901, 1943, 1987
4.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	1866, 1924, 1954, 2005, 2038
5.	अग्रवा, श्री राजेन्द्र	1899, 2057
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1858, 1950
7.	अनंत कुमार, श्री	1920
8.	अंगड़ी, श्री सुरेश	2008
9.	अनुरागी, श्री घनश्याम	1924
10.	आवले, श्री जयवंत गंगाराम	2026
11.	आजाद, श्री कीर्ति	1918, 1953, 2026
12.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	1853
13.	बाबर, श्री गजानन ध.	1892, 1901, 1943, 1967, 1988
14.	बैस, श्री रमेश	1894
15.	बाजवा, श्री प्रताप सिंह	1936, 2007, 2044
16.	बलीराम, डॉ.	1943, 1952
17.	बलराम, श्री पी.	1869, 1899, 1921, 1926, 2006
18.	बासवराज, श्री जी.एस.	2001
19.	बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.	2000
20.	भोई, श्री संजय	1915
21.	भुजबल, श्री समीर	1947
22.	बिजू, श्री पी.के.	1899

1	2	3
23.	बिसवाल, श्री हेमानंद	1854, 1877
24.	बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	2013
25.	चौधरी, श्री हरीश	1944
26.	चौधरी, श्री जयंत	1855, 2021, 2068
27.	चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.	1895, 1924, 2019
28.	चौहान, श्री संजय सिंह	1924
29.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	1886, 1934
30.	चिन्ता मोहन, डॉ.	1946
31.	चौधरी, श्री भूदेव	1892, 1923
32.	चौधरी, श्रीमती श्रुति	1924, 1980
33.	चौधरी, श्री अधीर	1943, 1974
34.	दास, श्री खगेन	1982, 2055
35.	दास, श्री राम सुन्दर	1899, 1906, 1935, 2016
36.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	1978, 1984, 2005
37.	दासमुंशी, श्रीमती दीपा	1918, 2015, 2070
38.	डे, डॉ. रत्ना	1919
39.	डेका, श्री रमेन	1892
40.	देवरा, श्री मिलिंद	1892, 1899, 2005, 2012, 2025
41.	देवी, श्रीमती रमा	1843, 2024
42.	धोत्रे, श्री संजय	1915
43.	दुबे, श्री निशिकांत	1963
44.	दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव	1973
45.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	1929, 2020, 2055, 2065
46.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2016, 2017
47.	गांधी, श्री वरूण	2029
48.	गणेशमूर्ति, श्री ए.	1871, 1892, 2005, 2009, 2014
49.	घाटोवार, श्री पबन सिंह	1913
50.	घुबाया, श्री शेर सिंह	1907
51.	गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे	1933
52.	हजारी, श्री महेश्वर	1876, 1918
53.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	2009
54.	हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह	1924, 1967, 1980, 2007
55.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	1852, 2015, 2053
56.	जगन्नाथ, डॉ. मन्दा	2005
57.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	1965
58.	जाखड़, श्री बद्रीराम	1868, 1918, 2040
59.	जरदोश, श्रीमती दर्शना	1892
60.	जयाप्रदा, श्रीमती	1893, 1924, 1940, 2008
61.	जेयदुरई, श्री एस.आर.	1860, 1919
62.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	1932, 2064
63.	जोशी, श्री कैलाश	1924, 1980
64.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	2004
65.	जोशी, श्री प्रहलाद	1892
66.	कछाड़िया, श्री नारनभाई	1966, 2015, 2026
67.	करूणाकरन, श्री पी.	1874, 1878, 1946, 1954
68.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	1872, 1894, 2024
69.	कस्वां, श्री राम सिंह	1942
70.	कटारिया, श्री लालचन्द	1908, 2067
71.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1867, 2005, 2008, 2039, 2055
72.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	2016, 2017
73.	खत्री, डॉ. निर्मल	1919

1	2	3
74.	कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी	1888, 1924, 1960, 2026, 2029
75.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	2041
76.	कुमार, श्री शैलेन्द्र	1899, 1990
77.	कुमार, श्री वीरेन्द्र	1927
78.	कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश	1964
79.	लागुरी, श्री यशवंत	1919, 1924, 1954
80.	लिंगम, श्री पी.	1978
81.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2043
82.	महाराज, श्री सतपाल	1947, 2005
83.	महतो, श्री नरहरि	1885, 1890
84.	महताब, श्री भर्तृहरि	1959
85.	माझी, श्री प्रदीप	1854, 1904, 1961, 2007, 2032
86.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	1885, 2010
87.	मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह	1914
88.	मंडल, श्री मंगनी लाल	1948, 2005
89.	मणि, श्री जोस के.	1958
90.	मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड	1901, 1943
91.	मेघे, श्री दत्ता	1934
92.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	1892, 2054
93.	मेघवाल, श्री भरत राम	1889
94.	मेघवाल, श्री अर्जुन राम	1905, 2012, 2027
95.	मैन्या, डॉ. थोकचोम	1892
96.	मिश्रा, श्री महाबल	1917, 2063
97.	मित्रा, श्री सोमेन	1943
98.	मुंडे, श्री गोपीनाथ	1911
99.	मुत्तेमवार, श्री विलास	1892, 1893, 1894, 2019

1	2	3
100.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	1892, 1971, 1985
101.	नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप	1846, 1892, 2030
102.	नटराजन, श्री पी.आर.	1850, 2031
103.	निरूपम, श्री संजय	1951
104.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1849, 2003, 2019, 2048
105.	पक्कीरप्पा, श्री एस.	1856
106.	पाल, श्री जगदम्बिका	1977, 2058
107.	पांडा, श्री वैजयंत	1924, 1938, 2023
108.	पांडा, श्री प्रबोध	2005, 2036
109.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	1972, 2008
110.	पाण्डेय, कुमारी सरोज	1902, 1924, 2010
111.	पाण्डेय, श्री गोरखनाथ	1898
112.	पांगी, श्री जयराम	1926, 1968
113.	परांजपे, श्री आनंद प्रकाश	1941, 1943, 2013
114.	पासवान, श्री कमलेश	1924, 2003
115.	पाटिल, श्री सी.आर.	1971
116.	पटेल, श्री देवजी एम.	1928
117.	पटेल, श्री आर.के. सिंह	1928, 1937
118.	पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	1945, 2025
119.	पटेल, श्री बाल कुमार	1899, 1909
120.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1854, 1904, 1961, 2007, 2032
121.	पाटील, श्री संजय दिना	2013, 2025
122.	पाटील, श्री ए.टी. नाना	1858, 1950
123.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	1919, 2060
124.	पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव	1892, 1993
125.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	1861, 1926
126.	प्रधान, श्री अमरनाथ	1919
127.	प्रधान, श्री नित्यानंद	1924, 1938, 2023
128.	प्रेमदास, श्री	1892
129.	पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र	2028

1	2	3
130.	रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई	1955
131.	राघवन, श्री एम.के.	1959, 1979
132.	रहमान, श्री अब्दुल	1859, 2002
133.	राय, श्री प्रेम दास	1943
134.	राजगोपाल, श्री एल.	1841, 1943, 2005
135.	राजभर, श्री रमाशंकर	1892, 2019, 2066
136.	राजेन्द्रन, श्री सी.	1893, 1981
137.	राजेश, श्री एम.बी.	1924, 1962, 2069
138.	राम, श्री पूर्णमासी	1892, 2005, 2010, 2056
139.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	1842, 1987
140.	रामकिशुन, श्री	2041
141.	राणे, श्री निलेश नारायण	1881, 2050
142.	राठौड़, श्री रमेश	1975
143.	राठवा, श्री रामसिंह	1887, 2004, 2012, 2066
144.	रावत, श्री अशोक कुमार	1934, 2022, 2069
145.	राय, श्री विष्णु पद	1957
146.	राय, श्री रूद्रमाधव	1892, 1975, 2008, 2011, 2058
147.	रेड्डी, श्री के.आर.जी.	1857, 1899, 1926, 1968, 2033
148.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1899, 1903, 2064
149.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1989, 2047
150.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	2013
151.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	1882, 1959, 2009, 2021
152.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	1885, 1961
153.	राय, श्री महेन्द्र कुमार	2015
154.	सेम्मलई, श्री एस.	1991
155.	साहू, श्री चंदूलाल	1930, 2019, 2066
156.	सम्पत, श्री ए.	1956
157.	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	1844
158.	सरोज, श्री तूफानी	1969
159.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	1884, 2044, 2045, 2052
160.	सईद, श्री हमदुल्लाह	1865, 1953, 2037
161.	शानवास, श्री एम.आई.	1916, 2012, 2013, 2059
162.	शांता, श्रीमती जे.	1845, 1914, 1959, 2045
163.	शर्मा, श्री जगदीश	1946, 2024
164.	शेखर, श्री नीरज	1893, 1924, 1940, 2008
165.	शेटकर, श्री सुरेश कुमार	1857, 1869, 1899, 1921, 2042
166.	शेट्टी, श्री राजू	1994
167.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	1924, 1943, 2008, 2018
168.	शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव	1892, 1899, 1970, 2005
169.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	1864, 2005, 2066
170.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1893, 1922
171.	सिंह, श्री भूपेन्द्र	1896, 1924, 1943
172.	सिंह, श्री दुष्यंत	1939, 1943, 1989
173.	सिंह, श्री गणेश	1863
174.	सिंह, श्री गोपाल	1870
175.	सिंह, श्री जगदानंद	1924, 1925, 2062
176.	सिंह, श्री राधा मोहन	1892, 1899, 1906, 1923
177.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	1900
178.	सिंह, श्री राकेश	1892, 1897
179.	सिंह, श्री रतन	1996
180.	सिंह, श्री सुशील कुमार	1975, 2027

1	2	3
181.	सिंह, चौधरी लाल	1951, 2016
182.	सिंह, श्री धनंजय	2009
183.	सिंह, श्री रेवती रमन	1891
184.	सिंह, श्री सुखदेव	1899
185.	सिंह, श्री राधे मोहन	1935, 2016
186.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	1892, 2004
187.	सिंह, राजकुमारी रत्ना	1919, 2002
188.	सिंह, श्री उदय प्रताप	1960
189.	सिंह, श्री उमाशंकर	2020, 1900
190.	सिंह, डॉ. संजय	1893, 1919, 1921, 2002
191.	सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण	1899, 1939
192.	सिन्हा, श्री यशवंत	2007
193.	सिन्हा, श्री शत्रुघ्न	1892, 1948
194.	सिरिसिल्ला, श्री राजय्या	1857, 1869, 1899, 1921, 1926
195.	शिवासामी, श्री सी.	1954, 1968
196.	सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई	1982, 1986, 2005
197.	सुधाकरण, श्री के.	1899
198.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1851, 1995, 2019, 2035
199.	सुगुमार, श्री के.	1842, 1912
200.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	1892, 1985, 2007, 2013
201.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	1883, 2051, 2055
202.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	1961, 1999
203.	टैगोर, श्री मानिक	1871, 1892, 2005, 2009, 2014
204.	टन्डन, श्रीमती अन्नू	1959, 1964, 1978, 1997, 2004
205.	तराई, श्री बिभू प्रसाद	1862
206.	ठाकोर, श्री जगदीश	1879
207.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	1847, 1894, 2028, 2034
208.	थामराईसेलवन, श्री आर.	1899, 2021
209.	तम्बिदुरई, डॉ. एम.	1894, 1932, 1998
210.	थॉमस, श्री पी.टी.	1848, 1892, 2061
211.	तिरकी, श्री मनोहर	1885, 2010
212.	तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल	1899, 1906, 1935, 2016
213.	तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह	1919, 1954, 1960, 1995
214.	टुडु, श्री लक्ष्मण	2022
215.	वर्धन, श्री हर्ष	1892, 1949
216.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1843
217.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	1873, 1875, 1921
218.	विश्वनाथ, श्री अदुगुरू एच.	1919, 1961, 2046
219.	विश्वनाथन, श्री पी.	1943, 2055
220.	विवेकानन्द, डॉ. जी.	1910
221.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	1873, 1968, 1997
222.	वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव	1924, 1943, 2008, 2018
223.	वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार	1983
224.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	2024
225.	यादव, श्री धर्मेन्द्र	1939, 1989
226.	यादव, श्री दिनेश चन्द्र	2024
227.	यादव, श्री ओम प्रकाश	1918, 1927
228.	यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	1892, 1894, 1899, 1931
229.	यादव, श्री हुक्मदेव नारायण	1976
230.	यास्खी, श्री मधु गौड	2016.

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	164, 168, 169, 170, 171, 176, 178
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	166, 177, 180
रक्षा	:	165
श्रम और रोजगार	:	167, 172, 174, 175
पंचायती राज	:	–
ग्रामीण विकास	:	161, 173, 179
पोत परिवहन	:	162, 163.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	–

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1866, 1869, 1873, 1875, 1879, 1890, 1895, 1901, 1908, 1913, 1915, 1932, 1934, 1956, 1958, 1961, 1968, 1981, 1995, 2004, 2006, 2009, 2019, 2023, 2024, 2033, 2041, 2042, 2044, 2045
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	1842, 1843, 1844, 1854, 1857, 1864, 1874, 1878, 1881, 1897, 1903, 1917, 1920, 1921, 1938, 1941, 1943, 1946, 1952, 1969, 1972, 1973, 1975, 1982, 1987, 2011, 2018, 2027, 2037, 2039, 2043, 2048, 2055, 2065, 2067, 2069
रक्षा	:	1859, 1863, 1865, 1871, 1885, 1886, 1892, 1893, 1894, 1902, 1904, 1906, 1907, 1922, 1944, 1948, 1949, 1953, 1965, 1970, 1977, 1988, 1990, 1993, 2005, 2008, 2012, 2013, 2025, 2030, 2032, 2034, 2057, 2058
श्रम और रोजगार	:	1853, 1868, 1872, 1880, 1887, 1909, 1910, 1911, 1925, 1928, 1936, 1939, 1945, 1947, 1951, 1954, 1979, 1986, 1989, 1994, 1996, 1999, 2001, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2031, 2035, 2036, 2040, 2046, 2049, 2051, 2052, 2062, 2066, 2068
पंचायती राज	:	1912, 1926, 1957, 1959, 1964, 1967, 2059
ग्रामीण विकास	:	1852, 1860, 1861, 1867, 1870, 1876, 1883, 1888, 1891, 1896, 1898, 1899, 1900, 1914, 1916, 1919, 1923, 1924, 1929, 1930, 1933, 1937, 1940, 1942, 1950, 1962, 1963, 1966, 1974, 1978, 1980, 1983, 1984, 1985, 1997, 1998, 2000, 2002, 2007, 2015, 2026, 2028, 2047, 2053, 2054, 2060
पोत परिवहन	:	1851, 1862, 1877, 1882, 1884, 1931, 1955, 1971, 1976, 1991, 1992
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	1841, 1855, 1856, 1858, 1889, 1905, 1918, 1927, 1935, 1960, 2003, 2010, 2014, 2029, 2038, 2050, 2056, 2061, 2063, 2064, 2070.